लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[**दसवां सत्र**
Tenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation
Parliament Library

[**खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं**
Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : **One Rupee**

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—19, मंगलवार, 17 मार्च, 1970/26 फाल्गुन, 1891 (शक)

No.—19, Tuesday, March 17, 1970/Phalguna 26, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
481. हावड़ा आमता तथा हावड़ा शियाखाला लाइट रेलवे को बन्द करने की धमकी	Threat of Clsoure of Howrah Amta and Howrah Shekhala Light Railways	1—4
482. सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	Century Spinning and Manufacturing Co. Ltd.	4—10
483. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायलयों के निर्णयों को प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करने और प्रकाशित करने के लिये राज्यों को अनुदान	Grants to States for Preparing and Publishing Judgements of Supreme Court and High Courts in Regional Languages	11—16
४4. ट्रैक्टरों की पुन: बिक्री पर प्रतिबन्ध	Imposition of Restrictions on Resale of Tractors	16—17
—ों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
485. राष्ट्रीयकृत बैंकों से परियोजनाओं के लिये धन	Funds for Projects from Nationalised Banks	17—18

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
486.	मध्य प्रदेश के डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Dacoitinfested Areas of Madhya Pradesh	18
487.	उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries	18
488.	बिहार में रेल सुविधाओं के संबंध में जनता की शिकायतों पर विचार करने हेतु एक समिति की स्थापना	Committee to Examine Complaints from Public re. Kailway Facilities in Bihar	19
489.	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	19 20
490.	एक से अधिक राज्यों में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना	Enrolment as a Voter in more than one State	20
491.	रेलवे की आय में कमी	Fall in Earnings of Ralways	20—22
492.	मैसर्स तुलसीदास किलाचन्द फर्मसमूह को नये उद्योम स्थापित करने के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences to M/s Tulsidas Kilachand Group for Setting up New Industries	22—23
493.	आसाम में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रम	Central Government Industrial Undertakings in Assam	23
494.	रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन में कमी	Decline in Production in Rourkela Steel Plant	23—24
495.	केरल में हरिजनों की लघु उद्योगों में सहायता के लिये अलग वित्त निगम	Separate Financial Corporation to Assist Small Scale Industries for Harijans in Kerala	24
496.	सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान की समाप्ति	Condonation in Break of Service of Employees who Participated in September, 1968 Strike	24
497.	मैसर्स स्टेन्डर्ड ड्रम एण्ड बेरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन	Violation of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 by M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Company	25

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
498.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद में हड़ताल	Strike in Hindustan Machine Tools, Hyderabad	25—26
499.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of H.M.T. Watches	26
500.	कच्चे लोहे की कमी	Shortage of Pig Iron	26—27
501.	संयुक्त संयंत्र समिति को लोहे तथा इस्पात बोर्ड में परिवर्तित करना	Transformation of Joint Plant Committee into Iron and Steel Board	27—28
502.	झुंझनू (राजस्थान) में औद्योगिक एकक	Industrial Units in Jhunjhunu (Rajasthan)	28—29
503.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications for Industrial Licences	29—30
504.	बम्बई सेन्ट्रल तथा गांधी धाम के बीच सीधी यात्री गाड़ी	Direct Passenger Train between Bombay Central and Gandhidham	30—31
505.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय की राय	Opinion Sought from Law Ministry on Issuing of Ordinance on Bank Nationalisation	31
506.	बोकारो इस्पात संयंत्र को हानि	Loss to Bokaro Steel Plant	31
507.	रेलवे लेखा विभाग में लिपिकों के पदों का दर्जा बढाने की योजना	Scheme for Upgradation of Posts of Clerks in the Railway Accounts Department	32
508.	विभिन्न उद्योगों में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Various Industries	32—33
509.	रूस को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to Russia	33
510.	औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

3195.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजोर कारखाने में ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors at HMT; Pinjore	34
3196.	एक अन्तर्राज्य गिरोह द्वारा जाली रेलवे रसीदों का छापा जाना	Printing of Foreged Railway Receipts by a Racket of An Inter State Gang	34—35
3197.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड में प्रबन्धक की नियुक्ति	Appointment of Manger in Heavy Electricals (I) Ltd.	35—36
3198.	बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में नया रेलवे स्टेशन और हाल्ट	New Railway Station and Halts in Bikaner Division (Northern Railway)	36
3199.	राजस्थान में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Rajasthan	36
3200.	समाचार भारती न्यूज एजेंसी का प्रबन्ध	Management of Samachar Bharati News Agency	37
3201.	कम्पनियों द्वारा अन्तर्निगम विनियोजन	Inter Corporate Investment by Companies	38
3202.	एक रेलवे से अन्य रेलवे को भविष्य निधि लेखे का हस्तांतरण	Transfer of Provident Fund Accounts from one Railway to Another	38
3203.	रेल यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिये अतिरिक्त सुविधायें	Additional Facilities for the Security and Convenience of Railway Passengers	38—39
3204.	गैर सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग वाली कम्पनियां	Companies in Private Sector with Foreign Collaboration	39—40
3205.	पूर्व रेलवे के दानापुर डिविजन के गार्डों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण	Mass Transfer of Guards of Danapur Division (Eastern Railway)	40
3206.	उत्पादिता स्तर बढ़ाने के लिये कार्यक्रम	Programme for Raising Productivity Level	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3207.	मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिये उचित मूल्य की दुकानों का विस्तार	Expansion for Fair Price Shops to Check Rising Trend of Prices	41—42
3208.	उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in U. P.	42
3209.	पश्चिम बंगाल तथा बिहार में चलती गाड़ियों में अपराध	Crimes in Running Trains in West Bengal and Bihar	42
3210.	भारत में ब्रिटिश पंजी नियोजन	British Investment in India	43
3211.	उद्योग स्थापित करने के लिये भारत अमरीकी सहयोग	Indo-US Collaboration for Starting Industries	43—44
3212.	सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था को अनुदान तथा उसके द्वारा किये गये अध्ययन	Grant to and Studies made by the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies	44—45
3213.	इलैक्ट्रोनिक उद्योगों का अध्ययन करने के लिये उत्पादिता दल की जापान यात्रा	Visit by a Productivity Team to Japan to Studv Electronic Industries	45
3214.	औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार में लघु उद्योग क्षेत्र का भाग	Share of Small Scale Sector in Industrial Production and Employment	45—46
3215.	मध्य प्रदेश में हरिजन और अनूसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये फीस की राशि दी जाना	Payment of Tuition Fee to Harijans and Scheduled Tribes Students in Madhya Pradesh	46
3216.	इंजीनियरी उद्योग के लिये इस्पात की कमी	Shortage of Steel for Engineering Industry	46—47
3217.	मध्य रेलवे के सुखी सीमानिया और दीवान गंज स्टेशनों के बीच भदभदघाट पर यात्रियों को टिकटों का बाटा जाना	Passenger Booking at Bhadbhadaghat between Sukhi Siwania and Dewanganj Stations, Central Railway	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3218.	गैर-सरकारी क्षेत्र में मोटर गाड़ी एककों का विस्तार	Expansion of Automobile Units in Private Sector	48
3219.	रूस को मशीनों तथा उपकरणों के निर्यात के लिये बड़े पैमाने पर क्रयादेश	Bulk Orders for Export of Machines and Equipments of Russia	49
3220.	विकलांग व्यक्तियों के लिये व्यापक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करना	Development of Comprehensive National Centres for Handicapped Persons	49—50
3221.	दक्षिण में इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Steel Plants in South	50
3222.	पूर्वी उत्तर रेलवे पर जंजीर खींचने और माल की चोरी के मामले	Incidence of Chain Pulling and Cases of Pilferage of Goods on North Eastern Railway	51
3223.	रेलवे लाइन का विद्युतिकरण	Electrification of Railway Track	51
3224.	माल यातायात तथा रेलवे ढुलाई सेवा में सुधार	Volume of Goods Traffic and Improvement Railway Freight Service	52
3225.	प्रबन्धकों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था न किये जाने के कारण सियालदाह डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Sealdah Division for Failure of Management to make Security Arrangements	52
3226.	जहाज निर्माण कारखाना, विशाखापतनम में हरिजन लड़कों को विशेष प्रशिक्षण	Special Training to Harijan Boys at Ship Building Yard, Visakhapatnam	53
3227.	केरल के हरिजन लड़कों और लड़कियों को सिलाई और कसीदे के काम में प्रशिक्षण देने की योजना	Scheme for Training in Tailoring and Needle Work to Harijan Boys and Girls of Kerala	53
3228.	मध्य रेलवे के दतिया स्टेशन पर पैदल यात्रियों के लिये उपरिपुल	Over-bridge for Pedestrains at Datia Station (Central Railway)	54
3229.	वृद्ध और विकलांग लोगों को निर्वाह भत्ता	Grant of Sustenance Allowance to Old and Disabled Persons	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3230.	उत्तर प्रदेश को इस्पात का नियतन	Allotment of Steel to U. P.	54
3231.	केरल में आदिवासी अनुसंधान संस्थान	Tribal Research Institution in Kerala	55
3232.	भारत में पश्चिमी जर्मन का सहयोग	West German Collaboration in India	55
3233.	नये उद्योगों को स्थापित करते समय गैर सरकारी उद्योगपतियों के सामने आने वाली कठिनाइयां	Difficulties of Private Industrialists in Setting up New Industries	56
3234.	मुगलसराय स्टेशन पर इंजन कर्मचारियों द्वारा 'मंद गति से काम करो' हड़ताल	Lightning Strike by Locomotive Staff at Mugal Sarai Station	56
3236.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिये निर्यात आर्डर	Export orders for Bharat Heavy Electricals Ltd.	57
3237.	अंधों को बसाना	Rehabilitation of Blinds	57—58
3238.	राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के उत्थान के लिये निर्धारित धनराशि का उपयोग न करना	Non Utilisation of Funds Earmarked to States for Uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	58
3240.	बिड़ला उद्योगों के विस्तार के लिये अनुमति	Permission for Expansion of Birla Industries	58—59
3241.	दूरदर्शक उपकरण बनाने के लिये परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Projects for Manufacture of Telescopic Equipments	59
3242.	कल्याण कार्यक्रमों में प्रशासनिक विलम्ब	Administrative Delays in Welfare Programmes	59
3243.	टाटाओं द्वारा अमरीकी फर्म के सहयोग से प्रकाशन कम्पनी की स्थापना	Setting up of Publishing Company by Tatas in Collaboration with U. S. Firm	59—60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3244.	फूलबनी जिला (उड़ीसा) में रेल लाइनें	Railway Lines in Phulbani District (Orissa)	60
3245.	तालचेर से ब्रह्मपुर तक (उड़ीसा राज्य) रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Railway Lines from Talacher to Brahmpur (Orissa State)	60
3246.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति	Industrial Relations in Heavy Electricals Ltd., Bhopal	60—61
3247.	वेतन आयोग के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय के खिलाफ रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा विरोध	Protest by Railwaymen's Federation against Government Decision on Pay Commission	61
3248.	2 डाउन कालका दिल्ली हावड़ा मेल रेलगाड़ी में कानपुर से प्रथम श्रेणी एवं तीसरी श्रेणी की अतिरिक्त बोगी लगाना	Additional Ist Class Cum-III Class Bogie from Kanpur in 2 dn. Kalka Delhi Howrah Mail	62
3249.	मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survey of Bundelkhand Area in Madhya Pradesh	62
3250	बम्बई सेन्ट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनों पर मुख्य बुकिंग क्लर्क तथा मुख्य आरक्षण निरीक्षक के वेतनमान	Pay Scales of Chief Booking Clerk and Chief Reservation Inspector at Bombay Central and Ahmedabad Stations	62—63
3251.	पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक निरीक्षक	Commercial Inspectors on Western Railway	63—64
3252.	पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों की वाणिज्यि निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति	Promotion of Commercial Clerks as Commercial Inspectors on Western Railway	64—65
3253.	पश्चिम रेलवे में मुख्यालयक और बम्बई मंडल कार्यालय में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी	Class III and Class IV Staff in Headquarters Office and Bombay Divisional Office (Western Railway)	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3254.	बिजली की आर्क भट्टियों की क्षमता और उत्पादन	Capacity and output of Electric Arc Furances	65—66
3255.	रेल की पटरियों के लिये इस्पात की कमी	Scarcity of Steel for Rail Tracks	66
3256.	मंगलौर रेलवे स्टेशन का बढ़ाया जाना और हसन मंगलौर रेलवे लाइन का पूरा किया जाना	Enlargement of Mangalore Railway Station and Completion of Hassan Managlore Line	66—67
3257.	पुनर्वेलन मिलों को रेल की पुरानी लाइनों की सप्लाई	Supply of used Rails to Re-Rolling Mills	67
3258.	रेस्ट्रिकटिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कोर्ट स्थापित करना	Setting up of Restrictive Trade Practices Court	67—68
3259.	क्लाई पर बांधी जाने वाली इलैक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Electronic Wrist Watches	68
3260.	गैर सरकारी समवायों का पंजीकरण	Registration of Private Companies	68—69
3261.	बम्बई हावड़ा डाकगाड़ी के लिये डीजल इंजन	Diesel Locomotive for Bombay Howrah Mail	69
3262.	खण्डवा (मध्य प्रदेश) में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना	Setting up of an Industrial Estate in Khandwa (Madhya Pradesh)	70
3263.	मध्य प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम में केन्द्रीय सरकार की शेयर पूंजी	Share Capital of Central Government in State Road Transport Corporation of Madhya Pradesh	70
3264.	मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों की स्थापना	Setting up of Cement Industries in Madhya Pradesh	70—71
3265.	खण्डवा-अजमेर रेल लाइन पर तेज रफ्तार की गाड़ियों का चलाया जाना	Fast Trains on Khandwa Ajmer Line	71
3266.	आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये मध्य प्रदेश को धन का आवंटन	Allotment of Funds to Madhya Pradesh for Scholarship to Adivasi Students	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3267.	सरकारी क्षेत्रों में उपभोक्ता बस्तुओं के लिये उद्योग आरम्भ करना	Starting of Industries in Public Sector for Consumer Goods	71
3268.	ऐक्सप्रैस गाड़ियों के नाम बदलना	Renaming of Express Trains	72
3269.	विभिन्न प्रकार के शैक्षिक तथा तकनीकी स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अध्यापक	Scheduled Caste and Scheduled Tribes Teaching Staff in various Types of Educational and Technical Schools	72
3270.	लागत लेखा डिप्लोमा पाठ्यक्रम	Cost Accountancy Diploma Courses	72
3271.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में आर्थिक लाभों वाले पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी	Employees Working against Post Carrying Pecuniary Benefits	73
3272.	राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के अध्यक्षों का दिल्ली में सम्मेलन	Conference of Chairman of State Social Welfare Advisory Boards Held in Delhi	73-74
3273.	मुख्य लाइनों पर डिलक्स गाड़ियों का चलना और उनमें संसद् सदस्यों के लिये सीटों का कोटा	Running of Deluxe Trains on Main lines and Quota for Members of Parliament	74
3274.	औद्योगिक एककों का वर्गीकरण और उनमें पूंजी निवेश	Classification of Industrial Units and Capital Investment therein	75-76
3275.	हल्दिया पत्तन के आसपास के क्षेत्रों का औद्योगिक सर्वेक्षण	Industrial Survey of Areas around Haldia Port	76—77
3276.	लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का एक करोड़ रुपये तक पूंजी वाले उद्योगों पर प्रभाव	Effect of Delicensing Policy on Industries with an Investment upto Rupees One Crores	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3277.	पाँच करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले औद्योगिक एकक	Industrial Units with Investment of more than Five Crores of Rupees	78
3278.	व्यापार-गृहों पर प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने का प्रभाव	Effect of Abolition of Managing Agency System on Business Houses	79
3279.	मुजफ्फरपुर के नरकटियागंज (पूर्वोत्तर रेलवे) तक बड़ी लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Broad-gauge Line from Muzaffarpur to Narkatiaganj (North Eastern Railway)	79
3280.	सगौली स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर प्रतिक्षालाय तथा सुविधायें	Waiting Room and Amenities at Sagauli Station (North Eastern Railway)	80
3281.	नरकटियागंज स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री	Sale of Platform Tickets at Narkatiaganj Station (N. E. Rly.)	80
3282.	पूर्वोत्तर रेलवे का मुजफ्फरपुर नरकटियागंज लाइन पर बाजार से चकिया स्टेशन तक सड़क पर पानी इकट्ठा होना	Accumulation of Water on Road from Bazar to Chakia Station on Muzaffarpur Narkatiganj Line (North Eastern Railway)	81
3283.	नये ट्रैक्टर कारखाने लगाने के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for New Tractor Plants	81
3284.	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	82
3285.	बोकारो इस्पात कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for Bokaro Steel Plant	82—83
3286.	बोकारो के लिये कोयला सप्लाई करने के बारे में रूस द्वारा निर्धारित विवरण	Specifications Laid down by Russian for Supply of Coal to Bokaro	83
3287.	बोकारो इस्पात कारखाने का परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for Bokaro Steel Plant	84
3288.	प्रौद्योगिकी में भारत ब्रिटिश संयुक्त उपक्रम	Indo British Joint Venture in Technology	84—85
3289.	यात्री यातायात में कमी	Fall in Passenger Traffic	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3290.	बेलाडिल्ला (मध्य प्रदेश) में एक इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of a Steel Plant at Balladila (Madhya Pradesh)	85—86
3291.	हरियाणा में गोहना पानीपत रेल लाइन को पुनः चालू करना	Restoration of Gohana Panipat Railway Line in Haryana	86
3292.	पूर्वोत्तर रेलवे में फायरमैनों (ए तथा बी) से सम्बन्धित पदोन्नति नीति के बारे में अभ्यावेदन	Representation on the Promotion Policy of Firemen (A and B) on North Eastern Railway	86
3293.	पूर्वोत्तर रेलवे फायरमैन से शंटर और ड्राइवर सी के पद पर पदोन्नति के लिये अवधि	Period for Promotion from Fireman to Shunter and to Driver 'C' North Eastern Railway)	86—87
3294.	मैनेजिंग एजेन्टों के स्थान पर परामर्शदात्री फर्मों की स्थापना	Setting up of Consultancy Firms in Place of Managing Agents	87
3295.	जापानी ढंग की बुलेट रेल गाड़ियां चलाना	Introduction of Bullet Trains on Japanese Pattern	88
3296.	अखिल भारतीय संकेत (सिगनल) तथा दूर संचार कर्मचारी संस्था को मान्यता	Recognition to All India Signal and Telecommunication Staff Association	88
3297.	रेलवे सेवा में नैमित्तिक मजदूरों को नौकरी देना और नैमित्तिक मजदूरों तथा रेलवे कर्मचारियों की मजूरियों में अन्तर	Absorption of Casual Labourers in Railway Service and Difference in Wages between Casual Labourers and Railway Employees	89
3298.	भारत में विदेशी नियंत्रणाधीन सिगरेट उद्योग	Foreign Controlled Cigarettes Industry in India	89—90
3299.	गरीब पुरुषों तथा स्त्रियों को अंशकालिक रोजगार देने की सहकारी परियोजना	Co-operative Scheme for Part Time Employment to Poor Men and Women	90—91
3300.	सियालदाह स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Employees of Seal dah Station	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3301.	गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान पिछड़े लोगों के उत्थान के लिये कार्यक्रम	Programme for Uplift of Socially Backward People during Gandhi Centenary Year	91—92
3302.	रेलवे के यातायात विभाग में वर्ष 1958 में नियुक्त हुए श्रेणी 1 के अधिकारियों को स्थायी किया जाना	Confirmation of Class I Officers in Traffic Department of Railways Appointed in 1958	93
3303.	उद्योगों में सहयोग के सम्बन्ध में भारत रूस करार (प्रोटोकाल) पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर भारतीय समाचार पत्र प्रतिनिधियों को न बुलाना	Indian Press Representatives Kept Away from Ceremony of Signing of Indo Soviet Protocal on Industrial Colaboration	94
3304.	रूस के मंत्री का भारी इंजीनियरिंग कारखानों का दौरा	Visit of Russian Minister to Heavy Engineering Plants	94—95
3305.	उमरदेशी तथा पलनपुर क्षेत्र (पश्चिम रेलवे) पर दौहरी लाइन बिछाना	Doubling of Umardeshi Palanpur Section (Western Railway)	95
3306.	लघु उद्योगों का अध्ययन करने के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल की जापान यात्रा	Indian Delegation to Japan to Study Small Scale Industries	95—96
3307.	गोधरा रतलाम सेक्शन (पश्चिम रेलवे) में कुछ पुलों में खराबियों के कारण अतिरिक्त संचालन लागत	Extra Operational Cost Due to Defects in Certain Bridges on Godhra Ratlam Section (Western Railway)	96
3308.	स्टारों के निरीक्षण के लिये विदेशी रेलवे तथा अन्य एजेन्सियों को पारिश्रमिक	Remuneration to Foreign Railways and other Agencies for Inspection of Railway Stores	96—97
3309.	महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Maharashtra	97
3310.	अंधे लोगों के लिये पदों का रक्षण	Reservation of Posts for Blinds	97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3311.	डाक तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के परिचरों (अटेंडेंटों) के वेतनक्रम	Pay Scales of Attendants of Mail and Express Trains	98
3312.	रेलों में तृतीय श्रेणी की सेवाओं के वेतनक्रमों में अन्तर	Disparity in Pay Scales of Class III Services on Railways	98
3313.	विधान सभाओं में चुनाव के दौरान हिंसा तथा रूकावटें डालना	Violence and Obstructions during Elections to Legislative Assemblies	98—99
3314.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों के सम्बन्ध में सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements in Respect of Officers of Durgapur Steel Plant	99
3315.	रेलवे में माल लिपिकों और यानान्तरण लिपिकों का स्थानान्तरण	Transfer of Goods Clerks and Transhipment Clerks on Railways	99
3316.	पश्चिम रेलवे में सभी तृतीय श्रेणी (स्लीपर) शायिका डिब्बों से टी०टी०आई० को हटाना	Withdrawal of T.T.Is. from All Third Class Sleeper Coaches on Western Railway	100
3317.	उत्तर रेलवे के कर्मचारी क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था	Electrification of Staff Quartes on Northern Railway	100
3318.	उत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशनों में बिजली लगाना	Electrification of Railway Stations on Northern Railway	100
3319.	उत्तर रेलवे के स्टेशनों में प्लेटफार्म की सुविधा	Platform Facilities at Stations on Northern Railway	101
3320.	मुरादाबाद और रामपुर (उत्तर रेलवे) के बीच मुंढा पांडे स्टेशन पर प्लेटफार्म	Platform on Mundha Pande Station between Moradabad and Rampur (Northern Railway)	101
3321.	नरूला फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	Narula Finance (P) Ltd. Delhi	101—102
3322.	नरूला फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	Narula Finance (P) Ltd. Delhi	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ट Pages
3ˆ23.	हापुड़ स्टेशन को टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Terminal Benefits at Hapur Station	103
3324.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की इकाई कूपर एलन को कब्जे में लेना	Take over of Cooper Allen, a Unit of British India Corporation	103
3325.	आगरा और वाह के बीच रेल लाइन	Rail Link between Agra and Wah	104
3326.	रेलवे लाइनों के विस्तार के मामले में उत्तर तथा दक्षिण भारत में भेदभाव	Discrimination between Northern and Southern India in regard to expansion of Railway Lines	104
3327.	दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों से होकर जाने वाली रेलवे लाइनों के दोनों और गाड़ियों के आने और बुकिंग की सुविधायें	Facilities for Booking and Entry of Vehicles on both Sides of Railway Lines Passing through Delhi and New Delhi Stations	104–105
3328.	गांधी शताब्दी वर्ष में दिल्ली में हरिजनों और गन्दी बस्तियों के निवासियों के कल्याण के लिये कार्यक्रम	Welfare Programme for Harijans and Slum Dwellers of Delhi during Gandhi Centenary Year	105
3329.	मोरमुगाओं बन्दरगाह और लोंडा जंक्शन (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच की रेलवे लाइन को दोहरा करना	Doubling of Railway Track between Mormugao Harbour and Londa Junction (South Central Railway)	105—106
3330.	छपाई वाले सफेद कागज की कमी	Shortage of White Printing Paper	106
3331.	गोआ में इस्पात कारखाना स्थापित करना	Setting up of Steel Plant at Goa	106–107
3332.	क्षेत्रीय रेलों के हिन्दी विभाग के लिये अनुवादक	Translators for Hindi Department of Zonal Railways	107
3333.	पंजाब वक्फ बोर्ड	Punjab Wakf Board	107—108
3334.	उड़ीसा में फेरो-वैनेडियम कारखाना स्थापित करना	Setting up of Ferro-Vanadium Plant in Orissa	108
3335.	छोटे पैमाने के उद्योग में इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to Small Scale Industries	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3336.	टाइपिस्टों के साथ वेतन क्रमों के मामले में भेदभावपूर्ण व्यवहार	Differential Treatment Meted out to Typists in the Matter of Grades	109—110
3337.	दिल्ली स्टेशन पर नियुक्त पार्सल कर्मचारियों का स्थान्तरण	Transfer of Parcel Staff Posted at Delhi Station	110
3338.	त्रिपुरा में पाइपों की आवश्यकता	Requirements of Pipes in Tripura	110—111
3339.	कोरापुट जिले में चौथी पंचवर्षीय योजना में गूदा तथा कागज परियोजना और अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करना	Pulp Paper Project and Newsprint factory in Korapat District in Fourth Plan	111
3340.	लोअर आसाम ब्रह्मपुत्र घाटी की परिवहन अवाश्यकताएं	Transport Needs of Lower Assam Brahmaputra Valley	111
3341.	खाद्य तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को आयोग के शासी निकाय में प्रतिनिधित्व देने की मांग	Demand for Representation to Khadi and Village Industries Commission Employees in Governing Body of Commission	112
3342.	खादी आयोग कर्मचारी संघ की मांगे	Demands of Khadi Commission Karamchari Union	112
3343.	अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा तथा ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर	Ashok Paper Mills, Darbhanga and Thakur Paper Mills, Samastipur	112—113
3344.	केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Steel Plant in Kerala	113
3345.	कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के लिये प्रतिक्षालय	Waiting Rooms for Kiratpur Sahib Railway Station (Northern Railway)	114
3346.	कछार में लुगदी तथा कागज बनाने का कारखाना	Pulp and Paper Plant in Cachar	114
3347.	जलपाईगुड़ी में पुनः रेलवे लाईन बिछाना	Restoration of Railway Lines in Jalpaiguri	[illegible]

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3348.	उत्तर और पूर्व रेलवे को गाड़ियों और सम्पत्ति पर हिंसक आक्रमणों के कारण क्षति	Losses Suffered by Northern and Eastern Railways Due to Violent Attacks on Railway Train Property	115
3349.	नंगल बांध से ऊना (हिमाचल प्रदेश) तक रेलवे लाइन का विस्तार	Extension of Railway Line from Nangal Dam to Una (Himachal Pradesh)	116
3350.	रूस की सहायता से चल रहे सरकारी उपक्रम	Public Undertakings Set up with Russian Aid	116—117
3351.	दिल्ली छावनी के निकट जेल रोड रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Over-bridge on Jail Road Railway Crossing Near Delhi Cantt.	117
3352.	टाटा के ट्रकों और बसों के ढांचों के मूल्यों में वृद्धि	Increse in Price of Tata Truck and Bus Chassis	117—118
3353.	दिल्ली राज्य नारी निकेतन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Terms and Conditions of Employees of Deihi State Nari Niketan	118
3354.	नारी निकेतन, दिल्ली	Nari Niketan, Delhi	119—120
3355.	एस०एस० लाइट रेलवे के कर्मचारी	Employees of S. S. Light Railway	120
3356.	मध्य प्रदेश में इंजीनियरी उपकरणों पर आधारित औद्योगिक एककों की स्थापना	Setting up of Engineering Based Industrial Units	121
3357.	विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Steel Plant at Vishakhapatnam	121—122
3358.	बम्बई में रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों के लिये आवास स्थान	Accommodation for Railway Commercial Clerks at Bombay	122—123
3359.	रेल कर्मचारियों का अत्यावश्यक और गैर अत्यावश्यक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण	Classification of Railway Employees as Essential and Non Essential	123

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3360.	भारतीय रेलों में कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर	Variations in Scales of Pay on Indian Railways	123—124
3361.	हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज बनाने के कारखाने	News Print Plants in Himachel Pradesh	124
3362.	समाज विरोधी तत्वों से रेलवे को हानी	Loss to Railways from Unsocial Elements	124—125
3363.	दिल्ली की जे० जे० कालोनी और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हरिजनों की दशा	Conditions of Harijans Living in J. J. Colonies and Jhuggi Basties of Delhi	125
3364.	दक्षिण दिल्ली में बसी अपराधी अदिम जातियां	Criminal Tribes Living in South Delhi	125—126
3365.	गौहाटी रेलवे स्टेशन पर जलपान एकक	Catering Unit at Gauhati Railway Station	126—127
3366.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मुख्यालय में स्वचालित मशीनें लगाना	Automation Plant in Northeast Frontier Railway Headquarters	127
3367.	सी०एच०सी० बीकानेर (पूर्व रेलवे) द्वारा सरकारी पद का दुरुपयोग किये जाने के बारे में शिकायतें	Complaint Regarding Misuse of Official Position Power by C. H. S. Bikaner (Northern Railway)	128
3368.	कमर्शियल क्लर्कों के मजूरी ढांचे का पुनरीक्षण	Revision of Wage Structure of Commercial Clerks	128—129
3369.	कमर्शियल क्लर्कों के मजूरी ढांचे का आधार	Basis of Wage Structure of Railway Commercial Clerks	129
3370.	रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों की काम करने की शर्तें	Working Conditions of Railway Commercial Clerks	129—130
3371.	इज्जत नगर डिविजन में रेलवे कमर्शियल क्लर्कों द्वारा हस्ताक्षर अभियान	Signature Compaign by Railway Commercial Clerks in Izatnagar Division	130
3372.	महिलाओं की प्राथमिकता आधार पर कारों स्कूटरों तथा अन्य वाहनों का नियतन	Allotment of Cars/Scooters and other Vehicles to Ladies from Government Quota in Priority Basis	130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3373.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	131
3374.	मध्य प्रदेश की पूना-सोनावला लाइन पर अतिरिक्त रेल गाड़ियां	Additional Trains on Poona-Lonavla Line (Central Railway)	132
3375.	औद्योगिक पूंजी विनियोजन में कमी	Fall in Industrial Investment	132
3376.	आयातित वस्तुओं की जगह विभिन्न मानवीकृत वस्तुओं से विदेशी मुद्रा बचाना	Saving of Foreign Exchange by Import Substitution of drawings of Various Items	133
3377.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में श्रमिकों में असन्तोष	Labour Trouble in Durgapur Steel Plant	133—134
3378.	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel	134
3379.	रूरकेला इस्पात संयंत्र में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गतिविधियां	Activities of Pakistani Nationals in Rourkela Steel Plant	135
3380.	फिलिमस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्ज (इंडिया) लिमिटेड	Filmistan Distributors (India) Ltd.	135
3381.	मथुरा हाथरस मीटर लाइन पर स्टेशन का निर्माण	Construction of Station on Mathura Hathras Metre Gauge Line	136
3382.	सौनायी क्रासिंग स्टेशन (मथुरा हाथरस मीटर लाइन) के लिये जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई थी उन्हें मुआवजा	Compensation to Farmers whose Land was Acquired for Sonai Crossing Station at Mathura Harthas Metre-Gauge Line	136
3383.	फिरोजपुर डिविजन (उत्तर रेलवे) के स्टेशन मास्टरों की भूख हड़ताल	Hunger Strike by Station Masters of Ferozepur Division (Northern Railway)	136
3384.	इलाहाबाद समस्तीपुर यात्री गाड़ी के यात्रियों को लूटा जाना	Looting of Passengers in Allahabad-Samastipur Passengers Train	137
3385.	डोम्बिव्ली यात्री संघ, डोम्बिव्ली, का ज्ञापन	Memorandum from Dombivli Passangers' Association, Dombivli	137—138
3386.	उत्तर रेलवे की रूपर-नंगल बांध लाइन पर सुविधायें	Amenitities on Rupar-Nangal Dam Line (Northern Railway)	138

अ० ता० प्र० संख्या विषय	Subject	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.		Pages
3387. नंगल बांध रेलवे स्टेशन का विकास	Development of Nangal Dam Railway Station	138
3388. अम्बाला नंगल बांध लाइन (उत्तर रेलवे) पर रेलगाड़ी सेवा बन्द होना	Stoppage of Train Service on Ambala Nangal Dam Section (Northern Railway)	139
3389. मध्य प्रदेश को लोहे तथा इस्पात का नियतन	Allocation of Iron and Steel to Madhya Pradesh	139—140
3390. बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा डिजाइनिंग तथा इंजीनियरी कार्य	Designing and Engineering Work by M/s Dastur and Company for Bokaro Steel Plant	140—141
3391. बोकारो इस्पात संयंत्र का डिजाइन तथा इंजीनियरी कार्य	Design and Engineering Work of Bokaro Steel Plant	141—142
3392. रूस के तजापरोमिक्सपोर्ट द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण	Building of Bokaro Steel Plant by Tiazhpromexport of U S S R	142—143
3393. हजारी बाग नगर तक रेलवे लाइन बिछाना	Rail Link with Hazaribagh City	143
3394. मध्य प्रदेश में पुनर्बेलन मिलों का बिलेटों का वितरण	Distribution of Billets to Rerolling Mills in Madhya Pradesh	144
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना (प्रशन)	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	145
जम्मू एवं काश्मीर विधान मंडल का सत्रावसान	Prorogation of J and K Legislature	145—153
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	153
प्राक्कलन समिति 106 वां, 107 वां एवं 109 वां प्रतिवेदन	Estimates Committee Hundred and Sixth, Hundred and Seventh and Hundred and Ninth Report	153
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	154
(श्री एस० के० पाटिल)	(Shri S. K. Patil)	154
ध्यानाकर्षक नोटिस	Re: Calling Attention Notice (Query)	158—162

विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
बजट (सामान्य) 1970-71— समान्य चर्चा	General Budget, 1970-71—General Discussion	162—187
श्री आर० के० अमीन	Shri R. K. Amin	162—164
श्री कृष्णन मनोहरन	Shri Manoharan	165—167
श्री वी० एन० जाधव	Shri V. N. Jadhav	167—168
श्री कंवर लाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	168—171
श्री पी० के० वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	171—173
श्री बी० डी० देशमुख	Shri B. D. Deshmukh	173—175
श्री अमिय नाथ बोस	Shri Amiyanath Bose	175
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	175—176
चौधरी नीतिराज सिंह	Chaudhary Nitiraj Singh	176
श्री दत्तात्रय कुन्ते	Shri Dattatraya Kunte	176—178
श्री बैजनाथ कुरील	Shri B. N. Kureel	178
श्री आर० एस० अरुमुगम	Shri R. S. Aramugam	178—179
श्री पन्ना लाल बारूपाल	Shri Panna Lal Barupal	179—180
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	180
श्री एम० बी० राजशेखरन	Shri Rajasekharan	180
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	180—187
लेखानुदानों की मांगें, 1070-71	Demands for Grants on Account, 1970-71	187—189
संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन मानों और भत्तों के संशोधन के बारे में चर्चा	Discussion Re. Revision of Scales of Pay and Allowances of Employees of Union Territories	189—198
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	189
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	193
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	193—194
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	194
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	194—195
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	195
श्री प्रताप सिंह	Shri Pratap Singh	195—196
चौधरी रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	196
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	196—198

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 17 मार्च, 1970/26 फाल्गुन, 1891 (शक)
Tuesday, March 17, 1970/Phalguna 26, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair***]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हावड़ा-आमता तथा हावड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे को बन्द करने की धमकी

+
*181. **श्री भगवान दास :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : **श्री बि० कु० मोडक :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-आमता तथा हावड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे को उसके प्रबन्धकों द्वारा बन्द किये जाने की धमकी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) इस रेलवे में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(ग) क्या सरकार इन लाइट रेलों का राष्ट्रीकरण करेगी और यदि हां तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1486

(ग) और (घ). हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखाला रेलवे कम्पनीज लिमिटेड का क्रमशः हावड़ा और हुबली के जिला बोर्डों से करार है जिसके उपबन्धों के अनुसार संबन्धित जिला बोर्डों को इन रेलवे लाइनों की खरीद के लिये विकल्प लेने का अधिकार है । इस तथ्य के अलावा कि कम्पनी की इन अलाभप्रद रेलों को खरीदने के लिए भारत सरकार का संविदा संबंधी

कोई दायित्व या विकल्प नहीं है, इन लाइनों को अपने साथ में ले लेना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने में अत्यधिक लागत आयेगी जिसके कारण ये लाइनें और भी अलाभप्रद हो जायेंगी।

Shri Bhagaban Das : It was reported in the press that as Howrah-Amta and Howrah-Shreakhala Light Railways are experiencing great difficulties with regard to passenger traffic, because of which, management is contemplating to discontinue them. I want to know whether Government would take over both these Railways and run them after effecting improvements in them ?

Shri R. L. Chaturvedi : As I have already stated, both these Railways have contracts with Hubli and Howrah District Boards. We just see that they have no difficulty. A C.R.S. also conduct periodical check-up. We have no information about their closure.

Shri Bhagaban Das : After closure of these Railways, would the employees be obsorbed in the Railways Department or not ?

Shri R. L. Chaturvedi : As there is no question of closure at present, the question of absorbing their employees does not arise.

श्री गणेश घोष : मन्त्री महोदय को इस बात का पता होगा कि यह रेलवे दूरस्थ देहातों तथा हावड़ा नगर के बीच एक कड़ी है। यह अत्यन्त लाभदायक है। कई लाख लोग इस रेलवे का प्रतिदिन उपयोग करते हैं और इसी रेलवे से नगरों को सब्जियां, दूध आदि वस्तुयें बड़ी मात्रा में भेजी जाती हैं। ये रेलवे अलाभप्रद हैं जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है। निःसन्देह इनको सड़क परिवहन का कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। परन्तु रेलवे के लाभप्रद कार्य को देखते हुये उनके अलाभप्रद होने पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि सरकार देश में समाजवाद स्थापित करनी चाहती है। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि इस रेलवे का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा नगरपालिका के साथ ठेका है क्योंकि उनके पास साधनों का अभाव है, अतः वे इन रेलों को अपने नियंत्रण में कैसे ले सकते हैं? उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए क्या सरकार उन रेलों को अपने नियन्त्रण में लेने और चलाने के लिये तैयार है ? मैं जानता हूं कि ये रेलें अलाभप्रद हैं परन्तु फिर भी क्या सरकार उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर इन रेलों को अपने नियंत्रण में लेने, बड़ी लाइन बनाने और उसे स्वयं चलाने के लिये तैयार है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इन लाइनों को अपने नियंत्रण में लेने का अभी हमारा कोई विचार नहीं है। हमारी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इन लाइनों को अपने नियंत्रण में लेने की बात सोच भी सकें ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें हावड़ा-आमता लाइट रेलवे आदि के राष्ट्रीकरण के बारे में इस सभा में प्रस्तुत याचिका की जानकारी है। तत्कालीन सदस्य श्री ए० सी० गुह की अध्यक्षता में बनी याचिका समिति ने सिफारिश की थी कि इसका राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए। क्या सरकार ने याचिका समिति की इस सिफापर जो कि सर्वसम्मति से की गई थी, विचार किया था और यदि हां तो इस सिफारिश को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि हमने इस बात पर विचार

किया था परन्तु हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण यह कार्य करना बिल्कुल सम्भव नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या याचिका समिनि ने वित्तीय पहलू पर भी विचार किया था और उसके बाद ही उपर्युक्त सिफारिश की थी कि सरकार को इस रेलवे को अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिए और यदि इसको कुछ वित्तीय सहायता दी जाये तो इसका काम चल सकता है ? क्या इन सिफारिशों पर विचार किया गया था ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : जहां तक मुझे जानकारी है वर्ष 1955 में जांच तथा सर्वेक्षण किया गया था। मुझे पता चला है कि याचिका समिति की सिफारिशों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु यदि आप चाहें तो उन सिफ़ारिशों से उत्पन्न बातों का उत्तर दे सकता हूं। हमारे पास इस समय जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है परन्तु वह उससे उत्पन्न बातों का उत्तर देने को तैयार हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न विशेष रूप से हावड़ा-ग्रामता रेलवे के राष्ट्रीयकरण के बारे में है। श्री ए० सी० गुह की अध्यक्षता में याचिका समिति ने इस पर विचार किया था।

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी मन्त्री महोदय के पास नहीं है।

श्री जि० मो० बिस्वास : वर्ष 1968 में पूरी वस्तुस्थिति जानते हुये तत्कालीन रेलवे मन्त्रालय ने एस० ई० रेलवे प्रशासन के अधीन बी० डी० आर० को अपने नियन्त्रण में कर लिया था। समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था कि सरकार को नुकसान उठाना पड़ा था। मैं वर्तमान रेलवे मन्त्रालय से पूछना चाहता हूँ कि इस रेलवे लाइन को, अलाभप्रद होने के बावजूद अपने नियंत्रण में लेने में क्या नुकसान है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है जिला बोर्ड और कम्पनी के बीच और रेलवे तथा इन कम्पनियों के बीच ठेकों और करारों में अन्तर है। जिस रेलवे लाइन का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उसमें हमारा वित्तीय दायित्व था और इसी लिये हमने उसे अपने नियन्त्रण में ले लिया था। इस सम्बन्ध में मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि हम निम्नलिखित रेलवे लाइनें चला रहे हैं :—कटखल-लाल बाजार रेलवे, सेंट्रल प्राविंसिस कोल रेलवे, चपरमुख-सिलघाट रेलवे, पूर्वी रेलवे की अहमद पुर कटवा लाइन जिसकी दूरी 3[illegible] मील है। फिर बांकुरा लाइन है.. दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली दामोदर रेलवे लाइन है। इनमें हमारा वित्तीय हित तथा दायित्व है। परन्तु हम एस० एस० लाइट रेलवे और फतवा-इसलामपुर रेलवे नहीं चला रहे हैं।

श्री जि० मो० बिस्वास : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था परन्तु माननीय सदस्य कोई और ही उत्तर दे रहे हैं। सरकार को पता था कि बी० डी० आर० का नियंत्रण सम्भालने पर नुकसान होगा फिर सरकार ने ऐसा क्यों किया था ? क्या इसका कारण यह था कि बी० डी०

ग्रार० के प्रवन्ध तत्कालीन रेलवे मंत्री डा० राम सुभग सिंह पर किसी प्रकार अपना प्रभाव जम सकते थे ? क्या वर्तमान मंत्रालय भी हावड़ा-ग्रामता रेलवे का नियन्त्रण सम्भालने से पूर्व यही कुछ चाहता है ? दक्षिणपूर्व रेलवे द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बी० डी० रेलवे लोहे के टुकड़े मात्र था कोई रेल डिब्बा तथा इंजन काम का नहीं था और फिर भी रेलवे ने उस पर लाखों रुपयों खर्च किये थे जबकि इस ग्रामता रेलवे की स्थिति उससे अच्छी है। डा० राम सुभग सिंह पर प्रभाव डाला गया था...

डा० राम सुभग सिंह : यह द्वेषपूर्ण बात हैं। अन्य लोगों का प्रभाव तो माननीय सदस्य पर पड़ता है।

श्री नन्दा : इनका विचार यह है कि देश में जो भी उद्यम अलाभप्रद हो उसे सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए और उसका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। मैं इस विचार के साथ सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि उपर्युक्त लाइन कम्पनी के प्रशासन में अलाभप्रद बन गई है, जिसका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ ठेका है, हम उसको अपने नियन्त्रण में ले लें। इसलिए उसके राष्ट्रीयकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know whether Government is aware that people have to face many difficulties on the Railways run by private companies and do not got the facilities which are available on the nationalised Railways. In case Government do not want to nationalise these Railways due to acute financial position, have they set any time-limit to nationalise them and provide necessary facilities to the public ; if so when and if not, the reason therefor ?

Shri R. L. Chaturvedi : We have not been able to do anything in this respect only due to financial reasons.

श्री जि० मो० बिस्वास : मेरे विचार में मन्त्री महोदय के उत्तर से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था, उसका सीधा उत्तर दिया जाना चाहिए।

Shri Om Prakash Tyagi : There may be some financial difficulties at present, but I want to know whether Government has fixed any time-limit for nationalising them and if not, the reasons therefor ?

अध्यक्ष महोदय : वह पूछना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीयकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जी, नहीं।

Shri Om Prakash Tyagi : Why not ?

अध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं 'नहीं' माननीय सदस्य कोई विशेष उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे बाध्य कर सकते हैं।

सेंचुर स्पिनिंग एण्ड मेनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

*482. **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला बन्धुओं को सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मेनुफैक्चरिंग कम्पनी

लिमिटेड ने संस्था के अन्तर्नियमों और ज्ञापन-पत्र के कुछ खंडों में संशोधन करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या प्रस्तावित परिवर्तन ऐसे हैं जिनसे ऋण गारंटी के सम्बन्ध में निदेशक मंडल को अधिक शक्तियां प्राप्त होगी और उसके अतिरिक्त अन्य रूप-भेद भी होंगे ; और

(ग) यदि अनुमति नहीं मांगी गई है तो क्या समवाय-कार्य विभाग स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और यह प्रयास करेगा कि ऐसे संशोधन न किये जायें।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार समवाय तथा कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

विवरण

(क) नहीं, श्रीमान्। कम्पनी ने, अपने पार्षद् नियमों के कुछ खंडों में संशोधन करने के लिए कुछ विशेष संकल्प पारित करना सूचित किया है, तथा इन पार्षद् नियमों में किसी परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए, कम्पनी को उच्च नयायालय से पुष्टीकरण कराना पड़ेगा।

(ख) निदेशक मंडल को शक्तियां, अधिनियम में दी गई है। एक कम्पनी के पार्षद् नियमों में कोई उपबन्ध, जो अधिनियम के उपबन्धों का खंडन करता हो, लागू न होगा। कम्पनी को 4-2-70 को हुई, असामान्य साधारण बैठक का प्रस्तावित संकल्प, पार्षद् नियमों में संशोधन, प्रबन्ध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबन्वक की नियुक्ति, उनका परिश्रमिक, शक्तियां, तथा सेवा निवृत्ति से संबंध रखता है व साथ ही, निदेशक मंडल को, प्रबन्ध निदेशक की, उसको अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेशक की शर्त पर, प्रबन्ध सम्बन्धी शक्तियां देने की शक्ति प्रदान करता है। इन संशोधनों के अन्तर्गत, ऋणों को गारन्टी देने के लिए निदेशकों को कोई शक्तियां देना प्रस्तावित नहीं है, परन्तु एक अलग विशेष संकल्प, में भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं को गारंटी कमीशन देना प्रस्तावित था।

(ग) कम्पनी को पार्षद् नियमों में परिवर्तन की पुष्टि के लिए बम्बई उच्च न्यायालय को प्रार्थना-पत्र देना पड़ेगा। इस बावत कम्पनी द्वारा मिसिल किये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का नोटिस, कम्पनी रजिस्ट्रार को भेजा जायेगा, जो मामले की परीक्षा करेगा व आवश्यकता होने पर न्यायालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा। पार्षद् नियमों में, प्रबन्ध निदेशकों को नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक निश्चित करने के उपबन्ध लगाने के लिये परिवर्तन की बावत, सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। कम्पनी के इन संशोधनों के अनुमोदन का प्रार्थना-पत्र, प्राप्त होने पर उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। ऋणों को गारन्टी देने के लिए कमीशन देने के बारे का विषय, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग के परामर्श से विचारधीन है।

Shri Madhu Limaye : This question has two aspects. After the new legislation, according to which the managing agency system was abolished, the Government issued a circular to the effect that what should be the salaries and other facilities of the whole-time managing directors and joint managing directors. Is it not correct that more money is being given as salaries and other facilities to the managing agents after the abolition of the

managing agency system, under the said circular, than what was given to managing agents in so many companies under the managing agency-system ? In this connection I have written so many letters to the hon. Minister. My simple question is this : Is it not correct that the purpose behind the abolition of managing agency-system is being defeated by the said circular issued by the Government.

Regarding the century company, I want to know whether the hon. Minister would give details of the salaries and all other facilities fixed for the managing directors etc., of whom he has made a reference in his statement and tell whether these salaries and other facilities are more than the Commission to which the managing agents were entitled under the managing agency system ?

This Birla Company has made an offer in respect of payment of Commission to the old managing agents relating to bank guarantee. Will the Ministry of Company Affairs intervene in this matter and try to prevent it.

श्री रघुनाथ रेड्डी : संसद ने कानून पारित करके 3 अप्रैल, 1970 से प्रबंध अभीकरण प्रणाली को समाप्त किया है इस तिथि से पहले भी कुछ प्रबंध अभिकरण समाप्त हो गये हैं और उनमें से अधिकांश अभिकरणों का पुनः नवीकरण नहीं किया गया था । कानून के पारित होने के पश्चात् सरकार ने प्रबंध निदेशकों एवं अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक देने के प्रश्न पर विचार किया और एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें कंपनियों द्वारा उन को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में प्रशासनिक नीति नियत की गयी थी । इसके पश्चात् माननीय सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से मिले पत्रों से यह बात हमारे ध्यान में आ गयी कि कुछ कंपनियों में, जहां प्रबंध अभिकरण समाप्त हुए हैं। परामर्श अभिकरण, छूट अभिकरण या एकल बिक्री अभिकरण के जरिये, वही पारिश्रमिक मिलने के लिये, अगर यह उस से ज्यादा नहीं है जो पहले मिलता था । वे कई अन्य तरीकों का प्रयोग कर रहे थे ।

श्री रवि राय : आप आंकड़े प्रस्तुत कीजिये ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास आंकड़े नहीं है । अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं बाद में विवरण प्रस्तुत करूंगा ।

तीसरा प्रश्न जो उठाया गया है वह इन लोगों को $\frac{1}{2}$ प्रतिशत है । 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत गांरटी कमीशन दिये जाने से संबंधित है । हम इस प्रश्न की जांच कह रहे हैं कि कंपनी कानून के अन्तर्गत इस को कैसे निपटाया जाय और क्या स्वयं कंपनी कानून इस विषय में पर्याप्त है या नहीं । हम इस संबंध में बैंकिंग विभाग से भी विचार विमर्श कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : On so many occasions discussions have been held in this House regarding the concentration of wealth and economic power, during which the Government has tried to give an indication that it wants to check the concentration of wealth and economic power. In the Bombay Session of the Congress, a declaration was made to realise the paradise of socialism. But who does not know that after 1967 twenty new licences have been granted to Birlas and even after the said declaration made in the Bombay Session, this Government has issued licence of Goa Fertilizer Plant to Birlas. The honourable Minister has said in his statement :

"जहाँ तक ऋणों की गारंटी देने के लिए कमीशन अदा करने का प्रश्न है, यह मामला बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, के परामर्श से विचाराधीन है ।"

And who is the Finance Minister ? The Prime Minister herself is the Finance Minister and there is close friendship between the Prime Minister and Birlaji......

Mr. Speaker : Honourable Member should ask a question.

Shri Madhu Limaye : I have to say these things because that honourable Minister himself has said that the decision would be taken according to the advice of Finance Ministry. Keeping in view the views of the Prime Minister about the Birla family and her friendship with them, I am afraid that she may take a decision in their favour regarding the Payment of Commission to former managing agents. Will the honourable Minister give assurance to the House that he will intervene in this matter and will not allow it to be materialised ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आप की अनुमति से मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों का तीव्रता से खण्डन करता हूँ ।

श्री मधु लिमये : ये आरोप नहीं हैं ।

Shri Rabi Ray : Have the Government not granted the licence for Goa Fertilizer Plant worth Rs. 56 crores to Birlas ?

Shri Madhu Limaye ; मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । What is the use of calling them allegations ? Has it been given or not ?

Shri Ge^rge Fernandes : Please tell us whether the licence worth Rs. 56 crores has been given to Birlas or not ?

अध्यक्ष महोदय : यह निश्चय ही एक अनुपूरक प्रश्न नहीं था । मगर कुछ आशंकाएं प्रकट की जा रही थीं ।

श्री मधु लिमये : और पूर्व अनुभव भी ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य को ऐसी आशंकायें करने की आवश्यकता नहीं है । बातें ऐसी हैं कि जब एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव आता है तो समवाय-कार्य विभाग को अन्य संबद्ध मंत्रालयों से विचार-विमर्श करना पड़ता है निर्णय लेने की रीति क्या हो, क्योंकि इस का अन्य मंत्रालयों से कुछ संबंध है ।

श्री मनुभाई पटेल : कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के अवसर पर और उसके पश्चात् बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के दौरान प्रधान मंत्री ने बिड़ला बंधुओं से पैसा लिया था और इसीलिये उन के साथ उदारता का बर्ताव किया जाता है । क्या मैं जान सकता हूँ यही नियम सारी फर्मों पर लागू हो जायेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अनुपूरक प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य ने जो आक्षेप लगाया है आप की अनुमति से तीव्रता से मैं उस का खण्डन करता हूँ । मैं इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता हूँ ।

श्री रंगा : क्या यही नियम सारी फर्मों के लिए लागू होंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जी नहीं ।

श्री मनुभाई पटेल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यही नियम सारी फर्मों के लिये लागू होगा या कुछ फर्मों के साथ उदारता बरती जायेगी और कुछ के साथ नहीं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ कि किसी के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। नियम सब के ऊपर समान रूप से लागू होगा और कानून के सामने सब बराबर हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे खुशी है कि उन्होंने यह कहा कि सदस्यों को आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या एकाधिकारवादियों के हाथ में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिये मुख्य बैंकों के अधिग्रहण के उपरांत प्रबन्ध अभिकरण को गारंटी कमीशन देने संबंध में वित्त मंत्रालय से फिर से परामर्श करने का कोई और विनिर्देश है? इस संबंध में कुछ निर्णय लेने का अधिकार कंपनी कार्य विभाग को है। वित्त मंत्रालय से इस संबंध में फिर से परामर्श लेने की क्या आवश्यकता है कि वे गारंटी कमीशन दे सकते हैं या नहीं? माननीय मंत्री महोदय से मैं इस संबंध में निश्चित उत्तर प्राप्त करना चाहता हूँ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है, पूर्ण रूप से विधि संबंधी है। इसके अनुसार प्रश्न यह है कि सरकार को, कंपनी अधिनियम के एक विशेष रीति से कार्य करने की शक्ति है या नहीं। संबद्ध मंत्रालयों से परामर्श करने का भी विभाग का कर्तव्य है, जब कि मामला उन से संबंधित है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय विधि के आशयों से अवगत हो गये हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने विधि मंत्रालय से इस बारे में परामर्श किया है या नहीं कि उन के वित्त मंत्रालय चले जाने के पूर्व अपना विभाग इस कार्य करने में सक्षम है या कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उत्तर से सन्तुष्ट होना चाहिये।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पुराने प्रबंध अभिकर्ताओं को गारंटी कमीशन देने के लिये एक विशेष संकल्प पारित किया गया है। सवाल वह है कि प्रबंध-अभिकरण प्रथा को समाप्त करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था, और क्या उक्त संकल्प के पारित होने के द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है। यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ऐसी फर्मों के प्रबंधकों के ऐसे क्रियाकलापों से इन्हें बचाने के लिये कंपनी अधिनियम में उचित कानून की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे?

दूसरे, मैं जानना चाहता हूँ कि उक्त गारंटी कमीशनों के जरिये इन पुराने प्रबंध अभिकर्ताओं को कितना धन प्राप्त होता है या होने की संभावना है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसा किया जायेगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री स० कुण्डू : क्या आप आंकड़े एकत्र करके हमें देंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अवश्य ।

श्री शशि रंजन : मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था को समाप्ति के बाद भी कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो लाभ के रूप में उतनी ही धनराशि प्राप्त कर रहीं हैं। जितनी की प्रबन्ध अधिकरण व्यवस्था के समय में प्राप्त किया करती थीं। सदन को प्रबन्ध अधिकरण व्यवस्था समाप्ति की मान्यता दिये भी अब कई वर्ष हो गये हैं । यह कहां तक उचित है कि सरकार ने इन कम्पनियों को, यदि अधिक नहीं तो प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था के समय की ही धनराशि प्राप्त करते रहने की सम्मति दिये रखी । क्या इससे सरकार का प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था को समाप्त करने का ध्येय विफल नहीं होता है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ, कुछ मामलों के अतिरिक्त प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था 3 अप्रैल 1970 को समाप्त हो गई थी । जहां कम्पनियों के व्यवस्थापन में प्रबन्ध अभिकरण के स्थान पर निदेशक प्रबन्ध ने स्थान लिया है, तो जब समवाय विधि अधिकारियों के पास पारिश्रमिक की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र आयेंगे तभी उन्हें मांग की जाने वाली धनराशि का पता चलेगा ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, in the first part of his reply given on the floor of the House, hon. Minister has stated,

> "The company is reported to have passed some special resolution amending certain clauses of the Memorandum and Articles of Association."

On the one hand he says that certain information has been received *i.e.* the Department of Banking. Ministry of Finance—if no permission has been sought—on the other hand he says that the Department of Banking and Ministry of Finance is considering certain matters. I do not think that there is something wrong regarding the resolutions passed and received by you. I would like to know regarding the passed resolutions received by you and about which Shri Madhu Limaye has asked a clear cut question :

> "Whether the Department of Company Affairs will intervene on its own in the matter and see to it that such amendments are not permitted ?"

Will he assure the House that no further increase would be allowed in the amendments, received by him and with full details these amendments will be produced here and now ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस कम्पनी की आम सभा में संस्था के ज्ञापन तथा अन्तर्नियमों में संशोधन हेतु 4.2.1970 को कुछ प्रस्ताव पारित हुये थे । मेरा निवेदन यह है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत संस्था के उद्देश्य सम्बन्धी ज्ञापन का कोई भी संशोधन उच्चन्यायालय द्वारा स्वीकृत होना चाहिये । जहाँ तक उन संशोधनों का संबन्ध है जो कानून के अन्तर्गत कम्पनी की आमसभायें मान लिये गये, एक बार मामला उच्चन्यायालय के समक्ष आने पर उच्चन्यायालय कम्पनी के रजिस्ट्रारों को नोटिस देगा और कम्पनी का रजिस्ट्रार उस विषय से सम्बद्ध अपने विचारों के आधार पर अभ्यावेदन करेगा तब न्यायालय रजिस्ट्रार के अभ्यावेदन तथा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा । अत:

मेरा निवेदन यह है कि यहां रजिस्ट्रार ही एकमात्र पक्ष है और कम्पनी विधि प्रशासन स्वेच्छानुसार कोई निर्णय नहीं ले सकता ।

श्री रा० बरुआ : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के पास प्रस्तावित संशोधनों को रोकने की कोई शक्ति नहीं है । यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय स्पष्टतया कहेंगे कि वे प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कुछ नहीं कर सकते ? रजिस्ट्रार द्वारा न्यायालय से अभ्यावेदन के प्रश्न से समस्या का हल नहीं होता । मैं जान सकता हूँ कि वर्तमान स्थिति क्या है, प्रस्तावित संशोधनों के संबन्ध में क्या वे निरुपाय हैं अथवा उनको रोकने की स्थिति में हैं ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : क्या मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ ? इस सभा में पारित संकल्पों की प्रतियां हमें जीवन बीमा निगम द्वारा भेजी गई थीं । उन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीन प्रकार के संकल्प पारित किये गये प्रथम संस्था के अन्तर्नियम संबन्धी उद्देश्य से संबन्धित दूसरे प्रबन्ध अभिकरण के स्थान पर प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति और प्रबन्धकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक से संबन्धित संकल्प, तीसरे, प्रतिभु छूट संबन्धी जहां तक प्रथम श्रेणी के संकल्पों का संबन्ध है, कम्पनी अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत संस्था के अन्तर्नियम केवल न्यायालय की अनुमति पर ही परिवर्तित किये जा सकते हैं । यदि कम्पनी कोई परिवर्तन चाहती है तो प्रक्रिया यह है कि उन्हें बम्बई उच्चन्यायालय के समक्ष आवेदन करना होगा । न्यायालय हमें नोटिस देगा और रजिस्ट्रार उसका उत्तर देगा । जो भी अभ्यावेदन सरकार की ओर से होगा उसे रजिस्ट्रार प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात न्यायालय का निर्णय मान्य होगा । दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत उन्होंने प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था की है । अब तक हमारे समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है कि प्रबन्ध निदेशक के रूप में किस की नियुक्ति हो रही है और उसे कितना पारिश्रमिक दिया जाना है । वर्तमान समय में व्यवस्थापन संचालन निदेशकों के बोर्ड द्वारा होता है । जब ऐसा प्रस्ताव आयेगा तब समवाय विधि बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

तीसरी श्रेणी के सम्बन्ध में हमें यह सूचना मिली है कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिये संकल्प पारित किया गया है । इस ऋण पर 1 प्रतिशत छूट का सुझाव दिया गया है । इस पर रोक लगाने के लिये क्या वैधिक कार्यवाही हो सकती है, हम इसका परीक्षण कर रहे हैं । इसलिये हम वित्त मंत्रालय से इस संबध में विचार विमर्श कर रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : महा न्यायवादी तथा विधि मंत्रालय से क्यों नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श कर रहे हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं, और क्या कोई परिवर्तन करना आवश्यक है ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों को प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए राज्यों को अनुदान

*483. **श्री दंडपाणि :** **श्री सामीनाथन :**
श्री मयावन : **श्री नि० रे० लास्कर :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत उन राज्यों को वित्तीय सहायता दी जायेगी, जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों को प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करके छपवायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सबसे पहले तमिल नाडु राज्य ने ऐसी योजना को पेश किया है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार उस राज्य सरकार को क्या सहायता देने के लिए सहमत हुई है ; और

(घ) कितने अन्य राज्यों ने भी इस बारे में योजनाएं बनाई हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) तमिल नाडु सरकार ने इस मंत्रालय को इतिला दी है कि उन्होंने तमिल में एक विधि पत्रिका प्रकाशित करने का निश्चय किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णय होंगे ।

(ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) किसी अन्य राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई स्कीम भारत सरकार को नहीं दी है ।

श्री दण्डपाणि : भारत सरकार ने इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है तथा अनेक अवसरों पर हमें मंत्रीगण ने यह आश्वासन दिया है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ समान व्यवहार किया जायेगा क्या सभी भाषाओं की उन्नति के लिये धनराशि दी जायेगी । परन्तु केन्द्र सरकार ने विभिन्न भाषाओं के लिये अधिक धन नहीं दिया है । साथ ही, केन्द्र सरकार ने केवल हिन्दी के लिये ही काफी धनराशि खर्च की है । यदि यही वृत्ति रही, तो जहां तक तमिलनाडू का सम्बन्ध है, वहां एक बड़ा आन्दोलन होगा । इस दृष्टि से, क्या सरकार इस बारे में पुन: विचार करेगी तथा तमिलनाडू राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि उसे देगी ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सरकार निश्चय ही इस मामले पर पुन: विचार करने के लिए तैयार है । परन्तु तथ्य ये हैं । पहले तो हम संविधान सहित सभी केन्द्रीय अधिनियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह निर्णय किया गया है कि ये अनुवाद संबंधित राज्यों की राजधानियों में किया जाये क्योंकि केन्द्रीय तथा राज्यों के अधिनियमों से संबंधित शब्दावली तथा शैली में समता होनी चाहिये । इस दिशा में अधिक प्रगति तो नहीं हुई है यहां तक कि विशेष रूप से तमिलनाडू सरकार की ओर से, क्योंकि उन राज्य सरकारों में यह सरकार भी शामिल है जो हृदय से स्थानीय कानूनी भाषा में इनका

अनुवाद किये जाने की बड़ी इच्छुक है। वहां हम और आगे प्रगति नहीं कर सके हैं। इसके पश्चात् निश्चय ही इस कार्य को हाथ में लिया जावेगा।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि यह प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव है या नहीं। यदि यह एक अच्छा प्रस्ताव है तो फिर केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इसके लिये अपेक्षित अनुदान क्यों नहीं देती ?

श्री गोविन्द मेनन : व्यक्तिगत रूप से मैं इसे एक अच्छा प्रस्ताव मानता हूँ। परन्तु कानूनी पत्रिकाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने के पीछे उद्देश्य यह है कि अदालतों की भाषा स्थानीय भाषा बन जाये। इस दिशा में पहला कदम यह होगा कि केन्द्रीय तथा राज्यों के अधिनियमों को स्थानीय भाषाओं में अनूदित किया जाये। इस बारे में अधिक प्रगति नहीं हुई है। मुझे अनेक राज्य सरकारों से उत्साह वर्द्धक उत्तर नहीं मिला है। तमिलनाडू में एक भाषा आयोग या अनुवाद आयोग था। मैंने उस आयोग के अध्यक्ष श्री आनन्द नारायणन से बातचीत की जो कि डाक सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश थे। इनका इस मामले में बड़ा उत्साह था। परन्तु अब मैं देखता हूँ कि मामला इस समय बिल्कुल रुका हुआ है। यहां तक कि मद्रास भेजे गये संविधान के अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद का प्रारूप भी अभी तक उनसे स्वीकृत होकर वापस नही आया है।

श्री दण्डपाणि : जहां तक तमिलनाडू का संबंध है वहां अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के उपयुक्त तकनीकी पर्याय शब्द ढूँढने में कोई कठिनाई नहीं है। तमिलनाडु सरकार पहले इस संबंध में कार्यवाही आरम्भ कर चुकी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु सरकार के वर्तमान कार्यक्रमों के लिये कुछ धनराशि देने को तैयार है ?

श्री गोविन्द मेनन : निश्चय ही, हम इस पर विचार करेंगे। परन्तु प्रथम वरियता अधिनियमों के अनुवाद को दी जायेगी।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has stated that work relating to the translation of Acts has been started but much progress has not been made in this direction. I want to know when this work was started and how much work has so far been done.

Secondly, in so far as the translation of the decision of the Supreme Court and the High Courts in the local languages is concerned. I want to know whether the States are doing something in this direction, or not ? Whether the Central Government, particularly the Law Ministry is realising its responsibility in this regard or thinking to translate at least the decisions of the Supreme Court in to regional languages ? In case there is any such programme, what are the details thereof, how much money is being spent on that and what has been the progress in this direction ?

श्री गोविन्द मेनन : इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। विधि मन्त्रालय चाहता है कि केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाये। इस मन्शा के अनुसार कार्यवाही की गई है। मैं कह सकता हूं कि सौ से भी अधिक केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है तथा मैं इस सभा के सामने राजकीय भाषा विधि आयोग द्वारा किये गये कार्य का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि संविधान तथा अन्य

विधेयकों के अनुवाद कार्य में अभी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस का कारण क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों का अभाव है अथवा इसके कोई अन्य कारण हैं ? क्या उन्होंने इस बारे में कोई जांच की है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता परन्तु मेरा यह अनुभव रहा है कि कुछ राज्य सरकारें यहां तक कि हिन्दी भाषी राज्य भी इसमें रुचि लेती प्रतीत नहीं होती ।

श्री एस० कण्डप्पन : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि संविधान तथा केन्द्रीय अधिनियमों के तमिल भाषा में अनुवाद में इस लिये बाधा पड़ी है कि केन्द्र सरकार बड़ी हठी है तथा उसने तमिलनाडु सरकार को उस शब्दावली का प्रयोग नहीं करने दिया जिसे उस राज्य सरकार ने स्वयं तैयार किया था । मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह तमिलनाडु सरकार के इस अधिकार को स्वीकार करेगी अथवा क्या वह इसी बात पर जोर देती रहेगी कि केवल केन्द्र सरकार ही तमिल भाषा की विशेषज्ञ है तथा तमिलनाडु सरकार इस योग्य नहीं है ? दूसरे, मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह सच नहीं है कि यह केन्द्रीय अधिनियमों तथा संविधान के अनुवाद के हित में ही होगा कि सरकारी निर्णयों को तमिल भाषा में ही लिखा जाये, तभी अनुवाद में सुधार हो सकेगा तथा यह कार्यवाही कारगर सिद्ध होगी ।

श्री गोविन्द मेनन : यह एक सुझाव है जिसे स्वीकार कर लिया जायेगा । जहां तक शब्दावली का संबंध है, विधि मन्त्रालय ने अब यह नीति अपनाई है कि अपनी शब्दावली बताने का कार्य प्रत्येक राज्य के अपने भाषा विशेषज्ञों के ऊपर ही छोड़ दिया जाये तथा शब्दावली के बारे में केन्द्र सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा । मैं इस तर्क को नहीं मानता कि जो शब्दावली यहां हिन्दी भाषा के लिये बनाई गई है उसे अन्य भाषाओं जैसे तमिल, मलयालम आदि द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिये । जहां तक तमिलनाडु सरकार का संबंध है, मैं समझता हूं वहां शब्दावली तैयार कर ली गई है । तमिल भाषा में केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद का कार्य तमिलनाडु भाषा विभाग को दिया है तथा वहां अभी हाल ही में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपनी सरकार से तुरन्त ही वहां की उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए कहें ।

श्री एस० कण्डप्पन : वह हमें पर्याप्त धनराशि दें । वह विश्वास रखें कि वहां कार्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से होगा ।

Shri Ramji Ram : May I know whether the hon. Minister is keeping this also in his mind that besides Hindi, Urdu is also a language in U. P. and whether or not there are arrangements to have translation done in Urdu also.

Shri M. Yunus Saleem : As regards translation in Urdu, one more member has been added to the Language Commission and the work of Urdu translation is being started and expect adequate progress in this regard in due course.

श्री श्रीचन्द गोयल : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह वांछनीय होगा कि राज्य सरकारें केन्द्रीय तथा राज्यों के अधिनियमों के अनुवाद का कार्य करें । देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,

राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे सभी बड़े राज्य हिन्दी भाषी हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि ये सभी राज्य इस कार्य को अलग-अलग करें? क्या इससे दोहरा काम न होगा? उसके स्थान पर, क्या यह अच्छा न होगा कि केन्द्र सरकार की केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय अधिनियमों तथा निर्णयों के अनुवाद का कार्य अपने हाथ में ले ताकि इन राज्यों को अनावश्यक रूप से धन न खर्च करना पड़े?

श्री गोविन्द मेनन : सम्भवतः मैं अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सका। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, इस भाषा में अनुवाद **राज भाषा विधि आयोग** द्वारा किया जाता है क्योंकि इससे छः या सात राज्यों का कार्य एक साथ हो जाता है। परन्तु मैं चाहता हूँ कि जो उक्तियां वाक्यांश अथवा भाषा-शैली हिन्दी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है वह मलयालम, तमिल अथवा तेलुगु भाषी लोगों पर न थोपी जाये।

Shri Ram Sewak Yadav : He had not asked this question.

Shri Prakash Vir Shastri : In spite of Government efforts and their continuous attachment with English, the fact remains that English is gradually disappearing from the country and the Indian languages are taking its place. I want to know whether in view of this fact, the Law Minister would be pleased to state that before arrangements for the translation of Central Acts and Bills into all the Indian Languages are made, whether he would be able to get our Constitution translated into all the Indian Languages quickly and place that before this House, so that an anthentic copy of our Constitution is available in all the Indian Languages, and whether he would be able to declare the time by which it would be done?

श्री गोविन्द मेनन : जहां तक संविधान से अनुवाद का प्रश्न है, वह हिन्दी तथा अन्य दो या तीन क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जा चुका है। जब यह अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं में पूरा हो जायेगा वह दिन भारत के लिए गौरवशाली दिन होगा, मैं ऐसा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहा हूं।

Shri Prakash Vir Shastri ; By what time?

श्री गोविन्द मेनन : समय के बारे में यह कहूंगा कि जब तक राज्य सरकारों से सहयोग नहीं मिलता हम इसे समुचित ढंग से नहीं कर सकते। कुछ राज्य सरकारें है—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यह मेरा उद्देश्य नहीं है—जो इस सम्बन्ध में हमारे पत्रों का उत्तर नहीं देती। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है यह किया जा रहा है। इस बारे में दो-तीन राज्य सरकारें पूरे उत्साह से सहयोग दे रही है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : आन्ध्र प्रदेश ने इस संदर्भ में क्या प्रगति की है।

श्री गोविन्द मेनन : इस अभियान में सहायता देने में आंध्र प्रदेश सरकार सर्वाधिक सक्रिय थी। परन्तु वहां तेलंगाना आन्दोलन आरम्भ होने के बाद कुछ कठिनाई पैदा हो गई है। वस्तुतः तेलुगु भाषा में अनुवाद के बारे में हैदराबाद में एक विचार-गोष्ठी आयोजित करने का निश्चय हुआ था, परन्तु उक्त आन्दोलन के कारण हम न कर सके। अब स्थिति सामान्य होती जा रही है; मुझे आशा है कि तब हम कार्य को करेंगे।

श्री कार्तिक उरांव : जहां मैं सरकार द्वारा लोगों की क्षेत्रीय और भाषा-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किये जाने की इच्छा की प्रशंसा करता हूँ, वहां मैं सरकार से यह भी मानना चाहूंगा कि देश की सभी 200 बोलियों तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगधी आदि के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे माननीय सदस्य से सहानुभूति है। देश में बहुत सी बोलियां हैं। संविधान की आठवीं अनुसूचि में 15 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है तथा हमारा प्रयास इन भाषाओं में कार्य आरम्भ करने का है।

Shri Molahu Prasad : I want to know whether the Law Ministry has brought out any report of any committee or commission connected with other Ministers (particularly the Labour Ministry) in Diglot from or in Hindi, after the official Language Act was passed? If not, what are the reasons therefor ?

श्री एम० यूनस सलीम : मैं प्रश्न नहीं समझा।

Mr. Speaker : His question is whether or not the report of the commission has been translated in two languages.

Shri M. Yunus Saleem : As regards translation, all the Central Acts have been translated not only in Hindi but also in all other regional Languages.

Shri Hukam Chand Kachwai : The question is about the Commission.

Mr. Speaker : Shri Molahu Prasad asked whether you are trying to ensure that the report of your Commission is also translated in a diglot form.

Shri M. Yunus Saleem : We are not doing it at present.

Shri Molahu Prasad : I want to know the reasons therefor. Why has that not be translated ?

Mr. Speaker : Now please conclude it. Mr. Ramani.

श्री के० रमानी : उन राज्यों को जो उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने को तैयार हैं, अधिक वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करने के सम्बन्ध में यह एक विशिष्ट प्रश्न है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि एक प्रकार की एकरूपता होना जरूरी है। न जाने इस एकरूपता में उनका क्या अभिप्राय है। यहां यह लोगों के दैनिक जीवन से सम्बन्धित एक प्रश्न है। कि वे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ें। मान लीजिये कि कोई राज्य सरकार उन चीजों को अपनी निजी क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करना चाहती है, तो वह कैसी एकरूपता है जो मन्त्री महोदय को तामिलनाडु सरकार को अधिक वित्तीय सहायता देने से रोकती है। इस बारे में मैं विशिष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : इस बारे में एक अधिनियम है। भारत की किसी राज्य सरकार ने अब यह निर्णय नहीं किया है कि उस राज्य के न्यायालय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा वहां की स्थानीय भाषा हो। पहले बात तो यह है। यहां तक कि राज्य सरकारों ने भी केन्द्रीय

अधिनियमों को अपनी राज्य-भाषा में अनुदित नहीं किया है। हमने राज्य सरकारों को इन केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने, उन्हें मुद्रित तथा प्रकाशित करने पर होने वाले खर्च के लिये धन देने का वायदा किया है। अब क्योंकि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिये, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उल्लेखनीय निर्णयों को हिन्दी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकाओं में प्रकाशित करने का कार्य नहीं किया गया है। जहां तक हिन्दी का संबंध है, उस भाषा में से चीजें प्रकाशित की जा रही हैं और यहां सभा के सामने उन्हें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दी भाषी राज्य भी इस कार्य में अपना योगदान पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं।

Shri Ram Avtar Shastri : The hon. Minister has first now stated that even or repeated requests the State Government are not translating the Central Acts. I, therefore, want to know which of the States have undertaken this work and whether the Central Government would consider the question of giving special help to such States so as to encourage then to make progress in this direction ?

Secondly, I want to know the difficulties of these States which have not yet undertaken this work in spite of our insistence, and whether the hon. Minister would let the House know the measures which he wants to adopt to remove those difficulties ?

Shri M. Yunus Saleem : As regards help, we will consider that but we cannot understand the difficulties of those States which have not replied to our communications, until they make us know their difficulties. However, when we are apprised of their difficulties, we examine them and try to remove them.

ट्रैक्टरों में पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध

*484. **श्रीमती सावित्री श्याम** : **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों की उनके क्रय की तिथि से एक निर्धारित अवधि के अन्दर पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में (श्री भानू प्रकाश सिंह) : (क) से (ग). ट्रैक्टरों के वितरण तथा बिक्री के विनियमन हेतु एक नियन्त्रण आदेश, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रय तिथि से दो वर्ष के अन्दर ट्रैक्टर की पुनः बिक्री की मनाही की व्यवस्था भी होगी, को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस आदेश के कानूनी तथा प्रशासनिक पक्षों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

Shrimati Savitri Shyam : I want to know whether the Government are aware that the imported tractors, which are mainly meant for being provided to the farmers at fair prices, are being given by the State Governments to those people who have no land and who are selling then in black market ; if so, what measures are being taken to stop it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh): Keeping these very things in view, the Central Government is contemplating to soom impose restrictions on the resale of tractors. Control order is being finalised in this connection and would be implemented soon in order to stop this mal practice.

Shri Savitri Shyam : A large number of tractors which are being imported and whose model cannot be prepared here even in 10 years, are lying idle as neither their spare parts not the know how of their repairs is available here. So what steps are the Government taking to make their parts and necessary know-how regarding repairs available.

Shri Bhanu Prakash Singh : The Government propose to import only those tractors whose spare parts are available here and which can possibly be manufactured in our country, but owing to the difficulty in regard to foreign exchange, we are compelled to import those tractors also which we do not propose to manufacture here. Despite that we are trying to repair and put to order those tractors which are lyind idle.

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि जर्मनी से आयात किये गये कुछ ट्रेक्टर कुछ अच्छे काम के नहीं पाये गये हैं और अब वे आंध्र सरकार तथा वहां के किसानों के सिर का बोझ बने हुए हैं। क्या यह बात कभी उनके ध्यान में लाई गई है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार को मालूम है कि कुछ ट्रेक्टर पुर्जों की कमी के कारण ऐसी कठिन स्थिति में पड़े हैं तथा हम इस बारे में यथा सम्भव कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : मुझे अभी अभी एक गम्भीर समाचार प्राप्त हुआ है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई मामला नहीं उठाया जायेगा।

श्री मैत्रेयी बसु : इन्टक के उप-प्रधान श्री काशीनाथ पाण्डेय को इलाहाबाद में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पीटा है। मैं गृह-कार्य मन्त्री से इस बारे में जानना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिना सूचना लिये कोई सदस्य कैसे उठ सकता है ?

डा० मैत्रेयी बसु : मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री मनु भाई पटेल (डमोई) : हमें जानकारी मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उचित समय पर। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO THE QUESTIONS

Funds for Projects from Nationalised Banks

*485. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Jageshwar Yadav :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has asked the nationalised banks to advance funds for certain projects ; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up of Industries in Dacoitinfested Areas of Madhya Pradesh

*486. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up some industries in the public sector in the dacoit-infested areas of Madhya Pradesh with a view to improving the conditions prevailing in those areas ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उपभोक्ता उद्योग

*487. **श्री सूरज भान :**
श्री शारदानन्द :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) इनमें कितनी पूँजी लगाई जायेगी और वे उद्योग कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्रों का और विस्तार करने का निश्चय किया गया है । उपभोक्ता उद्योगों सहित कम समय में तैयार होने वाली तथा त्वरित उत्पादनशील परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है ताकि आगामी कुछ वर्षों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बिकसित उत्पादन सम्बन्धी उल्लेखनीय व्यवधानों को सम्भव सीमा तक पूरा किया जा सके । मामले पर विभिन्न मन्त्रालय से सलाह करके विचार किया जा रहा है ।

बिहार में रेल सुविधाओं के सम्बन्ध में जनता की शिकायतों पर विचार करने हेतु एक समिति की स्थापना

*48०. **श्री हिम्मत सिंहका : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) बिहार में रेलवे मुख्यालय के न होने, (दो) गाड़ियों के समय पर न चलना और (तीन) बिहार में से गुजरने वाली गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये यात्री सुविधाओं की कमी और रेलगाड़ियों की समय सारिणी सुविधाजनक न होने के बारे में जनता से समय-समय पर प्राप्त हुई अनेक शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच करने और उनके बारे में उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिग एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का विचार किन विशिष्ट उपायों के करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी नहीं। सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) दानापुर, धनबाद, चक्रधरपुर, समस्तीपुर और कटिहार स्थिति मण्डल मुख्यालयों के जरिये रेलें बिहार के यात्रियों और व्यवसायियों की सम्पूर्ण आवश्यताओं को पूरा कर देती हैं।

सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के चालन पर दिन प्रतिदिन के आधार पर निकट से और निरन्तर निगरानी रखी जाती है और गाड़ियों के समय पर चलाने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय किया जाता है।

यात्रियों के समग्र हित और परिचालन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न जंक्शन स्टेशनों पर अधिकतम संख्या में गाड़ियों के मेल की व्यवस्था की जाती है।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में रेलों पर जो नीति और परिपाटी प्रचलित है, उसकी हाल में एक संसदीय समिति अर्थात् "रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति, 1967" ने समीक्षा की थी और चौथी योजना अवधि के लिए किये गये वित्तीय आवंटन को ध्यान मे रखते हुए यात्रियों को अधिकतम सुविधायें प्रदान करने के उपाय सुझाये थे। यात्री सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी 15 सिफारिशों में से 11 पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं और रेलों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं। एक सिफारिश को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है और बाकी तीन पर विचार किया जा रहा है।

इस्पात का निर्यात

*489. **श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में विदेशों को इस्पात का निर्यात करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे इस्पात की मात्रा कितनी है और किन-किन देशों को इस्पात का निर्यात किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) यह बात पहले दिये गये वचनों तथा विदेशों में मांग, विदेशी बाजारों से होने वाला तुलनात्मक के लाभ तथा ऐसी अन्य बातों के प्रकाश में इस्पात निर्यात समिति द्वारा निर्धारित किये जाने वाले निर्यात लक्ष्य पर निर्भर करेगी कि इस्पात की कितनी मात्रा का निर्यात किया जायेगा तथा किन-किन देशों को किया जायेगा। इस समय ऐसी भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है कि 1970 में इस्पात का कितना निर्यात किया जायेगा और किन देशों को निर्यात किया जायेगा।

एक से अधिक राज्यों में मतदाता के रूप में नाम दर्ज करवाना

*49?. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को कुछ ऐसे मामलों की जानकारी मिली है जिनमें ऐसी चूकें हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) इस प्रसंग में सुसंगत उपबन्ध केवल वे हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 में अन्तर्विष्ट हैं जिनमें उपबन्धित है कि "एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा" और "किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावलि में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा।"

(ख) निर्वाचन आयोग की जानकारी में कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें किसी व्यक्ति ने मतदाता के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण एक से अधिक राज्यों में कराया हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे की आय में कमी

*491. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे की आय में लगातार कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आय को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलज़ारी लाल नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जो उपाय किये गये हैं, उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विपणन सम्बन्धी खोज करने, यातायात को रेल की ओर आकर्षित करने और व्यापार और उद्योग के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिए सभी रेलों पर विपणन और बिक्री संगठनों की स्थापना की गयी है।

(2) जो अन्य विशिष्ट उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

(क) माल यातायात :

(i) रेल और सड़क की समेकित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करने के उद्देश्य से आउट एजेंसियां, नगर बुकिंग एजेंसियां खोलना, घर से माल लाने और घर तक माल पहुँचाने और चलती-फिरती बुकिंग सेवाओं की व्यवस्था करना।

(ii) सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाना और महत्वपूर्ण जोड़ा स्टेशनों के बीच गारंटी शुदा परिवहन समय की व्यवस्था करने के लिए द्रुत परिवहन सेवा की व्यवस्था करना।

(iii) कुछ चुने हुए प्रमुख माल शैड़ों को, जहां तक संभव हो, परिचालन संबंधी प्रतिबन्धों से मुक्त रखना।

(iv) कंटेनर सेवा शुरू करना और उसका विस्तार करना।

(v) कंटेनरों और माल डिब्बा भार में इकट्ठा करके भेजे जाने वाले फुटकरों के लिए फ्रंट फारवर्डर सेवा शुरू करना।

(vi) यातायात की बुकिंग के लिए पैकिंग और न्यूनतम भार के लिए निर्धारित शर्तों में, जहां आवश्यक और औचित्यपूर्ण हो, छूट देना।

(ख) यात्री यातायात :

(i) अतिरिक्त गाड़ियां चलाना।

(ii) सवारी ले जाने वाली गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाना और उन्हें अधिक बार चलाना।

(iii) लगभग सभी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए शयन-यानों की व्यवस्था करना और बड़ी लाइन की 9 जोड़ी गाड़ियों में दूसरे दर्जे के शयन-यान चलाना।

(iv) रेल यात्रा को अधिक आरामदेह बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर

और गाड़ियों में यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(v) सवारी डिब्बों के यांत्रिक और बिजली अनुरक्षण में सुधार।

(vi) अनेक स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट खिड़कियों की व्यवस्था करना और टिकट खिड़कियों को अधिक समय तक खोले रखने की व्यवस्था करना ।

(vii) चुने हुए स्टेशनों पर वापसी टिकट जारी करना ।

(viii) पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए गर्मियों में कुछ स्टेशनों तक रियायती दर पर टिकट जारी करना, अनुमोदित कार्यक्रम के लिए रियायती दर पर मानक और परिभ्रमण दौरा टिकट जारी करना और सैर-सपाटे और तीर्थ यात्रा के लिए विशेष गाड़ियां चलाना ।

(ix) बिना टिकट यात्रा की कड़ी जांच ।

Issue of Licences to M/s. Tulsidas Kilachand Group for Setting up New Industries

*492. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications submitted by M/s. Tulsidas Kilachand Group, Bombay in the last two years for the issue of licences to them for the setting up of new industries and the number of the new industries likely to be set up by them ;

(b) the commodities likely to be produced by the said industries along with the capacity thereof ;

(c) the places where these industries would be set up along with the names of concerns in whose names the applications for licences have been submitted ; and

(d) the reactions of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). During the last two years (1968 and 1969) two applications for the establishments of New Industrial Undertaking were submitted by firms belonging to the Tulsidas Kilachand Group of industries. Details of these applications showing the names of concerns, items of manufacture with capacity and location of these industries are given in the attached statement.

Name of the applicant and Location.	Industry		Present Position
1	2		3
		(Tonnes p. a.)	
1. M/s. Polychem Ltd., Bombay.	1. Benzene	20,000	
Location : Koyali,	2. Styrene	43,500	
Baroda,	3. Polysterene	14,000	Letter of Intent

1		2		3
Gujarat.	4.	Styrene Resins	4,000	issued on 11-7-69.
	5.	Styrene Acrylo-nitrite	3,000	
	6.	Styrene Butadiene latexes	4,000	
	7.	Styrofoam	2,600	
	8.	Toluene	2,000	
2. M/s. Kilachand Devchand and Co. Bombay.		Form Pappr	180	
		Expanded Board	120	Letter of intent issued on 29-5-69.
Location : Bombay Maharashtra.		Mira Core	60	

आसाम में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रम

*493. **श्री हेम बरुआ** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में विद्यमान अथवा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या उपक्रमों में स्थानीय लोगों की भर्ती करने के लिये सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, हां ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन में कमी

*494. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन वस्तुओं का उत्पादन कम हुआ है ;

(ग) इस कम्पनी के प्रबन्धकों ने सरकार को इस कमी के क्या कारण बताये हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कारखाने को ठोस आधार पर चलाने हेतु कोई कारगर उपाय करने का है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते :

(घ) उत्पादन को और अधिक बढ़ाने तथा शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित क्षमता प्राप्त करने हेतु कार्य साधक उपाय किये जा रहे हैं । इनमें अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक कुछ अनिवार्य तथा सहायक सुविधाओं की व्यवस्था करना, रख-रखाव के बाकी काम को शीघ्रता से पूरा करना, औद्योगिक सम्पर्कों में सुधार करना आदि-आदि शामिल हैं ।

केरल में हरिजनों को लघु उद्योगों में सहायता के लिए अलग निगम

*495. **श्री के० एम० अब्राहम** : **श्री प० गोपालन** :
श्री क० अनिरूद्धन : **श्री अ० कु० गोपालन** :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से हरिजनों के लघु उद्योगों को सहायता देने हेतु एक अलग वित्त निगम बनाने संबंधी कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) ऐसा निगम बनाने के लिए अनुमानतः कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). केरल सरकार ने दिसम्बर 1969 में केन्द्रीय क्षेत्र में हरिजनों के लघु उद्योगों को सहायता देने हेतु एक वित्त निगम स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपये की लागत की एक योजना का प्रस्ताव किया था, प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था और राज्य सरकार को 25 जनवरी, 1970 को विस्तार पूर्वक एक उत्तर भेज दिया गया था ।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान की समाप्ति

*496. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान को समाप्त करने के लिये इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां । 19-9-68 को सांकेतिक हड़ताल में शामिल होने के कारण कर्मचारियों की सेवा में हुए व्यवधान की अवधि को छूट दिवस मान कर व्यवधान को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है । तदनुसार आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

मैसर्स स्टेन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन

*497. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्ज स्टेन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के विरुद्ध औद्योगिक लायसेंस प्राप्त करने से पूर्व ही बिटमैन ड्रमों का उत्पादन करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन कार्यवाही करने के बारे में विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने में अत्यधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मै० स्टेन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यू-फैक्चरिंग कम्पनी से इस सम्बन्ध में कुछ और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की गई है। मामले पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई करने के सम्बन्ध में आगे विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद में हड़ताल

*498. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के हैदराबाद स्थित कारखाने में जनवरी, 1970 में कोई हड़ताल हुई थी ; और

(ख) इस हड़ताल के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को कितनी हानि हुई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के हैदराबाद एकक के कर्मचारी 8-1-1970 से 22-1-1970 तक 15 दिन की हड़ताल पर थे।

(ख) हड़ताल के दिनों में हुई अनुमानित उत्पादन हानि करीब 15 लाख रुपये है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के मूल्यों में वृद्धि

*499. **श्री तुलशीदास जाधव : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने हाल में घड़ियों के मूल्य बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने बढ़ाये हैं ;

(ग) उसका औचित्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार घड़ियों के मूल्यों को उनके पिछले स्तर पर लाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

(क) जी, हां।

(ख) पांच प्रतिशत।

(ग) श्रमिकों के साथ हुए समझौते के फलस्वरूप उनकी मजदूरी में हुई पर्याप्त वृद्धि तथा कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए कम्पनी ने घड़ियों के बिक्री मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक समझा।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिये गये कारणों से, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बनाई जाने वाली घड़ियों के मूल्य को पूर्व स्तर पर नहीं लाया जा सकता है।

कच्चे लोहे की कमी

*500. **श्री अदिचन : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे की कमी के बारे में अभी हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ; और यदि हां, तो वह शिकायतें किस प्रकार की हैं ;

(ख) इस समय कच्चे लोहे का वार्षिक उत्पादन तथा उसकी मांग कितनी है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह उत्पादन तथा इसकी मांग कितनी होगी ;

(ग) क्या सरकार को इसके गलत ढंग से वितरण के बारे में कोई जानकारी मिली है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब से कच्चे लोहे की कम सप्लाई के बारे में यदा-कदा शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1969 की अवधि में बेसिक तथा फाउण्ड्री ग्रेड के विक्रेय कच्चे लोहे का उत्पादन 0.9 मिलियन टन था । 1969-70 की अनुमानित मांग 1.00 मि० टन है । लोहा और इस्पात कर्णधार समिति ने अनुमान लगाया है कि चौथी योजना के अन्त तक उत्पादन क्षमता 3.8 मिलियन टन के लगभग होगी जबकि माँग (निर्यात की आवश्यकताओं सहित) 3.0 मिलियन टन के लगभग होगी ।

(ग) कच्चे लोहे के प्रेषणों को विनियमित करने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति ने फाउण्ड्री उद्योग से परामर्श करके 20-8-1969 को एक प्रणाली बनाई थी परन्तु ऐसी शिकायतें मिली कि इस प्रणाली के अन्तर्गत 1964-65 से पूर्ण स्थापित ढलाई कारखानो के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, अतः यह निश्चय किया गया कि एसे कारखानों को भी 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में किये गये सबसे अधिक प्रेषणों के आधार पर प्रेषण किये जांय । फाउन्ड्री ऐसोसियेशन के अध्यक्ष का अनुभव है कि यह प्रणाली अच्छी सिद्ध हुई है । फिर भी, सरकार कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सोच रही है ताकि वितरण के लिए काफी कच्चा लोहा उपलब्ध हो सके ।

संयुक्त संयंत्र समिति को लोहे तथा इस्पात बोर्ड में परिवर्तित करना

*501. **श्री यशपाल सिंह :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पुनर्वेलन संघ के अध्यक्ष ने संयुक्त संयंत्र समिति को, लोहा तथा इस्पात बोर्ड में परिवर्तित करने का सुझाव दिया है क्योंकि सयुक्त संयंत्र समिति अपने सदस्यों में पूरा अनुशासन बनाये रखने में असफल रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) जी, हां । इस्पात तथा पुनर्वेलन मिल्स संघ ने यह सुझाव दिया था ।

(ख) और (ग). कमी की स्थिति को देखते हुए सरकार लोहा और इस्पात के वितरण की समूची प्रणाली पर पुनः विचार कर रही है । इस संदर्भ में सरकार सुझाव पर विचार कर रही है ।

झुंझनू (राजस्थान) में औद्योगिक एकक

502. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के चुने हुए जिलों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों में लगाई जाने वाली पूंजी की 10 प्रतिशत राशि का तत्काल अनुदान स्थावर आस्तियों के रूप में देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये चुने गये जिलों के नाम क्या हैं तथा चयन किस आधार पर किया गया है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये झुंझनू जिले के दावों पर केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया था ; और

(घ) राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के इच्छुक उद्योगपतियों को और क्या प्रोत्साहन दिये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पिछले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये योजना कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किये गये विभिन्न राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों के स्थान पर सरकार योजना आयोग द्वारा माने गये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे 9 राज्यों जिनमें राजस्थान भी सम्मिलित है और संघीय क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में से प्रत्येक के एक जिले में ऐसे नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये जिनकी अचल आस्तियां 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होंगी की अचल आस्तियों के 10 प्रतिशत के तुल्य सीधे अनुदान तथा उपदान देने का प्रस्ताव रखती है और ऐसे प्रत्येक उपक्रम जिसका विनियोजन 50 लाख रुपये से अधिक होगा के बारे में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा । कार्यकारी दल की कुछ अन्य सिफारिशें जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए

पूंजीगत उपकरणों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की सहायता तथा परिवहन उपदान से सम्बन्धित हैं सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे जिलों के निर्धारण के लिये निम्नलिखित मार्ग दर्शक मापदण्डों को अपनायें उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि वित्तीय संस्थानों में उचित प्रोत्साहन के लिये केवल उन जिलों का ही चयन किया जाये जिनके सूचकांक राज्य के ओसत से बहुत कम हों :—

(1) यदि जिला मुख्यतया अनाज अथवा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन हो तो क्रमश प्रति व्यक्ति अनाज अथवा वाणिज्यक फसल (अन्तर जिला वटीयता के लिये राज्य सरकार जहां आवश्यक हो अनाजें तथा वाणिज्यिक फसलों को पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर परिवर्तित करें)।

(2) कृषि कर्मचारियों तथा जनसंख्या का अनुपात।

(3) प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (कुल)।

(4) प्रति लाख व्यक्तियों में से कारखानों के कर्मचारियों की संख्या अथवा दूसरे तथा तीसरे स्थान में आने वाले व्यवसायों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति लाख।

(5) विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग।

(6) जनसंख्या और सड़कों तथा रेलों का सापेक्षिक सम्बन्ध।

चूंकि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों का नाम लेना सम्भव नहीं है।

राजस्थान सरकार ने 18 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा बताया है और इनमें झुनझुनूं भी सम्मिलित है। उनके सुझाव तथा अन्य राज्यों तथा संघीय प्रशासनों से प्राप्त सुझाव विचाराधीन है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए अनिर्णीत आवेदन-पत्र

*503. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1969 को उनके मन्त्रालय में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत थे ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र नये उद्योगों के लिए तथा कितने आवेदन-पत्र वर्तमान एककों के पर्याप्त विस्तार के लिए हैं ; और

(ग) इस वर्ष के दौरान कितने लाइसेंस दिये गये हैं तथा किन-किन पदों के लिए ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) मास से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन पत्रों की संख्या 481 है जबकि 528 आवेदन 1969 के उत्तरार्द्ध में प्राप्त हुए थे । इनमें से बहुत से मामलों में नई लाइसेंस नीति के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्ति की अब आवश्यकता नहीं रही । जिन मामलों में लाइसेंस की अब भी आवश्यकता होगी उन पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है ।

(ख) अनिर्णीत आवेदनों में 328 नये ओद्योगिक उपक्रम स्थापित करने 276 वर्तमान एककों के पर्याप्त विस्तार करने, 281 नई वस्तुओं का उत्पादन करने तथा शेष 7 काम चालू रखने या वर्तमान उपक्रमों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में हैं ।

(ग) .969 में 221 औद्योगिक लाइसेंस तथा 331 आशय पत्र जारी किए गये जारी किये गये सभी लाइसेंसों का उत्पादन की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं सहित विवरण वीकली बुलेटिन आफ इण्डिस्ट्रियल लाइसेन्सेज "इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज दी वीक्ली इण्डियन ट्रेड जनरल" तथा "मन्थली जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भी भेजी जाती हैं ।

बम्बई सेन्ट्रल तथा गान्धीधाम के बीच सीधी यात्री गाड़ी

*504. **श्री पाशा भाई पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को बम्बई अनाज व्यापारी संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बम्बई सेन्ट्रल और गान्धी धाम के बीच एक सीधी यात्री गाड़ी चलाने का अनुरोध किया गया है ताकि गांधी धाम से आने वाले यात्रियों को कई स्थानों पर गाड़ियां न बदलनी पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) 31-12-69 से 15 डाउन/16 अप बम्बई वीरमगांव सौराष्ट्र एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र गांधी धाम तक बढ़ाकर बम्बई सेन्ट्रल और गांधी धाम के बीच एक सीधी गाड़ी की व्यवस्था की जा चुकी है । 119 डाउन/120 अप वीरमगांव-हलवद सवारी गाड़ियां भी, जो वीरमगांव

में 5 डाउन/6 अप बम्बई सेन्ट्रल सौराष्ट्र डाक गाड़ियों से मेल लेती हैं, गाँधी धाम तक बढ़ा दी गई हैं ताकि बम्बई और गांधी धाम के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा हो सके ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से मांगी गई राय

*505. **श्री रवि राय :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक राष्ट्रीयकरण कानून को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये जाने पर वित्त मंत्रालय ने अध्यादेश जारी करने के प्रश्न पर उनके मंत्रालय से राय मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर उनके मंत्रालय द्वारा दी गई राय का ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां । विधि मंत्रालय से इस विषय में परामर्श किया गया था ।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा आन्तरिक रूप से अन्य मंत्रालयों को दी गई विधिक राय प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

बोकारो इस्पात संयंत्र को हानि

*506. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र को चालू करने में विलम्ब होने के कारण सरकार को अनुमानत कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) कारखाने के चालू होने में हुए विलम्ब के कारण प्रशासनिक तथा अन्य ऊपरी व्यय के रूप में प्रति मास लगभग 25 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ख) और (ग). कारखाने को चालू करने में विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ है जिन पर प्रायोजना प्रधिकारियों का कोई वश नहीं था जैसे रांची के संविरचन के लिए शान्त-इस्पात की प्लेटों की अनुपलब्धि, देशीय निर्माताओं द्वारा उष्मसह की समय पर आपूर्ति न कर सकना, श्रमिक झगड़े आदि । आवश्यक साज-समान की सप्लाई में शीघ्रता करने तथा इस क्षेत्र में औद्योगिक शान्ति तथा अनुशासन बनाये रखने के लिए उपाय किये जा रहे हैं । कार्य की प्रगति पर भी पूरी नज़र रखी जा रही है ।

Scheme for Upgradation of Posts of Clerks In the Railway Accounts Department

*507. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a provision for upgrading the posts of Clerks of the Accounts Department was made in the last Budget, but the scheme has not so far been implemented and the amount allocated for this purpose has been utilised for upgrading the posts of officers ;

(b) whethe it is also a fact that no recruitment is being made for Class III and Class IV posts and their number is being reduced by introducing automation whereas the number of officers is being increased ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No provision was made for upgrading the posts of Clerks in the Accounts Department.

(b) and (c). Recruitment to the Class I gazetted cadre is made on the basis of an annual competitive examination conducted by the Union Public Service Commission only to the extent of the normal wastage in the cadre. Such recruitment is necessary for the cadre. As regards the strength of the gazetted cadre, the increase is mostly due to increase of Officers in the Medical Department, which is a welfare activity on Railways.

As regards Class III and Class IV posts, ban on recruitment has been imposed primarily to absorb staff becoming surplus, due to various measures like dieselisation, electrification, rationalisation and simplification of procedures etc.

विभिन्न उद्योगों में विदेशी सहयोग

*508 **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शर्बत आदि, टुथ पेस्ट, ब्रुश रेजर, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक, बाल-प्वाइंट पैन आदि बनाने के लिये उद्योगों ने विदेशी सहयोग प्राप्त कर रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं को बनाने वाली कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं और इन कम्पनियों में कुल कितनी विदेशी मुद्रा लगी हुई है ;

(ग) इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में कुल कितना लाभ कमाया है ; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाने के क्या कारण हैं ; जब कि इन वस्तुओं का निर्माण देसी साधनों से ही हो सकता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). तत्काल उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2887/70]

(घ) अनावश्यक तथा कम प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों वाली वस्तुओं के बनाने के लिए सामान्यतः विदेशी सहयोग करने की अनुमति नही दी जाती है। अपवाद केवल उच्च निर्यातोन्मुख योजना ही होती हैं। संलग्न विवरण में उल्लिखित कम्पनियों में से कुछ या तो स्वतन्त्रता पूर्व स्थापित हो चुकी थी या प्रारम्भ में सहयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी

जबकि साधारण वस्तुओं के लिये भी देश को आयातित प्राद्योगिकी की आवश्यकता थी। कुछ मामलों में तो निर्यात को बढ़ाने के लिए भी सहयोग करने का अनुमोदन किया गया था।

Export of Steel to Russia

*509. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is now in a position to supply steel to Russia and other countries ;

(b) whether Government have drawn up any scheme in this regard ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir. In fact India has been exporting substantial quantities of steel to the USSR and other countries during the last two or three years.

(b) and (c). It is Government's policy to export those categories of steel for which the domestic production is in excess of domestic demand. The categories of products permissible for exports are announced, on an annual basis, and the category-wise targets are also fixed annually by the Steel Exports Committee under the Chairmanship of the Secretary, Ministry of Steel and Heavy Engineering.

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

*510. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1969 और 31 जनवरी, 1970 के बीच कितने और कितने मूल्य के औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ;

(ख) यह लाइसेंस किन वस्तुओं के लिए दिये गये ; और

(ग) इस अवधि में कितने ऐसे औद्योगिक लाइसेंस दिये गये, जिनमें विदेशी धन तथा तकनीकी सहयोग है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उल्लिखित अवधि में 159 औद्योगिक लाइसेंस तथा 258 आशय-पत्र जारी किये गये थे। औद्योगिक लाइसेंस का आशय-पत्र सामान्यतः विशिष्ट क्षमता के लिये दिये जाते हैं।

(ख) जारी किये गये सभी लाइसेंसों का ब्यौरा जिसमें वह उद्योग जिससे वे सम्बन्धित होते हैं, साप्ताहिक प्रशासन 'बुलेटन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस' तथा "इण्डियन ट्रेड जर्नल" और मासिक प्रकाशन "जर्नल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में नियमित रूप से प्रकाशित होता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजोर कारखाने में ट्रैक्टरों का निर्माण

3195 **श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजोर कारखाने में उसकी बेकार पड़ी क्षमता को प्रयोग में लाने के लिये 20 अश्व शक्ति के चैक ट्रैक्टरों का निर्माण आरम्भ करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है।

(ख) क्या इस निर्णय के परिणाम स्वरूप दुर्गापुर में सी० एम० ई० आर० आई (केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था) के इंजीनियर क्षुब्ध हैं क्योंकि उनके द्वारा तैयार किया गया शत प्रतिशत देशी ट्रेक्टर चैक ट्रैक्टरों के चयनकर्ताओं को पसन्द नहीं आया ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के अपने पहले निर्णय के विपरीत जाने के क्या कारण हैं और कि वे विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जबकि ट्रैक्टर जैसी मद सी० एम० ई० आर० आई० में देसी पुर्जों से बनायी गयी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं : मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

एक अन्तर्राज्य गिरोह द्वारा जाली रेलवे रसीदों का छापा जाना

3196. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो ने एक अन्तर्राज्य गिरोह का पता लगाया है जो जाली रेलवे रसीदें छाप कर माल की प्राप्ति के लिये उन्हें असली रसीदों के रूप में काम में ला रहा था, और यदि हां, तो कब और कहां ;

(ख) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस प्रकार कुल कितने मूल्य के माल की हानि हुई ; और

(ग) जाली रसीदों की छपाई रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). जी हां। 24 नवम्बर, 1969 को आगरा में तीन रेलवे रसीदों के उपयोग का एक मामला नोटिस में आया। इन रसीदों पर ऐसे माल के फर्जी इन्दराज थे जो कभी रेलवे में बुक नहीं किया गया था। इस मामले में तीन व्यापारियों को धोखा दिया गया था। इन व्यापारियों को उपर्युक्त रसीदें बेचकर उनसे माल की कीमत के रूप में कुछ पेशगी रकम वसूल की गयी थी। अभी तक एक व्यक्ति, रघुनन्दन दीक्षित, पुत्र लाल बिहारी दीक्षित, को गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में पहले 21 बार दोष सिद्ध हो चुका है। अभी तक रेलवे को कोई हानि होने की बात नोटिस में नहीं आयी है।

(ग) देश में जो अनेक छापेखाने हैं उनमें जाली रेलवे रसीदों की छपाई को रोकना रेलवे के लिए सम्भव नहीं है। लेकिन जाली रेलवे रसीदों पर माल की सुपुर्दगी से बचने के लिए निम्न-लिखित उपाय किये जाते हैं :—

(i) अग्रेषक स्टेशन का नाम यथासम्भव इन्वायस पुस्तकों पर छापा जाता है ;

(ii) प्रत्येक पुस्तक के प्रत्येक पन्ने पर इन्वायस पुस्तक के छपने का महीना और वर्ष दिया जाता है ;

(iii) थ्रू इन्वायसों को डाक से भेजने का जो वर्तमान नियम है, उसे कड़ाई से लागू किया जाता है ;

(iv) जब किसी कीमती माल (अर्थात लगभग 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले माल) की सुपुर्दगी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है जिसे स्टेशन के कर्मचारी नहीं जानते, तो जब तक रेलवे रसीद का थ्रू इन्वायस से मिलान न कर लिया जाये, माल की सुपुर्दगी नहीं दी जाती। यदि थ्रू इन्वायस उपलब्ध न हो, तो स्टेशन के कर्मचारी पार्टी से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान कराने के लिए कहते हैं जिसे स्टेशन का कोई कर्मचारी जानता हो। यदि पार्टी ऐसा कराने से इन्कार कर दे तो, सुपुर्दगी तभी दी जाती है जब स्टेशन मास्टर को सुपुर्दगी मांगने वाले व्यक्ति की सदाशयता का इत्मीनान हो जाये। यदि आवश्यक हो, तो सुपुर्दगी देने से पहले अग्रेषक स्टेशन को अत्यावश्यक तार भेजकर बुकिंग के ब्यौरे की पुष्टि करा ली जाती है।

(v) स्टेशन मास्टरों को हिदायत है कि वे ऐसे माल की सुपुर्दगी के बारे में सावधान रहे जो आमतौर पर उनके स्टेशनों पर नहीं आता।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड में प्रबन्ध की नियुक्ति

3197. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के वर्तमान प्रबन्धक की अर्हताएं क्या हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की गई थी और उनका वर्तमान वेतन कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पद के लिये अनेक वरिष्ठ इन्जीनियरों के दावों की उपेक्षा की गई थी ; और यदि हां, तो क्या सरकार इस पद के लिए दोबारा विज्ञापन देने और अपेक्षित अर्हता वाले व्यक्ति को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). हैवी इलैक्ट्रीकल्स इंडिया लि० भोपाल के विभिन्न विभागों में प्रबन्धकों के कई पद हैं। ऐसा समझा जाता है कि यह प्रश्न उक्त कम्पनी के महाप्रबन्धक की नियुक्ति के संदर्भ में है जिसका वेतनमान 2500-100-3000 रु० है। वर्तमान पदस्थ अधिकारी इंडस्ट्रीयल मैनेज-मेंट पद का एक अधिकारी है तथा महाप्रबन्धक बनने से पूर्व वह 7 सितम्बर, 1959 से हैवी

इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि० की सेवा में कामर्शियल मैनेजर रहा था। 17 फरवरी, 1968 से अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की सिफारिस और सरकारी अनुमोदन से वह महाप्रबंधक नियुक्त किया गया।

बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में नया रेलवे स्टेशन और हाल्ट

3198. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर (डिवीजन) में 1969-70 में कुल कितने नये स्टेशन तथा रेलवे हाल्ट खोले गये और उन नए स्टेशनों तथा हाल्टों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या 1970-71 में नए स्टेशन तथा हाल्ट खोलने के किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) 1969-70 में बीकानेर मण्डल में सादुलशहर और बनवाली स्टेशनों के बीच फतेहसिंह वाला नामक एक ट्रेन हाल्ट खोला गया था।

(क) और (ग). 1970-71 में बीकानेर मन्डल में 8 ट्रेन हाल्ट खोलने का कार्यक्रम है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) बिग्गा और परसनेऊ स्टेशनों के बीच।
(ii) मोहन नगर और जैतसर स्टेशनों के बीच।
(iii) सिवानी और भंपा स्टेशनों के बीच।
(iv) मन्हेरू और भिमानी स्टेशनों के बीच।
(v) सिरसा और सुचान कोटली स्टेशनों के बीच।
(vi) रायसिंहनगर और गजसिंहपुर स्टेशनों के बीच।
(vii) भंपा और सूरतपुरा स्टेशनों के वीच।
(viii) पिली बंगा और रंगमहल स्टेशनों के बीच।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

3199. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 और 1971-72 में राजस्थान में बड़े उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वे किन जिलों में स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

समाचार भारती न्यूज एजेंसी का प्रबन्ध

3200. डा० प० मण्डल :

श्री स० चं० सामन्त :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय कार्य विभाग को समाचार भारती न्यूज एजेंसी लिमिटेड के प्रबन्ध के बारे में अंशधारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस विभाग के अधिकारियों ने समाचार अभिकरणों के स्वामित्व के फैलाव तथा समाचार भारती को अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिये सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा हाल में बुलाये गये सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ग) इस सीमित दायित्व वाली कम्पनी को जिसे केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को भारी ऋण देने है कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिव विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). हां श्रीमान् । सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय द्वारा आयोजित, उन राज्य सरकारों, जो इस कम्पनी के हिस्सेदारी है, के प्रतिनिधियों की बैठक में, कम्पनी कार्य विभाग ने भी प्रतिनिधित्व किया था ।

(ग) समाचार भारती एक स्वतंत्र सूचना अभिकरण है, जिसमें इस कम्पनी को कुल हिस्सा पूंजी मिलाकर 19,248 हिस्सों में से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार तथा मैसूर की सरकारों के मिलाकर 19000 हिस्से हैं । केन्द्रीय सरकार ने इस सूचना अभिकरण में कोई हिस्सा नहीं खरीदा है, परन्तु इसने, सूचनाओं के संग्रह एवं वितरण, तथा भारतीय भाषाओं, विशिष्टतः हिन्दी में उल्लक्षण सेवाओं को वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधार करने की दृष्टि से, 1.50 लाख रुपयों का एक ऋण दिया था । इस ऋण से सम्बन्धित, केन्द्रीय सरकार की हितों को सुरक्षार्थ, पर्याप्त पग उठाये जा रहे हैं ।

इस तथ्य की दृष्टि से कि राज्य सरकारें मिलकर इस कम्पनी के अधिकांश हिस्सों की अधिकारिणी हैं, यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है । प्राथमिक रूप से, इस कम्पनी के प्रबन्ध में सुधार करने के लिए कार्यवाही की रूप रेखा का निर्णय करना उन राज्य सरकारों का काम है, जो उस कम्पनी के अधिकांश की हिस्सेदार है । तथापि, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली की कंपनी अधिनियम की धारा 210 तथा 220 के उपबन्धों का खंडन करने के लिए कम्पनी तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया है ।

कम्पनियों द्वारा अन्तर्निगम विनियोजन

3201. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में टाटा, बिड़ला साहू जैन, गोयनका, जे० के० तथा सूरज मल ग्रुपों को रुपयों में कितना अन्तर्निगम विनियोजन करने की मंजूरी दी गई ; और

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसे विनियोजन का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत, 1967, 1968 तथा 1969 के वर्षों में, टाटा, बिड़ला, साहू जैन, गोइन्का, जे० के० तथा सूरजमल नागरमल समूहों की बाबत क्रमशः 122.50 लाख, 268.71 लाख, 25 लाख, 105.72 लाख, 46.35 लाख तथा 25 लाख रुपयों की कुल राशि, के अन्तः निगम निवेश स्वीकृत किये गये थे ।

(ख) प्रत्येक विषय में निवेश का ब्यौरा सभापटल पर रख दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 2888/70]

Transfer of Provident Fund Accounts from One Railway to Another

3202. **Shri Jamna Lal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Provident Fund Accounts of the Railway employees who have been transferred to the Northern Railway from other Railways have not been transferred to their parent offices ;

(b) if so, the number of such employees, the dates of their transfer to the Northern Railway as also the names of the Railways from which they were transferred ;

(c) the steps taken by Government to have their Provident Fund Accounts transferred to their present offices ; and

(d) the action proposed to be taken by Government against those officers of the concerned Railways due to whose negligence the amount of Provident Fund of the employees concerned could not be included in their present Provident Fund Accounts ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Yes, in some cases.

(b) A statement showing details is placed on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2889/70].

(c) The matter is under reference with the Accounting units concerned.

(d) The matter is under investigation.

रेल यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए अतिरिक्त सुविधायें

3203. श्री जुगल मण्डल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में भारतीय रेलवे को यात्री किराये तथा माल भाड़े के रूप में पृथक-पृथक कितनी आय हुई ;

(ख) इसी अवधि में यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा के लिये किन-किन अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई ; और

(ग) यदि कोई सुविधा नहीं दी गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) 1968-69 में भारतीय रेलों को यात्री किराये और माल भाड़े के रूप में अलग-अलग आमदनी इस प्रकार हुई :—

यात्री यातायात से आमदनी	265.10 करोड़ रुपये
मालभाड़ा-(माल) यातायात से आमदनी	562.79 करोड़ रुपये

(ख) 1968-69 में 61 नये मुसाफिरखाने, ऊंचे दर्जे के 30 प्रतीक्षालय और 27 विश्रामालय बनाये गये । 80 मुसाफिरखानों और 41 नये प्रतीक्षालयों में सुधार किया गया और 45 नये ऊपरी पैदल पुल/उप मार्ग बनाये गये, 52 नये प्लेटफार्मों की व्यवस्था की गई और 431 स्टेशनों पर वर्तमान प्लेटफार्मों का विस्तार किया गया, उन्हें चौड़ा बनाया गया, उनकी सतह ऊंची की गई, फर्श बनाये गये और छतें लगायी गयीं । 117 स्टेशनों पर बिजली की रोशनी और पंखों की व्यवस्था की गई । पानी की सप्लाई में सुधार करने की दृष्टि से 92 स्टेशनों पर हथ पम्पों/पानी के नलों की व्यवस्था की गई । रेलवे स्टेशनों पर 58 बिजली चालित शीतक लगाये गये ।

जिन गाड़ियों में रात की यात्रा करनी होती है, बड़ी लाइन के ऐसे सीधे जाने वाले खण्डीय 6 जोड़े सवारी डिब्बों और मोटर लाइन की 4 जोड़ी सवारी गाड़ियों में तीसरे दर्जे में सोने की सुविधा बढ़ायी गई गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए 1967-68 की तुलना में 1968-69 में दैनिक यात्री गाड़ी किलोमीटर संख्या में बड़ी लाइन पर 1,588 और मीटर लाइन पर 2023 की वृद्धि की गई । बड़ी लाइन के 157, मीटर लाइन के 202 और छोटी लाइन के पहले, दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के मिले जुले 10 सवारी डिब्बों के अलावा बड़ी लाइन पर 348, मीटर लाइन पर 152 और छोटी लाइन पर 16 तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बे चलाये गये । बड़ी लाइन पर बिजली गाड़ी के तीसरे दर्जे के स्थान वाले 124 सवारी डिब्बे भी चलाये गये ।

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सवारी डिब्बों में संरक्षा के उपायों की व्यवस्था की गई और कुछ क्षेत्रों में रात में चलने वाली गाड़ियों में मार्ग-रक्षी सरकारी रेलवे की व्यवस्था है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग वाली कम्पनियां

3204. **श्री जुगल मण्डल** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से स्थापित की गई ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है, जिनमें विदेशी सहयोगियों के 50 प्रतिशत से अधिक अंश हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में विदेशी सहयोगियों के नाम तथा उनकी राष्ट्रीयता क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). विदेशी सहयोग करारों और 1951-52 से विदेशी पूंजी के लिए दी गई अनुमति की सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 2890/70] इसमें बहुलांश में विदेशी शेयरों वाली कम्पनियों और उपक्रमों के नाम तथा प्रत्येक प्रकरण के विदेशी सहयोगियों के नाम तथा राष्ट्रीयता भी दी गई है ।

पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के गार्डों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण

3205. **श्री इसहाक सम्भली** : **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे दानापुर डिवीजन के डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट ने दानापुर डिवीजन के गार्डों को फिर वहां से हटाने के आदेश दे दिये हैं, जब कि गया के पांच गार्डों के स्थानान्तरण सम्बन्धी उनके आदेशों को उच्च अधिकारियों ने रद्द कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों की पूर्वानुमति के बिना उससे बड़ी संख्या में अन्य गार्डों के स्थानान्तरण के भी आदेश जारी कर दिये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट की इस कार्यवाही से दानापुर डिवीजन के गार्डों में बड़ा असन्तोष है जिससे गम्भीर स्थिति पैदा होने के कारण रेल सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के हेतु दानापुर डिवीजन के बड़ी संख्या में गार्डों के स्थानान्तरण आदेशों को रद्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) से (घ). गया और मुगलसराय के बीच गार्डों के लिए "क्रैंक" प्रणाली आरम्भ करने के संबंध में 5 गार्डों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित कुछ अभ्यावेदन मिले थे । नयी संचालन प्रणाली आरम्भ करने के फलस्वरूप ड्यूटी के अधिक घंटों के प्रश्न की जांच होने तक ये स्थानान्तरण रोके रखे गये थे ।

बाद में जारी किये गये गार्डों के कुछ स्थानान्तरणों के समबन्ध में भी अभ्यावेदन मिले हैं ।

इस बात का अब इत्मीनान कर लिया गया है कि समूची "क्रैक परिचालन" योजना इस ढंग से बनायी गयी थी कि कुल ड्यूटी घंटे 14 से अधिक न हों जो कि निर्धारित सीमा है और अब गार्डों को केवल एक दिशा में गाड़ी ले जानी पड़ती है जो ड्यूटी के अनुमेय घंटों की सीमा में है । गार्डों के स्थानान्तरण के जो आदेश जारी किये गये हैं उनमें से गया से मुगलसराय के स्थानान्तरण रद्द कर दिये गये हैं और बाकी आदेश बरकरार रखे गये हैं क्योंकि वे "क्रैक" प्रणाली आरम्भ करने के सम्बन्ध में नहीं थे बल्कि सेवा की सामान्य आवश्यकताओं के कारण थे ।

उत्पादिता स्तर बढ़ाने के लिये कार्य-क्रम

3206. **श्री मयावन : श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर : श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 में जिसे एशियायी उत्पादिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा उत्पादिता स्तर को बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर एवं राष्ट्र-व्यापी कार्य-क्रम आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो एशियायी उत्पादिता वर्ष मनाये जाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) इस समारोह में कितने देश भाग लेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एशियाई उत्पादिता संगठन ने जिसका कि भारत सदस्य है, 1970 को एशियाई उत्पादिता वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है और सदस्य देशों को एशियाई उत्पादिता वर्ष के निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इस पर्व को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी है ;

(1) उत्पादिता द्वारा अधिक समृद्धि प्राप्त करना ;

(2) उत्पादिता के प्रति चेतना में वृद्धि करना ;

(3) तेजी से आर्थिक प्रसार करने के लिए तीव्रता से उत्पादिता की कार्यवाही करना।

मुख्य ध्येय है उत्पादिता के माध्यम से समृद्धि तथा मुख्य विषय है गुण प्रकार की विश्वसनीयता। भारत इस पर्व को अपने राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के माध्यम से राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर पर उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित करके, मना रहा है। आशा है कि अन्य सदस्य देश भी जैसे श्री लंका चीन गणराज्य, हांग कांग इण्डोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, नेपाल पाकिस्तान, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैण्ड, तथा वियतनाम गणराज्य, भी अपने-अपने देशों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके इस वर्ष को मनाएंगे।

मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिये उचित मूल्य की दुकानों का विस्तार

3207. श्री **भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार देश में उचित मूल्य की दुकानों का विस्तार करने तथा उनके माध्यम से कुछ अन्य आवश्यक वस्तुयें भी बेचने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). आवश्यक वस्तुएं बेचने के लिये उचित दर की दुकानें स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना

3208. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने का इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या वह सरकारी क्षेत्र में लगाया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). प्रारम्भ में जब चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में जीटर—2011 टैक्टरों के निर्माण के लिए एक संयंत्र, जो पूर्णतः नई योजना थी, स्थापित करने का विचार था तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट उसके लिए जगह का चुनाव किया गया था । तत्पश्चात् हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपने पिजोर एकक (हरियाणा राज्य) में, जहां काफी फालतू इंजीनियरी क्षमता उपलब्ध है, तथा जिसके कारण पूर्णत: नई परियोजनाओं की अपेक्षा पर्याप्त कम निवेश करना पड़ेगा, इस ट्रैक्टर को बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि ट्रैक्टर के कुछ कलपुर्जों के बनाने में वे माइनिंग तथा एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में उपलब्ध फालतू क्षमता का भी प्रयोग कर लेंगे । यह प्रस्ताव आजकल विचाराधीन है ।

Crimes in Running Trains in West Bengal and Bihar

*3209. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2273 on the 2nd December, 1969 regarding crimes in running trains in West Bengal and Bihar and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which it is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Very shortly.

भारत में ब्रिटिश पूंजी नियोजन

3210. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि ब्रिटिश उद्योग महासंघ के वरिष्ठ सलाहकार श्री नार्मन किपिंग ने कहा है कि भारतीय नीतियों में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे भारत में ब्रिटिश पूंजी नियोजन रुक सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनसे पता किया है कि उनका निदेश किन बातों की ओर था ; और

(ग) भारत में पूंजी नियोजन वातावरण में सुधार करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). ब्रिटिश उद्योग महासंघ के वरिष्ठ सलाहकार श्री नार्मन कीपिंग 8 से 11 फरवरी 1970 तक हुई भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिक दल की बैठक में ब्रिटेन की ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में से एक थे। इस बैठक में इस देश में विदेशी विनियोजन तथा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर पूर्णरूप से तथा खुलकर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श में इस प्रकार के विनियोजनों तथा सहयोगों से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का स्पष्टीकरण किया गया तथा भविष्य में दोनों देशों के बीच लाभप्रद औद्योगिकी सहयोग के लिये सम्भावित क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण करने का भी प्रयास किया गया। इन वार्तालापों के निष्कर्ष पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति सभा-पटल पर रखी गई। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 2891/70]।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि सरकार की विदेशी विनियोजन तथा सहयोग विषयक नीति के ढांचे के अन्तर्गत भारत में विनियोजन की परिस्थितियां सन्तोषजनक है तथा विदेशी विनियोजकों को अनेक प्रकार की सुविधायें तथा प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं में ये बातें सम्मिलित हैं एक बार देश में लगाई जा चुकने के बाद विदेशी पूंजी से किसी प्रकार का भेद भाव न किया जाना, लाभों तथा लाभाशों के विदेशों में भेजने की स्वतन्त्रता आय पर दुहरा कर न लगने देना, तथा विदेशी विनियोजकों तथा कम्पनियों के लाभांशों पर कर लगाते समय विभिन्न प्रकार की छूट तथा रियायतें देना, रायलटी तथा जानकारी शुल्क में छूट देना तथा तकनीशियनों आदि को आयकर से मुक्त करना आदि सम्मिलित है। विदेशी विनियोजन बोर्ड के गठन तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिदान्तों के प्रकाशन के परिणामस्वरूप विदेशी विनियोजना सहयोग सम्बन्धी आवेदनों पर पहले से कहीं अधिक शीघ्रता से निर्णय लिया जा रहा है।

उद्योग स्थापित करने के लिये भारत-अमरीकी सहयोग

3211. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में नये उद्योग स्थापित करने हेतु सहयोग की सम्भावनाओं

का पता लगाने के लिये भारत और अमरीका दोनों संयुक्त प्रयास करेंगे जिससे भारत में निर्यात को बढ़ावा मिल सके ;

(ख) क्या उक्त प्रयास में सरकार को देश के उद्योगपतियों का सहयोग मिलेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). विदेश व्यापार मंत्री ने हाल ही में जो अमरीका का दौरा किया था उसमें उन्होंने अमरीका के व्यापारियों के साथ विशेष रूप से भारत में निर्यातोन्मुख उद्योगों के संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में बातचीत की थी । जब कभी उनके प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो उस पर सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा ।

Grant to and Studies made by the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies

*3212. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the amount of grant given to the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies during the year 1969-70 ; and

(b) the details of the studies made by the said Institute during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) Rs. 2,00,000 (Rupees two lakhs only).

(b) During the last three years the Institute has published the following studies :—

1. Devaluation of the Rupee and its Implications (Hindi Edition and English Edition).
2. Devaluation of the Rupee—Its implications and Consequences.
3. Student Unrest-Problems and Prespectives.
4. Elections, Candidated and Voters (English and Hindi Editions) by Shri P. N. Krishnamani.
5. Parliamentary Privileges and their Codification by Shri P. Govinda Menon.
6. Economic Development in India and China by Dr. Alexander Eckstein.
7. Parliamentary Institutions in Australia by Shri R. W. C. Swartz.
8. Horizons of Freedom.
9. The Politics of Defection by Dr. S. C. Kashyap.
10. Gandhi and Social Policy in India by Dr. Savita.
11. Dal Badal Aur Rajyon Ki Rajniti (in Hindi) by Dr. S. C. Kashyap.

The following works are under print :—

1. Indo-Pak Maritime Conflict, 1965—A Legal Appraisal by Dr. Surya P. Sharma.
2. Lokpal by Dr. M. P. Jain.
3. Fundamental Rights and Constitutional Amendment.
4. Parliament and Administration.

In addition to the above Studies the Institute has been engaged on preparing other research materials and studies in connection with the Orientation Seminars for Legislators in various parts of the country, the Parliamentary Fellowship Programmes, Model Parliaments for students and various Seminars, Colloquia etc. on problems of current interest.

इलैक्ट्रोनिक उद्योगों का अध्ययन करने के लिये उत्पादिता दल की जापान यात्रा

3213. श्री **धीरेश्वर कलिता** : क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रोनिक उद्योगों का अध्ययन करने के लिए एक उत्पादिता दल 1969 में जापान गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**) : (क) जी, हाँ। भारत की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के उत्पादिता दल ने जुलाई, 1969 में दो सप्ताह के लिए जापान का दौरा किया।

(ख) इस दल के निष्कर्ष व सिफारिशें सभा-पटल पर रखी गई [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०** 2892/70] इसकी रिपोर्ट की प्रतियां राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद द्वारा संबंधित संगठनों/सरकारी विभागों को उनके विचारों व प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के लिए भेजी जा रही हैं।

औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार में लघु उद्योग क्षेत्र का भाग

3214. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1966-67 से 1969-70 तक औद्योगिक उत्पादन के कुल मूल्य और रोजगार जुटाने में लघु उद्योगों का राज्यवार तथा वर्षवार क्या हाथ रहा है ;

(ख) उक्त अवधि में भारत के अनुसूचित बैंकों द्वारा कुल जितना ऋण दिया गया है लघु उद्योग क्षेत्र को राज्यवार और वर्षवार उसका कितना भाग दिया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**) : (क) पूछी गयी जानकारी केवल उन पंजीकृत कारखानों के सम्बन्ध में उपलब्ध है जिसे केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा इकट्ठा करता है। मशीनी कारखाना क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र के पंजीकृत कारखानों के भाग की अधुनातन जानकारी 1965 की उपलब्ध है। यह जानकारी समूचे भारत वर्ष की संकलित तथा प्रकाशित की गई है, न कि

राज्यवार । 1965 की इस जानकारी के आधार पर कुल कारखाना क्षेत्र में लघु उद्योग के पंजीकृत कारखानों का भाग निम्न प्रकार है :—

रोजगार	—	33 प्रतिशत
उत्पादन	—	27 प्रतिशत

(ख) यह जानकारी सभा पटल पर रखी गई । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2893/70] ।

Payment of Tuition Fee to Harijans and Scheduled Tribes Students in Madhya Pradesh

3215. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of Law and Social Welfare be plsased to state :

(a) whe:her it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have not so far released the grant pertaining to the tuition fee of the students receiving education in private institutions as a result of which Harijan and the Scheduled Tribe students are required to deposit their tuition fees ; and

(b) if so, the time by which the said grant would be released ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). Funds to the extent of Rs. 4.00 lakhs were allotted by the State Government to the District Collectors for reimbursement of tuition fee to the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes studying in private institutions during the current financial year. Since this amount was reported to be inadequate, an additional amount of Rs. 7.41 lakhs has been sanctioned by the State Government for this purpose which is likely to meet the demands of the private institutions.

इंजीनियरी उद्योग के लिये इस्पात की कमी

3216. **श्री भगवान दास :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री गणेश घोष :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को इस्पात की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अंशतः इस्पात के निर्यात के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ग) इस उद्योग की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) भारत में उपभोक्ता इस्पात का जो मूल्य देता है क्या विदेशों को उससे कम मूल्य पर इस्पात का निर्यात किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह अन्तर कितना है और इसका क्या कारण है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) चादरों, प्लेटों और बिलेट तार छड़ों आदि कुछ पैर चपटे उत्पादों की कमी है।

(ख) यह केवल आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण मांग में वृद्धि और कई इस्पात कारखानों में श्रमिक अशांति और तकनीकी कठिनाइयों के कारण उत्पादन में कमी के कारण है।

(ग) जब कभी कोई कठिनाई आती है तो उसे दूर करके इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये कई उपाय किए जा रहे हैं। देश की आंतरिक मांग के लिये सप्लाई बढ़ाने हेतु दुर्लभ किस्म के इस्पात के आयात का उदारीकरण कर दिया गया है।

(घ) आजकल इस्पात का निर्यात मूल्य संयुक्त संयंत्र समित द्वारा निर्धारित आन्तरिक विक्रय-मूल्य से बहुत अधिक है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

मध्य रेलवे के सुखी सीमानिया और दीवान गंज स्टेशनों के बीच मदमदघाट पर यात्रियों को टिकटों का बांटा जाना

3217. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे सुखी सीमानिया और दीवानगंज के बीच मदमदघाट पर सभी यात्री गाड़ियां रुकती हैं ;

(ख) क्या वहां पर एक स्टेशन मास्टर तथा तीन सहायक स्टेशन मास्टर स्थायी रूप से रहते हैं ;

(ग) क्या इसके बावजूद वहां यत्रियों को टिकट नहीं दिये जाते हैं ;

(घ) क्या यहां यात्रियों को टिकट बांटना शुरू किया जायेगा और वह काम रेलवे कर्मचारियों को सौंपा जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस काम को स्थानीय पंचायत को ठेके पर देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

रेलवे-मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) इस पार स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर और दो सहायक स्टेशन मास्टर नियुक्त हैं।

(ग) यह स्टेशन केवल परिचालन के उद्देश्य के लिए है। इसे यातायात के लिए नहीं खोला गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में मोटर-गाड़ी एककों का विस्तार

3218. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन गैर-सरकारी मोटर-गाड़ी एककों ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने इन निर्माताओं से बातचीत की थी ;

(ग) उक्त बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या सरकार मोटर गाड़ी क्षेत्र में उक्त तीन एकाधिकारियों की मांगों को अन्ततः स्वीकार करने जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1960 में मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने विद्यमान उपक्रम के पर्याप्त प्रसारार्थ तथा साथ ही यात्री कारों की क्षमता में प्रति वर्ष, 30,000 तक वृद्धि करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। 1965 में फम ने दो चरणों में प्रतिवर्ष 1,00,000 यात्री कारों को बनाने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि हेतु एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जो बाद में प्रतिवर्ष 70000 से 80000 कारों तक परिवर्द्धित किया गया था। तथापि, इस बारे में फर्म से कोई भी आवेदन पत्र उद्योग (विकास तथा विनिमयन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुआ है।

1961 में मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल लि० ने उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत यात्री कारों को बनाने के लिए अपने विद्यमान औद्योगिक उपक्रम में पर्याप्त प्रसारार्थ एक लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिससे कि प्रसार के पश्चात् प्रतिवर्ष 15,000 कारों की क्षमता हो जाये। इसी फर्म ने 1967 की जनवरी में प्रतिवर्ष 30,000 यात्री कारें बनाने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद, योजना आयोग को लिखे गये अपने पत्र दिनाँक 11 मई, 1968 में फर्म ने तीन चरणों में प्रतिवर्ष 50,000 तक की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रस्ताव रखा। इस संबंध में फर्म से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

इन आवेदनों/प्रस्तावों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि अभी यह निश्चित करना बाकी है कि यात्री कारों के बनाने के लिए अतिरिक्त क्षमता किस प्रकार से बढ़ाई जानी चाहिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यात्री कारों को बनाने के लिए किस प्रकार अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, यह निर्णय अभी लिया जाना है।

रूस को मशीनों तथा उपकरणों के निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर क्रयादेश

3219. **श्री मयावन :**　　　　**श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू :　　**श्री नि० र० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी मशीनें बनाने वाले कारखानों की अप्रयुक्त क्षमता की समस्या को हल करने में भारत की सहायता करने के उद्देश्य से रूस सरकार ने यहाँ से खुदाई करने वाले यंत्रों, क्रेनों आदि जैसे भारी यंत्रों तथा उपकरणों की भारी संख्या में खरीद करने के लिए बहुत सारे क्रयदेश देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहाँ से क्रयादेश प्राप्त हो गये हैं ;

(ग) क्या भारत ने उनसे बहुत कम मूल्य लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और रूस से क्या मूल्य लिया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) (क) और (ख) : सोवियत सहायता से निर्मित भारत स्थिति मशीन-निर्माण कारखानों में सोवियत संघ को दीर्घकालीन सप्लाई हेतु कुछ प्रकार के उत्पादन तैयार करने की संभावनाओं के बारे में भारत की यात्रा पर आए एक सोवियत शिष्टमण्डल के साथ हाल ही में बातचीत की गई थी ताकि इन कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके। परिणाम स्वरूप यह तय किया गया है कि खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर के कारखाने में तथा भारी इंजीनियरी निगम, रांची के भारी मशीन-निर्माण कारखाने में कुछ प्रकार के उपकरण जैसे कन्टेनर प्रेन्स, एक्स लेवेटर और रीडक्शन गीयर आदि के उत्पान की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। दोनों पार्टियों में सोवियत संघ को सप्लाई किए जाने वाले उपकरणों तथा सप्लाई की शर्तों के बारे में यथाशीघ्र आगे बातचीत की जायेगी।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विकलांग व्यक्तियों के लिये व्यापक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करना

3220. **श्री मयावन :**　　　　**श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दण्डपाणि :　　　　**श्री सामिनाथन् :**
श्री नि० र० लास्कर :　　**श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री य० ब० प्रसाद :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने चार वर्गों के विकलांग व्यक्तियों के लिये व्यापक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों के समाज कल्याण यत्रियों के दो-दिवसीय सम्मेलन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इस पर चर्चा हुई थी ;

(ग) यदि हां, किन अन्य विषयों पर उस सम्मेलन में चर्चा की गई थी ; और

(घ) इन केन्द्रों से विकलांग व्यक्तियों को क्या सहायता मिलेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समाज कल्याण के राज्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में इस विषय पर विचाराविमर्श किया गया था ।

(ग) सम्मेलन में जिन अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया था, वे विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित थे, जैसे कि (1) परिवार तथा बाल कल्याण कार्यक्रम, (2) महानगर में भिक्षावृत्ति पर नियन्त्रण, (3) स्थाई दायित्व वाले गृहों का भविष्य, (4) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का भविष्य और (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याएं योजनाएं, तथा कार्यक्रम ।

(घ) राष्ट्रीय केन्द्र उसी प्रकार की सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में कार्य करेंगे । वे सीमित संख्या में नेत्रहीनों, वधिरों, अपंग तथा मंदमति बच्चों तथा वयस्कों को सीधी सेवाएं प्रदान करेंगे ।

दक्षिण में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

3221. **श्री मयावन : श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री जगेश्वर यादव :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री सीताराम केसरी :
श्री सु० कु० तापड़िया : श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दक्षिण में तीन इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे किस-किस राज्य में स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) उन पर कुल कितनी राशि व्यय होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) और (ख) नये इस्पात कारखानों की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Incidents of Chain Pulling and Cases of Pilferage of Goods on North Eastern Railway

3222. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of cases in which trains were stopped by pulling chain during the last two years on the North Eastern Railway ;

(b) the number of cases of pilferage of the goods sent by Railways, which have been registered during the aforesaid period ;

(c) the quantum of goods recovered as a result of investigations and the number of persons arrested in this connection ; and

(d) the number of persons against whom suits were filed, the number of those awarded punishment and the number of cases under consideration at present ?

The Minister of Railway (Shri G. L. Nanda) :

(a)	1968—71,258
	1969—88,859

(b)	Year	No. of cases registered
	1968	31,670
	1969	29,360

(c)	Year	Value of property recovered	No. of persons arrested
		Rs.	
	1968	8.09 lakhs	4,107
	1969	6.29 ,,	2,215

(d)	Year	No. of persons prosecuted	No. of persons convicted	No. of cases under consideration.
	1968	2,790	1,213	Not available
	1969	1,297	503	,,

Electrification of Railway Track

*3223. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the present number of electric locomotives running on the Indian Railways and

(b) the number of Railway lines electrified so far ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) The total number of electric locomotives running on Indian Railways as on 31-1-1970 was 544.

(b) The total route length of railway lines electrified on Indian Railways was 3538 kilometres as on 31-1-1970.

Volume of Goods Traffic and Improvement in Railway Freight Service

3224. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the anticipated increase in the railway goods traffic has not materialised during the current financial year ;

(b) if so, the reasons therefor and ;

(c) the measures Government propose to adopt to increase the volume of goods traffic and to improve Railway freight service ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Yes. As against the anticipated increase of 9 million tonnes of revenue earning goods traffic, and the proportionate anticipated increase of 7.414 million tonnes during first 10 months, only 4.710 million tonnes of additional revenue earning traffic had been lifted during the current year upto end of January 1970.

(b) The shortfall in loading is mainly due to less demands for raw materials to and finished products from Steel Plants, iron ore for export and other general goods traffic. The serious breaches due to cyclone in Andhra Pradesh aud floods on the Western and Northeast Frontier Railways and disruption in movement due to Telengana agiation and several bundhs and civil disturbances in different parts of the country also contributed to the shortfall in goods traffic.

(c) To attract more traffic to the railway, Marketing and Sales organisations have been set up on each Railway to keep in close touch with the Trade and to take suitable steps to secure maximum traffic to rail. Door to door delivery services, introduction of container services, fast super express goods services between important points and Quick Transit Services have been introduced for improving the quality of service on the Railways. Easier availability of wagons is also brought to the notice of the Trading Public through the Press, requesting them to step up their demands to take advantage of the slack season, every year.

Strike by Employees of Sealdah Division for Failure of Management to make Security Arrangements

3225. **Shri Raghuvi Singh Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Sealdah Division of the Eastern Railway observed strike on the 18th February, 1970 as a protest against the failure of the management to make arrangements for their security ; and

(b) if so, whether adequate arrangement for their security have since been made ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) There was no strike as such by railway employee ; however there was a dislocation of suburban train service due to assault on certain Motormen, a Guard and station staff.

(b) "Attacks" on persons is a Law and Order question with which the State Government are concerned. However, since the Railways are vitally concerned with safety of Railways employees on duty, the matter has been pursued with the Government of West Bengal who have assured adequate protection to staff on duty.

जहाज निर्माण कारखाना, विशाखापतनम् में हरिजन लड़कों को विशेष प्रशिक्षण

3226. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की परीक्षा पास किये हुए हरिजन लड़कों के विशेष प्रशिक्षण के लिए जहाज निर्माण कारखाना, विशाखापत्तनम् में भेजने के बारे में केन्द्र के पास एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) हां श्रीमन ।

(ख) तथा (ग). इस प्रस्ताव का परीक्षण किया गया था और केरल सरकार को सूचित कर लिया गया था कि प्रस्तावित योजना को वर्तमान छात्रवृत्ति योजना के साथ समन्वित कर दिया जाय ।

केरल के हरिजन लड़कों और लड़कियों को सिलाई और कसीदे के काम में प्रशिक्षण देने की योजना

3227. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री प० गोपालन :**
श्री क० अनिरुद्धन : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से हरिजन लड़कों तथा लड़कियों को सिलाई तथा कसीदे के काम में प्रशिक्षण देने से सम्बंधित कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के लिये सहायता देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था कि हरिजन लड़कों तथा लड़कियों को कपड़े सीने तथा कढ़ाई में परिक्षण दिया जाये और परिक्षण समाप्त होने पर उन्हें कपड़े सीने की मशीनें भी दी जाएं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें वजीफा भी दिया जाना था ।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में 10 लाख रुपये ।

(घ) तथा (ङ). राज्य सरकार की योजना का परीक्षण किया गया था उन्हें 25 जनवरी, 1970 को एक विस्तृत उत्तर भेज दिया गया था। राज्य सरकार से कहा गया था कि वह इस योजना को राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत ले ले ।

Over-Bridge for Pedestrains at Datia Station (Central Railway)

3228. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date on which the construction work of pedestrain over-bridge at Datia Station in Madhya Pradesh on the New Delhi-Bombay line of the Central Railway was commenced and when it is likely to be completed ; and

(b) the details of expenditure incurred or expected to be incurred thereon ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) The fabrication of the steel work was commenced during April 1969. The erection of steel work was commenced in February, 1970. The work is likely to be completed by 31-3-1970.

(b) The total expenditure expected to be incurred is Rs. 49,600/- approximately.

Grant of Sustenance Allowance to Old and Disabled Persons

3229. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state the programme which have been or are being implemented by Government for providing sustenance allowance to the old and disabled persons in the country ?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : There is no Central Scheme for providing sustenance allowance to the old and disabled persons.

उत्तर प्रदेश को इस्पात का नियतन

3230. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में उत्तर प्रदेश को कुल कितना लोहा तथा इस्पात दिया गया ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में उनको कुल कितना लोहा तथा इस्पात दिया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पंत) : (क) और (ख). वर्ष 1968-69 और 1969-70 में उत्तर प्रदेश को इस्पात का आवंटन निम्न प्रकार था :

(टन)

	काली सादी चादरें (8-14 गेज)	काली सादी चादरें (16-20 गेज)	काली सादी चादरें (20 गेज से पतली)	जस्ती सादी चादरें	जस्ती नालीदार चादरें
1968-69	—	3,031	1,265	1,412	5,033
1969-70	2,338	3,921	2,395	1,665	7,219

केरल में आदिवासी अनुसंधान संस्थान

3231. **श्री ई० के० नायनार :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक आदिवासी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई ज्ञापन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में 0.50 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया गया है और राज्य सरकार को इस योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया है ।

(ग) तथा (घ). हरिजन कल्याण के निदेशक ने अपने तारीख 13 फरवरी, 1970 के पत्र में सूचित किया है कि वह राज्य सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

भारत में पश्चिमी जर्मन का सहयोग

3232. **श्री इ० के० नायनार :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री हरमन जे० एब्स के नेतृत्व में पश्चिमी जर्मनी के प्रतिनिधिमण्डल ने किस प्रयोजन से भारत का इस वर्ष जनवरी में दौरा किया था ;

(ख) भारत में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से कितने औद्योगिक संस्थान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ; और

(ग) पश्चिमी जर्मनी के पंजीपतियों ने भारत में अब तक कुल कितनी पूंजी (रुपयों में) लगाई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पश्चिम जर्मनी के शिष्टमण्डल के दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करना, औद्योगिक उपलब्धियों तथा भविष्य की सम्भाव्यताओं सरकार की नीतियों और विदेशी विनियोजन तथा सहयोग संबंधी प्रक्रियाओं को स्पष्ट समझना तथा जर्मनी के अधिक विनियोजन और सहयोग की सम्भावनाओं का संयुक्त रूप से पता लगाना था ।

(ख) सरकार ने 1960 से फरवरी, 1970 तक की अवधि में पश्चिम जर्मनी की फर्मों के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग करने के 461 प्रस्ताव स्वीकृत किये ।

(ग) 58.9 करोड़ रुपये (मार्च, 1967 तक) ।

नये उद्योगों को स्थापित करते समय गैर-सरकारी उद्योगपतियों के सामने आने वाली कठिनाइयां

3233. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल अलायस आफ यंग एन्ट्रप्रीनियर्स का एक प्रतिनिधिमंडल 10 जनवरी, 1970 को उनसे मिला था और उनका ध्यान उन कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया था जो सम्भव्य उद्योगपतियों के सामने नये एकक स्थापित करते समय आती हैं ; और

(ख) क्या उक्त प्रतिनिधिमंडल ने परियोजनाओं को शीघ्र अनुमति देने की मांग की है और यदि हां, तो सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी हां । नेशनल एलाएन्स आफ यंग एन्टरप्रिन्योर के एक मण्डल ने नये उद्यमियों द्वारा नये एककों की स्थापना विदेशी सहयोग शर्तों की मंजूरी और पूंजीगत वस्तु समिति से निपटारे तथा कच्चे माल के आवंटन करने के प्रस्तावों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करने के लिए निवेदन किया था । सरकार इन मामलों के बारे में पहले से ही पूर्ण सजग है और इन प्रस्तावों का यथा संभव निपटारा करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

मुगलसराय स्टेशन पर इंजन कर्मचारियों द्वारा 'मंद गति से काम करो' हड़ताल

3234. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः क्लीनरों की पदोन्नति के मामले में कथित पक्षपात किये जाने से उत्तेजित होकर इंजन कर्मचारियों ने जनवरी, 1970 में 'मंद गति से काम करो' हड़ताल की थी जिसके परिणामस्वरूप मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर आने वाले और वहां से जाने वाले हजारों यात्री रुक गये थे ;

(ख) क्या इस मामले की जाँच की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) से (ग). जांच से यह पता चला है कि चूंकि प्रारम्भ में द्वितीय फायरमैन की कोटि में आकस्मिक रिक्तियों पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए कोई वरिष्ठ इंजन क्लीनर आगे नहीं आ रहा था इसलिए वरिष्ठता का विचार किये बिना सभी क्लीनरों में से वालंटियर बुलाये गये और जिन क्लीनरों ने स्वेच्छा से काम करना स्वीकार किया उनकी पदोन्नति के आदेश के विरोध में लोको शैड, पूर्व रेलवे, मुगलसराय के कुछ कर्मचारियों ने 11 जनवरी, 1970 की सुबह से काम बन्द कर दिया जिससे कुछ समय के लिए गाड़ियों का संचलन अस्त-व्यस्त हो गया । जब कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया कि किसी को परेशान नहीं किया जायेगा और जैसे ही वरिष्ठ कर्मचारी द्वितीय फायरमैन के स्थानापन्न पदों पर काम करने को प्रस्तुत होंगे, कनिष्ठ क्लीनरों को परावर्तित कर दिया जायेगा, तब वे काम पर वापस आ गये ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए निर्यात आर्डर

3236. **श्री जी० ब० कृष्णन : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तिरुचि बायलर प्लाट को विदेशों से निर्यात आर्डर प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ग) किन-किन देशों ने क्रयादेश दिये हैं ; और

(घ) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तिरुचिरापल्ली हाई प्रेशर वायलर प्लाट ने दी हाई प्रेशर वायलरों तथा हाई प्रेशर वैल्वों के लिए निर्यात आर्डर प्राप्त किये हैं।

(ख) 1968-69 में प्लांट में वैल्वों का 412 मी० टन तथा वायलर के पुर्जों का 14,940 मी० टन वार्षिक उत्पादन हुआ था। वर्ष के उत्पादन का कुल मूल्य 1697.50 लाख रुपये था।

(ग) वाल्वों के लिए जर्मनी तथा पोलैंड से क्रयादेश आये हैं जबकि मलयेशिया से वायलरों के लिए।

(घ) वायलरों के मामलों में लगभग 60 से 65 लाख रु० की तथा वाल्वों से लगभग 4.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है।

अंधों को बसाना

3237. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के प्रत्येक पांच अन्धे व्यक्तियों में एक भारतीय है ;

(ख) यदि हां, तो देश में अन्धे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) गत तीन वर्षों में अन्धों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी योजनाएं आरम्भ की और उन पर कितना धन खर्च हुआ और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने-कितने अन्धे व्यक्तियों का पुनर्वास हुआ ; और

(घ) इस बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). यद्यपि कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि नेत्रहीनों के कल्याण की विश्व परिषद् के अनुसार संसार में 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक नेत्रहीन व्यक्ति होंगे। अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 40 लाख नेत्रहीन व्यक्ति हैं।

(ग) नेत्रहीनों के पुनर्वास के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई थी। अलवत्ता, नेत्रहीनों के कल्याण तथा शिक्षा के लिए पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित नई परियोजनाएं प्रवर्तित की गई थीं :—

1. हरियाणा तथा केरल में नेत्रहीन बच्चों की सामंजित शिक्षा ; तथा
2. मद्रास में नेत्रहीनों के लिए चतुर्थ अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

(घ) चतुर्थ योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का विविधिकरण करके तथा वाचक पुस्तक पुस्तकालय, कृषि तथा ग्रामीण व्यवसायों इत्यादि जैसी कुछ नई सेवाएं शुरू करके नेत्रहीनों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय केन्द्र को और बढ़ाने का प्रस्ताव है। काफी संख्या में नेत्रहीन बच्चों को साधारण स्कूलों में रखने के लिए प्रयत्न किया जाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के उत्थान के लिये निर्धारित धनराशि का उपयोग न करना

3238. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिए निर्धारित धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उन्होंने निर्धारित राशि में से कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया है और उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार को वापिस लौटाई गई और उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया ; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उक्त धनराशि का उपयोग अपेक्षित प्रयोजन के लिये किया जायेगा सरकार का विचार उन राज्यों को उक्त प्रयोजन के लिये दी जाने वाली सहायता में अनुपातत: कमी करने या कोई और कार्यवाही करने का है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्। एक विवरण जिसमें 1966-67 से 1968-69 के दौरान किया गया परिव्यय तथा खर्च दर्शाया गया है, [**सभा पटल पर रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2894/70]

(ग) नहीं, श्रीमान।

बिड़ला उद्योगों के विस्तार के लिये अनुमति

3240. **श्री देवेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री बिड़ला उद्योगों के विस्तार के लिये अनुमति के सम्बन्ध में 9 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 508 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना अनेक स्रोतों से इकट्ठी की जानी है अतः पूर्ण सूचना इकठ्ठा करना सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी यह आशा की जाती है कि सूचना कुछ समय में प्राप्त हो जायेगी ।

Setting up of Projects for Manufacture of Telescopic Equipments

3241. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to set up a project for manufacturing telescopic equipments ;

(b) if so, the basis on which the said decision has been taken ; and

(c) the names of the various telescopic equipments necessity of which is felt in the different projects functioning in the country and the source from where the said equipments were being received up till now ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Administrative Delays in Welfare Programme

3242. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Welfare Programmes are also subjected to the administrative delays in his Ministry ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to set matters right ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). The administrative organisation is constantly making efforts to avoid delays.

टाटाओं द्वारा अमरीकी फर्म के सहयोग से प्रकाशन कम्पनी की स्थापना

3243. **श्री के० एम० अब्राहम** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री उमानाथ** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा न्यायों को अमरीका की पैंक्रग्रा-हिल पब्लिशिंग कम्पनी के सहयोग से एक प्रकाशन कम्पनी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) ऐसे सहयोग की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत करार की शर्तों के अनुसार इस कम्पनी में विदेशी विनियोजन 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और कम्पनी कुल प्रकाशनों की कम से कम 10 प्रतिशत की बिक्री विदेशों में करेगी ।

(ग) इस योजना से पाठ्य क्रम पुस्तकों के अच्छे लेखकों के प्रशिक्षण में सहायता मिलने तथा विदेशों को पुस्तकों के निर्यात व्यापार स्थापित करने में सहायता मिलने की आशा है ।

फूलबनी जिला (उड़ीसा) में रेल लाइनें

3244. **श्री अ० दीपा : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलबनी जिले के दूरवर्ती क्षेत्रों को उड़ीसा के अन्य भागों तथा अन्य राज्यों के साथ मिलाने के लिये रेलवे की पर्याप्त सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) और (ख). धन की कमी होने और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण फूलबनी जिले को जोड़ने वाली इस रेलवे लाइन के निर्माण पर विचार करना अभी संभव नहीं है ।

तालचेर से ब्रह्मपुर तक (उड़ीसा राज्य) रेलवे लाइन का निर्माण

3245. **श्री अ० दीपा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में तालचेर से ब्रह्मपुर (अनागुल-अथमलिक-पुरनिया-कटक-फूलबनी होते हुये) और खुर्द से बोलंगीर तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इन रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य में कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन रेल लाइनों का कार्य कब तक पूरा करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क), (ख) और (ग). धन की कमी होने और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण अभी इस तरह की रेलवे लाइन के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति

3246. **श्री स० मो० बैनर्जी : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कर्मचारियों की बकाया मांगों को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कर्मचारियों की मांगों की जांच करने तथा उन्हें तय करने के लिए हैवी इलैक्ट्रिकल (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में एक व्यवस्था तन्त्र है।

वेतन आयोग के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय के खिलाफ रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा विरोध

3247. **श्री स० मो० बैनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने वेतन आयोग नियुक्त करने के सरकार के निर्णय का विरोध किया है ;

(ख) क्या उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के लिए एक पृथक् मंजूरी बोर्ड की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). इस फेडरेशन से मिले अभ्यावेदनों में यह अनुरोध किया गया है कि :

(i) केवल रेल कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन आयोग नियुक्त किया जाये ताकि वह रेल सेवा की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार कर सकें।

(ii) यदि रेल कर्मचारियों के लिए अलग वेतन आयोग नियुक्त करना सम्भव न हो, तो नये वेतन आयोग को चाहिए कि वह मजदूरी का न्यूनतम और अधिकतम निर्धारित करे और साथ ही कुछ ऐसे अन्य पहलू निश्चित करे जो सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हों। न्यूनतम और अधिकतम के बीच वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों में संशोधन का काम तब द्विपक्षीय विभागीय समितियों पर छोड़ दिया जाये और साथ ही, यह व्यवस्था रहे कि विवाद होने पर मामले को अन्तिम निर्णय के लिये मध्यस्थ को सौंप दिया जायेगा।

(ग) चूंकि रेल कर्मचारियों की सेवा की शर्तें केन्द्रीय सरकार की सेवाओं से सम्बन्धित है, इसलिए केवल रेल कर्मचारियों के लिये एक अलग वेतन आयोग नियुक्त करना व्यावहारिक नहीं है। फिर भी, आशा है कि रेल कर्मचारियों की परिलब्धियों और उनकी सेवा की शर्तों पर जिन विशेष बातों का प्रभाव पड़ता है, उनपर आयोग द्वारा यथायोग्य ध्यान दिया जायेगा।

2 डाउन कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल रेलगाड़ी में कानपुर से प्रथम श्रेणी एवं तीसरी श्रेणी की अतिरिक्त बोगी लगाना

3248. **श्री स० मो० बेनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के कई संगठनों ने कानपुर से हावड़ा और कानपुर से दिल्ली चलने वाली दो डाउन कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल रेलगाड़ी में एक प्रथम श्रेणी एवं तीसरी श्रेणी की एक बोगी लगाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Survey of Bundelkhand Area in Madhya Pradesh

3249. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted or propose to conduct a survey of Bundelkhand area of Madhya Pradesh in connection with the Develooment of that area ;

(b) if so, the various types of industries likely to be set up there ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The Government of India have no proposal to conduct a survey of Bundelkhand area of Madhya Pradesh under their consideration.

(c) The assessment of the potentialities for industrial development in individual districts or parts of a State is undertaken by the State Government concerned through suitable agencies, as considered appropriate for the purpose.

बम्बई सेन्ट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनों पर मुख्य बुकिंग क्लर्क तथा मुख्य आरक्षण निरीक्षक के वेतनमान

3250. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री बम्बई सेन्ट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनों पर मुख्य बुकिंग क्लर्क तथा मुख्य आरक्षण निरीक्षक के वेतनमानों के बारे में 9 दिसम्बर, 1969 से तारांकित प्रश्न संख्या 486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) मुख्य आरक्षण निरीक्षक की मुख्य बुकिंग क्लर्क की तुलना में विशेष जिम्मेदारियां क्या हैं जिनके लिये उसे ऊंचा वेतनमान दिया गया है ;

(घ) मुख्य बुकिंग क्लर्क को, जो प्रतिदिन समस्त रोकड़—लगभग 10 लाख रुपये और करोड़ों रुपये के टिकटों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेवार हैं, आरक्षण निरीक्षक से कम वेतन देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उपर्युक्त कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) जी हां।

(ख) प्रति दिन अहमदाबाद स्टेशन पर लगभग 1,3 ,000 रुपये और बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन पर लगभग 1,50,000 रुपये की कुल रोकड़ का लेन-देन होता है। कर्मचारियों की हिफाजत में टिकटों के स्टाक का औसत मूल्य अहमदाबाद स्टेशन पर चार से साढ़े चार करोड़ रुपये तक और बम्बई सेन्ट्रल पर 8 से 10 करोड़ रुपये तक होता है।

(ग) से (ङ). मुख्य आरक्षण निरीक्षक और मुख्य बुकिंग क्लर्क कर्मचारियों की भिन्न-भिन्न कोटियों के होते हैं। उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी भी भिन्न-भिन्न होती है। इसलिए उनके वेतनमानों की तुलना करना उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, मुख्य बुकिंग क्लर्कों को वह वेतनमान दिया गया है जिसकी सिफारिश द्वितीय वेतन आयोग ने की थी जिन्होंने उनके मामले में विस्तार से विचार किया था। यद्यपि उन्होंने मुख्य आरक्षण निरीक्षकों के वेतनमान के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार नहीं किया, फिर भी उन्होंने सुझाव दिया था कि जिन कर्मचारियों के सम्बन्ध में उन्होंने विचार नहीं किया, उन्हें वैसी ही अन्य कोटियों के लिए सिफारिश किया गया वेतनमान दिया जाना चाहिए। मुख्य आरक्षण निरीक्षकों का तत्कालीन वेतनमान 300-400 रुपये था। द्वितीय वेतन आयोग ने वाणिज्य विभाग में 300-400 रुपये के वेतनमान में काम करने वाले अन्य निरीक्षकों के लिए 370-475 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की थी। तदनुसार मुख्य आरक्षण निरीक्षकों के लिए 370-475 रुपये का वेतनमान नियत किया गया।

पश्चिमी रेलवे में वाणिज्यिक-निरीक्षक

3251. **श्री चंद्रिका प्रसाद :**
श्री ओंकारलाल बैरवा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में विभिन्न वर्गों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) 450-575 रुपये और 370-475 रुपये के वेतनमानों में काम कर रहे वाणिज्यिक निरीक्षकों की संख्या कितनी है और आरम्भ में उनकी नियुक्ति किन पदों पर हुई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि वाणिज्य विभाग के हैड क्लर्कों की, वास्तविक दावेदारों की उपेक्षा कर, वाणिज्यिक निरीक्षकों के रूप में उच्च पदों पर पदोन्नतियां कर दी गई हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 450-575 रुपये और 370-475 रुपये के वेतनमानों वाले समस्त पद कार्यालय क्लर्कों से पक्षपात करने के उद्देश्य से केवल मुख्य कार्यालय में रखे गये हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो डिवीजनों को, जो व्यापार की दृष्टि से व्यावहारिक कार्य स्थान हैं इन पदों पर नियुक्ति के अधिकार न देने के क्या कारण हैं ; और

(च) रेलवे को यातायात पर होने वाली हानि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार व्यावहारिक कार्य को महत्व देने के बारे में विचार करेगी और अपनी नीति में परिवर्तन करेगी ; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) 100 ।

(ख) 450-575 रुपये के वेतनमान में दो और 370-475 रुपये के वेतनमान में एक । शुरू में ये सभी व्यक्ति क्लर्क के रूप में नियुक्त किए गए थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च). मण्डलों और मुख्यालयों में पदों का वितरण काम की मात्रा और पदों से सम्बद्ध काम की किस्म के आधार पर किया गया था । काम के हित में जब कभी आवश्यक समझा आता है पदों के वितरण में संशोधन किया जाता है ।

पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों की वाणिज्य निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति

3252. **श्री चंद्रिका प्रसाद :**
श्री ओंकारलाल बैरवा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या ई-834/4/13 दिनाँक 12-9-1969 में वाणिज्य क्लर्कों को वाणिज्यिक निरीक्षकों, सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों, सी०एम०आई० के रूप में पदोन्नत करने के लिए पदोन्नति क्रम की व्यवस्था की गई है ;

(ख) वाणिज्य क्लर्कों को छोड़कर कितने कर्मचारी वाणिज्यिक निरीक्षकों, सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों, सी०एम०आई०, असिस्टेंट रेंट इन्स्पैक्टरों, क्लेम ट्रेसरों के पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं, वे कब से इन पदों पर नियुक्त हैं और इनके कारणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) जब पर्याप्त संख्या में वाणिज्य क्लर्क उपलब्ध हैं, तो तदर्थ आधार पर कार्यालय क्लर्कों को पदोन्नत किए जाने का औचित्य क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य निरीक्षकों का नियमित रूप से चयन किया जाना जानबूझकर कुछ निहित स्वार्थ व्यक्तियों ने रोक रखा है जिनका मुख्यालय में प्रभाव है और गत सात वर्षों से कोई चयन नहीं किया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार तथ्यों का पता लगाने के लिए गृह-मन्त्रालय के किसी वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी द्वारा इस सारे मामले की जांच करवायेगी ; और

(च) कार्यालय क्लर्कों के स्थान पर वाणिज्य क्लर्कों की पदोन्नति करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) जी हाँ, पत्र अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** एल०टी० संख्या 3895/70।]

(ख) कोई कार्यालय क्लर्क-तदर्थ आधार पर वाणिज्य क्लर्क-सहायक वाणिज्य क्लर्क या दावा खोजी के रूप में काम नहीं कर रहा है। अपनी पदोन्नति-सरणि के अनुसार 130-300 (अ०) के वेतनमान के कार्यालय क्लर्क, जिन्हें रेट-सम्बन्धी काम की जानकारी होती है, सहायक रेट-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं, लिपिक संवर्ग के तीन कर्मचारी तदर्थ आधार पर 205-280 (अ०) के वेतनमान में रेट-निरीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं—एक नवम्बर, 1969 से और दो कर्मचारी फरवरी, 1970 से।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों की पात्रता और पदोन्नति सरणि में संशोधन करने का सवाल विचाराधीन होने के कारण प्रवरण को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

(ङ) और (च). सवाल नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में मुख्यालय और बम्बई मण्डल कार्यालय में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी

3253. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री पश्चिम रेलवे में मुख्यालय और बम्बई मण्डल कार्यालय में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त जानकारी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलज़ारी लाल नन्दा) : (क) से (घ). क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी कर ली गयी है लेकिन इसकी आगे जांच करने की जरूरत है।

बिजली की आर्क भट्टियों की क्षमता और उत्पादन

3254. **श्री प० ला० बारूपाल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में इस्पात की कतरनों पर आधृत कितनी बिजली की आर्क भट्टियां काम कर रही हैं ;

(ख) ढलवां इस्पात नरम इस्पात के ढेले/बिलैट तथा मिश्रित इस्पात के ढेले बिलैट बनाने की उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में, उनमें ढलवाँ इस्पात नरम इस्पात के ढेलों/बिलैटों तथा विशेष/मिश्रित इस्पात के ढेलों/बिलैटों का वार्षिक उत्पादन कितना रहा है ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल की पटरियों के लिये इस्पात की कमी

3255. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की कमी है और इसके कारण रेल की नई पटरियां बिछाने से बहुत देरी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने और इस प्रयोजन के लिये बहुत बड़ी मात्रा में इस्पात उपलब्ध करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) जी, हां । इस्पात की सामान्य कमी के कारण पथ के नवीनकरण, तथा नये कामों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) जब कभी कठिनाई आती है तब उसे दूर करके इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार अनेकों प्रयत्न कर रही है । हाल ही में पुनर्वेलकों को पथ-जोड़ने का साज-सामान बनाने हेतु 6,000 टन बिलेट प्रति मास देने का निर्णय किया गया है ।

मंगलौर रेलवे स्टेशन का बढ़ाया जाना और हसन-मंगलौर रेलवे लाइन का पूरा किया जाना

3256. **श्री अदिचन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर रेलवे स्टेशन और मंगलौर पत्तन परियोजना को बढ़ाने और उसमें सुधार करने और हसन मंगलौर रेलवे लाइन को पूरा करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) हसन मंगलौर रेलवे लाइन का निर्माण करने का काम कब आरम्भ किया गया था ;

(ग) इसके निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और उक्त लाइन के निर्माण पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई ; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—2896/70]

(ख) मंगलौर-पनम्बूर लाइन का निर्माण अक्तूबर, 1963 में और हसन-मंगलौर मुख्य लाइन का निर्माण फरवरी, 1965 में शुरू किया गया था ।

(ग) जनवरी, 1970 तक मंगलौर-पनम्बूर सम्पर्क लाइन पर कुल मिला कर 81 प्रतिशत और हसन-मंगलौर मुख्य लाइन पर 50 प्रतिशत काम हुआ । समूची रेलवे परियोजन पर, जनवरी 0 तक 12.02 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ।

(घ) पत्तन परियोजना का काम पूरा होने के साथ-साथ लाइन का काम भी पूरा हो जायेगा ।

पुनर्वेलन मिलों को रेल की पुरानी लाइनों की सप्लाई

3257. **श्री यशपाल सिंह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पुनर्वेलन मिल संघ के अध्यक्ष ने पुनर्वेलन मिलों में इस्पात की कमी को दूर करने के तरीकों के रूप में पुनर्वेलन मिलों को रेल की पुरानी लाइनों को सप्लाई करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रात्रय का विचार इस बारे में उस एसोसिएशन से पत्र-व्यवहार करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) इस विषय पर इस्पात पुनर्वेलन मिल संघ के साथ कुछ पत्र व्यवहार हुआ है । समय-समय पर पुरानी रेल की पटरियों को रेल विभाग पुनर्वेलकों को पुनर्वेलन के लिये नीलाम करता है । हाल में पुनर्वेलकों को रेल पथ के लिए साज़-सामान बनाने के लिये प्रतिमास 6,000 टन बिलेट देने का निर्णय किया गया है । इसके बदले रेलवे विभाग प्रतिमास 9,000 टन पुरानी रेलें संयंत्र समिति द्वारा अपरीक्षित रेलों के लिये निर्धारित दर पर पंजीकृत बिलेट पुनर्वेलकों को आबंटन करने के लिये कामन पूल को देगा ।

(ख) जी, नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

रैस्ट्रिकटिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कोर्ट स्थापित करना

3258. **श्री यशपाल सिंह** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान टाटा उद्योग समूह के आर्थिक सलाहकार डा० एफ० ए० मेहता के इस सुझाव की ओर दिलाया गया कि एकाधिकार आयोग के स्थान पर रेस्ट्रिकटिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कोर्ट को स्थापना की जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). डा० एफ० ए० मेहता द्वारा किये गये सुझावों की प्रकृति सरकार के

नोटिस में नहीं आई है। तथापि, गत वर्ष संसद द्वारा पारित, एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, में एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक यापार प्रक्रिया आयोग के निर्माण की व्यवस्था है। आयोग को, निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं की जांच-पड़ताल के विषय में, व्यवहार न्यायालय को शक्तियां सौंपी गई है, तथा यह संतोष हो जाने पर कि यह प्रक्रियायें जनता के हितों के प्रतिकूल है, तो यह अपने आदेश से यह निदेश दे सकता है कि प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी अथवा, दोबारा नहीं की जायेगी। यह उपबन्ध, संसद की संयुक्त समिति तथा संसद द्वारा अनेक वैकल्पिक सुझाव पर विचार करने के पश्चात, बनाये गये थे।

कलाई पर बांधी जाने वाली इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण

3259. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलाई पर बांधी जाने वाली इलैक्ट्रानिक घड़ियां वर्ष 1971 तक भारतीय बाजारों में आ जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये घड़ियां सरकारी क्षेत्र में बनाई जायेंगी ; अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) इस उपक्रम का पूरा ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). इलैक्ट्रोनिक हाथ घड़ियों का सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास नहीं है।

गैर सरकारी समवायों का पंजीकरण

3260. **श्री एस० आर० दामानी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1969 से 31 जनवरी 1970 तक गैर सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियों का पंजीकरण हुआ और उनकी स्वीकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों की उपर्युक्त अवधि की तुलना में यह संख्या कम है अथवा अधिक है ;

(ग) उद्योग-वार पूंजी का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि उद्योग पहले की तरह संस्थागत धन का निर्बाध रूप से प्रयोग करने के मामले में हिचकिचाहट महसूस करता है ; और

(ङ) यदि हां तो इस स्थिति के कारण क्या हैं और देश की अर्थ व्यवस्था के हित में और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1 अप्रैल, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक को दस मासों की अवधि के मध्य, एक हजार दो सौ तेरह हिस्सों द्वारा सीमिति कम्पनियां, 175.82 करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी सहित, निजी निगम क्षेत्र में पंजीकृत हुई थी।

(ख) गत तीन वर्षों की इसी अवधि के मध्य, स्थिति, नीचे प्रदर्शित है :—

(करोड़ रु० में)

अवधि	पंजीकृत कम्पनियों की संख्या	अधिकृत पूंजो
1. 31 जनवरी, 1967 को समाप्त दस मासों में	834	81.89
2. 31 जनवरी 1968 को समाप्त दस मासों में	846	84.45
3. 31 जनवरी 1969 को समाप्त दस मासों में	907	155.37

(ग) इन नवीन पंजीकृत कम्पनियों का इनकी अधिकृत पूंजी सहित, उद्योग-अनुसार विसर्जन सभा-पटल पर रखा गया [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2897/70**]

(घ) नहीं, श्रीमान्। वास्तव में, भारतीय विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्तीय निगम, द्वारा निजी क्षेत्र की कम्पनियों को, स्वीकृत की गई ऋण सहायता, 1967-68 से 88.13 करोड़ रुपयों की राशि की थी। इस संस्थानों द्वारा, 1968-69 में स्वीकृत ऋण-सहायता, 111.16 करोड़ रुपये तक बढ़ गई।

भारतीय विकास बैंक द्वारा, ब्याज दर को कम करके तथा पुनर्वित्त को न्यूनतम सीमा को घटा कर व पुनः पूर्वग्रापण की सुविधायें देकर, इस प्रकार की ऋण सहायता में और वृद्धि करने तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा, विभिन्न प्रकार की ऋण सहायता को देने की बाबत, इसकी प्रक्रियाओं की और सरलीकरण बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई-हावड़ा डाक गाड़ी के लिये डीजल इंजन

3261. **श्री पाशाभाई पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई से बरास्ता नागपुर हावड़ा से जाने वाली डाक गाड़ी अब डीजल इंजन द्वारा चलाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप इसमें तीन डिब्बे और लगाये जा सकते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : जी हां।

Setting up of an Industrial Estate in Khandwa (Madhya Pradesh)

3262. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khandwa Town in East Nimar District of Madhya Pradesh has been selected for the setting up of an Industrial Estate there ;

(b) the number of small industries which could be established in the said Industrial Estate :

(c) whether the Central Government have granted any financial aid for this Industrial Estate ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Yes, Sir. A proposal for the establishment of an Industrial Estate at Khandwa is under the consideration of Government of Madhya Pradesh who have requested the small Industries Service Institute, Indore to conduct a technoeconomic survey of the area.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Share Capital of Central Government in State Road Transport Corporation of Madhya Pradesh

3263. **Shti G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent of shares of the Government of India in the capital of the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation ;

(b) the authority which represents the Central Railway on the Corporation ;

(c) whether it is a fact that the persons having no experience in commerce have been appointed to the posts of Chairman, General Manager and Branch Manager as a result of which the Corporation is running in loss ; and

(d) if so, whether, with a view to increasing the income of the Corporation, the Union and State Governments propose to make appointments to these key posts from among the persons possessing commercial knowledge ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) The Railways share in the total capital invested in the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation to end of March, is Rs. 2,58,87,000.

(b) Central Government (Railway) is represented on the Board of Directors of the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation by (i) Marketing and Sales Superintendent and (ii) Deputy Chief Accounts Officer (Traffic) of the Central Railway.

(c) and (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Setting up of Cement Industries in Madhya Pradesh

3264. **Shri G. C. Dixit :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether some proposal re: the setting up of new cement industries in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan is under consideration of Government ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) the places where the said Industries are likely to be located ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir. The cement plant at Mandhar which had received Government's approval earlier is expected to come into commercial production in April, 1970.

(b) and (c). Do not arise.

Fast Trains on Khandwa—Ajmer Line

3265. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that initial trials indicate that the speed of the trains running on the Khandwa-Ajmer line could be accelerated ; and

(b) if so, whether Government propose to run fast trains on this line ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

Allotment of Funds to Madhya Pradesh for Scholarship to Adivasi Students

3266. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state the funds allocated by the Central Government to the Madhya Pradesh Government for the current financial year to enable that State to award scholarships to those adivasi students who are receiving education in colleges in various States ?

The Minister of State in the Department of Law and Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : In addition to the amount of Rs. 11.66 lakhs committed to the State's non-plan budget, a sum of Rs. 2.50 lakhs has been allocated by the Central Government to Madhya Pradesh for the year 1969-70 for award of post-matric scholarships to Scheduled Tribe students. This covers Scheduled Tribe students studying in the State and outside the State as well.

सरकारी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के लिये उद्योग आरम्भ करना

3267. **श्री रवि राय : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों को सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के कारखाने खोलने के बारे में पत्र लिखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). संशोधित लाइसेंस नीति में जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है, औद्योगिक निती संकल्प, 1956 में सम्मलित क्षेत्रों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । उत्पादन करने वाले विभिन्न मंत्रालयों को एक सुझाव दिया गया है कि वह कम अवधि में पनपने वाली ऐसी परियोजनाओं की जिसमें उपरोक्त उद्योग भी सम्मलित हों अपने हाथ में लेने की संम्भावनाओं की जांच करें जिनके फल शीघ्र ही मिलने लगें जिससे की आगामी कुछ वर्ष में होने वाले उत्पादन के अन्य व्यवधान को जहां तक संभव हो पूरा किया जा सके, इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ।

एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम बदलना

3268. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के नाम बदल दिये गये हैं जैसे 'बम्बई एक्सप्रैस' का नाम बदल कर दादर एक्सप्रैस रख दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन नामों को बदलने की क्या आवश्यकता थी ; और

(ग) क्या ये परिवर्तन किये जाने से पूर्व किसी सलाहकार समिति ने जिसमें लोक प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों इस मामले पर विचार किया ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). जी हां, कुछ गाड़ियों के नाम बदले गये हैं। ऐसा उनके टर्मिनल स्टेशन में परिवर्तन होने या भौगोलिक/ऐतिहासिक स्थान जिनसे होकर वे गाड़ियां गुजरती हैं उनका ध्यान रखते हुए किया गया है।

(ग) जी नहीं।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Teaching Staff in Various Types of Educational and Technical Schools

3269. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry runs various types of educational and technical schools ;

(b) if so, the category-wise number of teachers in Middle Schools, High Schools, Higher Secondary Schools, Intermediate Colleges and Technical Schools ;

(c) whether all the posts, reserved in the grades of Teachers, Lecturers, Assistant Headmasters, Headmasters, Instructors, etc, in the above schools for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates have been filled by the candidates belonging to these communities ; and

(d) if so, the details in this regard and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Cost Accountancy Diploma Courses

3270. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 331 on the 2nd December, 1969 regarding Cost Accountancy Diploma Courses and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the complete details thereof ; and

(c) if not, the reasons for this inordinate delay ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes Sir.

(b) A statement furnishing the requisite information laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* No. LT—2898/70].

(c) Does not arise.

Employees Working against Post carrying Pecuniary Benefits

3271. **Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :**

(a) the number of Officers, category-wises, in the Departments and Attached Offices under his Ministry who have been working against the posts carrying additional pecuniary benefit for the last three years ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred in pursuance of the Home Ministry's D. O. Letter No. 11/3/57—O and M dated the 6th September, 1957 ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) These are as under :—

(i) Department of Industrial Development	Investigator (TMP)	Ome*
	Cashier	One
	Investigators	Two
	Parliament- Assistant	One
(ii) Department of Company Affairs	Cashier	One
(iii) Small Scale Industries Organisations	Cashier	One
(iv) Directorate General of Technical Development	Class I (Technical Officer)	One
	Class II (Non-gazetted) (Cashier)	One
(v) Economic Adviser	Cashier	One

(b) *They are continuing in these posts in public interest.

**Class I —Due to specialisation in the work attached to the post.

Cla s II—Due to the non-availability of a suitable officer.

Conference of Chairman of State Social Welfare Advisory Boards held in Delhi

3272. **Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that a Conference of the Chairman of the State Social Welfare Advisory Boards was organised on the 17th February, 1970 in Delhi ; and

(b) if so, the details of the subjects discussed and decisions taken in the said Conference ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir. The Conference was held on February 17 and 18, 1970 in New Delhi.

(b) The Conference discussed the implementation of the various programmes of the Central Social Welfare Board namely :—

(i) Grants-in-aid to Voluntary Institutions.

(ii) Holiday-Camps.

(iii) Welfare Extension Project Centres handed over to Mahila Mandals.

(iv) Welfare Work in Border Areas.

(v) Welfare Programmes in Gram Dan Villages.

(vi) Condensed Courses of Education for Adult Women.

(vii) Socio-Economic Programme.

(viii) Welfare Extension Projects (Urban).

(ix) Family and Child Welfare Projects.

(x) Training of persons for Family and Child Welfare Projects and other training programmes.

(xi) Welfare Extension Projects (Rural).

(xii) Special Child Welfare Schemes.

Besides, the Conference also discussed the Administration of the State Social Welfare Advisory Boards and the guidelines for new programme to be taken up in future. The Conference made some recommendations and suggestions, placed in the Library. [*Placed in Library. See* No. LT—2899/70].

Running of Deluxe Trains on Main Lines and Quota for Members of Parliament

3271. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament had written a letter to the former Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh, and requested him that the Deluxe trains running on main lines should be run twice a week and a quota be fixed for the Members of Parliament travelling by those trains ;

(b) whether Government have looked into the matter referred to in the said letter ; and

(c) if so, the details of the decision taken by Government in this connection ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Prior to 1-4-69, all the 3 trips of the A. C. Express between Howrah and New Delhi were operated *via* the shorter and operationally more convenient route *viz.* the Grand Chord on the Eastern Railway and *via* Mirzapur on the Northern Railway. Diversion of one of the trips *via* Patna from 1-4-1969 and the remaining two trips *via* Janghai/Varanasi from 1-10-1969 in response to persistent public demands, has already resulted in an extremely tight margin for the rake maintenance at Howrah. Diversion of still one more trip *via* Patna will further reduce the existing bare maintenance time. Besides, non-availability of a platform at Howrah on the week days for the diverted service also militates against the proposal.

The accommodation available in the only first class coach running on this train being very limited, it has not been found feasible to set aside a specific quota for Members of Parliament. However, a quota of two seats in the air-conditioned chair cars and four berths each in the third class 3-tier and 2-tier sleeper coaches have been set aside on 82/104 Dn. for the Parliament House Railway Booking and Reservation Office to meet the requirements of M.Ps.

औद्योगिक एककों का वर्गीकरण और उनमें पूंजी निवेश

3274. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विभिन्न औद्योगिक एककों का बड़े मध्यम दर्जे के और लघु एककों के रूप में वर्गीकरण का तरीका क्या है ;

(ख) सरकारी वर्गीकरण के अनुसार वर्ष 1966-67 से वर्ष 1968-69 तक राज्यवार तथा वर्षवार भारत में बड़े, मध्यम दर्जे के और लघु औद्योगिक एककों की संख्या कितनी थी ;

(ग) इसी अवधि में राज्यवार तथा वर्षवार भारत में बड़े, मध्यम दर्जे के और लघु औद्योगिक एककों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई ;

(घ) क्या यह सच है कि टाटा, गोयनका, साहू जैन तथा अन्य कुछ बड़े-बड़े व्यापार गृहों के नियन्त्रणाधीन बहुत से औद्योगिक एककों में 7.5 लाख से कम पूंजी लगी हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ये औद्योगिक एकक भी लघु औद्योगिक एककों के वर्ग में आते हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) 18 फरवरी, 1970 को घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार वे एकक लघु उद्योग एकक माने जाते हैं । जिनके संयंत्र तथा मशीनों पर विनियोजन 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है । जहां तक दरम्याने तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रश्न है उनमें विभेद की कोई निश्चित रेखा नहीं खीचीं जा सकती क्योंकि अधिकाँश मामलों में यह उद्योग के प्रकार पर निर्भर करता है । फिर भी संशोधित लाइसेंसीकरण नीति में ऐसे औद्योगिक एककों जिनकी अचल आस्तियां 1 करोड़ रुपये तक है उन्हें काफी रियायतें दी गई हैं । ऐसे एकक दरम्याने पैमाने के क्षेत्र में रहेंगे बल्कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योग भी आयेंगे जिनमें विनियोजन 1 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हैं । एक ही एकक में 5 करोड़ रुपये से अधिक विनियोजन के प्रस्ताव को संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत भारी विनियोजन क्षेत्र में रखा गया है और वह अनिवार्यतः बड़े पैमाने के उद्योग समझे जाते हैं ।

(ख) तथा (ग). हाल ही में घोषित संशोधित वर्गीकरण को दृष्टिगत रखते हुए जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) कम्पनियों की बहुत बड़ी संख्या जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की परिभाषा में बड़े बड़े औद्योगिक समूहों से सम्बन्धित अथवा नियन्त्रित समझी जाती है में पूंजीगत विनियोजन 7.5 लाख रुपये से कम है और इन में से बहुत से एकक निर्माण एकक नहीं हैं । ऐसे निर्माण एककों जिन के संयंत्र तथा मशीनों पर पूंजीगत विनियोजन 7.5 लाख रु० से कम है और वे औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की परिभाषा अनुसार बड़े बड़े उद्योग समूहों से सम्बन्धित अथवा नियन्त्रित हैं का विस्तार पूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ङ) स्वतन्त्र लघु उद्योग एककों तथा ऐसे एककों जो कि बड़े पैमाने की कम्पनियों की सहायता से स्थापित किए जाते हैं के बीच भेद करने के लिए निम्नलिखित मापदण्डों का प्रयोग किया जाता है ।

1. जो एकक ऐसी कम्पनी का अधीनस्थ अथवा सहायक हो जो कम्पनी लघु उद्योग की परिभाषा में न आती हो ;
2. जिस एकक की पूंजी का अधिकांश भाग ऐसी एक या एक से अधिक फर्मों के हाथ में हो जो कि लघु उद्योग एककों की परिभाषा में न आती हो ;
3. जिस एकक के आर्थिक विवरण से यह स्पष्ट हो कि इसकी पूंजी अथवा ऋण एक अथवा एक से अधिक ऐसी कम्पनियों से अन्तर्सम्बन्धित हो जो कि एक ही प्रबन्धकों के अधीन हों और जहां ऋण उन एककों के उत्पादन से इतर कार्यों के लिये लिए हों ।
4. जिन एककों को ऋण की गारन्टी बड़े औद्योगिक एककों द्वारा अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई हो जिनके पास साधन प्रचुर मात्रा में हो ।

ऐसे औद्योगिक एकक जो कि उपरोक्त वाली श्रेणी में अथवा उपरोक्त किसी भी मापदण्डों के अन्तर्गत आते हैं लघु उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के हकदार नहीं होंगे ।

हल्दिया पतन के आस पास के क्षेत्रों का औद्योगिक सर्वेक्षण

3275. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल में हल्दिया में प्रस्तावित सहायक पत्तन वाले क्षेत्रों और उसके आसपास वाले क्षेत्र में औद्योगिक सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में कौन-कौन से बड़े और छोटे उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने हल्दिया क्षेत्र का मुख्य औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए अल्प तथा दीर्घ अवधि वाली कोई योजनायें बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की योजना बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत सरकार ने प्रस्तावित हल्दिया बन्दरगाह में तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में औद्योगिक विभवों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । तथापि पश्चिमी बंगाल सरकार ने हल्दिया क्षेत्र

के औद्योगिक विकास को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था और इसे सिद्धान्त रूप से मान लिया गया हैं और इसके लिये बड़े पैमाने तथा दरमियाने पैमाने के लिए आवंटित की राशि की सीमा में आवंटन किया गया है। राज्य सरकार का यह विचार है कि हल्दिया बन्दरगाह के चालू होने तथा तेल शोधक कारखाने, उवर्रक कारखाने आदि के लगने से बहुत से इंजीनियरी उद्योगों, पेट्रो रसायन उद्योगों तथा अनेक सहायक उद्योग स्थापित होने की आशा है यदि उन्हें आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें। इन उद्योगों की स्थापना के लिये कोई विशिष्ट योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 15 लाख रुपये तथा वार्षिक योजना 1969-70 के लिये 'बड़े औद्योगिक क्षेत्रों' की मद में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की है। हल्दिया क्षेत्र के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं दिखाया गया है। केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में तेल शोधक कारखाने के लिये 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और हल्दिया में स्थापित किये जाने वाले ल्यूब आयल संयन्त्र के लिए 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तेल शोधक कारखाने का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में हल्दिया में उरर्वक कारखाने की स्थापना भी विचाराधीन है।

लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का एक करोड़ रुपये तक पूंजी वाले उद्योगों पर प्रभाव

3276. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जय सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल में उद्घोषित लाइसेंस समाप्त करने की नई नीति से ऐसे कितने औद्योगिक एककों को लाभ पहुंचेगा जिनमें 1 करोड़ रुपये तक की पूंजी लगी है ; और

(ख) इनमें से कितने एकक तथा कथित बड़े समवाय समूहों विशेषतः बिड़लाओं, डालमिया तथा टाटाओं के हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ख). औद्योगिक लाइसेंसकरण की उदार नीति की घोषणा हाल ही में की गई है जिसके अन्तर्गत उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंसीकरण के उपबन्धों से दूर थी सीमा कुछ शर्तों के आधीन, 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। अतः यह आंकना कि सरकार द्वारा घोषित ढील से वास्तव में कितने एककों को लाभ होगा, समय पूर्व ही है। जहां तक बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों के एककों का सम्बन्ध है, संशोधित नीति की छूट के उपबन्ध उन पर लागू नहीं होती।

पांच करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले औद्योगिक एकक

3277. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चल रहे ऐसे औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है जिनकी पूंजी पांच करोड़ से अधिक है :

(ख) उनमें से कितने बड़े-बड़े व्यापारिक गृह बिड़ला और डालमिया के हैं और उनके नाम क्या है ; और

(ग) उन एककों की भारी विनियोजन क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लाने के लिये सरकार को कितनी धन-राशि का अंश दान करना पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 31-12-1966 को बैंकिंग कम्पनियों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 237 कम्पनियां 5 करोड़ रु० या अधिक की परिसम्पतियों वाली थीं। प्रतिवेदन की परिभाषा के अनुसार इनमें से 116 कम्पनियां बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित हैं अथवा उनके द्वारा नियन्त्रित है। इन कम्पनियों का ब्यौरा रिपोर्ट के अनुबंध 11—क (1) में दिया गया है जिसकी प्रतियां पहले ही माननीय सदस्यों को दे दी गई है।

(ग) रालटी में घोषित संशोधित लाइसेंस नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्येक विनियोजन को भारी विनियोजन क्षेत्र के अन्तर्गत माना जायेगा अन्यों के साथ ही इस क्षेत्र के बड़े औद्योगिक अन्यों के साथ ही गृहों के अथवा उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। साथ ही सरकार ने सिद्धान्त रूप में संयुक्त क्षेत्र को भी स्वीकार कर लिया है तथा इस बात का सुनिश्चय किया जायेगा कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं से प्रर्याप्त सहायता पाने वाली अधिकांश परियोजनाओं के प्रबन्ध में अधिकांश हिस्सेदारी होती है तथा यह भी कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं, अपने वित्तीय सहायता प्रबन्धों के रूप में, निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर भविष्य में पदत्त ऋण तथा जारी किए गये ऋण पत्रों को, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, इक्विटी में परिवर्तन करने के लिए स्वनिर्णय का प्रयोग कर सकेंगी। पहले दिये गये ऋणों तथा ऋण पत्रों के बारे में, सम्बन्धित वित्तीय संस्थायें त्रुटि वाले मामलों में परिवर्तन के समझौते के लिए स्वनिर्णय से काम करेंगी। संयुक्त क्षेत्र परिधि के सप्रत्याय के अन्तर्गत सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा का निर्धारण करना उनके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्वभाव तथा आकार पर निर्भर करेगा और अभी से ही इस प्रकार के योगदान का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

व्यापार-गृहों पर प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली को समाप्त करने का प्रभाव

3278. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली को 1 अप्रैल, 1970 से समाप्त किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रभाव कितने व्यापारिक गृहों पर पड़ेगा तथा इनमें से कौन-कौन से विशेषतया बिड़ला, डालमिया और टाटा द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अनुसरण में, वर्तमान प्रबंध अधिकर्ताओं/सचिव व कोषाध्यक्षों के पदों की अवधि, अप्रैल, 1970 के तृतीय दिवस को समाप्त हो जायेगी ।

(ख) चूंकि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त होने जा रही है, अतः सभी प्रबन्ध अभिकरण गृह इससे प्रभावित होंगे । बिड़ला, डालमियां तथा टाटा समेत, वृहदतर औद्योगिक गृहों के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकरणों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिखाये गये है ।

Survey for Broad Gauge Line from Muzaffarpur to Narkatiaganj (North Eastern Railway)

3279. **Shri K. M. Madhukar** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have since completed the survey work relating to the construction of a broad gauge Railway line from Muzaffarpur to Narkatiaganj ;

(b) if so, the complete details in this regard ;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor and the time by which the experts are likely to submit their report in this connection ;

(d) whether copies of the said report would be made available to Members of Parliament ; and

(e) if so, by which time and, if not, the reason therefor ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Engineering and Traffic Surveys for the conversion of the Samastipur-Raxaul M. G. section *via* Muzaffarpur and Darbhanga, were sanctioned in April, 1969. The surveys are in progress and are likely to be completed by September, 1970. The section beyond Raxaul to Narkatiaganj is not being surveyed. The survey report are expected to be finalised by November, 1970.

(d) and (e). Survey reports are of too technical a nature and also voluminous. These are exclusively meant for limited distribution for Departmental use.

Waiting room and amenities at Sagauli Station (North Eastern Railway)

3280. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nepal-bound trains and the Narkatiaganj-bouud trains leave from the Sagauli Junction on the North-Eastern Railway ;

(b) if so, the reasons for which the Waiting Rooms, Shed on the Platform and facilities of public conveniences have not been provided on the said junction of national and international importance ;

(c) whether the attention of Government was ever invited to the said needs ;

(d) if so the steps taken so far to ensure that all the foreign tourists proceeding to Nepal are provided with the necessary facilities ; and

(e) what additional facilities are likely to be provided at the said junction.

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Passengers for Narkatiaganj and Nepal (*via* Raxaul) are cleared *via* Sagauli station, through various trains.

(b) Platform shed masuring 85′—6″×24′—9″, an upper class waiting room and other passenger amenities like 3rd class waiting hall, benches, drinking water facilities, adequate lights etc. already exist at this station.

(c) Yes.

(d) The existing passenger amenities at the station are considered adequate for the present level of traffic.

(e) Does not arise.

Sale of Platform Tickets at Narkatiaganj Station (N. E. Rly.)

3281. Shri **K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Platform tickets are not available at any corner of the Narkatiaganj Junction of the North Eastern Railway as a result of which the passengers have to go to the centre of the Platform for purchasing a Platform ticket and the Ticket Collectors and other Railway officials harass the public and even to the staff sometimes ;

(b) if so, whether Government propose to take some steps to provide facilities to the public in this respect and to give relief to the staff as also ensure observance of rules in a proper manner ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No. Platform tickets are available and are being sold at the Booking office situated at the junction end of Narkatiaganj station. There is a proper approach road upto the Booking office.

(b) to (d). Do not arise.

Accumulation of Water on Road from Bazar to Chakia Station on Muzaffarpur-Narkatiaganj Line (North-Eastern Railway)

3282. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the road from Bazar to Chakia Station on the Muzaffarpur-Narkatiaganj line of the North-Eastern Railway is so low that water accumulates there during rains and as result the passengers are greatly inconvenienced ;

(b) if so, the reasons for which no action has so far been taken in this connection ;

(c) whether Government now propose to take any action in this regard in the near future and, if so, by what time ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No; the road falling within the Railway boundary at Chakia station has already been raised and no inconvenience is caused to the passengers.

(b) to (d). Do not arise.

नये ट्रैक्टर कारखाने लगाने के लिये लाइसेंस जारी करना

3283. **श्री वेदव्रत बरूआ** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले नये कारखानों के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों में उत्पादन कब से आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्पादन वर्ष में प्रति वर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) ट्रेक्टरों के निर्माण की आठ नई योजनाओं को फरवरी 1968 में सिद्धान्त रूप से स्वीकृत किया गया था ।

(ख) प्रत्येक योजना को उत्पादन प्रारम्भ करने में लगभग तीन से चार वर्ष का समय लगेगा ।

(ग) इस अवस्था में उनके प्रथम तीन वर्ष के उत्पादन का अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि यह अनेक प्रकार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है जोकि आगामी कुछ वर्षों में उत्पन्न होगी ।

बोकारो इस्पात कारखाना

32ु4. **श्री वीरेन्द कुमार शाह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम 13 अक्तूबर, 1964 को रूस को दिया गया था ;

(ख) क्या उपर्युक्त करार के एक खण्ड में यह लिखा था कि "रूस के सिद्धातों मानको, तथा विनियमों..." के अनुसार ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा ;

(ग) क्या इस कार्य का एक असन्तोष जनक परिणाम यह है कि इस से रूस उन विशिष्ट विवरणों के संबंध में भी कठोर रवैया अपना सकता हैं, भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जिनका पालन नहीं किया जा सकता ; और

(घ) यदि हाँ, तो जब कभी तकनीकी रूप से सम्भव हो विशिष्ट विवरणों के संबंध में रवैया अपनाने के लिये रूस को सहमत करने हेतु प्रयत्न करेगी और सभा के समक्ष ऐसे उदाहरण रखेंगे जहां-जहां रूस इस प्रकार का नरम रवैया अपनाने पर सहमत हो गया हो ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किए गए करार की सम्बद्ध धारा के अनुसार विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन सोवियत संघ के सिद्धान्तों, मानकों तथा विनियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो ।

(ग) जी नहीं । भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में विवरण सोवियत संगठन को करार के साथ-साथ दे दिया गया था और इस पर न केवल उन द्वारा ही विचार किया गया बल्कि भारतीय पक्ष ने भी सोवियत संगठन द्वारा तैयार प्रायोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करते हुए इसे ध्यान में रखा है ।

उपर्युक्त संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता । फिर भी कुछेक मामलों में, आपसी बातचीत के बाद सोवियत संगठन कार्य की शीघ्र पूर्ति के लिए विशिष्ठ विवरणों में कुछ ढील देने को सहमत हो गये हैं । सोवियत संगठन द्वारा आरंभ में निर्धारित भारतीय मानक 2062 के इस्पात के उपयोग के बारे में ढील ऐसा एक उदाहरण है । बाद में वे भारतीय मानक 226 के इस्पात का उपयोग करने पर सहमत हो गए । देशीय निर्माताओं द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उष्मसहों के लिए निरीक्षण मानकों में ढील देने के लिए सहमत होना ऐसा दूसरा उदाहरण है ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन

3285. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का ठेका रूस को दिया गया था और रूस द्वारा बनाई गई विशिष्टियों के अनुसार सभी ब्यौरा तैयार करने की उन्हें अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या यह सोचे समझे बिना कि रूस द्वारा बनाई गई विशिष्टियां हमारे अनुकूल हैं अथवा नहीं, हमने बाद में प्राप्त हुए ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया था ;

(ग) क्या बोकारो इस्पात कारखाने को कोयला सप्लाई करने के बारे में रूस द्वारा बताई गई विशिष्टियां इतनी कठिन है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं और इसी कारण से रूसी बोकारो इस्पात कारखाने के कार्य संचालन के बारे में गारन्टी देने को तैयार नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो रूस को इस बात पर राजी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि वह अपना कठोर रवैया छोड़ दे, विशिष्टियों में उचित परिवर्तन करने पर सहमत हो जाये जिससे बोकारो परियोजना चालू करने में और अधिक विलम्ब न हो ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) और (ख). रूसी संगठनों द्वारा विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु दिनांक 13 अक्तूबर, 1964 के करार के अनुसार अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन रूसी मानकों और नियमों के अनुसार तैयार किया जायगा । ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि रूसी संगठनों को डिजाइनों और उपकरणों के कार्यफल की गारंटी करनी थी । ऐसा करते समय भारतीय ठेकेदार का भी पूरा ध्यान रखा गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो के लिए कोयला सप्लाई करने के बारे में रूस द्वारा निर्धारित विवरण

3286. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो के लिये कोयला सप्लाई करने हेतु रूस ने ऐसी कड़ी शर्तें लगाई हैं कि हम उनको पूरा करने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या रूसी सम्बन्ध में बोकारो के कार्य के बारे में कोई गारन्टी देने से इंकार कर रहे हैं ;

(ग) क्या कोयला नियन्त्रक विभाग एक वरिष्ठ अधिकारी ने रूसियों की इन शर्तों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था परन्तु उसकी अस्वीकृति को माना नहीं गया ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिकारी की अस्वीकृति को न मानने के क्या कारण हैं और क्या अभी हाल में हुई घटनाओं को देखते हुए उसकी अस्वीकृति अभी वैध होगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) से (ग). जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वोकारो इस्पात कारखानों का परियोजना प्रतिवेदन

3287. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वोकारो इस्पात कारखाने का ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का ठेका हमने रूस को दे दिया था और रूस के विशिष्ठ विवरण के अनुसार परियोजना का सभी ब्यौरा तैयार करने की उन्हें अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या उपर्युक्त ठेके की शर्तों के अनुसार बिना किसी संशोधन के परियोजना का ब्योरेवार प्रतिवेदन हमने स्वीकार कर लिया था ;

(ग) क्या रूसी सलाहकारों ने गतित : लोड किये गये स्ट्रक्चरों के लिए एल० डी० कन्वर्टरों में रूरकेला में निर्मित आई० एस०—226 के अनुरूप इस्पात का उपयोग किये जाने पर अब आपत्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो रूस को इस बात पर राजी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि वह अपना कठोर रवैया छोड़ दे और विशिष्ट विवरण में उचित परिवर्तन करने पर सहमत हो जाये जिससे वोकारो परियोजना चालू करने में और अधिक विलम्ब न हो ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) धातुक्रम कारखाने के लिए सोवियत राजकीय रूपांकन संगठन, गिप्रोमेज द्वारा विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करन के लिये दिनांक 13 अक्तूबर, 1964 के करार में यह कहा गया था कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन सोवियत रूस के मानको और नियमों के अनुसार होगा । इसमें उपकरण, निर्माण के लिए इस्पात संरचनात्मक और सहायक साजसामान भी सम्मिलित है ।

(ख) जी, नहीं । बोकारो इस्पात लि० द्वारा सोवियत संगठन को विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दिए गए स्वीकृत ज्ञापन में प्रायोजना प्रतिवेदन में कुछ परिवर्तन की भी व्यवस्था है ।

(ग) इसके लिये रूसी सलाहकारों ने आरम्भ में इस्पात का भारतीय मानक 2062 निर्धारित किया था । अब वे कुछ संरचनात्मकों के लिये भारतीय मानक 226 के इस्पात के प्रयोग के लिये सहमत हो गये हैं क्योंकि इस प्रकार का इस्पात देश में आसानी से उपलब्ध है ।

(घ) ऐसे मामले आपसी बातचीत से तय किये जाते हैं और किसी पार्टी द्वारा सख्त रवैया अपनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रौद्योगिकी में भारत-ब्रिटिश संयुक्त उपक्रम

3288. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटिश औद्योगिकीय दल की हाल ही में हुई बैठक में विदेशी इक्विटी

पूंजी से स्थापित किये जाने वाले उद्योगों में इक्विटी पूंजी व्यवस्था स्वामित्व, तकनीकी जानकारी सम्बन्धी भुगतानों, अनुसंधान को प्रोत्साहन आदि सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के सम्बन्ध में भारत ने क्या प्रस्ताव रखे थे ;

(ग) ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का इन मामलों के प्रति क्या रवैया था ; और

(घ) इस सम्बन्ध में उपर्युक्त दल ने क्या अन्तिम निर्णय किये थे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). भारतीय तथा ब्रिटिश तकनालोजीकल दल की बैठक के उपरान्त जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12 फरवरी, 1970 जिस में पूछी गई जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखी गई । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—2901/70]

यात्री-यातायात में कमी

3289. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 17 वर्षों में पहली बार चालू वर्ष में यात्री-यातायात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी नहीं । चालू वर्ष 1969-70 में यात्री यातायात में कोई गिरावट नहीं आयी है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

वेलाडिल्ला (मध्य प्रदेश) में एक इस्पात कारखाने की स्थापना

3290. **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शशि भूषण :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री पं० च० दीक्षित :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री लखनलाल गुप्त :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरकार ने वेलाडिल्ला में इस्पात का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई मांग सरकार को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) नये इस्पात कारखानों के स्थानों के बारे में निर्णय शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है।

हरियाणा में गोहाना-पानीपत रेल लाइन को पुनः चालू करना

3291. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में गोहाना-पानीपत रेल लाइन को पुनः चालू करने सम्बन्धी कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह लाइन कब तक पुनः बनकर तैयार हो जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के सम्बन्ध में शीघ्र सर्वेक्षण करने का विचार है। सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो जाने और उसके परिणाम मालूम हो जाने के बाद इस लाइन को फिर से बिछाने के बारे में कोई निर्णय किया जायेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में फायरमैनों (ए तथा बी) से संबंधित पदोन्नति-नीति के बारे में अभ्यावेदन

3292. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य कर्मचारी अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को लिखे गये जिला मिकेनिकल इंजीनियर वाराणसी के कार्यालय के पत्र संख्या जी० एम० 54613 भाग-III, दिनांक 5 नवम्बर, 1966, के अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि "हिन्दी में लिखित इन दो अभ्यावेदनों पर लिखी गई टिप्पणी के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इनमें से एक का सम्बन्ध फायरमैनों (ए० तथा बी०) सम्बन्धी पदोन्नति-नीति से है जिस पर कृपया आपकी ओर से कार्यवाही की जानी चाहिए ;"

(ख) यदि हां, तो मुख्य कर्मचारी अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने जिला मिकेनिकल इंजीनियर वाराणसी को, क्या उत्तर भेजा है ; और

(ग) यदि उत्तर नहीं भेजा गया तो इनके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे फायरमैन से शंटर और ड्राइवर "सी" के पद पर पदोन्नति के लिए अवधि

3293. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "लीडिंग" फायरमैन से शंटर और शंटर से ड्राइवर "सी" के

पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में अर्ध अवधि के बारे में पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के मुख्य यांत्रिक अभियंता (पी) के कार्यालय के दिनांक 28 जून, 1963-23 जुलाई, 1963 के पत्र संख्या ई० एम० 2100 पी० टी० (पालिसी) पी० टी० में तीन में दूसरे प्वाइंट में फायरमैन "बी" से शंटर "बी" के पद पर पदोन्नति के बारे में उल्लेख है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त पत्र के प्वाइंट 2 में वस्तुतः क्या लिखा है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां, पत्र की तारीख 28-6-63/2-7-63 है न कि 28-6-63/23-7-63 ।

(ख) पत्र की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी गयी [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 2902/70]

मैनेजिंग एजेन्टों के स्थान पर परामर्षदात्री फर्मों की स्थापना

3294. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला तथा अन्य औद्योगिक फर्मों ने मैनेजिंग एजेंटों (जिन्हें 1 अप्रैल, 1970 को समाप्त किया जाता है) के स्थान पर परामर्शदात्री फर्म स्थापित की है तथा मैनेजिंग और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बैंक गारंटी कर्ता, शेयर रजिस्ट्रार आदि नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मैनेजिंग एजेंटों के पहले वाले कार्य करने के लिए स्थापित की गई इन नयी फर्मों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-काय मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : केवल प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशकों को नियुक्ति के लिए, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, तथा बहुत सी कम्पनियों ने इस प्रकार के अनुमोदन के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं । थोड़े से, ऐसे विषय, प्रासंगिक रूप से सरकार के नोटिस में आये हैं, जहां, बिड़ला तथा अन्य अपनी प्रबन्धित कम्पनियों के परामर्श अथवा शेयर रजिस्ट्रार, आदि नियुक्त किये गये हैं । इस प्रकार की नियुक्ति का एक मामला, मै० बिड़ला ब्रादर्स प्राइवेट लि० का, जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० के "प्रबन्ध तथा वाणिज्यिक परामर्शदाता" के पद का है । दो अन्य विषयों में, मै० ई० आई० डी०-पैरो लि० तथा मै० पैरो एण्ड कम्पनी लि०, प्रबन्धित कंपनियों के "मेयर रजिस्ट्रार" तथा "प्रशासनिक अभिकर्ता" नियुक्त किये गये हैं । एक और विषय में, मै० बिड़ला ग्वालियर प्रा० लि०, प्रबन्धित कंपनी के सूती वस्त्र एवं भेषजिक प्रभाग का परामर्शदाता नियुक्त किया गया है ।

(ग) प्रबन्ध परामर्शदाता, मेयर रजिस्ट्रार, प्रशासनिक अभिकर्ताओं के पदों को नियुक्ति के लिये, सरकार का अनुमोदन आपेक्षित नहीं है । तथापि, इस प्रकार के प्रत्युपाय बाद के लिए जो भी आवश्यक हो गारन्टी आयोग के शोधन के प्रश्न के साथ ही साथ, इस प्रवृत्ति पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है ।

जापानी ढंग की "बुलैट" रेल गाड़ियां चलाना

3295. **श्री शिवचंद्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में (जापानी ढंग की) "बुलैट" रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) हम धीरे-धीरे भारतीय रेलों पर गाड़ियों की निर्धारित रफ्तार बढ़ा रहे हैं। हावड़ा और दिल्ली के बीच 120 कि० मी० की अधिकतम रफ्तार से राजधानी एक्सप्रेस शुरू करके इस दिशा में पहले ही शुरुआत की जा चुकी है जब कि अन्य गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 100 कि० मी० है। ऐसी तेज गाड़ियां शुरू करने के लिये रेल-पथ के बेहतर अनुरक्षण के अलावा विशेष ढंग के सवारी डिब्बों का निर्माण अपेक्षित होता है। आमतौर पर ऐसे सवारी डिब्बे वातानुकूल व्यवस्था वाले होते हैं जिनके लिए किराया अनिवार्यतः अधिक होता है। इसलिए, जहां इस प्रकार का अधिक किराया देने वाला यातायात होगा, वहां ऐसी गाड़ियां चलाना शुरू करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

अखिल भारतीय संकेत सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारी संस्था को मान्यता

3296. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे संकेत (सिगनल) कर्मचारियों की अखिल भारतीय संकेत तथा दूर संचार कर्मचारी संस्था (रजिस्टर्ड) को मान्यता प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बात को देखते हुए कि संस्था के पास अपेक्षित सदस्यता और अन्य शर्तें पहले ही पूरी है ; उसकी मायन्ता देने के क्या विशेष कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) सरकार ने इस मांग पर विचार किया है और उसका मत है कि अलग-अलग कोटि के अनुसार बनायी जाने वाली यूनियनें रेल संचालन प्रणाली के उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे एक अलग यूनिट होती है और प्रत्येक महाप्रबन्ध की भिन्न-भिन्न हितों वाली बहुत सी यूनियनों से निपटना पड़ेगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग और रेल दुर्घटनाओं पर वान्चू समिति ने भी इस प्रश्न पर विचार किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कोटि-वार यूनियनों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

रेलवे सेवा नैमित्तिक मजदूरों को नौकरी देना और नैमित्तिक मजदूरों तथा रेलवे कर्मचारियों की मजूरियों में अन्तर

3297. **श्री स० कुन्दू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी तथा अर्ध स्थायी पदालि में उत्तरोत्तर नौकरी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ।

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों को भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मजूरी मिलती है ;

(घ) क्या रेलवे द्वारा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तथा उड़ीसा के बालासौर जिले में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों की जो एक सा काम कर रहे हैं, मजूरी के बीच 20 से लेकर 40 रुपये तक का अन्तर है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या रेलवे समूचे भारत में अपने नैमित्तिक श्रमिकों के लिये व्याप्त न्यूनतम मजूरी लागू करने का प्रयत्न कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). नियमित पदों में प्रवरण के लिये नैमित्तिक मजदूरों को विधिवत गठित प्रवरण बोर्डों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। इस आशय के अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं कि अनुभव होने के कारण उन्हें बाहरी व्यक्तियों के मुकाबले तरजीह दी जानी चाहिए और उन्हें पैनल में उपर रखा जाना चाहिए ।

(ग) और (ङ). जो नैमित्तिक मजदूर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की शर्तों के अनुसार अधिसूचित दरों पर मजदूरी दी जाती है। अन्य मजदूरों के मामले में उसी तरह के श्रम के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी दी जाती है ।

(घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में विदेशी नियंत्रणधीन सिगरेट-उद्योग

3298. **श्री स० कुन्दू** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सिगरेट उद्योग का अधिकांश भाग विदेशी नियंत्रण में हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत में समस्त सिगरेट-उद्योग का कितने प्रतिशत भाग विदेशी नियंत्रण में है ;

(ग) क्या सिगरेट कम्पनियों के विदेशी मालिकों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देने की अनुमति दी गई है ; और

(च) इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने तथा इस को लघु उद्योग क्षेत्र में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). भारत की 10 सिगरेट कंपनियों में से तीन के अधिकांश शेयर विदेशी हैं तथा 1968 के वर्ष में उद्योग के कुल उत्पादन की अपेक्षा उनके कुल उत्पादन का प्रतिशत अनुमानतः 76 है।

(ग) प्रत्येक कंपनी द्वारा विदेशों को भेजे जाने वाले लाभांश से सम्बन्धित सूचना सामान्यतः बताई नहीं जाती है।

(घ) वर्तमान में सिगरेट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने अथवा उसे लघु क्षेत्र के लिये निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गरीब पुरुषों तथा स्त्रियों को अंशकालिक रोजगार देने की सहकारी परियोजना

3299. **श्री स० कुन्दू : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब पुरुषों तथा स्त्रियों को अंशकालिक रोजगार देने की कोई औद्योगिक सहकारी परियोजना है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसी परियोजनाओं को कहां लागू किया जाता है और उन्हें लागू करने के लिये क्या प्रक्रिया तथा व्यवस्था है ;

(घ) क्या ऐसी कोई परियोजना छोटे-छोटे शहरी कस्बों के लिए भी है ; और

(ङ) क्या नगर पालिकाओं और नगर निगमों को इन परियोजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये कहा जाता है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अधीन संस्था पंजीकरण अधिनियम तथा सहकारी संस्था अधिनियम के अधीन पंजीकृत स्वयं सेवी समाज कल्याण संस्थाओं को जरूरत मन्द और विकलांग व्यक्तियों को पूरे समय का अथवा आंशिक समय का काम और मजदूरी देने के हेतु प्रशिक्षण एवं उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन चलाई जा रही योजनाओं के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है :

(1) लघु उद्योगों के अधीन आने वाले उत्पादन एकक (जैसे कि शिक्षा सम्बन्धी उपकरण, लकड़ी के खिलौने तथा वस्तुएं, मुद्रण, जिल्दसाजी, लेखन सामग्री, औद्योगिक दस्ताने, चाक, चिन्नांकित चमड़े की वस्तुएं, बिस्तर बन्द, कैन्वस बैग तथा सिले-सिलाए कपड़े, इत्यादि के उत्पादन के लिए एकक) ;

(2) बड़े उद्योगों के सहायक एकक ;

(3) हाथकर्घा प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन एकक ; तथा

(4) दस्तकारियां प्राप्ति/उत्पादन एकक तथा प्रशिक्षण केन्द्र (जैसे बेंत और बाँस की वस्तुएं, चटाई बुनना, सिक्रु पाइप कशीदाकारी, परम्परागत कशीदाकारी, खिलौने तथा गुड़िया बनाने इत्यादि के लिए)।

(ग) ऐसे एकक स्थापित करने के लिए उन स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्हें राज्य सरकारों के साथ परामर्श से चुना जाता है। योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने, ठीक प्रकार की मशीनरी, साज सामान इत्यादि खरीदने तथा वर्क-शैड की योजना तथा नक्का तैयार करने, वस्तुओं के निर्माण में सुधार करने इत्यादि, के लिए तकनीकी निर्देशन केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, जैसे औद्योगिक बोर्डों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा दी जाती है। अनुदान की राशि इन एजेंसियों द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं तथा राज्य बोर्डों के परामर्श से बनाई गई योजनाओं पर आधारित होती है। इन अनुदानों में मशीनरी तथा साज सामान खरीदने, कामगारों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने तथा एककों के कार्य की आवश्यकता को पूरा करने, का खर्च शामिल होता है। बोर्ड वर्क-शैड बनाने तथा भवनों में नया निर्माण करने तथा उनमें परिवर्तन इत्यादि करने के लिये अनुदानें देने पर विचार करता है।

(घ) इस कार्यक्रम को न केवल शहरी इलाकों में बल्कि अर्ध-ग्रामीण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जाता है।

(ङ) नगरपालिकायें तथा निगम केन्द्रीय समाज बोर्ड के, जो इस योजना को कार्यान्वित करता है, क्षेत्र से बाहर हैं।

सियालदह स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3300. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में सियालदह स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों ने 17 और 18 जनवरी, 1970 को अचानक हड़ताल कर दी थी ;

(ख) क्या रेलवे गार्डों और ड्राइवरों पर हमला किये जाने के कारण यह हड़ताल हुई थी ; और

(ग) क्या इस हड़ताल से उस क्षेत्र के प्रतिदिन के यात्रियों को बहुत असुविधा हुई थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो उपर्युक्त घटना का ब्यौरा क्या है और उस क्षेत्र में नियमित रूप से रेलगाड़ियां चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम

3301. **श्री समर गुह** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान देश में सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का उत्थान करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम हाथ में लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यह कार्यक्रम किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया था ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान । अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में मेहतरों तथा संमार्जकों की रहने सहने तथा काम की परिस्थिति में सुधार के लिए धन मंजूर किया गया है ।

(ख) मेहतरों तथा संमार्जकों की रहने सहने तथा काम की परिस्थितियों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें निम्मलिखित भी शामिल हैं : (1) हाथ गाड़ियां, व्हील वैरो इत्यादि खरीदने के लिए नगर पालिकाओं/स्थानीय निकायों को सहायक अनुदानें देना ; तथा (2) मेहतरों तथा संमार्जकों को मकान बनवाने के लिए उपदान देना तथा अनुसूचित जातियों के (क) फ्लेइंग और टैनिन्ग जैसे गन्दे व्यवसायों में लगे लोगों अथवा (ख) भूमिहीन मजदूरों के लिए गृहस्थलों की व्यवस्था करना । वर्ष 1969-70 से राज्य सरकारों को निम्मलिखित राशियां आवंटित की गई हैं :

राज्य	रुपये लाख की राशियों में
आंध्र प्रदेश	4.00
असम	4.00
बिहार	5.00
गुजरात	2.00
जम्मू तथा कश्मीर	1.00
केरल	2.00
हरियाणा	1.00
मध्य प्रदेश	5.00
महाराष्ट्र	3.00
मैसूर	1.00
उड़ीसा	1,00
पंजाब	1.25
राजस्थान	2.75
तमिलनाडु	9.00
उत्तर प्रदेश	4.50
पश्चिम बंगाल	4.75
जोड़ :	51.25

रेलवे के यातायात विभाग में वर्ष 1958 में नियुक्त हुए श्रेणी-1 के अधिकारियों को स्थायी किया जाना

3302. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने वर्ष 1958 के दौरान अपने पत्र संख्या ई (एफ) 57/आर सी --1 के अनुसार, यातायात विभाग में श्रेणी-1 के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं ; वे इस समय कहां कार्य कर रहे हैं, उनके पदनाम क्या हैं और क्या वे स्थायी है अथवा अस्थायी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1958 में नियुक्त 12 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी वे अधिकारी अभी तक अस्थायी हैं तथा रेलवे द्वारा उन्हें स्थायी नहीं किया गया है जिससे कि वे अपनी पदोन्नतियों से वंचित है ;

(घ) रेलवे में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये अधिकारियों को स्थायी करने संबंधी सामान्य नियम क्या हैं ;

(ङ) उनको स्थायी करने में विलम्ब करने के कारणों का ब्यौरा क्या है तथा इससे उन अधिकारियों को कितनी हानि हुई है ; और

(च) इन अधिकारियों को स्थायी करने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) रेलवे बोर्ड के 18-1-1958,28-1-1958,2?-2-1958 और 1-8-1958 के पत्र सं० ई(पी)57 आर सी 4-1 के अन्तर्गत 17 अधिकारियों को अस्थायी (अवर्गीकृत) अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें श्रेणी-1 की सेवा में नियुक्त नहीं किया गया था।

(ख) एक विवरण जिसमें सूचना दी गई है, सभा पटल पर रखा गया। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2903/70]

(ग) उपर्युक्त अधिकारियों में से 11 को भारतीय रेल यातायात सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है और एक अधिकारी ने सेवा से त्याग पत्र दे दिया है। शेष 5 अधिकारियों को अभी स्थायी रूप से नियुक्त किया जाना है।

(घ) से (च). इन अधिकारियों को भारतीय रेल सेवा यातायात के कनिष्ठ वेतनमान में प्रवरण की एक निश्चित कार्रवाई द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह प्रवरण विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से किया जाता है जिसका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होता है। प्रवरण अधिकारियों के काम के आधार पर किया जाता है जैसा कि उनकी गोपनीय रिपोर्टों से प्रतिबिम्बित होता है। इनमें से जिन अधिकारियों को अभी तक स्थायी रूप से श्रेणी-1 की सेवा में नियुक्त नही किया गया है, उन्हें इस नियुक्ति के योग्य नहीं पाया गया है। जब तक उन्हें इस नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता उनके मामले पर हर वर्ष यथावत विचार किया जाता रहेगा।

उद्योगों में सहयोग के सम्बन्ध में भारत रूस करार (प्रोटोकांल) हस्ताक्षर करने के अवसर पर भारतीय समाचार-पत्र प्रतिनिधियों को न बुलाना

3303. **श्री रा० बरूआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में व्यापक पैमाने पर भारत-रूस सहयोग के सम्बन्ध में हाल में एक करार (प्रोटोकांल) किया गया है ;

(ख) क्या इस करार पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर भारतीय समाचार-पत्र प्रतिनिधियों से बाहर जाने के लिए कहा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिनांक 20 फरवरी, 1970 को भारत तथा सोवियत रूस के आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के कुछ मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा सोवियत रूस सरकार ने एक संलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो ने किसी भी देशी या विदेशी संवाददाता को न तो इस अवसर पर आमन्त्रित किया था और न प्राधिकृत ही किया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूस के मंत्री का भारी इंजीनियरिंग कारखानों का दौरा

3304. **श्री स० च० सामन्त :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास जनवरी, 1970 में रूस के भारी विद्युत उद्योग मंत्री श्री झिगालिन ने भारत स्थित प्रायः सभी महत्वपूर्ण भारी इंजीनियरिंग कारखानों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों की प्रगति तथा उनके कार्य के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ;

(ग) क्या उन्होंने श्री झिगालिन ने इस सम्बन्ध में कोई विचार विमर्श किया था ; और

(च) यदि हां, तो उन्हें क्या सुझाव दिये गये ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पंत) : (क) और (ख). जनवरी, 1970 में भारी शक्ति और यातायात उद्योग मंत्री श्री वी० एफ० झिगालिन के नेतृत्व में एक रूसी प्रतिनिधि मण्डल भारत सरकार के अतिथि के रूप में रूसी द्वारा सहायता

प्राप्त प्रयोजनाओं, जैसे भारी इंजीनियरिंग निगम राँची, बोकारो इस्पात लि० और खनन और संबद्ध मशीनरी निगम लि० दुर्गापुर के कार्यकरण की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आया था। उन्होंने कारखानों का दौरा किया और कारखानों के प्रबन्धक वर्ग से विचार विमर्श किया। कारखानों में हुई प्रगति पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।

(ग) जी, हां।

(घ) कारखानों के कार्यकरण में सुधार और क्षमता के और प्रभावी उपयोग के संबंध में विचार विमर्श हुआ। रूसी प्रतिनिधि मण्डल ने भारतीय कारखानों में निर्मित कुछ उपकरण खरीदने की इच्छा भी व्यक्त की।

उभरदेशी तथा पलनपुर क्षेत्र (पश्चिम रेलवे) पर दोहरी लाइन बिछाना

3305. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने उभरदर्शी तथा पलनपुर के बीच के क्षेत्र पर दोहरी लाइन बिछाने का विचार किया था ;

(ख) क्या इस कार्य को वर्ष 1970-71 में पूरा करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस काम को 1970-71 में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं समझा गया।

Indian Delegation to Japan to Study Small Scale Industries

3306. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the members of the delegation which recently visited Japan under the leadership of the Deputy Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs ;

(b) the names of the countries (besides Japan), cities and industries visited by them ;

(c) the names of the places where they stayed and the period for which they stayed there ; and

(d) the amount of foreign exchange given to them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Apart from the leader, the members of the delecation were :

(i) Shri K. Balachandran

(ii) Shri K. L. Nanjappa

(iii) Shri K. N. Sapru, and

(iv) Shri S. R. Sarkar.

(b) The delegation visited only Japan. They visited the cities of Tokyo, Kyoto, Kobe, Osaka and Yokohama and the following industries :—

(i) Tokyo Shibaura Electric Co.'s factory at Kawaguchi,

(ii) Fujitsu Ltd.'s factory at Kawrguchi,

(iii) Industrial Estate at Hirakata,

(iv) Industrial Estate at Sauda,

(v) Matsushite Electric Co. Ltd.'s factory at Ibaragi,

(vi) M/s. Isazu Motors Ltd.'s factory manufacturing trucks,

(vii) M/s. Kanto Auto Works Ltd.'s factory at Yokosuka, and

(viii) M/s. Alps Electric Co.'s factory Yokohama.

(c) Tokyo-11 days ; Kyoto-1 day ; Osaka-3 days.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गोधरा-रतलाम सेक्शन (पश्चिम रेलवे) में कुछ पुलों में खराबियों के कारण अतिरिक्त संचालन लागत

3307. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोधरा-रतलाम सैक्शन में बने 20 में से 13 पुलों में उनके निर्माण के तीन वर्ष के अन्दर खराबियां आ गई थीं और परिणामस्वरूप इन पुलों पर रेलगाड़ियों को धीमी गति से चलाने के कारण सरकार को 1967-68 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में 9.42 लाख रुपये का अतिरिक्त संचालन व्यय उठाना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो इन पुलों में खराबियाँ पैदा होने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इन पुलों की मरम्मत की गई है और यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आया है ।

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ये दोष बियरिंग प्लेटों पर गलत ढंग से गर्डर बिठाने के परिणामस्वरूप पैदा हुए ।

(ग) 13 पुलों में से 9 की मरम्मत की जा चुकी है । शेष पुलों की मरम्मत का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और इन कामों के 31-3-1971 को पूरे किये जाने की आशा है । मरम्मत के इन कामों पर लगभग 22000 रुपये खर्च होंगे ।

स्टोरों के निरीक्षण के लिए विदेशी रेलवे तथा अन्य एजेन्शियों को पारिश्रमिक

3308. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1666-67, 1967-68 तथा 1968-69 में रेलवे माल, जिसके लिए समुद्र पार के सप्लायरों को क्रयादेय दिये गये थे, निरीक्षण के लिए विदेशी रेलवे तथा अन्य एजेन्सियों को पारिश्रमिक के रूप में 73526 पौंड की राशि देनी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस खर्च को कम करने/समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियां

3309. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं और प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च की गई हैं ;

(ख) नागपुर में तथा उसके आस पास अब तक ऐसी कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं और कितनी स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) ऐसी बस्तियों में उद्योगों के मालिकों को और क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अब तक महाराष्ट्र में 34 औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं और प्रत्येक बस्ती पर हुआ व्यय सभा पटल पर रखा गया [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2904/70]

(ख) नागपुर क्षेत्र में 3 औद्योगिक बस्तियों की स्थापना हो चुकी है तथा इस क्षेत्र में 11 बस्तियां और स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा लघु उद्योगपतियों को दिये गये प्रोत्साहनों का विवरण सभा-पटल पर रखा गया । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2904/70]

अंधे लोगों के लिये पदों का आरक्षण

3310. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्धे लोगों के लिये पदों का आरक्षण करने हेतु कुछ उपाय करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह उपाय क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह): (क) हां ।

(ख) ब्यौरे को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

डाक तथा एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के परिचरों अटेंडेंटों के वेतनक्रम

3311. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के परिचरों (अटेंडेंटों) के मंजूरशुदा वेतन क्रम क्या हैं ;

(ख) मध्य रेलवे में, विशेषकर झांसी डिवीजन में परिचरों के वेतनक्रम क्या हैं ; और

(ग) उनको कम वेतन देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुसार डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों के परिचरों के लिए प्राधिकृत वेतन-मान 75-1-85-द० रो०-2-89 रुपये है।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलों में तृतीय श्रेणी की सेवाओं के वेतनक्रमों में अंतर

3312. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में तृतीय श्रेणी की सेवाओं में कौन-कौन से वर्ग हैं, इन वर्गों में भर्ती के लिये क्या अर्हतायें निर्धारित हैं और उनके वेतनक्रम क्या हैं ;

(ख) उनके वेतनक्रमों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) जब अर्हतायें एक समान हैं, तो वेतनक्रम एक समान क्यों नहीं हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'ए' और 'बी' में अंग्रेजी में अलग से दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 2905/70

(ख) और (ग). श्रेणी III की सेवा में कर्मचारियों की विभिन्न कोटियां हैं। प्रत्येक कोटि के काम और उत्तरदायित्व अलग-अलग हैं। अलग-अलग पदों के कार्यभार के आधार पर तदनुरूपी वेतन-मान निर्धारित किये गये हैं। केवल भर्ती के लिए नियत न्यूनतम अर्हता के आधार पर ही कोई वेतन-मान आबंटित नहीं किया जाता। श्रेणी III के कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के वेतन-मान द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

Violence and Obstructions during Elections to Legislative Assemblies

*3313. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the incidents of manhandling, violence and creating hindrances in the conduct of elections impartially to the Legislative Assemblies are increasing day by day and a candidate having public support is defeated if he does not have physical force and means to control the booths, and thereby the elections do not reflect real choice of the electorate ;

(b) if so, the action taken by Government to remove the said evils ; and

(c) in case no action has been taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Security Arrangements in Respect of Officers of Durgapur Steel Plant

3314. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the **Minister of Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether the officers of the Durgapur Steel Plant have informed the Chief Director of the Plant that in case arrangements are not made for their security, they would resign en masse ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) The general conditions of insecurity prevailing in Durgapur including a recent incident of assault of an officer have been brought to the notice of the West Bengal, Government, who are responsible for the maintenance of law and order, by the Hindustan Steel Ltd.

रेलवे में माल लिपिकों और यानान्तरण लिपिकों का स्थानान्तरण

3315. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार, भारतीय रेलवे में माल लिपिकों की पांच वर्ष के बाद और यानान्त्रण लिपिकों की 2 वर्ष के बाद बदली की जानी होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे में और विशेषकर मुरादाबाद डिवीजन में इस प्रथा का उचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) से (ग). रेल मन्त्रालय से जारी किये गये आदेशों के अनुसार कुछ कोटियों के कर्मचारी जो जनता के सम्पर्क में आते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर वाणिज्य क्लर्क, चल टिकट परीक्षक और सवारी और शटल गाड़ियों का संचालन करने वाले गार्ड आदि, उनका आवधिक स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। 1968 से इन आदेशों को आस्थगित रखा गया है। इस बात को देखते हुए किसी मण्डल विशेष द्वारा आवधिक स्थानांतरण से सम्बन्धित आदेशों को लागू न करने का सवाल नहीं उठता।

Withdrawal of T. T. Is. from All Third Class Sleeper Coaches on Western Railway

3316. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1385 on the 25th November, 1969 regarding withdrawal of T T. Is from All Third Class Sleeper Coaches on Western Railway and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be collected and laid on the Table of the House.

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Yes.

(b) A statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2906/70].

(c) Does not arise.

Electrification of Staff Quarters on Northern Railway

*3317. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Stations on the Northern Railway where electricity has been provided but no electric connection has been given for the quarters of the Railway employees posted on those stations ; and

(b) the reasons for which electric connections have not been given for their quarters ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Out of 1331 stations on Northern Railway, 674 stations have been electrified as on 1-3-1970. It may be that the Railway staff quarters on some of these electrified stations have not been provided with electricity so for.

(b) It has not been possible to electrify all Railway quarters of the stations where electricity is available, due to shortage of funds.

Electrification of Railway Stations on Northern Railway

*3318. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Stations on the Northern Railway which were opened more than 25 years ago but have not so far been supplied with electricity ; and

(b) the reasons for not providing electricity to those stations ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) There are about 632 stations on Northern Railway which were opened 25 years ago and have not so far been supplied with electricity.

(b) It has not been possible to electrify these stations so far due to non-availability of low tension electric supply nearby at reasonable rates and service connection charges, and paucity of funds.

Platform Facilities at Stations on Northern Railway

3319. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Stations on the Northern Railway, which are 25 years old and no platform has so far been provided there ;

(b) the number of Railway stations out of the above where platforms have been provided during the last four years ; and

(b) The reasons for not providing any platform at the remaining stations so far ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Nil. Platforms,—high, low or rail level—exist at all the stations of Northern Railway.

(b) and (c). Do not arise.

Platform on Mundha Pande Station between Moradabad and Rampur (Northern Railway)

3320. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a platform has not been provided on the Mundha Pande Station between Moradabad and Rampur on the Northern Railway inspite of repeated demands made for it by the people of the said place ;

(b) whether it is also a fact that the persons boarding the trains on the said Station are mostly villagers who face great difficulty in boarding the trains ;

(c) if so, whether Government would consider a scheme for providing a platform on this Station ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No. Two rail level platforms already exist, at this station.

(b) No such difficulty has come to the notice.

(c) and (d). Do not arise.

नरूला फाइनेन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली

3321. **श्री पी० सी० अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री नरूला फाइनेंस (प्राइवेट) दिल्ली के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके भाग (क) से (ङ) तक के सम्बन्ध में इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चूंकि यह कम्पनी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा समापित होने के लिए आदेशित की जा चुकी है, अतः इस कम्पनी के कर्त्तव्यच्युता निदेशकों के विरुद्ध, किसी प्रतारणा तथा लेखा कूटकरण की किसी प्रकार की कार्यवाही, सरकारी समापक द्वारा ही की जा सकती है।

(ख) चूँकि इस कम्पनी के लेखाओं की किताबों को 1965 से आगे परीक्षा करनी है अतः इस कार्य को पूर्ण करने में कुछ देर हो गई है।

नरूला फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली

3322. **श्री पी० सी० अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री नरूला फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड दिल्ली के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स नरूला फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड ने अपने शाखा कार्यालय में 1964 से 1967 तक प्रति वर्ष लोगों से कुल कितना धन वसूल किया था ;

(ख) क्या इस कम्पनी अथवा इसके अन्तिम निदेशकों का व्यास इंजीनियरिंग वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड (हरियाणा), कंसीलिडेटेड मोशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड (दिल्ली) अथवा इसी तरह की अन्य सम्बन्धित संस्थाओं में उनके कुछ अंश पूँजी नियोजन था ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनका निपटान किस तरह किया गया है ;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित किसी फर्म ने अपने पास जमा राशि चुकाने के लिए वर्ष 1969 में अपनी परिसम्पत्ति बेची थी ; और यदि हां, तो उन जमा कर्ताओं के नाम क्या हैं और इस प्रकार कुल कितना धन चुकाया गया है ; और

(घ) क्या इस कम्पनी के अन्तिम रूप से भंग हो जाने से पूर्व इसकी जांच का काम पूरा हो जायेगा और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). कम्पनी की लेखा बही तथा अन्य सम्बन्धित कागज-पत्रों को, सरकारी समापक द्वारा, एक विभागीय अधिकारी की सहायता से परीक्षा की जा रही हैं। इस प्रकार की परीक्षाओं के पूरी हो जाने पर, जब सूचना उपलब्ध हो जायेगी, तो यह यथा समय सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) चूंकि यह कम्पनी उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा समापित होने के लिए आदेशित की जा चुकी है अतः कर्त्तव्यच्युत निदेशकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही, न्यायलय के निदेशन प्राप्त होने पर सरकारी समापक द्वारा की जा सकती है।

Provision of Terminal Benefits at Hapur Station

***3323. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Charan :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is fact that a provision has been made in the work Programme for 1970-71 to provide terminal benefits at Hapur Station ;

(b) if so, the time by which this work would be completed ; and

(c) whether Government propose to provide these benefits to Hapur very shortly by according special priority to this matter and remove the difficulties of the people there keeping in view their long-standing demand in this regard ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Yes.

(b) By the end of 1971.

(c) The work is not likely to be completed earlier than the end of 1971, as it involves yard re-modelling and traffic regulation. However, efforts will be made to complete it as early as possible.

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की इकाई कूपर एलन को कब्जे में लेना

3324. **श्री काशीनाथ पांडेय :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की इकाई कूपर एलन को चलाने के लिए इसे कब्जे में ले लिया है क्योंकि इसके मूल प्रबन्धकों ने इसे चलाने से मना कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और क्या सभी कर्मचारियों को काम पर ले लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की प्रबन्धक समिति के अनुरोध पर सरकार ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के कूपर एलेन एकक के साथ-साथ नार्थ-वेस्ट टैनरी एकक को अपने अधिकार में ले लिया और टैनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर नामक एक नई कम्पनी के रूप में उसकी स्थापना की और 23 मई, 1969 से अधिकार क्षेत्र लागू हुआ। टैनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड तथा ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार कूपर एलन तथा नार्थ-वैस्ट टैनरी एककों के ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों को रखने के लिए सहमति हो गई जिन्हें इसके उत्पादन कार्यक्रम के लिए आवश्यक समझा गया। इसके अनुसार कूपर एलन तथा नार्थ-वैस्ट टैनरी में काम कर रहे कुल 2592 कर्मचारियों में से टैनरी तथा फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने 1935 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा।

Rail Link Between Agra and Wah

*3325. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that trains used to operate between Agra Cantonment and Wah during the years from 1927 to 1937 and this line was closed when the Second World War started in 1939 ;

(b) whether Government propose to restart operating trains between Agra Cantonment and Wah ; and

(c) if so, by when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) The Agra—Wah line was closed for traffic on 1939 and dismantled in 1940.

(b) No.

(c) Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification the restoration of the line cannot be considered at present.

Discrimination between Northern and Southern India in Regard to Expansion of Railway Lines

*3326. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that discrimination has been shown between various parts of India in the matter of expansion of Railway Lines after the Independence ; and

(b) if not, the kilometers of Railway line laid in Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh, and Tami Nadu, separately, after the Independence, for steam/diesel and electric track ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No.

(b) Information about the railway lines is not compiled statewise but only railway-wise. Particulars of new lines opened during the year in each Zonal Railway are shown in the Chapter on 'New Construction and Engineering Works' of the Annual Report by the Railway Board on Indian Railways, copies of which are given to the Members of Parliament and are also available in the Library of the Parliament.

दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों से होकर जाने वाली रेलवे लाइनों के दोनो ओर गाड़ियों के आने की और बुकिंग की सुविधायें

3327. **श्री बलराज मधोक :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि दिल्ली में बढ़ते हुए रेल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली मुख्य स्टेशन और नई दिल्ली स्टेशनों में वहां से गुजरने वाली रेलवे लाइनों के दोनों ओर बुकिंग की और गाड़ियों के आने की व्यवस्था की जाये ;

(ख) क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि बम्बई और कलकत्ता की तरह प्लेटफार्म पर मोटर गाडियों के आने की व्यवस्था की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ये प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाये गये हैं ।

गांधी शताब्दी वर्ष में दिल्ली में हरिजनों और गन्दी बस्तियों के निवासियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम

3328. **श्री बलराज मधोक :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्र है कि गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में हरिजनों और गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए विशेष समाज कल्याण कार्यक्रम बनाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली प्रशासन को 1969-70 में हरिजनों को आवास उपदान देने के लिए 10.00 लाख रुपये को तथा हरिजन बस्तियों में सुधार करने के लिए 13.50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई थी ।

मोरमुगावों बन्दरगाह और लोंडा जंकशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच की रेलवे लाइन को दोहरा करना

3329. **श्री शिकरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में मोरमुगाओ बन्दरगाह और लोंडा जंकशन के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिए किसी प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) क्या वर्तमान मोरमुगाओ बन्दरगाह मिरज और मरमागोआ बन्दरगाह होसपेट मीटर-गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के किसी प्रस्ताव पर भी अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). मिरज-लोंडा-मार्मूगोआ-हुबली-होसपेट मीटर लाइन खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने का काम आमान परिवर्तन सम्बन्धी रेलों की संदर्श योजना में शामिल कर लिया गया है जो अगले लगभग दस वर्षों में कार्यान्वित की जायेगी । परिवर्तन सम्बन्धी सर्वेक्षण हो चुका है । लेकिन इस खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का औचित्य तभी हो सकेगा, जब वर्तमान लाइन पर अयस्क का संचलन दस लाख मीटरिक टन से, जिसके लिए मौजूदा क्षमता पर्याप्त है, अधिक हो जाये । इसलिए, जब अयस्क यातायात में प्रत्याशित वृद्धि के कारण औचित्य होगा, तो इस लाइन के आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

छपाई वाले सफेद कागज की कमी

3330. **श्री शिंकरे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई के बाजार में छपाई के कागज की बहुत अधिक कमी है और वह भी ऊंचे मूल्यों पर मिलता है ;

(ख) क्या यह सच है कि कागज के निर्माता उस किस्म के कागज का उत्पादन करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि छपाई करने वाले कागज पर लाभ की मात्रा अन्य किस्मों के कागज की तुलना में कमी होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कागज के उत्पादन पर पुनः नियंत्रण लगायेगी, क्योंकि कागज के निर्माण पर से नियंत्रण हटाने के कारण इसकी खपत करने वालों को हानि पहुंची है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्राप्त सूचनाओं से मालूम होता है कि वहां 60 जी एस० एम० से कम वाले सफेद छपाई के कागज की कमी हो गई है ।

(ख) पेपरमिलें ऊंची ग्रेमेज वाले सफेद छपाई के कागज का उत्पादन कर रही है वे स्पष्टतः कम ग्रेमेज वाले कागज का उत्पादन नहीं करते क्योंकि यह उनके लाभ पर प्रभाव डालता है ।

(ग) कागज उद्योग के उत्पादन पर कोई भी नियन्त्रण नहीं रखा है, यह उद्योग 1966 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्रविधानों से मुक्त था और अब यह छूट वापिस ले ली है ।

गोआ में इस्पात कारखाना स्थापित करना

3331. **श्री शिंकरे** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा सरकारी क्षेत्र में इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने का आग्रह कर रहा है क्योंकि इसके पास लौह अयस्क का बड़ा भारी भंडार है तथा हर मौसम में काम आने वाला मरमागाओ बन्दरगाह है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि उस संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग आरम्भ नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और जनता के दावों पर विचार करेगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० मी० पन्त) : (क) और (ग). गोआ सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि नये इस्पात कारखाने के स्थल के रूप में गोआ का भी विचार करें। सरकार स्वयं भी देश में नये इस्पात कारखाने लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है और सम्बद्ध क्षेत्रों की उपयुक्तता, इस्पात की अनुमानित मांग तथा उपलब्ध स्रोतों आदि सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Translators for Hindi Departments of Zonal Railways

3332. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Jaganath Rao Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Board has asked the Zonal Railways to furnish justification for the number of Translators required for their respective Hindi Departments with a view of implementing fully the provisions of the Official Languages (Amendment) Act, 1967 ; and

(b) if so, the stage at which the matter stands at present and whether necessary allocation of funds has been made in the present Railway Budget for the purpose ?

The Minister of Railways (Shri G. L Nanda) : (a) Yes. Sometime back, the Zonal Railways were asked to review the existing arrangements for translation work at their Headquarters and in Divisions and come up with proposals, if any additional posts were required for implementing the provisions of the Official Languages (Amendment) Act of 1967.

(b) Proposals received from the Railways have already been scrutinised and a decision is expected to be taken shortly. Necessary allocation of funds will be made when posts are sanctioned.

पंजाब वक्फ बोर्ड

3333. **श्री गुरुचरण सिंह :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के वक्फ बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनका कार्यालय कहां स्थित है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि गुरुमेल सिंह नामक एक व्यक्ति ने ग्राम बागपुर, जिला फिरोजपुर, पंजाब में मुसलमानों के कब्रिस्तान पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है और उसे कृषि

भूमि में परिवर्तित कर लिया है तथा वहां के मुसलमान निवासियों ने वक्फ बोर्ड को कई बार शिकायतें की हैं परन्तु इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पंजाब वक्फ बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा बोर्ड के कार्यालय का स्थान अनुबन्ध 'क' में दिये गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०— 2907/70]

(ख) जी, हां । गांव का सही नाम है बागपुराना । श्री गुरमेल सिंह ने स्थानीय मुसलमानों से यह कर कि यह जमीन कस्टोडियन से उसने खरीद ली है, बलपूर्वक कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया । जब यह मामला पंजाब वक्फ बोर्ड के ध्यान में आया तो उसने कानूनी सलाह से मशविरा करके स्थानीय मुसलमानों को सुझाव दिया कि श्री गुरमेल सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाये । चूंकि स्थानीय मुसलमान ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं अतः वक्फ बोर्ड अब कस्टोडियन को, जो इस मामले में एक आवश्यक पार्टी है, दो मास का नोटिस देने के पश्चात् कब्जा करने के लिए कदम उठा रहा है ।

उड़ीसा में फेरो बैनेडियम कारखाना स्थापित करना

3334. **श्री स० कुन्दू : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री उड़ीसा में फेरो बैनेडियम कारखाना स्थापित करने के बारे में 9 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच फेरो बैनेडियम कारखाना स्थापित करने के बारे में औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा को आशय पत्र जारी कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आशय-पत्र किस तारीख को जारी किया गया था ; और

(ग) परियोजना पर कितनी लागत आयेगी तथा कारखाने में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा तथा उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) 11-2-1970.

(ग) फर्म ने पूंजीगत माल की अपनी आवश्यकता 5 करोड़ रुपये की बताई है । आशा है कि वे 400 टन फेरो-बेनेडियम और 9,600 टन टाइटेनियम प्रति वर्ष की दर से उत्पादन कर सकेंगे । 30 प्रबन्धकों, पर्यपक्षकों और लिपिकों और 350 श्रमिको एवं दूसरी श्रेणियों के कर्मचारियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात का वितरण

3335. **श्री स० कुन्दू** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित वितरण करने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये इस्पात के विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे बिलेट चादरों इत्यादि के वितरण के तरीके में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था तथा क्या इस बीच उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) से (घ). अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। खुले बाजार में बढ़ती हुई कीमतों के संदर्भ में वितरण-प्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिए एक विभागीय अध्ययन दल का गठन किया गया था। इस दल द्वारा दिये गए सुझावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

टाइपिस्टों के साथ वेतन-क्रमों के मामले के भेदभावपूर्ण व्यवहार

3336. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में काम करने वाले लगभग सब श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये 450-575 रुपये (ए) तक के वेतनक्रमों की व्यवस्था है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय रेलों में काम करने वाले टाइपिस्टों के लिये केवल 210-380 रुपये (ए) तक के वेतनक्रम की व्यवस्था है तथा टाइपिस्टों के लिये 210-380 रुपये (ए) के वेतनक्रम से अधिक कोई अन्य वेतनक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो मुख्य टाइपिस्ट इत्यादि तक के पद तक ऊंचे वेतनक्रम देने के मामलों में टाइपिस्ट श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां, आमतौर पर ऐसा है, लेकिन ऐसी अन्य कोटियां भी हैं जहां स्वयं कोटि के वेतनक्रम 450-575 रुपये तक नहीं जाता।

(ख) जी हाँ।

(ग) भाग (क) के उत्तर से प्रकट है कि टाइपिस्टों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। टाइपिस्टों को जिस तरह का काम सौंपा गया है, उसके लिए 210-380 रुपये से ऊंचे वेतनक्रम के पद देने का औचित्य नहीं है।

यद्यपि टाइपिस्टों के लिये 210-380 रुपये से ऊपर के वेतनक्रमों में पदों की व्यवस्था नहीं है, फिर भी उनके लिये पदोन्नति का रास्ता खुला हुआ है ; वे 130-300 रुपये के वेतनक्रमों में स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और 210-425 रुपये और 380-530 रुपये के उच्चतर वेतनक्रमों में पदोन्नति पा सकते हैं।

टाइपिस्ट पांच वर्ष की सेवा-अवधि पूरी करने से पहले यदि चाहें तो टाइपिस्ट संवर्ग को बदलकर लिपिकीय संवर्ग में आ सकते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे लिपिकीय संवर्ग में 130-300 रुपये, 210-380 रुपये, 335-425 रुपये, 350-475 रुपये और 450-575 रुपये के वेतनक्रमों में पदोन्नति के पात्र होते हैं।

दिल्ली स्टेशन पर नियुक्त पार्सल कर्मचारियों का स्थानान्तरण

3337. **श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे सुरक्षा दल की अपराध शाखा ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा पार्सलों की चोरियों को रोकने के लिये दिल्ली मेन स्टेशन पर काम करने वाले कुछ तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पार्सल कर्मचारियों का दिल्ली क्षेत्र से बाहर तबादला करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित अधिकारी इन कर्मचारियों का तबादला नहीं करना चाहते ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) उत्तर रेलवे सुरक्षा दल की अपराध शाखा द्वारा इस तरह की कोई सिफ़ारिश नहीं की गयी है।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

त्रिपुरा में पाइपों की आवश्यकता

3338. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सरकारी कामों सहित गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों की पाइपों की वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः कितनी हैं ; और

(ख) क्या इसके लिये त्रिपुरा में लगभग 6000 टन की पाइयों की क्षमता का एक पुनर्बेलन कारखाना पर्याप्त होगा और यदि हां, तो क्या ऐसे कारखाने के बारे में सरकार को **प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अथवा सरकार ने प्रस्ताव आमन्त्रित किये हैं ?**

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). त्रिपुरा के लिये पाइपों की वार्षिक आवश्यकताओं को पृथक से आंका नहीं गया है। तथापि यह जानकारी, यदि कोई उपलब्ध है, त्रिपुरा से मंगाई जा रही है। त्रिपुरा राज्य में इस प्रकार की फैक्टरी लगाने का न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है न ही सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया है।

कोरापुत जिले में चौथी पंचवर्षीय योजना में गूदा तथा कागज परियोजना और अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करना

3339. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कोरापुत जिले में गूदा तथा कागज परियोजना और अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1969 में बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सम्भाव्यता रिपोर्ट 1966 में मुद्रा अवमूल्यन के पूर्व ही तैयार कर ली गई थी। इस रिपोर्ट का संशोधन करके इस पर पुनः मूल्यांकन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

लोअर आसाम ब्रह्मपुत्र घाटी को परिवहन आवश्यकतायें

3340. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "गोहाटी विश्वविद्यालय" ने जिसे "लोअर आसाम ब्रह्मपुत्र घाटी की परिवहन आवश्यकताओं" के अध्ययन करने के लिए 30 हजार रुपये की राशि दी गई थी, अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और उनके मन्त्रालय को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने अध्ययन का पहला चरण पूरा कर लिया है, और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(ख) पहले चरण की अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालय ने कहा है कि "गारो पहाड़ियों में सिजू और गोलपाड़ा में जोगीधोपा के बीच बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का प्रत्यक्षतः औचित्य दिखाई देता है।" उन्होंने यह भी कहा है कि गुवाहाटी तक इस लाइन का बढ़ाना वांछनीय होगा।

(ग) और (घ). रिपोर्ट की जाँच की जा रही है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को आयोग के शासी निकाय में प्रतिनिधित्व देने की मांग

3341. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों का अभ्यावेदन उनके कार्मिक संघ के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि आयोग के एक कर्मचारी को आयोग के शासी निकाय में शामिल किया जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इस मांग को स्वीकार करने का विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्तियां खादी तथा ग्रामोद्योग का अनुभव और उसमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से की जाती हैं ।

खादी आयोग कर्मचारी संघ की मांगें

3342. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको खादी आयोग कर्मचारी संघ के तत्वावधान में बम्बई में जनवरी 1970 में हुए खादी कर्मचारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने उस प्रस्ताव में की गई विभिन्न मांगों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है ।

अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा तथा ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर

3343. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री चौथी योजना में कपड़े के नये कारखानों की स्थापना के बारे में 24 फरवरी 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज निगम स्थापित करने तथा उसके द्वारा योजनाओं को क्रियान्वित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा तथा ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर दिवालिया हो गई हैं तथा इन मिलों में विनियोजित पूंजी का अधिकांश भाग औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य सरकारी अधिकरणों का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मिलों को अपने हाथ में लेने तथा पुनः इनकी स्थिति में सुधार करने के रास्ते में क्या रुकावट है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) बिहार राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये एक आवेदन पत्र पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अशोक पेपर मिल्स के बारे में परिसमापक कार्रवाई को वापिस ले लिया है। इस मिल के मुख्य हिस्सेदार हैं--बिहार सरकार, भारत जीवन बीमा निगम तथा औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम। इस कम्पनी को औद्योगिक वित्त निगम ने भी 1 करोड़ रुपये का ऋण दिया हुआ है।

ठाकुर पेपर मिल्स के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ). बिहार सरकार ने असम सरकार के सहयोग से अशोक पेपर मिल्स की स्थिति में सुधार करने की एक योजना को अपने हाथ में ले लिया है।

केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना

3344. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कालीकट क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क के मौजूद होने का पता लगाने के परिणामस्वरूप केरल सरकार उस राज्य में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की मांग पर जोर दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पंत) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने कालीकट से लौह खनिज भंडार के विषय में अभी अपना निवेशपूर्व अध्ययन पूरा नहीं किया है। इस अध्ययन के पूरा हो जाने के बाद उसके निष्कर्मों के आधार पर ही निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकेगा।

कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के लिए प्रतीक्षालय

3345. **श्री हेम राज : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो गया है परन्तु वहां गोदाम तथा प्रथम अथवा तृतीय श्रेणी के लिए प्रतीक्षालय नहीं है ;

(ख) क्या उनके लिये एक योजना बनाई जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, सुन्दरनगर और मंडी से सड़क द्वारा जुड़े होने के कारण कीरतपुर साहिब का महत्व बढ़ रहा है।

इस स्टेशन पर 20×30 फीट का तीसरे दर्जे का एक प्रतीक्षालय पहले से ही है। लेकिन ऊंचे दर्जे का कोई प्रतीक्षालय या गोदाम वहां नहीं है।

(ख) और (ग). ऊंचे दर्जे का यातायात कम होने के कारण इस स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था इस समय उचित नहीं समझी जाती।

यदि औचित्य पाया गया और धन उपलब्ध हुआ तो इस स्टेशन पर माल गोदाम और पार्सल घर की व्यवस्था भविष्य में निर्माण कार्यक्रम में की जायेगी।

कछार में लुगदी तथा कागज बनाने का कारखाना

3346. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि सरकारी क्षेत्र के प्रस्तावित लुगदी तथा कागज बनाने के कारखाने की विशेषज्ञ समिति ने कछार की उचित जांच पड़ताल नहीं की है ;

(ख) क्या यह सच है कि समिति ने कछार की मोटे तौर पर जांच की थी जबकि नवगांव मिकिर पहाड़ी क्षेत्र की अधिक व्यापक जांच की गई थी ; और

(ग) क्या सरकार सब संगत कागजातों को एक निष्पक्ष प्राधिकार के समक्ष रखेगी जो कछार तथा अन्य क्षेत्रों में समिति की वास्तविक जांच के प्रतिवेदनों की तुलना करे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ख). जी, नहीं। आसाम में प्रस्तावित कागज लुगदी परियोजना के लिए विभिन्न सम्भावित स्थानों पर आवश्यक विचार किया गया था और तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर कछार में प्रस्तावित संयंत्र को स्थापित किया जाना उचित नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जलपाईगुडी में पुन: रेलवे लाइनें बिछाना

3347. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलपाईगुड़ी में जलपाईगुड़ी-हल्दी बाड़ी और दो मोहनी-चंग्रबन्धा लाइनों को जो वर्ष 1968 में बाढ़ों के कारण अस्त-व्यस्त हो गई थीं, पुन: बिछाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ; और

(ख) क्या इन दो लाइनों को फिर से ठीक करने के लिए सरकार का विचार तुरन्त कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). उत्तर बंगाल की बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं पर सिंचाई और बिजली मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। उस रिपोर्ट का पुन:स्थापना योजनाओं से गहरा सम्बन्ध है। इस मामले में कोई निर्णय तभी किया जा सकता है जब वह रिपोर्ट मिल जायेगी और उस पर विचार कर लिया जायेगा।

उत्तर और पूर्व रेलवे को गाड़ियों और सम्पति पर हिंसक आक्रमणों के कारण क्षति

3348. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के चंडीगढ़ पर निर्णय के संदर्भ में उत्तर रेलवे को कितने मूल्य की क्षति हुई तथा यात्री और माल भाड़े की यातायात से होने वाली आय की कितनी हानि हुई ;

(ख) पश्चिम बंगाल में रेल गाड़ियों, स्टेशनों आदि पर हिंसक आक्रमणों के फलस्वरूप पूर्व रेलवे को वर्ष 1969 में वर्ष 1968 की तुलना में कितने मूल्य की क्षति हुई तथा यात्री और माल भाड़े की यातायात से होने वाली आय की कितनी हानि हुई ;

(ग) पूर्व रेलवे में वर्ष 1968 तथा 1969 में गाड़ी रोके रखने की कितनी घटनाएं हुईं ;

(घ) वर्ष 1968 तथा 1969 में पूर्व रेलवे के कर्मचारियों पर आक्रमण के कारण कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए ; और

(ङ) पूर्व रेलवे ने वर्ष 1968 तथा 1969 में हिंसक आक्रमणों के कारण घायल होने वालों अथवा मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) कुल मिलाकर 78 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(ख) 1969 और 1968 में क्रमश: (लगभग) 20272 रुपये और 402 रुपये।

(ग) 1968 और 1969 में क्रमश: 69 और 101 गाड़ियां रोकी गयीं।

(घ) 1968 और 1969 के दौरान क्रमश: 20 और 110 रेल कर्मचारी जख्मी हुए थे। किसी की मृत्यु नहीं हुई।

(ङ) कुछ नहीं।

नंगल बांध से ऊना (हिमाचल प्रदेश) तक रेलवे लाइन का विस्तार

3349. श्री निहाल सिंह :
श्री अदिचन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उनके मंत्रालय को नंगल बांध से हिमाचल प्रदेश में ऊन तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क), (ख) और (ग). भारत के उवर्रक निगम की मौजूदा बड़ी लाइन निजी साइडिंग का विस्तार करके लाइन को नांगल के आगे अजौली तक (ऊना क्षेत्र में) बढ़ाने के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1967 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ था और उस पर भारत के उर्वरक निगम और भाखड़ा प्रबन्ध मण्डल के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

Public Undertakings set up with Russian Aid

3350. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the names of the public undertakings under his Ministry which have been set up with the Russian aid ;

(b) in which of the industries production has already started : and

(c) the amount of Soviet aid received for each such undertaking ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The names of the public undertakings of this Ministry which have been set up with Russian aid are :—

(i) Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar of Bharat Heavy Electricals Ltd.

(ii) Opthalmic Glass Plant, Durgapur of the National Instruments Ltd.

(iii) Precision Instruments Plant, Kota and

(iv) Mechanical Instruments Plant, Palghat of Instrumentation Ltd.

(b) The undertakings at (i) to (iii) above have already gone into production.

(c) The amounts of Soviet aid allocated and received for each of the above projects seriatim are as under :—

(i) An allocation of 29·39 million Roubles has been made. The projects authorities have utilised 22.37 million Roubles so far.

(ii) All allocation of 2·30 million Roubles has been made for this project.

(iii) A tentative allocation of 5.03 miilion Roubles has been made for this project out of which the projccts authorities have drawn 3.24 million Roubles by 28-2-1969.

(iv) An allocation of 4.74 million Roubles has been made for this Plant. The project authorities have utilised 0.44 million Roubles for preparation of project report.

दिल्ली छावनी के निकट जेल रोड फाटक पर ऊपरी पुल

3351. **श्री बलराज मधोक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन से निकट जेल रोड रेल फाटक पर कोई ऊपरी पुल नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह रेल फाटक दिल्ली छावनी और पश्चिम दिल्ली की बस्तियों के बीच बढ़ते हुए यातायात के लिए बहुत बाधक बन गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस रेल फाटक पर एक ऊपरी पुल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह एक व्यस्त समपार है जहां गाड़ियों के गुजरने और शंटिंग कार्य के लिए फाटक बन्द होने पर यातायात रुक जाता है ।

(ग) वर्तमान व्यस्त समपारों की जगह रेलों द्वारा ऊपरी/निचले सड़क पुल बनाये जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह योजना राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाय और वे अपने हिस्से का खर्च वहन करने के लिए तैयार हों । स्थूल रूप से, नये लागू नियमों के अन्तर्गत, 24 फुट चौड़े सड़क मार्ग के लिए ऊपरी/निचले सड़क पुल तथा पहुँच मार्गों (पहुंच मार्गों के लिए भूमि का मूल्य छोड़कर) की लागत का 50 प्रतिशत रेलों द्वारा और शेष 50 प्रतिशत पहुंच मार्गों के लिये भूमि अधिग्रहण का खर्च सड़क प्राधिकारी द्वारा वहन किया जाता है ।

इस विशेष मामले में, दिल्ली प्रशासन से अक्टूबर, 196; में सड़क ऊपरी पुल के लिए केवल एक अनन्तिम प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, लेकिन रेलवे को कोई निश्चित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

टाटा के ट्रकों और बसों के ढांचों के मूल्यों में वृद्धि

3352. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 12 महीनों में टाटा के ट्रकों तथा बसों के ढांचों के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड ने अपने वाहनों के मूल्यो में 14 अक्तूबर, 1969 से वृद्धि कर दी है।

(ख) 312 प्रकार के चेसिस का 1500 रुपये तथा 1210 प्रकार की चेसिस का 2000 रुपये प्रति है।

(ग) इस समय व्यावसायिक गाड़ियों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि उत्पादकों को उन परिस्थितियों जिनमें उन्होंने अपने वाहनों की मूल्य में वृद्धि की है को बनाने तथा इस प्रकार की मूल्य वृद्धि के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में निर्माताओं से प्राप्त जानकारी की अभी जाँच की जा रही है।

दिल्ली राज्य नारी निकेतन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

3353. **श्री अचल सिंह : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य नारी निकेतन बोर्ड दिल्ली प्रशासन के अधीन एक सांविधिक बोर्ड है ;

(ख) यदि हां, तो नारी निकेतन में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या इसके कर्मचारियों पर दिल्ली प्रशासन के नियम तथा विनियम लागू हैं ;

(घ) वर्ष 1969 में दिल्ली प्रशासन द्वारा नारी निकेतन की कितनी महिलाओं/लड़कियों को पुनः बसा दिया गया है ; और

(ङ) क्या नारी निकेतन बोर्ड के सदस्यों को सरकार द्वारा नामजद किया जाता है अथवा उनका निर्वाचन होता है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं।

(घ) वर्ष 1969 में 229 स्त्रियों/लड़कियों का पुनर्वास किया गया था।

(ङ) सरकार द्वारा मनोनीत।

नारी निकेतन, दिल्ली

3354. **श्री अचल सिंह : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन केन्द्रीय आय-व्ययक से नारी निकेतन के लिए आय-व्ययक की व्यवस्था करता है ;

(ख) (1) दिल्ली प्रशासन, (2) दिल्ली राज्य समाज कल्याण बोर्ड तथा (3) अन्य साधनों से दिल्ली राज्य नारी निकेतन के लिए प्रति वर्ष कितना अनुदान मन्जूर किया जाता है ;

(ग) इस समय नारी-निकेतन में कितने व्यक्ति, बच्चे, लड़कियां और स्त्रियां रहती हैं ;

(घ) नारी निकेतन में अधीक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापक, ड्राइवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दर्जी और अन्य पदों पर यदि कोई कर्मचारी हैं, तो उनकी संख्या अलग-अलग कितनी है ;

(ङ) क्या दिल्ली प्रशासन सभी पदों की मंजूरी देता है ;

(च) बोर्ड इस धन को कर्मचारियों, नारी निकेतन में रहने वालों, आनुषंगिक व्यय, नल-कूप आदि पर किस प्रकार खर्च करता है ; और

(छ) नारी-निकेतन के विरुद्ध नारी-निकेतन की सेवा से निकाले गये लोगों के कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) 1968-69 के दौरान निम्नलिखित अनुदानें दी गई थी :

	रुपये
1. दिल्ली प्रशासन	1,50,000
2. दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड	8,000
3. अन्य सूत्रों से	शून्य

(ग) 13-3-1970 को निम्नलिखित निवासी थे :

बच्चे	5
लड़कियां	11
स्त्रियां	98
	114

(घ) नारी निकेतन में इस समय निम्नलिखित कर्मचारी काम कर रहे हैं :

1. अधीक्षक	1
2. सामाजिक कार्यकर्ता	1
3. लिपिक	3
4. अध्यापक/प्रशिक्षण	6
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14
6. ड्राइवर	1
7. बावर्ची (आंशिक समय का)	1
8. लेडी डाक्टर (आंशिक समय की)	1

(ङ) हां ।

(च) 1968-69 में नीचे दिये अनुसार खर्च हुआ :

	रुपये
1. कर्मचारियों का वेतन	78,876
2. निवासी	62,834
3. फुटकर खर्च	15,912
4. ट्यूबवेल समेत भूमि का सुधार	5,572

(छ) एक ।

Employees of S. S. Light Railway

3355. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Railways** be plased to state :

(a) whether Government are aware that the employees of the S. S. Light Railway, which operates from Shahdara to Saharanpur, are the lowest paid among all the Railway employees ;

(b) whether it is a fact that the salary paid to an employee working on the said Railway line is about one-third of the salary paid to his counter-part on other Railway lines ;

(c) whether it is also a fact that the Officers working in the aforesaid Railway line are getting higher pay than those working in the broad-gauge lines and if so, their scales of pay ; and

(d) Government's reaction in this regard ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) to (d). Since the Shahdra Saharanpur Light Railway system is managed by a private managing agency-Messrs Martin Burn Ltd., Government have no information relating to the emoluments drawn by the staff working on this Railway. However, the information has been called for from the said agency and will be laid on the table of the Sabha when the same is received.

मध्य प्रदेश में इन्जीनियरी उपकरणों पर आधारित औद्योगिक एककों की स्थापना

3356. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी : **श्री लखन लाल गुप्त :**
श्री गं० च० दीक्षित : **श्री शशि भूषण :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में एक गैस सिलंडर संयंत्र सहित कुछ इंजीनियरी उपकरणों पर आधारित औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए कोई सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इन प्रतिवेदनों पर कोई निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन विशेष उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा किन राज्यों में ; और

(घ) इन राज्यों ने इन उद्योगों की स्थापना के लिए क्या-क्या विभिन्न सुविधाएं तथा शिकायतें देने की पेशकश की हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने एच० पी० गैस सिलेन्डरों के सरकारी क्षेत्र में निर्माण की परियोजना के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रतिवेदन की जांच की है और इस एकक की नैनी में स्थापना का निर्णय किया है। अन्य परियोजना जो कच्चे लोहे के निर्माण के लिए है, मध्य प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है।

(घ) नैनी में प्रस्तावित एकक के लिए सभी नए औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई।

विशाखापत्तनम में इस्पात सयंत्र की स्थापना

3357. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री अ० सि० सहगल : **श्री लखन लाल गुप्त :**
श्री शशि भूषण : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है तथा उसकी क्षमता कितनी होगी ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय का परामर्श लिया गया है कि इस संयंत्र को पत्तन के किस स्थान पर लगाया जाये और क्या उनका परामर्श मिल गया है ;

(ग) डी०वी०के० रेलवे लाइन के रास्ते कितना कच्चा माल बस्तर से विशाखापत्तनम ले जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) लौह अयस्क के निर्यात के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के बाद क्या रेलवे अतिरिक्त भार को ढो सकेगी ; और

(ङ) क्या डी०वी०के० लाइन को दोहरा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी और क्या इस लागत को संयंत्र की लागत में शामिल किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). नए इस्पात कारखाने स्थापित करने और उनके स्थानों के विषय में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है । स्थानों के विषय में अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व सभी सम्बन्धित बातों पर विचार किया जाएगा ।

(ङ) इस समय डी०वी०के० लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बम्बई में रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों के लिए आवास स्थान

3358. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई उपनगरीय सेक्शन के लिए पश्चिमी तथा मध्य रेलवे के कुल कितने वाणिज्यिक क्लर्क हैं ;

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पर वाणिज्यिक क्लर्क नियुक्त हैं और प्रत्येक स्टेशन पर ऐसे क्लर्क कितने-कितने हैं ;

(ग) प्रत्येक स्टेशन पर कितने-कितने वाणिज्यिक क्लर्कों को रिहायशी मकान दिये गये हैं ;

(घ) बम्बई में मकानों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कर्मचारियों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या सरकार इस समय कठिनाई-ग्रस्त सभी कर्मचारियों को निवास स्थान उपलब्ध करने का विचार करेगी ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क)

मध्य रेलवे	1102
पश्चिम रेलवे	1407

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया। [**ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल०टी० 2908/70।]

(घ) से (च). धन उपलब्ध होने पर क्वार्टरों का निर्माण एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है।

रेल कर्मचारियों का अत्यावश्यक और गैर-अत्यावश्यक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण

3359. **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री रेल कर्मचारियों का अत्यावश्यक और गैर-अत्यावश्यक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण करने के बारे में 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2909/70।**]

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

भारतीय रेलों में कर्मचारियों के वेतनमानों में अंतर

3360. **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चंद्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में विभिन्न ग्रेडों में नियुक्त वाणिज्यिक क्लर्कों, संगचल टिकट परीक्षकों, टिकट कलेक्टरों, लेखा क्लर्कों, स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) भारतीय रेलों में प्रत्येक रेलवे में 250-380 रुपये, 335-425 रुपये, 370-475 रुपये, 450-575 रुपये के ग्रेडों में नियुक्त कुल वाणिज्यिक निरीक्षकों, मुख्य टिकट परीक्षकों, मुख्य टिकट कलेक्टरों, संगचल इंसपेक्टरों और लेखा परिवहन निरीक्षकों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों के लिए विभिन्न ग्रेडों के पदों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है ; और

(घ) यदि कोई अन्तर है तो उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क), (ख) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2910/70।]

हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज बनाने के कारखाने

3361. **श्री अदिचन :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अखबारी कागज उद्योग के विकास-कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चौथी योजना में अखबारी कागज के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित है और योजना की समाप्ति तक इस बारे में हमारा देश किस सीमा तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) केरल में सरकारी क्षेत्र में 75,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला अखबारी कागज का एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है।

हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में 60,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला अखबारी कागज का एक संयंत्र स्थापित करने का एक दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) चौथी योजना में अखबारी कागज का स्थायी लक्ष्य 1,65,000 मी० टन वार्षिक निर्धारित किया गया है और कागज, लुगदी तथा सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद ने 1973-74 के अन्त तक 2,65,000 मी० टन अखबारी कागज की मांग का अनुमान लगाया है। उपर्युक्त परियोजनाओं के कार्यान्वियन के पश्चात् भी अखबारी कागज की मांग और देशी उत्पादन के बीच व्यवधान ना ही रहेगा।

समाज विरोधी तत्वों से रेलवे को हानि

3362. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के पिछले सत्र की समाप्ति के बाद से रेलवे को समाज विरोधी तत्वों से हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह अनुमान क्या है ; और

(ग) रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) और (ख). 25-12-69 से 19-2-70 तक की अवधि में असामाजिक तत्वों की भीड़ द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप रेल सम्पत्ति को 22.9 लाख रुपये कि क्षति होने का अनुमान है।

(ग) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करने और इस तरह की स्थितियों से निबटने के लिए राज्य पुलिस की सहायता करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल/रेलवे सुरक्षा विशेष दल का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था की देख-भाल करने वाले राज्य पुलिस प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके साथ निकटतम सम्पर्क रखा जा रहा है।

रेल सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने अथवा नष्ट करने वालों को निवारक दण्ड देने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से संसद् के चालू सत्र में एक विधेयक लाने का भी प्रस्ताव है। रेल सम्पत्ति जैसी राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के विनाश के क्या घातक प्रभाव होते हैं, जनता को उनसे अवगत कराने के भी उपाय किये जाते हैं।

दिल्ली की जे० जे० कालोनी और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हरिजनों की दशा

3363. **श्री बलराज मधोक :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को जे० जे० कालोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हरिजनों की संख्या तथा दशा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कालोनियों में हरिजनों के रहन-सहन की दशा में सुधार करने से पूर्व की कार्यवाही के तौर पर ऐसा सर्वेक्षण करने के शिये कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जे० जे० कालोनियों तथा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले अधिकतर लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तथा गरीब हैं। इन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन योजना के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गलियों की बिजली, सड़कों, पानी तथा सफाई जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है। भारत सरकार ने विशेष रूप से हरिजन बस्तियों के सुधार के लिए दिल्ली नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 13.50 लाख रुपये की राशि दी है।

दक्षिण दिल्ली में बसी अपराधी आदिम जातियां

3364. **श्री बलराज मधोक :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में सनलाईट कालोनी और बाघुतरा सिंह कैम्प मे कई सिगलिगार और तथा कथित अपराधी आदिम जातियों के अन्य व्यक्ति रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको स्थायी तौर पर बसाने और समाज के उपयुक्त बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) हां श्रीमान ।

(ख) सिगलीगारों के लिए कोई अलग योजना नहीं है, परन्तु विमुक्त आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये निम्नलिखित योजनायें चल रही हैं :—

(1) लड़कों के लिए संस्कार केंद्र ।

(2) विमुक्त आदिम जातियों के लिए तीन कल्याण केंद्र ।

चालू वित्तीय वर्ष में लड़कियों के लिए एक संस्कार आश्रय खोला जायेगा तथा "वियुक्त आदिम जातियों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक एककों" की एक और योजना शुरू की जायेगी ।

गोहाटी रेलवे स्टेशन पर जलपान एकक

3365. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी रेलवे स्टेशन पर स्थित जलपान एकक का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है ;

(ख) गोहाटी एकक की मासिक आय क्या है ;

(ग) क्या यह एकक की मासिक आय क्या है ;

(घ) इस एकक के एक जलपान निरीक्षक के अधीन रहने के क्या कारण हैं जबकि कटिहार एकक जो कि हानि में चल रहा है, एक निरीक्षक के अधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गोहाटी रेलवे स्टेशन जलपान-एकक का दर्जा शीघ्र ही बढ़ाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलाजरी लाल नंदा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय गुवाहटी विभागीय खान-पान यूनिट के पर्यवेक्षक इंचार्ज के पद का ग्रेड बढ़ाने से है । फिलहाल गुवाहटी खान-पान यूनिट के पर्यवेक्षक इंचार्ज के पद का ग्रेड बढ़ाने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) 1968-69 के दौरान गुवाहाटी खान-पान यूनिट की औसत मासिक बिक्री 39,446 रुपये थी ।

(ग) 1968-69 के वित्तीय वर्ष के दौरान गुवाहटी की खान-पान यूनिट को 5,144 रुपये का घाटा हुआ ।

(घ) और (ङ). गुवाहटी की खान-पान यूनिट 205-280 रुपये का ग्रेड के एक सहायक खान-पान निरीक्षक के चार्ज में है। 250-380 रुपये ग्रेड का मुख्यालय खान-पान निरीक्षक भी इस यूनिट के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। कटिहार का खान-पान निरीक्षक 250-380 रुपये के ग्रेड में है लेकिन वह अपनी यूनिट के अतिरिक्त न्यू-जलपाई गुड़ी की खान-पान यूनिट का भी पर्यवेक्षण करता है।

गुवाहाटी के सहायक खान-पान निरीक्षक के पद का ग्रेड बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मुख्यालय में स्वचालिता मशीनें लगाना

3366. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माली गांव में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में स्वचालित मशीन लगाई गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोहाटी विश्वविद्यालय के छात्र संघ तथा मान्यता प्राप्त रेलवे कार्मिक सघों समेत स्थानीय मजदूर संघों ने स्वचालित मशीन चलाने का विरोध किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में गत पांच वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई।

(घ) क्या इन मशीनों को लगाने के कारण नई भर्ती की गुंजाइश बिल्कुल ही समाप्त हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या बढ़ते हुए आन्दोलन के कारण उत्पादन होने वाली भीषण स्थिति को रोकने के लिए इस स्वचालित मशीन को हटाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारीलाल नन्दा) : (क) आंकड़े संकलित करने के लिए एक संगणक की स्थापना की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। संगणक की स्थापना से रेलों में नियोजन की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। यातायात बढ़ने और संगणक लगने से सुविधा में वृद्धि होने की जो सम्भावना है, उससे कुल मिलाकर रेलों पर भविष्य में नियोजन के अवसर में कमी होने की आशा नहीं है।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

सी० एच० सी० बीकानेर (पूर्व रेलवे) द्वारा सरकारी पद का दुरुपयोग किये जाने के बारे में शिकायतें

3367. श्री शारदा नन्द : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जून, 1969 को बीकानेर स्टेशन पर जी० टी० 2552 को 92 डाउन मेल के साथ जोड़ा गया था और इस बोगी को बीकानेर के सी० एच० सी० ने अपने पुत्र की बारात, जिसमें 78 व्यक्ति थे, के प्रयोग करने के लिये ही लिया था और बिना पूर्व आरक्षण कराये तथा आरक्षण शुल्क दिये बिना ही ये सब व्यक्ति रिवाड़ी तक बिना टिकट गये थे ।

(ख) क्या यह भी सच है कि सक्षम अधिकारी अर्थात् सी० ओ० पी० एस० उत्तर रेलवे, नई दिल्ली की इस प्रयोजन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और इस अतिरिक्त डिब्बे को उस दिन बीकानेर में यात्रियों की भारी भीड़ का बहाना बना कर जोड़ा गया था ।

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग और सरकार को प्राप्त होने वाली आय से वंचित रखने के इस मामले की उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट किये जाने के बावजूद भी इस मामले में विस्तार पूर्वक नीच नहीं की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इसकी जांच कराने और दोषी अधिकारियों को दण्ड देने के सरकार विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि इस मामले में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारीलाल नन्दा) : (क) से (ङ). उत्तर रेलवे, बीकानेर के मुख्य नियंत्रक द्वारा तीसरे दर्जे की एक-एक बोगी जोड़ने और उसका दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं और इनकी जांच की जा रही है ।

कमर्शियल क्लर्कों के मजूरी ढांचे का पुनरीक्षण

3368. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि यातायात में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई जिम्मेवारियां आरम्भ से अन्त तक कमर्शियल क्लर्कों को ही निभानी पड़ती हैं, जिनमें माल प्राप्त करना, बुक करना, आये तथा भेजे गये माल का हिसाब रखना और रेल द्वारा सभी स्थानों को, कम यातायात वाले छोटे-छोटे स्टेशनों को छोड़ कर भेजे गये माल को पहुंचाने का सारा काम शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतनमान में 1 अप्रैल, 1964 से अलग से पुनरीक्षण करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो कमर्शियल क्लर्कों की अब क्षतिपूर्ति करने और इसके फलस्वरूप तथा बाद में प्रस्तावित वेतन आयोग के भेद-भाव से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारीलाल नन्दा) : (क) और (ख). यातायात में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई जिम्मेवारियों और परिचालनिक ड्यूटियों को देखते हुए स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतन-मान के ढांचे में 1-4-1964 से आंशिक रूप से संशोधन किया गया था ।

इसी प्रकार का औचित्य वाणिज्यिक क्लर्कों के वेतन-मानों में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए नहीं पाया गया था ।

(ग) आशा है, जब और जैसे ही विभिन्न कर्मचारियों और संघों द्वारा इन बातों की ओर नये वेतन आयोग का ध्यान दिलाया जायेगा, जैसाकि पिछले वेतन आयोग के समय किया गया था, नया वेतन आयोग उन पर विचार करेगा ।

कर्मशियल क्लर्कों के मजूरी ढांचे का आधार

3369. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशनों पर कार्य करने वाले कमर्शियल क्लर्कों को अपने काउन्टरों पर विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कार्यों और जोखिमों को विशेष जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है और जो अनसचिवीय कर्मचारियों के कार्य की भांति न हो कर एकदम सार्वजनिक कार्य होता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इनको कार्यालयों सचिवालयों के क्लर्कों से अलग करने की दिशा में क्या उपाय किये हैं ताकि वेतन आयोग इनके वेतन ढांचे को गुणों और उनके दायित्वों तथा कार्य को ध्यान में रखते हुए उसका पुनरीक्षण करने में अच्छी प्रकार से विचार कर सके ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारीलाल नन्दा) : (क) और (ख). वाणिज्यिक क्लर्कों के कार्य और दायित्व कार्यालय क्लर्कों से भिन्न है । उनके कार्य और दायित्वों में जो अन्तर है उससे द्वितीय वेतन आयोग अवगत था और आयोग ने इन कोटियों के लिए अलग-अलग वेतन-मानों की सिफारिश की थी ।

रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों की काम करने की शर्तें

3370. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रजातांत्रिक युग आरम्भ होने के फलस्वरूप सामान्य वाहन, दायित्वों, यातायात की प्रगति में वृद्धि, बिक्री, विपणन, शिष्टाचार तथा दावा रोकने के उपायों और अन्य अनेक औपचारिकतायें अपनाने के परिणामस्वरूप रेलवे स्टेशनों के वाणिज्यिक क्लर्कों के कार्यभार और उत्तर दायित्व कई गुना बढ़ गए हैं परन्तु कार्य विश्लेषण अथवा कार्य मानक के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वैज्ञानिक आधार पर नवीन कार्य विश्लेषण कराने के उद्देश्य से इस पहलू पर विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). हाल में रेलों ने प्रचलित कसौटियों के मापदन्ड की समीक्षा की है। जहां तक वाणिज्यिक विभाग का सम्बन्ध है, दो रेलों को छोड़कर, जिनमें अभी मामले की जांच की जा रही है, बाकि रेलों ने जो समीक्षा की है उससे पता चलता है कि प्रचलित मापदंड में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

इज्जत नगर डिवीजन में रेलवे कर्मशियल क्लर्कों द्वारा हस्ताक्षर अभियान

3371. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया रेलवे कर्मशियल क्लर्क्स एसोसिएशन के इज्जत नगर डिविजन एकक द्वारा आरक्षण किये गये 'विषमता हटाओ' हस्ताक्षर अभियान की जानकारी है जिसको अन्य विभिन्न घटकों का भी समर्थन प्राप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव में उठाये गये बुनियादी तथा महत्वपूर्ण मामलों पर पहले सरकार द्वारा तथा बाद में वेतन आयोग द्वारा ब्यौरेवार विचार किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हाँ।

(ख) वेतन आयोग की स्थापना के बारे में सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है और वह निसंदेह इस कोटि की मांगों पर समुचित विचार करेगा।

महिलाओं को प्राथमिकता आधार पर कारों स्कूटरों तथा अन्य वाहनों में नियतन

3372. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कोटे से कार, स्कूटर तथा अन्य वाहनों के नियतन करने के मामले में महिलाओं को क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ख) क्या उन्हें कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के कोटे से कारों तथा स्कूटरों के नियतन के बारे में महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार ही किया जाता है। कुछ आवेदकों को अपवाद रूप में विशेष सुविधा दी जाती है जो मामले की स्थिति पर निर्भर करती है।

विदेशी सहयोग

3373. **श्री जुगल मण्डल :**

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जुलाई, 1969 से फरवरी 1970 की अवधि में विदेशी सहयोग के कितने मामलों को अपनी स्वीकृति दी है तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मन्दी के पिछले तीन वर्षों की तुलना में विदेशी सहयोग की अनुमति देने के सम्बन्ध में इस नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति में किये गये परिवर्तनों का व्यौरा क्या है तथा क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौर पर उक्त नीति में और भी परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जुलाई, 1969 से फरवरी, 1970 तक की अवधि में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों की एक सूची (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा-पटल पर रखी गई । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी० 2911/70]

(ख) से (घ). विदेशी गैर-सरकारी विनियोजन तथा सहयोग सम्बन्धी सरकारी नीति व्यापक तौर पर पूर्ववत ही है पर देश में स्थापित सुदृढ़ औद्योगिक आधार तथा देश में उत्पादित माल के निर्यात सम्बन्ध की आवश्यकता देशीय अनुसंधान और परामर्शदायी सेवाओं तथा सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए मौलिक नीति के ढांचे में सीमित रहते हुए उल्लेखनीय पुर्नविन्यास किया गया है । विदेशी सहयोग सम्बन्धी आवेदनों पर स्वीकृत प्रदान करने में न केवल व्यापक रूप में चयनात्मकता बरती जा रही है । एक ही प्रकार के उत्पादकों के उत्पादन के लिए बार बार किये जाने वाले आयात को रोकने के विचार से, जब कि करीब एक ही समय में उसी प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिये अनेक एककों की स्थापना की जा रही हों समन्वित वार्ता कराने के प्रयास किये जा रहे हैं । आमतौर पर तकनीकी सहयोग समझौते केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए ही स्वीकृत किये जाते हैं । जहां तक सम्भव होता है यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि सहयोग समझौतों में उत्पादित माल का निर्यात किये जाने पर किसी प्रकार के प्रतिबन्धन लगायें जायें तथा समझौते में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है जिसके अधीन आवश्यकता पड़ने पर अन्य भारतीय कम्पनियों को भी विदेशी सहयोगी तथा सभी सम्बन्धित लोगों द्वारा पारस्परिक मान्य तथा सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

निकट-भविष्य में नीति से प्रमुख संशोधन करने का अभी विचार नहीं है ।

मध्य रेलवे की पूना-लोनावला लाइन पर अतिरिक्त रेल गाड़ियां

3374. **श्री जगनाथ राव जोशी : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना तथा लोनावला के बीच अनेक उद्योग स्थापित हो गये हैं तथा वहां और अधिक स्थानीय गाड़ियां चलाने को उत्तरोत्तर मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नंदा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, जैसे ही बिजली गाड़ी के और अधिक डिब्बे उपलब्ध होंगे तथा दूसरी आवश्यक सुविधाओं का विकास हो जायेगा ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

औद्योगिक पूंजी विनियोजन में कमी

3375. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी 1970 को दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे श्री जी० डी० बिड़ला के इन विचारों की ओर दिलाया गया है, कि चोंक औद्योगिक पूंजी विनोजन में भारी कमी आ गई है, इसलिए अब अभाव का युग आरम्भ हो जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि बैंकों के पास पर्याप्त धन है, परन्तु उद्योग धन लेने को इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में कोई अधिक गतिविधि नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में, वर्षवार उद्योग में पूंजी विनियोजन में कितनी कमी हुई है ; और

(घ) व्यक्त किए गये उपरोक्त विचारों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सरकार व्यक्तिगत दृष्टिकोणों पर अपने विचार नहीं देती ।

आयातित वस्तुओं की जगह विभिन्न मानवीकृत वस्तुओं से विदेशी मुद्रा बचाना

3376. **श्री एस० आर दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी परियोजनाओं के अधिकारियों को कहा है कि वे विदेशों से सामान भेजने वालों से विभिन्न मानवीकृत वस्तुओं के नक्शे मंगाये ताकि उन वस्तुओं को देश में ही बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और आयातित वस्तुओं की जगह इस प्रकार बनी देशी वस्तुओं के प्रयोग से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा बचने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) यह अब स्पष्ट है कि इन अनुदेशों को प्रभावशाली बनाने के लिए, जहाँ कहीं भी संभव है, परियोजना प्राधिकारी अवसर से लाभ उठा रहे हैं। इन अनुदेशों के अन्तर्गत संपूर्ण उद्योग क्षेत्र आ जाता है। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में की गई उन्नति तथा उसके परिणामस्वरूप हुई बचत का यथार्थ मूल्यांकन करना बड़ा कठिन होगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में श्रमिकों में असन्तोष

3377. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को । अप्रैल, 1969 से श्रमिकों में फैले असंतोष के कारण उत्पादन और धन की कितनी हानि हुई ;

(ख) उक्त अवधि में कितने श्रमिक घंटों की हानि हुई और संयंत्र को किसनी क्षति हुई ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि संयंत्र सुचारू ढंग से काम करे क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पंत) : (क) अप्रैल, 1969—15 जनवरी, 1970, की अवधि में श्रमिक झगड़ों के कारण उत्पादन में हुई हानि का अनुमान इस प्रकार है :

(i) विक्रेय कच्चा लोहा	2,350 टन	71.11 मिलियन रुपये
(ii) विक्रेय इस्पात	87,755 टन	

(ख) उपरिलिखित अवधि में श्रमिक अनुशासनहीनता के कारण 3,84,763 काम के घंटों को हानि हुई। जहां तक श्रमिक झगड़ों के कारण हुई हानि का प्रश्न है, इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) कारखानों के कुशल संचालन के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य से मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार विचार-विनिमय किया जाता है और जब कभी आवश्यक होता है राज्य सरकार का सहयोग भी प्राप्त किया जाता है। 5 अगस्त, 1969 से हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन को मान्यता प्रदान कर दी गई है। 1 जून, 1969 से लेकर औद्योगिक विवादों के निपटाने हेतु प्रबन्धकों और मान्यता-प्राप्त यूनियन के बीच 20 समझौते हुए हैं। ग्रुप प्रोत्साहन योजना को लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।

इस्पात का उत्पादन

3378. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इस्पात के उत्पादन में भारी कमी हो गई है और इसका देश में उद्योगों के लिये इस्पात की सप्लाई पर, विशेष कर दक्षिण भारत में, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने प्रमुख रूप से निर्यात के लिये इस्पात का उत्पादन करते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग द्वारा सरकार को दिये गये सुझावों को दृष्टि में रखते हुए देश में इस्पात के वितरण के बारे में पुनर्विचार करने का है ; और

(घ) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पंत) : (क) इण्डियन आयरन और दुर्गापुर इस्पात कारखाना निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। इससे सारे देश में इस्पात की कमी हो गई है। देवी प्रकोपों के कारण दक्षिण भारत को भेजे जाने वाले माल पर रेलवे द्वारा प्रतिबन्ध लगा देने से कमी और भी अधिक हो गई। जैसे याता-यात पुनः आरम्भ हुआ दक्षिण भारत को अधिक माल भेजने के लिए विशेष प्रयत्न किये गये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : संभवतः संकेत इस्पात की वितरण नीति की ओर है। मामला विचाराधीन है। वितरण नीति का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता कई प्रकार के इस्पात उत्पादों की कमी के वर्तमान संदर्भ में पैदा होती है।

Activities of Pakistani Nationals in Rourkela Steel Plant

3379. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 229 on the 22nd July, 1969 regarding the activities of Pakistani Nationals in the Rourkela Steel Plant and state :

(a) the results of enquiry made in consultation with the State authorities of various claims of those employees of the Rourkela Steel Plant who came from Pakistan ;

(b) whether it is a fact that these employees have often tried to obstruct the work of the Plant ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Claims of these employees ore still under verification in consultation with the State authorities.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्ज (इन्डिया) लिमिटेड

3380. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्ज (इण्डिया) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक तथा उनके पुत्र को कम्पनी के धन का घोर दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है ;

(ख) क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के अभिलेखों में इस कम्पनी का पूरा काम , फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स (इण्डिया) प्राइवेट लि० प्रतीत हुआ है। इस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के निदेशक मंडल में केवल तीन व्यक्ति सम्मिलित है, तथा कम्पनी रजिस्ट्रार को, कम्पनी द्वारा मिसिल को गई विवरिण्यों में, किसी को भी प्रबन्ध निदेशक के पद-नाम से नहीं दिखाया गया है। उपलब्ध सामग्री से, कम्पनी को निधि के दुरुपयोग का कोई प्रथम दृष्टया, विषय प्रकट नहीं होता ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Construction of Station on Mathura-Hathras Metre-Gauge Line

*3381. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the expenditure to be incurred on the construction of a crossing station on the Mathura-Hathras Metre-Gauge line and the time by which the construction of the said station would be completed ;

(b) whether there is any provision for a Railway godown and staff quarters at the said station ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) An expenditure of Rs. 4,63,317/- is anticipated to be incurred for provision of a crossing station between Raya and Mursan stations on the Kasganj-Achnera section of this Railway and the work is expected to be completed by 31-3-1971.

(b) There is provision for staff quarters at the above station but construction of a Railway godown is not included.

(c) Railway godown is not considered necessary for the working of this crossing station.

Compensation to Farmers whose Land was Acquired for Sonai Crossing Station at Mathura-Hathras Metre-Gauge Line

*3382. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers whose land has been acquired for the Sonai crossing Station on the Mathura-Hathras metre-gauge line were not served with notices collectively or individually ;

(b) if so, the reosons therefor ;

(c) whether Govetnment would hold discussion with the farmers in regard to payment of compensation and if not, the reasons therefor ; and

(d) the compensation proposed to be given by Government to each of the said farmers and the time by which it is likely to be given ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) to (d). According to the Land Acquisition Act, it is the responsibility of the State Government concerned to issue necessary notice regarding acquisition of land, make payment to the land owners and hand over possession of the land to the Railway. The Railways deposit the money with the State Revenue Authorities as advised by them. In this case, no such advice has been received by the North Eastern Railway so far.

फिरोजपुर डिवोजन (उत्तर रेलवे) के स्टेशन मास्टरों की भूख हड़ताल

3383. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में फिरोजपुर डिवीजन के लगभग 40 स्टेशन मास्टरों ने क्षेत्रीय अधीक्षक के कार्यालय के सामने 48 घण्टे की भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Looting of Passengers in Allahabad-Samastipur Passengers Train

*3384. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the dacoits looted about Rs, 20,000 from the passengers of the Allahabad-Samastipur Passenger train on the night of the 21st February, 1970 ; and

(b) if so, the steps taken by Governmeut for the security of the passenger in view of the said dacoity ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

डोम्बिब्ली यात्री संघ, डोम्बिब्ली का ज्ञापन

3385. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के थाना-कल्याण सैक्शन पर रेलवे सीज़न टिकट वालों की समस्याओं के सम्बन्ध में डोम्बिब्ली यात्री संघ, डोम्बिब्ली से उन्हें कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में किन मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यबाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं : (1) सामान्य रूप से अतिरिक्त लोकल गाड़ियों की व्यवस्था और डोम्बिब्ली स्टेशन पर भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से डोम्बिब्ली से स्पेशल लोकल गाड़ियाँ चलाने की व्यवस्था (2) डोम्बिब्ली स्टेशन पर सभी तेज लोकल गाड़ियां ठहराना (3) डोम्बिब्ली स्टेशन पर मुख्य लाइन की सभी सवारी गाड़ियों को ठहराना (4) डोम्बिबली स्टेशन पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था ।

(ग) एसोसिएशन की मांगों की सविस्तार जांच की गयी थी और बम्बई के उप मंडल अधीक्षक ने 22-9-1969 को अपने कार्यालय में बुलायी गयी बैठक में डोम्बिबली यात्री एसोसिएशन के सदस्यों से भी विचार विमर्श किया था । बम्बई क्षेत्र में कोई अतिरिक्त लोकल गाड़ी चलाना इस समय व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि अतिरिक्त डिब्बे तथा लाइन और टर्मिनल सम्बन्धी क्षमता उपलब्ध नहीं है । कुल 127 लोकल गाड़ियों में से 122 गाड़ियां, जिनमें कुछ तेज लोकल गाड़ियां भी शामिल हैं, डोम्बिबली स्टेशन पर ठहरती हैं । शेष 5 लोकल गाड़ियों और लम्बी दूरी वाली मुख्य लाइन की गाड़ियों को डोम्बिबली स्टेशन पर ठहराना, इन गाड़ियों का उपयोग करने वाले लम्बी दूरी वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को देखते हुए, वांछनीय नहीं पाया गया है ।

सभी प्लेटफार्मों पर छत, पेशावघर, शौचालय, बैंच, पीने के पानी की व्यवस्था, टिकट देने की व्यवस्था, एक छतदार ऊपरी पैदल पुल पर्याप्त रोशनी, पुस्तकों की दुकान, लाउडस्पीकर, चाय की दुकान आदि जैसी यात्री सुविधाएं इस स्टेशन पर मौजूद हैं जो यात्रियों के बर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझे गये हैं। फिर भी, कल्याण एंड पर ऊपरी पैदल पुल को चौड़ा करने का काम रेलवे के 1970-71 के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्टेशन पर लाइसेंस-दार भारिकों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गयी है।

उत्तर रेलवे की रुपर-नंगल बांध लाइन पर सुविधायें

3386. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे को रुपर-नंगल बांध लाइन के बारे में पंजाब सरकार तथा रेलवे बोर्ड के मध्य हुए करार की अवधि पूरी हो गई है तथा इस सैक्शन को रेलवे बोर्ड ने अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस करार के कारण यात्रियों तथा कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सभी सुविधायें रुकी हुई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड द्वारा इस सैक्शन में सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी हां। करार अक्तूबर, 1968 में समाप्त हो गया और तब यह खण्ड भारत सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

नंगल-बांध रेलवे स्टेशन का विकास

3387. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा पर्यटकों के लिये महत्वपूर्ण स्टेशन होने के नाते उत्तर रेलवे के नंगल-बांध रेलवे स्टेशन का विकास करने वहां कर्मचारियों के लिये आवासों तथा एक तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय का निर्माण करने—की एक योजना तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ; और

(ग) क्या माल लादने तथा उतारने सम्बन्धी प्रबन्ध भी शीघ्र ही किये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) जी नहीं, क्योंकि इस स्टेशन पर तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय, ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय, छतदार प्लेटफार्म और दूसरी बुनियादी यात्री-सुविधाएं तथा मालगोदाम, पार्सल घर और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर पहले से मौजूद हैं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

अम्बाला-नंगल बांध लाइन (उत्तर रेलवे) पर रेलगाड़ी सेवा बंद होना

3388. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों तथा आम जनता की भारी भीड़ होने के बावजूद उत्तर रेलवे में अम्बाला-नंगल बांध से कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां बन्द कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार इन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने अथवा इनके स्थान पर एक अन्य सेवा आरम्भ करने का विचार करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). पहले की । एम० एस० एन०/2 एम० एस० एन० मेरठ सिटी-नंगल डैम सवारी गाड़ियों में अम्बाला-नंगल डैम खण्ड पर यात्रियों की संख्या इतनी कम रहती थी कि इन गाड़ियों का चालन क्षेत्र कम करके केवल मेरठ-अम्बाला खण्ड तक सीमित कर दिया गया था । अम्बाला-नांगल डैम खण्ड पर तीन जोड़ी गाड़ियां अब भी चल रही हैं जिनमें 53 अप/54 डाउन दिल्ली-नांगल डैम एक्सप्रैस गाड़ियां शामिल हैं । वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये गाड़ियां पर्याप्त समझी जाती हैं ।

(ग) अम्बाला-नांगल डैम खण्ड पर इन गाड़ियों को फिर से चलाने का या डीज़ल रेल कार चलाने का कोई विचार नहीं है ।

मध्य प्रदेश को लोहे तथा इस्पात का नियतन

3389. **श्री अ० सि० सहगल :** **श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री शशि भूषण : **श्री लखन लाल गुप्ता :**

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों की वास्तविक मांग के अनुसार लोहे तथा इस्पात की दुर्लभ किस्मों का नियतन नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मांग की तुलना में अब तक कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है और माँग तथा सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) सारे देश में इस्पात की, विशेषतः चादरों, प्लेटों और तार-छड़ों की, सामान्य कमी है, अतः इन किस्मों के इस्पात पर अधिकांश निर्भर उद्योगों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकी है ।

(ख) दिसम्बर, 1969 तक की गई आपूर्ति की सूचना नीचे दी गई है :

सादी काली चादरें (14 गेज तक)	42 टन
सादी काली चादरे (16-20 गेज)	67 टन

सादी काली चादरें (20 गेज से कम)	115 टन
जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें	916 टन
जोड़	1140 टन

वास्तविक उपभोक्ता-लाइसेंस-नीति के अन्तर्गत दिए जाने वाले माल की मात्रा में वृद्धि करने तथा थोक आयात द्वारा मांग तथा देशीय सप्लाई में अन्तर को कम करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा डिजाइनिंग तथा इन्जीनियरी कार्य

3390. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को बोकारो इस्पात संयंत्र के चरण—1 के एक भाग के लिए परामर्शदात्री कार्य दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र का कितना डिजाइनिंग तथा इंजीनियरी कार्य उन्हें सौंपा गया है।

(ग) सारे संयंत्र का डिजाइन तथा इंजीनियरी कार्य उन्हें न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त कम्पनी ने संयंत्र के (चरण—2) के विस्तार कार्य का डिजाइन तथा इंजीनियरी काम उन्हें सौंपने का आवेदन किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो बोकारो चरण—2 के डिजाइन तथा इंजीनियरी कार्य के लिए परामर्शदात्री सेवा की उनकी पेशकश के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पंत) : (क) जी हां।

(ख) बोकारो स्टील लि० और मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के बीच 25 जनवरी, 1967 को संपन्न हुए करार के अनुसार मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को आलेख तैयार करने और सोवियत संभरकर्ताओं के क्षेत्र में जो आलेख, यंत्र, मशीनें और उपकरण नहीं है उनके लिए ठेके के कागज-पत्र प्रस्तुत करने, तथा उपकरणों की उपयुक्तता तथा मूल्यों के औचित्य की जांच और उनके सम्बन्ध में राय देने का कार्य सौंपा गया है। इन स्रोतों से प्राप्त उपकरणों का निरीक्षण भी उन्हें करना है। इसके अतिरिक्त सोवियत सलाहकारों द्वारा सप्लाई किए गए आलेखों के आधार पर हिन्दुस्तान में रूपांकित की जाने वाले इकाइयों के लिए उन्हें रूपांकन एवं निर्माण-आलेख उन्हें भी तैयार करने हैं। यंत्रों एवं सुविधाओं के जो मद उनके क्षेत्र में है उनका रूपांकन-कर्ता के रूप

में पर्यवेक्षण करता है तथा कारखाने की जिन इकाइयों का उन्होंने रूपांकन किया है उनको चालू करने में उन्हें सोवियत सलाहकारों के पर्यवेक्षण में बोकारो स्टील लि० की सहायता करती है।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये सोवियत ऋण की शर्तों के अनुसार सोवियत संस्थाएं मुख्य सलाहकार हैं और आलेख एवं उपकरणों के कार्यफल की गारन्टी देने की उनकी जिम्मेदारी है। जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को भी कारखाने से सम्बन्धित रखा गया है और उन्हें ऐसे रूपांकन कार्य सौंपे गये हैं जो कि सोवियत सलाहकार के क्षेत्र में नहीं है।

(घ) और (ङ). मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ हुए करार में यह दिया हुआ है कि कम्पनी (बोकारो स्टील लि०) भारतीय इंजीनियरी सलाहकार (मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी) को प्रायोजना का 40 लाख टन पिण्ड प्रतिवर्ष क्षमता तक विस्तार पूरा होने तक सम्बद्ध रखना चाहती है।

दूसरे चरण में हिन्दुस्तान स्टील लि० का केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। प्रथम चरण के निर्माण में यह कार्य सोवियत संगठन को सौंपा गया था। ऐसा निर्णय किया गया है कि उनके साथ हुए करार के अनुसार मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को बोकारो के दूसरे चरण के लिए परामर्श देने का कार्य सौंपा जायेगा जैसा कि पहले चरण के निर्माण के लिए सौंपा गया था।

बोकारो इस्पात संयंत्र का डिजाइन तथा इंजीनियरी कार्य

3391. **श्री समर गुह :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के साथ बातचीत के टूट जाने के बाद तत्कालीन इस्पात मन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने 19 अप्रैल, 1964 को सभा में घोषणा की थी कि..."हमने परियोजना का अग्रेतर इंजीनियरी कार्य भारतीय इंजीनियरी फर्म मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी, जिन्होंने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है, को देने का निर्णय किया है। परामर्श देने के बारे में ठेके पर स्वीकृति हो गई है तथा फर्म अपना इंजीनियरी कार्य जो इस समझौते को देखते हुए पहले ही आरम्भ कर दिया है, जारी रखेगी। परामर्शदाता नियुक्त किये जा चुके हैं तथा वे निविदा के लिए विशिष्ट विवरण तैयार करने में लगे हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मंत्री द्वारा सभा में दिए गए वचन को पूरा न किये जाने तथा संयंत्र के अधिकांश डिजाइन तथा इंजीनियरी कार्य को रूस के तजापेरोमिक्सपोर्ट को सौंपे जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) जी, हां। उल्लिखित घोषणा अमरीका के साथ बातचीत टूट जाने के बाद की गई थी।

(ख) उल्लिखित घोषणा में 9-4-1964 की सही स्थिति बताई गई थी लेकिन उस समय कोई करार नहीं हुआ था। उसके तुरन्त बाद अर्थात् मई, 1964 को सोवियत सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण हेतु तकनीकी व आर्थिक सहायता देने की इच्छा प्रकट की बदली हुई परिस्थितियों में सोवियत संगठन को प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और यह भी सुनिश्चत कर लिया गया कि 'दस्तूर एण्ड कम्पनी' भी प्रायोजन, से सम्बन्ध रहेगा और इसी के अनुसार कारखाने के प्रथम चरण को पूरा करने में दस्तूर ण्ड कम्पनी को सोवियत संगठन के क्षेत्र से बाहर के विभिन्न परामर्श कार्य सौंपे गये थे।

रूस के तजापरोमिक्स पोर्ट द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण

3392. **श्री समर गुह : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण का ठेका किन शर्तों पर रूस के तजापरोमिक्सपोर्ट को सौंपा गया है ;

(ख) रूस के तजापरोमिक्सपोर्ट ने कितने इंजीनियर काम पर लगाये हैं तथा उनमें से कितने इजीनियर भारतीय हैं तथा कितने रूसी ;

(ग) रूसी विशेषज्ञों के वेतन, भत्तों, विदेशी यात्रा, स्थानीय दौरों, कार्यालय तथा आवास चिकित्सा व्यय, बीमा परिवहन, आयकर, केन्टीन, सहकारी भंडार, स्कूलों, क्लबों तथा चलचित्रों, एवं उनके लिये दुभाषियों तथा डाक्टरों की व्यवस्था आदि पर खर्च का कितना भार भारत सरकार वहन करेगी ; और

(घ) करार करने वाले रूस के तजापरोमिक्सपोर्ट समवाय को स्वयं यह भार वहन करने को न कहे जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए 25 जनवरी, 1965 के भारत-रूसी करार और 3 मई, 1966 को बीच सम्पन्न हुए बोकारो स्टील लि० और त्याजप्रोमेक्सपोर्ट के बीच सम्पन्न हुए करारों के अनुसार मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट मुख्य सम्भरणकर्ता एवं सलाहकार के रूप में मुख्यतः निम्न कार्य कर रहे हैं। कार्य की शर्तें भी साथ हीं दी हुई हैं :

(1) 40 लाख टन क्षमता के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करना, कारखाने के 17 लाख टन इस्पात पिण्ड के प्रथम चरण के लिए भारतीय सलाहकार को जो इकाईयां नहीं दी गई हैं उनके निर्माण के लिए कार्यकारी आलेखों की सप्लाई तथा रूपांककार के रूप में पर्यवेक्षण करना।

(2) बोकारो प्रथम चरण के लिए जुलाई, 1970 तक रूस से ऐसे उपकरणों और साज-सामान की सप्लाई करना जो भारत में नहीं बनाए जाते। इसमें से 200 मिलियन रूबल (166.6 करोड़ रुपये) के उपकरण आदि की अदायगी ऋण से

होगी और शेष यदि कुछ हुआ तो उसकी अदायगी व्यापार-योजना के अन्तर्गत होगी।

(3) कारखाने के निर्माण और उसे चालू करने के लिए सलाहकार सेवाओं के लिए सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति।

(ख) 25 फरवरी, 1970 को बोकारो इस्पात प्रायोजना में मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट द्वारा 159 रूसी विशेषज्ञ नियुक्त थे। रूसी संगठनों ने भारतीय इंजीनियरों की नियुक्ति नहीं की है।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने के लिए प्रतिनियुक्त सोवियत प्रविधिज्ञों के वेतन तथा भत्तों पर 5.53 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है जिसमें से बोकारो इस्पात कारखाने ने 30 नवम्बर, 1969 तक 1.32 करोड़ रुपये चुका दिये हैं। स्कूल, क्लब, कैन्टीन और चिकित्सा जैसी सुविधाओं पर 15.5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त बोकारो स्टील लि० ने प्रत्येक प्रविधिज्ञ को सुसज्जित मकान देने पर 33,000 रुपये का पूंजी व्यय भी किया है। दुभाषियों और डाक्टरों का खर्च सोवियत सप्लायर वहन करते हैं जबकि बोकारो इस्पात कारखाना उन्हें स्थल पर केवल रहन-सहन की सुविधायें ही प्रदान करता है।

(उ) इन सोवियत प्रविधिज्ञों का खर्च बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा वहन किया जाता हैं। यह बोकारो इस्पात कारखाने और सोवियत संगठन त्याजप्रोमेक्सपोर्ट के बीच 3 मई, 1966 को हुए समझौते के अनुसार है।

Rail Link with Hazari Bagh City

*3393. **Shri S. C. Besra : Will the Minister of Railways be pleased to state :**

(a) the reasons for which Hazaribagh City has not so far been connected with the Railway line ;

(b) whether Government propose to extend the Railway line upto the said city, which is a District Headquarter, at an early date after considering its feasibility and importance ; and

(c) in case a survey for the extension of the Railway line to the above city has been made the total expenditure likely to be incurred on laying the said line ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) to (c). Surveys were carried out in 1945-48 for a new line from Hazaribagh Town to Rampurhaut. The line was then estimated to cost about Rs. 13.5 crores. Due to the high cost of construction, poor traffic prospects and low anticipated return the line was not taken up for construction. The line is likely to cost much more at present day costs of construction and is not likely to be remunerative ; hence its construction cannot be considered at present.

मध्य प्रदेश में पुनर्वेलन मिलों का विलेटों का वितरण

3394. श्री शशि भूषरण : श्री लखन लाल गुप्ता :
श्री गं० चं० दीक्षित : श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में पुनर्वेलन मिलों को विलेटों का वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसे पुनर्वेलन मिल है जिनको विलेटो सप्लाई बिल्कुल नहीं की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्होंने कितनी मात्रा में विलेटो की मांग की है तथा उन्हें विलेट सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अन्य मिलों द्वारा की गई मांगों की तुलना में उन्हें कितनी मात्रा में विलेट सप्लाई किये गये हैं तथा मांग और सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) चूंकि विलेट का उत्पादन रजिस्टर्ड पुनर्वेलकों की एक पारी की क्षमता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी अपर्याप्त है अतः पुनर्वेलन मिलों की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग). केवल रजिस्टर्ड पुनर्वेलकों को ही विलेट का आवंटन किया जाता है । स्क्रेप पुनर्वेलकों को, जो स्क्रैप (रद्दी लोहे) का उपयोग कर सकते हैं, विलेट नहीं दिये जाते हैं ऐसी परिस्थिति में देश के सभी पुनर्वेलकों को (मध्य प्रदेश के पुनर्वेलक भी शामिल है) विलेट का आवंटन नहीं किया जाता है ।

(घ) मध्य प्रदेश के रजिस्टर्ड पुनर्वेलन मिलों को किये गये विलेट के आवंटन और अगस्त, 1969 से जनवरी, 1970, की अवधि में उनको भेजे गये कुल माल का व्यौरा सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

	अगस्त, 1969 से विलेट का मासिक आवंटन (टनों में)	अगस्त, 1969 से जनवरी, 1970 तक का कुल प्रेषण (टनों में)
इंदौर स्टील एण्ड आयरन मिल्स	690 (केवल निर्यात हेतु)	3,893
एम० पी० आयरन एण्ड स्टील वर्क्स	157	751
नेशनल मैटल इंडस्ट्री	200	1,170
*दिग्विजय इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि०	454	2,387
अपीजय प्राइवेट लि०	171	1,107
सेन्ट्रल इंडिया आई० एण्ड एस० कंपनी	150	1,006

*उन्हें 100 टन का तदर्थ वितरण भी किया गया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू तथा काश्मीर विधान मंडल का सत्रावसान

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्रीमान मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ। और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मन्त्री द्वारा, जिनका विधान सभा में बहुमत समाप्त हो गया था, सलाह दिये जाने पर वहाँ के राज्यपाल द्वारा जम्मू तथा कश्मीर विधान-सभा का सत्रावसान।"

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जम्मू तथा कश्मीर के राज्यपाल ने 14 मार्च 70 के प्रातः 8 बजे से विधान मण्डल के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। राज्य-सरकार के एक प्रतिवेदन के अनुसार जम्मू में विभिन्न दलों के आन्दोलनों द्वारा विधान सभा के कार्य में हस्तक्षेप होने के कारण सत्रावसान करना आवश्यक हो गया था।

ऐसा करने में वहां के राज्यपाल ने जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य किया—विधान सभा में कांग्रेस दल का अब भी बहुमत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : गृह कार्य मन्त्री यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मन्त्री-परिषद् को दल में कितना समर्थन प्राप्त है, उसके बारे में कुछ विरोधी बातें हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I rise on a point of order. Can the Minister of Home Affairs state about any party in Assembly whether that is in majority or not ? Is that statement based on the report of the Governor ?

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : चालू बजट के सत्र में विधान-सभा का सत्रावसान कैसे किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ इस पर टिप्पणी कैसे दे सकती है ? मुझे इसका अध्ययन करने दिया जाये।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : हरियाणा से लेकर जम्मू तथा काश्मीर तक यही अस्वस्थ परम्परा है। मुख्य-मन्त्री अपने बचाव के लिये राज्यपाल से सत्रावसन करने की सलाह दें—जम्मू तथा काश्मीर में तो संविधान भी अलग है। श्री सादिक सत्रावसान करने की सलाह देते हैं—ऐसा उन्होंने 1964 में भी किया था। श्री मीर कासिम का सदन में बहुमत है। उनकी शक्ति 35 सदस्यों की है जबकि श्री सादिक के पास के 27 सदस्य हैं। क्या सरकार श्री सादिक को हटने तथा श्री मीर कासिम जिनका बहुमत है, मुख्य मन्त्री बनने के लिये सलाह देगी ? क्या वह राज्यपाल से यह कहेगी कि मुख्य मन्त्री की सलाह पर सत्रावसान नहीं करे ? हमें प्रजातन्त्र की रक्षा

करनी है तथा क्या मैं गृह कार्य मन्त्री से श्री सादिक को हटने के लिये कहने के लिए निवेदन कर सकता हूँ ताकि श्री मीर कासिम बहुमत के साथ सामने आ सकें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस बारे में मेरा कोई विचार यह सलाह देने का नहीं है कि वह मुख्य मन्त्री बने रहें अथवा नहीं। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं दे सकती है। परन्तु श्री सादिक द्वारा प्रेस को दिये गये विवरण से पता चलता है कि वह इस महीने की समाप्ति से पूर्व ही विधान-सभा बुला रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : विधान सभाओं को कुछ सप्ताहों के लिये स्थगित किया जाना चाहिये था—सत्रावसान क्यों किया गया ? क्या सत्रावसान संवैधानिक तथा वैध था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तो यह निर्णय नहीं दे सकता कि उन्होंने ऐसी सलाह क्यों दी मुझे उनकी सलाह का औचित्य नहीं देखना है—राज्यपाल के पास मुख्य-मन्त्री की सलाह के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : इस आधार पर कि वहां एक आन्दोलन चल रहा है वहां सत्रावसान को कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं। आंदोलन तो गत 25 दिनों से चल रहा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : माननीय मन्त्री यह कहते हैं कि उन्हें यह बात मालूम नहीं है कि मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल को सत्रावसान करने के लिए सलाह दी या नहीं—मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैंने तो यह कहा था कि मेरा यह निर्णय करने का काम नहीं है कि उन्होंने राज्यपाल को सलाह दी या नहीं दी। जो सलाह उन्होंने दी उसका कारण मैं बता चुका हूँ। परन्तु संविधान के अनुसार राज्यपाल को एक बार मंत्रि-परिषद् की सलाह लेनी पड़ती है—उनके पास सिवाय इसे मानने के कोई विकल्प नहीं होता है।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : When the discussion was going on the Budget and the voting was to be done on the demands of the portfolios of the Chief-Minister, the advice of the Chief-Minister to the Governor for proroguing the Assembly is politically immoral. The speaker's assent had not been sought. When 32 members of the party of the Chief-Minister defected, the Governor prorogued the Assembly on the ground of the prevalent agitations while the agitation has been going on for the last 25 days. The reason for the agitation is this that the rates of foodgrains etc. at Jammu are much more higher than in the valley of Kashmir and that is why the agitation is going on and eleven hundred persons have been arrested. This is why no excuse regarding that can be made at present and the House cannot be prorogued. The Constitution of Jammu and Kashmir is different from the Constitution of India. Why the Constitution of India is not enforced there in order to protect the rights of the people of Jammu and Kashmir ? Will it be proposed to enforce the Constitution of India there and if not, will the Government take any step to Indianise the Constitution thereof ?

Is it true that the 32 members of the Jammu and Kashmir Assembly are present in Delhi and have called on the Prime Minister and the Minister of Home Affairs ? Have

they explained their grievances ? Has the Chief Minister be lost the confidence of House ? Will the Governor be instructed in the manner in which no harm can be done to the Republic ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जहां तक जम्मू तथा काश्मीर संविधान का सम्बन्ध है---उसमें संशोधन करने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक हमारे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों का सम्बन्ध है--वे समय-समय पर काश्मीर पर लागू किये गये हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या वहां के राज्यपाल को भारतीय संविधान के अन्दर ही कार्य करना पड़ता है ? क्या वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं अथवा वह जम्मू तथा काश्मीर संविधान द्वारा शासित हैं ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जब वह वहा शपथ ग्रहण करते हैं तो वह भारतीय संविधान को मानने की शपथ लेते हैं परन्तु उनके लिये वहां के संविधान को मानना भी अनिवार्य है। उन्हें काश्मीर का संविधान मानने की भी शपथ लेनी पड़ती हैं।

एक माननीय सदस्य ने मुझ से काश्मीर के कुछ सदस्यों की दिल्ली में उपस्थिति व मुझ से मिलने के बारे में पूछा। वे मुझ से नहीं मिले। मेरा उत्तर "ना" में है।

श्री अहमद आगा (बारामूला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। इस स्वयं सिद्धि के दृष्टिकोण से काश्मीर द्वारा निर्मित संविधान भारतीय संविधान से विपरीत है। राज्यपाल के लिए मुख्य मंत्री की सलाह स्वीकार करना लागू नही होती है। राज्यपाल के लिये मुख्य मन्त्री को विधान सभा का सत्रावसान करने के लिए सलाह मानना आवश्यक नहीं था--सही बात तो यह है कि 32 सदस्यों ने मुख्य मन्त्री का पक्ष देने से इन्कार कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का नाम सूची में भी नहीं है तथा वह अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं--यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : राज्यपाल को यह मालूम होने पर कि मुख्य मंत्री ने बहुमत खो दिया है--जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा का सत्रावसान कर दिया--इस संदर्भ में क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के उपबन्ध भारतीय संविधान के उपबन्धों से विपरीत है ? यदि हां, क्या एक ही देश में दो विरोधी संविधान रहने की अनुमति है अथवा सरकार इन दोनों संविधानों में विरोधी बातों को दूर करने का कोई विचार कर रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य की अपनी संवैधानिक सलाह है मेरी सलाह उनसे भिन्न है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह कोई उत्तर नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वहां के संविधान का अध्ययन नहीं किया है। यदि उन्हें जानकारी नहीं है तो उन्हें अपनी अनभिज्ञता प्रकट करनी चाहिये और अध्ययन करना चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : दोनों संविधानों में कोई असंगति नहीं है क्योंकि दूसरे राज्य-

पालों के विषय में भी हमें पता चला है कि सत्रावसान के सम्बन्ध में उन्हें मंत्रिपरिषद् की सलाह लेनी पड़ती है।

श्री देवकीनंदन पटोदिया (जालोर) : मेरा प्रश्न यह था कि क्या दोनों संविधानों के बीच कुछ असंगतियां हैं, यदि हैं, तो सरकार उनको दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (गृह कार्य मंत्री) : ऐसी कोई असंगति नहीं है।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : सरकार राज्यपालों द्वारा या तो सभाओं का सत्रावसान करा रही है जबकि सभा में मुख्य मंत्री का बहुमत समाप्त हो जाता है अथवा सरकारों को उलटने के लिए राज्यपालों का सहारा ले रही है। जम्मू-काश्मीर में मुख्य मंत्री के कहने पर राज्यपाल ने विधान सभा का सत्रावासान कर दिया। अनेकों बार ऐसा किया गया है। 1967 में बंगाल में, 1968 में हरियाणा तथा पंजाब में और 1969 में बिहार में ऐसा ही हुआ है। जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में अपना बहुमत समाप्त होते देखकर राज्यपाल से सभा का सत्रावसान करा दिया। वहां के राज्यपाल ने परिस्थिति को देखते हुये 1967 में बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर की तरह विधान सभा को क्यों नहीं बुलाया ! यदि श्री सादिक का बहुमत समाप्त हो गया था तो उन्हें त्याग पत्र देना चाहिये था और जिसका बहुमत था राज्यपाल को उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिये था। केन्द्र सरकार अल्प संख्यकों को क्यों सहारा दे रही है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : केन्द्र सरकार किसी भी पक्ष का साथ नहीं दे रही है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Government of India considers one or two persons from Kashmir as whole of the State and ignore the opinion of the rest of the people therein. This is evident from the cases of Shri Seikh Abdullah and Bakshi Ghulam Mohammad. The same error is being repeated in the case of Shri Sadiq.

Mr. Sadiq does not have direct relation with the people of Kashmir. What to speak of the people, even the M.L.As. have to wait for months together to have a dialogue with him and the Central Government is fighting tooth and nails to save his Government and to strengthen its position. Statistics of the assistance provided to Kashmir Government since 1964 to 69 as against the assistance prior to 1964 be speaks of the fact. The assistance provided from 1964 to 69 is Rs. 175 crores whereas it has been Rs. 72 crores till 1964, even then, there is no development in Kashmir.

Article 53(2) of Jammu and Kashmir Constitution says that the Governor may prorogue the house on the advice of Chief-Minister, the word used here is may and not shall. I would like to know from the Minister of Home Affairs as to why the Governor did not make his discretionary more after ascertaining the advice of Chief-Minister.

The Home Minister has referred to the agitation in Jammu and Kashmir. This agitation is going on since four months and the State Assembly has been in session for fifteen days during this agitation. I would like to know what special emergency had arison under which Chief-Minister advised the Governor to prorogue the Assembly Mr. Sadiq was going to loose his majority in the asssmbly, that is why he has got the Assembly prorogued indisguise of agitation.

If Mr. Kasim enjoys the majority of the Assembly, he must be invited to form the Government and if otherwise, there should be President rule and the Centre should have the administration of the State in its own jurisdiction. Chief-Minister in minority should not

be allowed to play with the interests of the State and the Centre should lease its assistance to such a person. I would like to know as to when the Assembly is being reconvened to ask the Chief Minister to prove his majority.

श्री यशवंत राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने सरकार के जम्मू काश्मीर में व्यक्ति विशेष को समर्थन देने की जो बात कही है, वह सत्य नहीं है (व्यवधान)

केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को सहयोग देना होता है और उनका सहयोग प्राप्त करना होता है। श्री शेख अब्दुल्ला बख्शी गुलाम मुहमद तथा श्री सादिक सभी के समय में राज्य को सहयोग तथा समर्थन दिया गया है न कि व्यक्ति विशेष को जहां तक संवैधानिक स्थिति का सम्बन्ध है मैं श्री शास्त्री के सूचनार्थ संविधान के अनुच्छेद 35(2) को पढ़ता हूं जो इस प्रकार है :

> "राज्यपाल अपने सभी कार्य, अनुभाग 36, 38 तथा 92 के अन्तर्गत आने वालों के अतिरिक्त, मंत्री परिषद की सलाह से करेगा।"

उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत 'करेगा' (shall) शब्द का प्रयुक्त हुआ है न कि कर सकता है (may) शब्द का।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I rise on a point of order. I have referred article 53(2). Why the hon. Minister does not read that ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं अनुच्छेद 53(2) को पढ़ता हूं। इसमें लिखा है :

> "राज्यपाल समय-समय पर, दोनों सदनों का या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है"

परन्तु हमें संविधान को समग्र रूप से देखना होगा। हम उसकी किसी एक धारा को पढ़ कर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया : श्रीमान, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। गृहकार्य मंत्री ने अभी कहा था कि दोनों संविधानों में कोई असंगति नहीं है परन्तु अब वह कहते हैं कि काश्मीर के संविधान में 'करेगा' शब्द का प्रयोग है अतः राज्यपाल का अपने विवेक की कोई बात नहीं है। कृपया आप मंत्री महोदय को विषय को स्पष्ट करने का निर्देश करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री इसका विवरण दे चुके हैं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) श्री पाटोदिया ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इसका उत्तर आपको देना है न कि मंत्री महोदय को। आप इस विषय को स्पष्ट कीजिए कि क्या भारतीय काश्मीर संविधानो में कुछ विपरीत व्यवस्थायें (cartradicties) हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति के लिए नहीं हूं।

Shri Madhu Limaye (Mongare) : Two articles have been referred to regarding the Constitution of Jammu and Kashmir, one by Shri Prakash Vir Shastri and the other by the Home Minister. The Article referred to by the Home Minister is a conventional acceptabi-

lity and as such there remains no contradictions between Indian Constitution as a whole of the Kashmir Constitution.

There are other articles also in the Constitution. It has been enumerated in Article 355 that the function of the State must go in accordance, with the Constitution and in case function of the State Government violates the Constitutional procedure, then the Central Government is authorised vide section 356 of the Constitution to impose President rule there in the state. The prorogation of the State Assembly due to agitations clarifies the functioning of the State Government in violation of the Costitutional procedure. Despite all this the assembly was prorogued on the advice of Chief-Minister. Does the President not empowered to remove or to direct the Governor ? The Constitution has also made such provisions. Therefore, making reference only to two articles is not proper. I, therefore, request you to start discussion on the Adjournment Motion immediately and if not agreed to it, we may please be allowed to speak on the subject.

श्री स० क० पाटिल : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह उसी विषय पर है अथवा किसी अन्य विषय पर ?

श्री स० क० पाटिल : यह इसी विषय पर है । यदि हम गृह कार्य मंत्री के तर्क से केवल आंखे बन्द कर लें तो इस देश में प्रजातंत्र संचालन में भय उत्पन्न हो जायगा ।

श्री स० क० पाटिल (बानसकंठा) : जम्मू-काश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 35(2) और 53(2) में उन परिस्थितियों की ओर निर्देश किया गया है जबकि राज्यपाल को मुख्य मंत्री का परामर्श लेना चाहिए, किन्तु आपत्तकालीन परिस्थितियों में यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाये कि मुख्य मंत्री को सदन का बहुमत प्राप्त नहीं है तो उसे स्वविवेक से काम लेना पड़ता है । भारतीय संविधान और जम्मू-काश्मीर के संविधान में कोई आधारभूत भेद नहीं है । यदि सदन का प्रधान मंत्री में विश्वास न रहे और यदि ऐसी परिस्थितियों में अपने स्वार्थ हेतु प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को सदन स्थगित करने का परामर्श दे तो निश्चय ही राष्ट्रपति उसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है । इसी प्रकार समान परिस्थितियों में यदि मुख्य मंत्री राज्यपाल को गलत परामर्श देते हैं तो इस परामर्श को स्वीकार करने के लिए वे बाध्य नहीं है । मुख्य प्रश्न तो यह है कि क्या मुख्य मंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त है या नहीं, क्या राज्यपाल उसके परामर्श अनुसार कार्य करते हैं या स्वविवेक से काम लेते हैं । इस मामले में आप विवश नहीं हैं । यदि आपके उत्तर का विरोध नहीं किया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि भारतीय प्रधान मंत्री को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री समान अधिकार प्राप्त है, जबकि वस्तुस्थिति इससे भिन्न है ।

श्री अमिय नाथ बोस (आरामबाग) : गृह मंत्री ने जम्मू-काश्मीर के संविधान की उन दो धाराओं का उल्लेख किया है जिनके अनुसार राज्यपाल को राज्य प्रशासन के लिए मंत्रीमंडल का परामर्श स्वीकार करना पड़ता है । जहां तक सदन के सत्रावसान का सम्बन्ध है संविधान में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है । गृह मंत्री द्वारा इस बात पर बल दिया जाना, कि राज्यपाल मंत्रीमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं उचित नहीं है । मेरे मत के अनुसार वे संविधान के निर्वाचन में गलत सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं और राज्यपाल के कार्य के सम्बन्ध में उनका दिया गया वक्तव्य भी गलत और दोषपूर्ण हैं । गृह मंत्री को सदन में इस बात का उत्तर देना होगा कि तत्कालीन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेक के अधिकार का उपयोग किया है या नहीं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : कुछ दिन पूर्व आपने इस विषय पर चर्चा करने की आज्ञा दी थी। क्या धीरे-धीरे संविधान के छोटे-मोटे दोषों के निराकरण के लिए संशोधन किए जा सकते हैं। हरियाणा के संदर्भ में, राज्यपाल के स्वविवेक के अधिकार को प्रयोग में लाने की चर्चा भी की गई थी। संविधान की भावना की रक्षा करना प्रथम कर्त्तव्य है। राज्यपालों को मंत्रीमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य किया जाता है और यदि राज्यपाल ऐसे अवसर पर स्वविवेक से काम न लेकर मंत्रीमंडल के साथ मिल जाते हैं तो वे संविधान के प्रति उठाई गई शपथ का अतिक्रमण करते हैं।

उक्त प्रश्न का सम्बन्ध मात्र काश्मीर के राज्यपाल से न होकर अन्य राज्यपालों से भी है मुसीबत में पड़े मुख्य मंत्रियों के लिए राज्यपाल रबर की मुहर नहीं बन सकते ; लेकिन आज सब जगह यही कुछ हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय इस समय आपका कर्तव्य उचित निर्देश देना है यह मूलतः केवल संवधानिक या राजनीतिक विषय नहीं है इसका सम्बन्ध उस संविधान की आत्मा से उसकी पवित्रता से है जिसके प्रति निष्ठावान रहने की हम सबने शपथ उठाई है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं अपने उन साथियों से सहमत हूँ जिन्होंने इस विषय से सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्नों को उठाया है जम्मू-काश्मीर की दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी यह प्रार्थना है कि सदन को इस विषय पर विचार-विमर्श करने का अवसर दिया जाए।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : महोदय कुछ माननीय सदस्यों ने राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ जम्मू कश्मीर के तथा भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख कर सदन को पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न किया है। राज्यपाल को स्वविवेक को प्रयोग में लाने का अधिकार संविधान प्रदत्त है। संविधान की शब्दशः तथा उसकी भावना की रक्षा करते हुए राज्यपाल इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक जम्मू काश्मीर का प्रश्न है राज्यपाल ने अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : महोदय इस पर थोड़ी चर्चा करने की आज्ञा दें। क्योंकि इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न निहित नहीं है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मुझे इस विषय से बिल्कुल पृथक कुछ कहना है। कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री के पद पर बने रहे अथवा न रहे। संविधान की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए।

जम्मू कश्मीर का न केवल अपने देश में, अपितु विश्व में भी एक विशेष स्थान है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई विशेषाधिकार नहीं दिये गये हैं।

श्री रणधीर सिंह : निस्सन्देह पंजाब हरियाणा की भांति कश्मीर भारत का एक भाग है किन्तु यह बात स्पष्ट है कि वहां अब कांग्रेस का बहुमत श्री गु० मो० सादिक के पक्ष न होकर

श्री कासिम के पक्ष में है। यदि श्री कासिम मुख्य मंत्री बन जाएं तो इससे संविधान में क्या अंतर पड़ेगा, इसमें क्या हानि है हम अनावश्यक समस्याओं को स्वयं जन्म देते हैं। मैं आशा करता हूँ वहां संविधान का पालन किया जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा की आज्ञा दी जाए हमने सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : आज्ञा अवश्य दी जाएगी यदि राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाए।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यह संविधान के निर्वाचन का प्रश्न हैं।

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय आपका क्या निर्णय है।

अध्यक्ष महोदय : हमने सभाओं के स्थगन उनके सत्रावसान आदि पर चर्चा करनी प्रारम्भ कर दी है। साथ-साथ सदन के, अध्यक्षों के, तथा राज्यपालों के निर्णयों का भी प्रसंगानुसार उल्लेख किया जा रहा है। मैंने उन सभी मामलों में चर्चा करने की आज्ञा दी है जिनका सम्बन्ध किसी संवैधानिक प्रश्न के साथ था। इस विषय पर चर्चा करने की आज्ञा देना ही इस बात का द्योतक है कि स्वयं मुझे इस विषय की संवैधानिकता के सम्बन्ध में सन्देह था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं केवल इस बात का स्पष्टीकरण कराना चाहता हूँ कि क्या संवैधानिक संदेहों का निराकरण ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों अथवा नियमित चर्चा द्वारा हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने चर्चा के लिए अनुमति इसीलिये दी थी कि एक ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव पेश हुआ था। आप दोनों बातें नहीं हो सकती हैं।

दूसरा आप पूछ रहे हैं कि मेरा मत क्या है। इस वक्त अध्यक्ष के नाते मुझे राज्यपालों के आचरण पर निर्णय करने का अधिकार नहीं है।

श्री पीलु मोडी : मैंने अपना मत व्यक्त नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना ही कर सकता हूं ; जब हम यह समझें कि कहीं कुछ गलती हो रही है या संविधान के उपबन्धों के पालन के संबंध में शंका है......**(अन्तर्बाधा)**

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सदन इस सम्बन्ध में बहुत चिंतित है।

Shri Madhu Limaye (Monghyre) : It is the demand of the House as a whole that it should be discussed here. *(Interruption)*.

Shri Rabi Ray (Puri) : It is the demand of the ruling party and opposition party that it should be discussed. *(Interruption)*

श्री पीलु मोडी : देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति में जब ऐसी घटनायें हर हफ्ते में होती हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा अन्तिम आश्रय स्थान संसद है जहाँ इन मामलों के बारे में हम सूक्ष्म रूप से चर्चा कर सकते हैं। हम जब यह देखते हैं कि सत्तारूढ़ दल की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधान सभायें स्थगित की जाती हैं या विघटित की जाती हैं,

मेरा विचार है, कि संसद को इस सम्बन्ध में तत्काल विचार करना चाहिए। चाहे उसके सामने कितने भी कार्य हों उन सब को निलम्बित करके इन मामलों पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान का जब उल्लंघन होता है, साधारणतया समाचार पत्रों द्वारा उसकी जो निन्दा की जानी चाहिये, अब वह नहीं होती। अतः मैं आप से नम्र निवेदन करता हूँ कि जब-जब ये प्रश्न उठते हैं संसद को इन पर चर्चा करने से न रोका जाये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : क्या मैं भी अपने मन को व्यक्त करूं ? (**अंतर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस पर चिन्तित हूं। सत्रावसान एवं स्थगत सम्बन्धी सारी बातों पर मैं गहरी चिंता करता हूँ।

सभापटल पर रखा गया पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार व समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं अधिसूचना सख्या एस०ओ० 4665 में, जो 9 दिसम्बर, 1969 को सभापटल पर रखी गयी थी, तारीख की शुद्धि के बारे में एक विवरण सभापटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया :** देखिये संख्या एल० टी० 2886-70]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATE COMMITTEE

106वां, 107 वां व 108 वां प्रतिवेदन

श्री निरुपल राव (काकिनाडा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :—

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय—अन्तर्देशीय जल परिवहन पर समिति के 74 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 106वां प्रतिवेदन।

स्वास्थ्य तथा परिवहन नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग)—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (मुद्रण प्रभाग)—पर समिति के 83वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 107वां प्रतिवेदन।

गृह-कार्य मंत्रालय—केन्द्रीय जाँच ब्यूरो—पर समिति के 78वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 109वां प्रतिवेदन।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLAINATION BY MEMBER

श्री स० क० पाटिल (बनासकांथा) : जब मैं यहां उपस्थित नहीं था, कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ पर दोषारोप लगाये। मैंने आपके नाम जो पत्र लिखा था, उसको संक्षिप्त रूप में मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा गया है :

मुझे खेद है......

Shri George Fernandes (Bombay South) : Honourable Speaker, I rise on a point of order. My point of order is under rule No. 357. Please listen.

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उनको अनुमति दी है। उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिये। उनको इसका अधिकार है। उसके पश्चात् मैं माननीय सदस्य की बात की ओर ध्यान दूंगा।

Thri Madhu Limaye (Manghyr) : Please listen to this point. (*Interruptions*)

Shri Rabi Ray (Puri) : Point of order. Please listen. (*Interruption*)

श्री स० क० पाटिल : उसमें लिखा गया है : मुझे खेद है कि मैं कल सदन में उपस्थित नहीं हो सका... ।

Shri George Fernandes : My point of order. (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उनको निमंत्रण दिया। उनको समाप्त करने दीजिये। उसके पश्चात् मैं आप के व्यवस्था के प्रश्न की ओर ध्यान दूंगा।

Shri George Fernandes : I rise on a point of order under Rule No. 357. (*Interruption*)

Shri Rabi Ray : You please listen to his point of order. It is under Rule No. 357. (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : वे कैसे जान सकते हैं कि माननीय सदस्य क्या कहने जा रहे हैं? मैं कैसे जान सकता हूँ कि वे किस व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहते हैं।

Shri George Fernandes : My point of order is under rule 357. This point of order relates to personal explanation. (*Interruption*)

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप जब किसी सदस्य को बुलायेंगे, उसको अपने वक्तव्य देने की अनुमति देनी चाहिए। परन्तु, हम देखते हैं कि आप किसी सदस्य को बोलने के लिए निमंत्रण देते हैं, तब, कोई और व्यक्ति व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं। यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय : वे जब व्यवस्था के प्रश्न पर उठते हैं, तो मैं कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ।

Shri Sheo Narain : He abuses whenever he likes.

Shri Madhu Limaye : No body has abused.

Shri Rabi Ray : First of all you please listen to him.

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : क्या उनके कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी चुनौती का सामना न किया जाये। वे यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही यही हो ?

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, My point of order is on personal explanation. Here it is given :

"A member may with permission of the Speaker make a personal explanation, although there is no question before the House .."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : आपने माननीय सदस्य को अनुमति दी है।

श्री स० का० पाटिल : इसके सम्बन्ध में व्यवस्था का कोई प्रश्न कैसे हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

Shri George Fernandes : "But in this case, no debtable matter may be brought forward, and no debate shall arise."

Shri Madhu Limaye : You are the leader of the opposition party. You make our questions expunged and again give Personal explanations.

Shri Atal Bihari Vajpayee : First of all you please listen to the personal explanation. How proper it is to raise point of order in every thing ? Has this House any dignity or not ?

Shri Madhu Limaye : Not yesterday. I am speaking of today. They have made it expunged.

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, Please listen to me. If Mr. Patil has to give any explanation under this Rule, I would like to take your attention towards the sentence "No debtable matter may be brought forward."

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसको अनुमति नहीं दे सकता। इसकी ओर ध्यान दिये बिना कि क्या कह रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूं कि यह चर्चा करने योग्य है या नहीं। उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं। सुनने के पश्चात् मैं निर्णय लूंगा।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, Please listen to my point.

Shri Rabi Ray : The matter which we presented before you yesterday...

Mr. Speaker : Order, order.

Shri Rabi Ray : You please listen to our points. You have expunged those things which we told yesterday. Had you allowed our points to be kept in the proceedings, the matter of personal explanation could have arisen, but you have removed it.

Mr. Speaker : You sit down. Mr. Patil.

श्री स० का० पाटिल : पत्र में लिखा गया है : 'मुझे खेद है कि मैं कल लोक-सभा में उपस्थित न हो सका। 'पेट्रियट' के आज के संस्करण में मैंने पढ़ा की श्री जार्ज फरनान्डीज एवं अन्य कई व्यक्तियों ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं किसी न किसी तरह से कुछ तस्कर व्यापारियों से सम्बन्ध रखता हूँ। आरोप को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ चित्रों को प्रस्तुत

करना चाहा जिसमें मैं किसी स्वागत समारोह में भाग लेते दिखाई पड़ता हूं। वास्तव में मैं नहीं जानता हूँ कि आरोप क्या था। विपक्षी दल के नेता एवं अन्य माननीय सदस्यों के अनुरोध से आप ने उसका उक्त अंश हटा दिया होगा। इसीलिये कि यह बात सदन में आई और मेरा नाम भी सम्बन्धित किया गया, मैंने इस आरोप के सम्बन्ध में आपको लिखना उचित समझा कि यह कायरतापूर्ण है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह चर्चा करने योग्य विषय है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Point of order...He says 'cowardly' and 'mendacious'. It is not proper.

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Point of order. Why the adjective 'coward' is used. You please expunge these words.

Mr. Speaker : No Point of order. Mr. Patil.

श्री स० क० पाटिल : मैं उस तस्कर व्यापारी का नाम नहीं जानता हूं और मैंने उनको अपने जीवन में कभी भी देखा नहीं है। अगर वे चित्र में थे, तो और भी कई अन्य लोग थे। श्री फरनान्डीज भी मेरे साथ चित्र में दिखाई पड़ सकते हैं और इससे यह साबित नहीं हो सकता कि वे मुझ से किसी तरह सम्बन्धित हैं। सदन में इसके सम्बन्ध में चर्चा होने के कारण आशा है कि मुझे इतना सौजन्य आप देंगे कि या तो मैं सदन के सामने यह पत्र पढ़ूं या आपके ही शब्दों में आरोपों का सशक्त खंडन कर सकूं।"

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Please listen to my point of order.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Please listen to my point of order. We won't allow the House to proceed in this way.

Shri Gearge Fernandes : Is he ready to face the Parliamentary Committee ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, मैं इन शब्दों की ओर ध्यान दूंगा। अगर ये असंसदीय शब्द है तो मैं इनको हटा देने को तैयार हूँ।

श्री स० क० पाटिल : मैंने अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण को पूरा नहीं किया। मुझे सदन के ध्यान में यह बात लानी है कि बम्बई के एक न्यायालय में एक मामला है। इस विशेष तस्कर-व्यापारी ने एक शपथ-पत्र में कहा है कि उन्हें कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं एवं सरकारी अधिकारियों ने अभिप्रेरित किया कि वह किसी तरह श्री मोरारजी देसाई, श्री चव्हाण और मुझे इसमें अन्तर्ग्रस्त करे ताकि वह जमानत में बाहर आ सके, क्योंकि वह अभिरक्षा में था मैं उस मामले के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता जो न्यायालय के विचाराधीन है। (व्यवधान)

Shri George Fernandes : If he is not coward, let him be prepared to face the probe done by Parliamentary Committee.

Shri Rabi Ray : Yesterday when Mr. George Fernandes, Mr. Madhu Limaye and Mr. Banerjee complained in the House against the Governor of Bihar, Shri Yaghik, the Minister of Maharashtra and Shri S. K. Patil, you have expunged that from the proceedings on the request of Dr. Ram Subhag Singh. Even after expunging them, you have allowed

him to present the personel explanation. How for it is proper ? Secondly, as we demanded yesterday that a Parliamentary Committee should be appointed to probe into the matter, we would like to know whether Shri Patil will be prepared to accept our challenge. We are also ready to present our view before the Committee.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : You have expunged those remarks from the proceedings in morning, but after lunch, when he repeated those words was it proper to grant him opportunity to make personal explanation. Then, it is up to you to make decision on whether the words 'cowardly' and 'mendacious' are Parliamentary or not.

श्री स० मो० बैनर्जी (कानपुर) : क्या जब यह बात सदन में आई थी, मेरे माननीय मित्र श्री फरनेन्डीज, मैं, श्री मधु लिमये और श्री रबि राय ने कुछ चित्र प्रस्तुत किये थे जिसमें तस्कर व्यापारियों का मुखिया वह व्यक्ति श्री पाटिल को बनसकांठा निर्वाचन में विजयी होने के उपरांत, स्वागत करते दिखाया गया है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, you should not allow him to say so. You are favouring him by giving him permission. Who is he to call us cowards ? The people of Bombay have thrown him out by defeating him.

श्री स० क० पाटिल : यह क्या कोई आरोप है या कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बैनर्जी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : महोदय, मैं नम्र निवेदन करूंगी कि इस तरह की बातों को अनुमति न दी जाए। विभिन्न पत्रों से चित्रों को लेकर एक ही चित्र बनाया जा सकता है जो मूल चित्र को पूर्ण रूप से विकृत कर सकता है। यह एक खतरनाक दृष्टांत है।

श्री स० मो० बैनर्जी : महोदय, मैंने समाप्त नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं हो सकता। आप अपने व्यवस्था के प्रश्न के अन्दर ही रहिये। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री स० मो० बैनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। जैसा कि संकेत किया गया है, जब डा० रामसुभग सिंह ने अपने विचार व्यक्त किये, आपने तुरन्त ही हमारे शब्दों को कार्यवाही को वृत्तांत से निकाल दिया। शायद आपने यह सद्भावना से प्रेरित होकर किया होगा। हमने विरोध किया। और आप, श्री पाटिल ने पेट्रियट में आए हुए एक समाचार के आधार पर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

कई माननीय संसद्-सदस्य उठ खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : श्री बैनर्जी, आप इस समय कोई भाषण नहीं दे सकते। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए—

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वे न्यायालय में इस मामले को सिद्ध करें।

श्री स० मो० बैनर्जी : महोदय, श्री पाटिल ने जो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया वह केवल समाचार-पत्र पर ग्राधारित है, जबकि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण केवल सदन की कार्य-वाहियों पर आधारित होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक संसदीय समिति की नियुक्ति की जाए ताकि ग्रारोपों की जांच हो जिनमें श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के भी मामले भी शामिल हों।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह ग्रापत्तिजनक बात है। मैं चाहती हूँ कि वहां बैठे हुए सदस्यों की जिनमें श्री स० मो० बैनर्जी एवं साम्यवादी मित्र भी हैं, गतिविधियों की जांच हो और इसकी भी जांच हो कि उन्हें राशि कहां से प्राप्त होती है। मैं उन्हें ललकारती हूँ।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रार्डर, ग्रार्डर। पहले ही 15 मिनट्स की देर हो चुकी है। ग्रब मैं मध्यान्ह भोजन के लिए सभा को स्थगित करता हूं हम दो बज कर पंद्रह मिनट पर समवेत होंगे।

उसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बज कर पंद्रह मिनट्स के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till a quarter past fourteen of the clock

---

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजकर ग्रठारह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at eighteen minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव

RE : CALLING ATTENTION

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, मैं ग्राप से ग्रपने प्रकोष्ठ में मिला था और ग्रापकी अनुमति माँगी थी। नियम 377 के ग्रन्तर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मामले को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं ग्रौर ग्रन्य कई माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार की सम्पत्ति के बिना कलकत्ता में केन्द्रीय रक्षित पुलिस (सी०ग्रार०पी०) भेजने के सम्बन्ध में ध्यान ग्राकर्षण-प्रस्ताव किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे सदन के हित के लिए नियम 377 पढ़ें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम का आश्रय लिया है और मैं निवेदन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम यह बताता है : "जो सदस्य जो भी मामला, अगर वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहता है, उसे सचिव को लिखित सूचना देनी चाहिए।" क्या माननीय सदस्य ने ऐसा किया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया मेरे निवेदन सुनिये। यह एक अति गम्भीर विषय है। आप से मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि आप गृह-मन्त्री से पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और कई अन्य स्थलों पर केन्द्रीय रक्षित पुलिस भेजने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने को कहें। मैं आशा करता हूं कि आप सरकार को वक्तव्य देने का निदेश देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार यहीं है और उन्होंने सुना भी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मेरी उचित आशा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई निदेश नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा यह करने का अधिकार नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये सारी बातें केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच के सम्बन्ध के प्रश्न उठाती हैं। राज्य सरकार की सम्पत्ति के बिना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भेजना इन दोनों के बीच के सम्बन्ध को असन्तोषप्रद करने में ही सहायक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम विरुद्ध होकर भी माननीय सदस्य ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। सरकार ने यह सुन लिया। अब, वे अपने आसन पर आसीन हो जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निदेश देने में क्या बाधा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस नियम के अन्तर्गत वे इस प्रश्न को उठा नहीं सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अत्यावश्यक है कि आप सरकार को निदेश दें कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया और सरकार ने वह सुन लिया।

Shri Kanwar Lal Gupta : You know that violence has started in Bengal on an extensive scale. This Government cannot remain as a passive spectator. About two hundred people, equipped with lethal weapons, have raided the house of Deputy-Speaker. One Railway Station was burnt and so many people were injured. The Chief Minister has resigned. In these circumstances is it not your duty to save crores of people and safeguard their property ?

I want the Prime Minister to assure the House that all security measures will be taken for the safety of the people of West Bengal, a conspiracy has been hatched to men-over hundreds of people in Bengal. This conspiracy should not be allowed to succeed.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री कंवरलाल गुप्त के दल ने गत निर्वाचन में 44 उम्मीदवारों को खड़ा किया था, और वे सब हार गये थे। ये यहां क्या बोल रहे हैं ?

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) । आपके अनुदेश पर कल मेंने एक लिखित सूचना दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुदेश नहीं दिया । उन्होंने अनुमति मांगी, और मैंने केवल नियम की ओर संकेत दिया ।

श्री धीरेश्वर कलिता : सच्चाई यह है कि मैंने यह सूचना आप के अनुदेश पर दी थी। मगर कोई परिणाम अब तक नहीं निकला । क्या मैं यह जान सकता हूँ कि माननीय अध्यक्ष क्या आप इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति देंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : ध्यान-आकर्षन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है । माननीय सदस्य ने अगर सचिवालय में सूचना दी है तो अध्यक्ष महोदय इस पर अवश्य ध्यान देंगे ।

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जीलिंग) : इस सदन के एक माननीय सदस्य, श्री काशी नाथ पांडे के बारे में मैं गहरी चिंता प्रकट करना चाहूंगा जिसकी इलाहाबाद में बुरी तरह पिटाई हुई बताया जाता है। वे मेरे सहयोगी हैं। मैं सरकार की ओर से जानना चाहता हूँ कि उनकी स्थिति क्या है और किस परिस्थिति में उनकी पिटाई हुई ।

डा० राम सुभग सिंह : श्री काशी नाथ पांडे की इलाहाबाद में बहुत बुरी तरह पिटाई हुई । उनकी स्थिति के बारे में जानने को हम सब उद्विग्न हैं ।

श्री शिव नारायण : इलाहाबाद में यह घटना हुई थी। हम जानना चाहेंगे कि उनकी स्थिति क्या है ?

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : बंगाल सरकार के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती । इस सम्बन्ध में कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । क्या केन्द्रीय सरकार को, राज्यपाल द्वारा, संविधान की धारा 356 के अनुसार कार्रवाई करने के विषय में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : धारा 377 के आधीन कल आपने श्री ज्योतिर्मय बसु के मामले में नियमों को पढ़ने की आज्ञा दी थी । पश्चिम बंगाल की सरकार से सम्बन्धित यह विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इसका परिणाम जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे निर्णय के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, शायद विषय अभी विचाराधीन है ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I want to draw your attention to this magazine. There is an article concerned with Khan Abdul Gaffar Khan's visit. The heading of the article is 'Pakistani Wolf in Gandhian Wool'. The article has been written by an honourable Member of the House. Shri Babu Rao Patel is not only the writer but is also the editor of the magazine. He has insulted Mr. Khan by writing a lot against him. Mr. Khan had already been honoured by both the houses. Moreover Mr. Patel has attached muslims

also by creating a sense of hatred for their community. I do not know why Government is ignoring all this. Strict steps should be taken against the journal and the writer.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कुछ महीने पहले भी श्री पटेल ने अल्प संख्यकों के विरोध में कुछ लेख लिखे थे। सरकार ने उसके प्रति क्या कार्रवाई की है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मुझे केवल नियमों की चर्चा करनी है। आप इस विषय को उचित विधि एवं नियमानुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री बाबू राव पटेल द्वारा सम्पादित पत्र 'मदर इण्डिया' के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। किन्तु सदन में आज टैक्सी व स्कूटरों की हड़ताल के कारण उपस्थिति बहुत कम है अतः मेरी प्रार्थना है कि पहले इस विषय में जांच पड़ताल की जाए।

श्री हा०ना० तिवारी (गोपाल गंज) : यदि सदन में कुछ कार्रवाई की जाएगी तो केवल श्री रामावतार शास्त्री द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार विषय प्रस्तुत किया जाये।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : हमारे साथी श्री काशी नाथ पाण्डे को इलाहाबाद में पीटा गया था क्या प्रधान मन्त्री उनकी दशा के विषय में कुछ बता सकती हैं। गृह मन्त्री को इस विषय में एक वक्तव्य देना चाहिए।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Day before yesterday Banaras Hindu University had been closed down for an indefinite period.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Due to the scooter and taxi strike people in Delhi are facing a great difficulty. Actions should be taken for it.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : We have been noting this everyday after lunch honourable Members start speaking without taking your permission. This tendency will not stop unless you refuse to answer their questions. Only permitted members should speak.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे बोलने से पूर्व आज्ञा लें।

Snri Randhir Singh (Rohtak) : I want to draw your attention to the news flowing from the West Bengal. Some members wanted to know the reason behind sending the C.R.P. and Army there. They are afraid that the happenings of Haryana may not be repeated in West Bengal in regard to the members and leaders of the parties. In order to save the general public and to curb the elements who are creating the chaotic conditions by violent actions, more and more units of army should be sent there.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : इस समय पश्चिम बंगाल के लोगों का जीवन और सम्पति खतरे में है और ऐसी अवस्था में हमें प्रधान मन्त्री का आश्वासन चाहिए।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : ऐसा प्रतीत होता है कि सदन में एक नई व्यवस्था का चलन हुआ है। बिना कोई सूचना दिये जिसका दिल चाहता है प्रश्न पूछ लेता है। मैं यह नही कहती कि प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होते पर ऐसी परिस्थितियों में सदन का कार्य कैसे चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्या से पूर्णतया सहमत हूँ सदस्यों ने 2 बजे से 3 बजे तक के समय को भी अपस बेला बना लिया है इस अव्यवस्था को रोकने के लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए।

श्री ह० न० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम पश्चिम बंगाल और अन्य प्रान्तों में कानून एवं व्यवस्था भंग होने की चर्चा कर रहे हैं पर सदन में कौन सी व्यवस्था कायम रह गई है। आप की उपस्थिति में क्या सभी कार्य नियम एवं व्यवस्थानुसार नहीं किये जाने चाहिए। यदि 2 बजे सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं तो ऐसी कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हमें पश्चिम बंगाल के विषय से भी पहले सदन की व्यवस्था का प्रश्न लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे समाप्त किया जाये।

बजट सामान्य, 1970-71— सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1970-71—GENERAL DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा जारी रहेगी। बजट सम्बन्धी वाद-विवाद का उत्तर प्रधान मंत्री 5 बजे देंगी।

श्री ह० न० मुकर्जी : यदि प्रधान मंत्री वाद-विवाद का उत्तर कल दें तो अच्छा रहेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : You should have told about it earlier, Only 4½ hours are left and the House must get this much of time for discussing it. It is better if the Prime Minister answers tomorrow not today.

श्री रघु रामैया (संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री) : समयाभाव के कारण जवाब आज ही मिलना चाहिये।

श्री चेंगल राया नायडू (चित्तूर) : आप अन्य सदस्यों को बोलने से रोक नहीं सकते। उन्हें कल ही जवाब देने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी दलों को चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा।

Shri Sheo Narain (Jhajjar) : The main thing is that when Prime Minister will come here, half the members would have gone home.

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढ़का) : इस आय व्ययक के बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर ली गई है। मुझे तो उन विषयों पर जोर देना है जिन पर चर्चा नहीं की गई है। यदि मुझ से इस आय-व्ययक के स्वरूप के बारे में पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि यह एक ऐसा आय-व्ययक है जिसका दिखावा अधिक है और काम की बात कम।

इस बजट पर जो चर्चा की गई है उसमें यहां तक आर्थिक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, समस्त दल इस विचार से सहमत हैं। यहां तक कि भारतीय साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी

दल, कांग्रेस (सतारूढ़), कांग्रेस (विरोधी) और स्वतंत्र दल, सभी के सभी इसके बुनियादी वाद विषय से असहमत नहीं हैं। यदि किसी से ये प्रश्न पूछे जाये : क्या देश में बड़े-पैमाने पर बेरोजगारी है ? क्या बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं ? क्या हमारा देश गरीब है ? क्या गरीबी दूर करना चाहते हैं ? तो सभी प्रश्नों के लिए प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर 'हां' में होगा अतः जहां तक समस्त दलों का सम्बन्ध है, उद्देश्य सब के एक जैसे ही हैं।

जहां तक अर्थ-व्यवस्था में सुधार का प्रश्न है। सभी दलों के लिए वह भी एक जैसा ही है। मेरे माननीय मित्र श्री न० कु० सोमानी वातानुकूलन-यंत्रों के उपभोग में किस प्रकार वृद्धि हुई है, उस पर प्रकाश डाल रहे थे तथा साथ ही किस प्रकार खाद्यान्न, वस्त्र एवं चीनी के उपभोग में कमी हुई है उस पर भी प्रकाश डाल रहे थे। यदि मैं कहूं बचत-दर गिर गई है तो सभी सहमत हो जायेंगे। यदि मैं कहूँ कि कृषि पर अधिक बल दिया जाना चाहिये तो प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो जायेगा अतः आर्थिक निदान पर भी सभी सहमत हैं।

जहां तक इस आर्थिक निदान के इलाज का सम्बन्ध है, इस बारे में बहुत अन्तर मिलेगा। यदि यह आर्थिक निदान सही है और गत 15 वर्षों से सांख्यिकी-वादियों की अपनाई गई नीतियों का परिणाम है तो इसका तर्क पूर्ण सार यही है कि इस देश को सांख्यिकी-वादियों की कम आवश्यकता है और अधिक नहीं है। मेरे विरोधी माननीय मित्रों का विचार अधिक सांख्यिकी वादियों की आवश्यकता पर बल देने का है। अतः आर्थिक बीमारी के इलाज के बारे में यह मत मतान्तर है।

यह बजट देश की बुराइयों पर प्रकाश नहीं डालता है। मैं इस बजट के कीमतों के बढ़ाने के पहलू को लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति ने घाटे की वित्त व्यवस्था के मापदण्ड के आधार पर बजट को कीमतें बढ़ाने वाला सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस वर्ष भी बैंकों के राष्ट्रीकरण के के बाद मुद्रा-प्रदाय को सरकार बढ़ा रही है। गत वर्ष मुद्रा-प्रदाय में 650 करोड़ रु० की वृद्धि हुई थी। और इस वर्ष भी कम नहीं होगी। गत 7-8 वर्षों में कीमतों की बढ़ोत्तरी की दर 8 प्र० श० थी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारी अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़ रही है क्योंकि गत दो वर्षों में जैसा मौसम अनुकूल रहा वैसा शायद अब नहीं रहे तो स्पष्ट है कि कीमतों की दर 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में 10 प्र० श० बढ़ोत्तरी का अर्थ क्या है ? इस समय हमारी राष्ट्रीय आय 32,000 करोड़ रुपये है और इसका 10 प्रतिशत जो कि 32,00 करोड़ रुपया होता है, प्रतिसंतुलन का उपाय किए बिना ही यह राशि दे दी जायेगी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आय-कर छूट सीमा 4,800 रु० से बढ़ाकर 5,000 रु० कर दी है। इस वर्ष यह 5 000 रु० 4,500 रु० के बराबर है। वास्तव में 500 रु० कम है। इस प्रकार सरकार ने आय-कर में छूट सीमा बढ़ाकर वास्तविक आय ले ली है। सरकारी कर्मचारियों एवं औद्योगिक कर्मचारियों को कुल बजट में से 48 करोड़ रु० उनकी समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत दिये गए हैं। 3200 करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय जिसका 10 प्रतिशत 320 करोड़ रु० होता है वह तो सरकार ने मुद्रा स्फीति दबाव से ले लिया है और दूसरी तरफ केवल 48 करोड़ रुपये दिए

हैं। कीमतों को बढ़ाने वाले बजट से तात्पर्य यही है कि आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसका तो अर्थ यही हुआ कि जो बड़े व्यापारी हैं उन्हें तो 3200 करोड़ रु० तक प्राप्त हो सकते हैं और जो वेतन भोगी या मध्य श्रेणी के या किसान आदि हैं वे कम कमायेंगे। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि यह बजट समाजवादी है। हमारे माननीय मित्र श्री मसानी ने घाना और श्री एनक्रुमा के सम्बन्ध में बताया कि किस प्रकार उस देश में 'समाजवाद' का नाम उनके लिए घृणित है। वे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि "शक्ति के राज्य की खोज करो--सब कुछ तुम्हारे साथ है।" श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी उसी सिद्धान्त का अनुसरण किया है।

समाजवादी ढांचे से तात्पर्य यह है कि किसी को भी बिना किन्ही वस्तुओं या सेवाओं में अपना योगदान दिये बिना कोई आय नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि मैं अपना धन किसी वस्तु को खरीदने में लगता हूँ तो मैं राष्ट्रीय आय में कुछ न कुछ योगदान करता हूँ परन्तु होता यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसी आय पर जीविकोपार्जन करते हैं जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय आय में कोई भी श्रम दान नहीं किया है तथा राष्ट्रीय आय की बहुत बड़ी राशि ऐसे लोगों द्वारा छीनी जाती है जो वस्तुओं या सेवाओं के रूप में कुछ भी योगदान नहीं करते हैं। जब आयात अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की जाती हैं तो उन्हें 175 प्रतिशत प्रीमियम उस पर मिल जाता है। यह सरकार द्वारा राज्य सभा में स्वीकार भी कर लिया गया है। जब अनुज्ञप्तियां प्राप्त कर ली जाती है तो कोई श्रम प्रदान नहीं किया जाता है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार है और वस्तुओं और सेवाओं के लिए कोई श्रम नहीं दिया जाता है। साथ ही पैसा उठा लिया जाता है। यदि ऐसा होता रहा तो इस देश में कोई समाजवाद कार्य नहीं कर सकता है।

मैं अब भूमि पर लगाये गए करों के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं भूमि-कर, भवन-कर तथा धन-कर के सम्बन्ध में कह रहा हूँ। भूमि-कर लगाने के विचार से राज्य द्वारा भूमि की बढ़ी हुई कीमत को ले लेना है। यह वही विचार है जो इंग्लैंड में सन् 1820 में रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित किया गया था इसके अनुसार वे भूमि-कीमत में 100 प्रतिशत वृद्धि लेना चाहते थे। यह तो इंग्लैंड में घटित बात है जहां पर कर-प्रणाली का बड़ी कुशलता से कार्य होता है फिर भी वे लोग इसे कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं।

अब मैं गृह-कर के बारे में स्वीडन का एक उदाहरण दे रहा हूं। जिस प्रकार हमारे यहां सम्पत्ति पर कर लगाया जा रहा है वैसे ही स्वीडन ने कर लगाने का प्रयास किया परन्तु मकानों की कमी होने के कारण सरकार के समक्ष समस्या उत्पन्न हुई तो वहां के वित्त मंत्री ने यह कह दिया कि चाहे पैसा कहीं से लगाओ पर मकान बनाओ परिणाम स्वरूप काला-धन भवन-निर्माण में लगाया गया मेरा ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में भी वित्त मन्त्री कुछ वर्षों बाद यह बात कह देंगे कि चाहे पैसा कही से लगाओ पर मकान बनाने में लगाओ तो इस बजट में जिस काले-धन की बढ़ने की सम्भवना है वह धन इस कार्य में लगाया जायेगा।

धन कर द्वारा कुल आय जो बढ़ाई जानी है वहां मुश्किल से 14 करोड़ रुपये जबकि इस प्रकार सीधे करों का प्रभाव बचत में घाटे का होगा जिसके कारण हीरे व सोने जैसे बहुमूल्य पदार्थों की खरीद में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा।

अन्त में मेरी बात केन्द्र व राज्यों की सम्बन्ध की है। सरकार ने 175 करोड़ रुपयों का विशेष कोष राज्यों की कमी पूर्ति के लिए रख रखा है परन्तु राज्यों को अपने कंधों पर खड़े होने दिया जाना चाहिये।

बैठने से पूर्व मैं जानना चाहूंगा कि क्या योजना आयोग ने बजट की कमी को दूर करने के लिए किसी अलग राशि की सिफारिश की है? क्या वित्त आयोग ने भी राज्यों के बजट में होने वाली कमी के लिए इस विषय पर कोई विचार किया है? तो फिर सरकार को अलग से कोष रखने की क्या आवश्यकता है जबकि गत वर्ष सितम्बर के महीने में वित्त आयोग ने प्रतिवेदन प्रेषित किया था।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : देश में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर बहुत प्रतिक्रिया हुई है। सदन के कुछ लोगों ने इसे अनैतिक बताया है जबकि अन्य लोगों ने इसे पूर्ववत् बजट बताया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ यंग टर्क इसे समाजवादी होने की संज्ञा देते हैं और कुछ लोग इसे पहले से बनी हुई व्यवस्था एवं नयी व्यवस्था में एक समझौता समझते हैं। मैं नहीं समझता कि इस बजट के बारे में यह सब बातें हैं। मैं अपने विचार संसद के सदस्यों को दिए गए 1969-70 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर व्यक्त करूंगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 1969-70 में आगे कहा गया है कि सूती कपड़ा तथा बनस्पति जैसे कृषि पर आधारित उद्योगों में संतोषजनक सुधार हुआ है। हां, फसल अच्छी न होने के कारण पटसन का उत्पादन कम हुआ। रेडियो, साइकिलों सिलाई मशीनों, बिजली के उपकरण आदि उपभोक्ता सामान में 1968 में काफी सुधार हुआ। उर्वरक का उत्पादन 1967 में 23 प्रतिशत से बढ़कर 1968 में 31 प्रतिशत हो गया। मोटर गाड़ियों का उत्पादन जो 1967 में घट गया था उसमें 1968 में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सीमेंट के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इस प्रकार उक्त आर्थिक सर्वेक्षण में आशाजनक चित्र खींचा गया है।

प्रधान मंत्री द्वारा 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में घोषणा किये जाने के बाद देश में उत्साह की एक लहर आई। इससे हमें आशा बंधती है कि प्रधान मंत्री देश में समाजवादी पद्धति को एक नया मोड़ देंगी। प्रधान मंत्री ने एक के बाद दूसरी कई घोषणाएं की कि अमुक-अमुक कार्यक्रम के लिए निर्णय कर लिया गया है। इन सब बातों से लोगों के मन आशा की एक किरण चमकी है। इसी बीच यह बजट पेश किया गया है। यदि इस दृष्टि से बजट पर दृष्टिपात किया जाये तो कहना पड़ेगा कि उक्त बजट से लोगों की अशाएं पूरी नहीं हुई है। जन सामान्य पर कर-भार की दृष्टि से भी यह बजट निराशाजनक ही है। उदाहरण के रूप में कुछ वस्तुओं को जिन पर कर लगाया गया है, लिया जाये। बजट में 75 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था है। प्लास्टिक पर 60 से 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह बिजली के अवरोधक के रूप में काम आता है। इससे निर्धन वर्ग पर भार अधिक पड़ेगा। उससे गांवों में बिजली लगाने के काम पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों पर कर के बढ़ने से उनकी खपत कम होगी और इस दृष्टि से खाद्य वस्तुओं में बर्बादी अधिक बढ़ेगी। कृत्रिम रेशम, मिट्टी का तेल, खांडसारी, पेट्रोल सिगरेट आदि पर कर बढ़ाया गया है जिससे सामान्य जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इनके अतिरिक्त चाय, काफी, चीनी पर कर लगाया गया। ये सभी ऐसी वस्तुए हैं जो जन सामान्य द्वारा उपभोग मे लाई जाती है। ये सभी कर समाज-विरोधी और जन-विरोधी हैं। फिर माननीय प्रधान मंत्री कैसे समाजवाद लायगी। मैं आशा करता हूँ कि वित्त विधेयक का उत्तर देते समय वह उपरोक्त करों में छूट देंगी।

जहां तक बोकारो इस्पात परियोजना का सम्बन्ध है, उसके बारे में मोरारजी देसाई ने कहा था कि उक्त परियोजना की लागत बढ़ती जा रही है। इसमें उत्पादित इस्पात का लागत मूल्य 2800 रुपये प्रति टन होगा, जबकि रूरकेला में प्रतिटन लागत-मूल्य 1977 रुपये, भिलाई में 1700 रुपये और दुर्गापुर में 1795 रुपये हैं। इस प्रकार बोकारो सबसे अधिक महंगा पड़ेगा। इसके महंगा होने के दो कारण है। पहला है भारी विदेशी मुद्रा का और दूसरा है भारतीय प्रतिभावान् इन्जिनियरों का बलिदान। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने कुछ भी नही कहा है। विदेशी मुद्रा के बारे में मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि समझौते के मसौदे में क्या ऐसी व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत रूसी अधिकारियों को भारतीय रुपयों को पौण्ड-स्टर्लिंग में बदलने का अधिकार दिया गया हो। करार-मसौदे के अनुच्छेद 9 में उल्लिखित व्यवस्था के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे हमारे देश से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जायेगी और इस स्थिति से आजकल हम बचना चाहते हैं। यदि सचमुच बात ऐसी है तो सरकार को यह बात लोगों के सामने स्पष्ट करनी चाहिए थी कि उक्त करार के अनुसार बहुत अधिक विदेशी मुद्रा देश से बाहर जायेगी।

प्रस्तुत बजट-प्रस्तावों के अनुशार रेशमी कपड़े पर भारी उत्पादन शुल्क लगाया गया हैं यह शुल्क यथा मूल्य-शुल्क है। रेयन, नायलन, टैरीलीन, टैरीकोट, टैरिवूल आदि रेशमी वस्त्रों पर इस समय 7.8 पैसे प्रति मीटर की शुल्क लगा हुआ है। किन्तु अब उस पर 3 से 10 प्रतिशत तक का यथा मूल्य शुल्क लगाया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध लोगों ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें इस शुल्क को 'शुल्क पर शुल्क' की संज्ञा दी गई है। अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन वस्त्रों पर प्रस्तावित यथा मूल्य शुल्क न लगाये।

भारतीय इंजिनियरी प्रतिभा के बलिदान की बात मैंने उठाई थी। रूस के साथ जो समझौता किया गया है उसमें जानबूझ भारतीय इन्जिनियरी की प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। उसे बोकारो परियोजना में काम करने के अवसर से वंचित रखा गया है। दस्तूर एण्ड कम्पनी एक ऐसी इन्जिनियरिंग फर्म है जिससे इन्जिनियरों से विश्व के कई अन्य देश सलाह लेते हैं। किन्तु इस कम्पनी को बोकारो परियोजना से दूर ही रखा गया है। प्रयास तो ऐसा होना चाहिए जिससे भारत की इन्जिनियरिंग प्रतिभा का सदुपयोग हो।

अन्त में, मैं भाषा के प्रश्न को लेना चाहता हूँ। मुझे यह बताया गया कि अधिकारीगण कर्मचारियों पर हिन्दी सीखने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हिन्दी के परिपत्र भेजे जाते हैं। इससे काम में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। स्वर्गीय प्रधान मंत्रा, वर्तमान प्रधान मंत्री के और संविधान में दिये गये अश्वासनों के बावजूद उन पर दबाव डाला जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो देश के उस भाग के लोगों में एक गलत धारणा पैदा हो जायेगी। अतः मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

इस देश का नेतृत्व वे कर रही है। अधिकाधिक उपद्रव सिन्डीकेट और अर्ध समाज-विरोधी शक्तियां कर रही हैं। जहां तक हमारा संबंध है हम उन की सहायता करते हैं क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि सिर्फ वे ही देश का भला कर सकती है। मगर, इस के आधार पर मैं कहता हूं कि अगर इस की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो, गलत धारणायें पैदा हो सकती हैं और इससे अधिकाधिक उपद्रवों की वृद्धि होगी ?

अन्त में, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे बजट को सुव्यवस्थित करें। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि वे बजट को जनता की आशा-अभिलाषाओं के अनुरूप सज्जित करें। करारोपण अधिनियम से क्षेत्र से आप जनता के उपभोग की वस्तुओं को अलग करें। मैं आशा करता हूं कि वे यह सब करेंगी और इस के द्वारा वे यह दावा कर सकेंगी कि मैं एक नई सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि कर रही हूँ जो कि भविष्य में हमारे सामने आने वाली है।

Shri V. N. Jadhav (Japna) : Mr. Deputy-Speaker, Sir I congratuate the Prime Minister, and Finance Minister, for the Budget Hitherto, whatever indirect taxes were leived by the Government, the whole burden was on the rural population. It is the first time that the Finance Minister levied taxes on the urban population also. It is a good precedent. There is proper arrangement in this budget for the Programme meant for the feeding of children. Apart from these, the programme to put ceiling on urban properties and heavy tax on it is also a unique example. In the last two decedes in the History of India it has never happened. Even the five percent of what was extracted from the rural people was not spent for them. For this reason, I think the levying of taxes on urban property is a right step.

The Finance Minister has made provisions in the Budget for Rs. 575 crores for the development of backward areas in various parts of the country. Marathwada, the place from where I come, is a very backward area. I request that the maximum amount of what is reserved for the development of backward areas must be spent for Marathwada.

Marathwada is a place where land is fertile, but the peasants are very poor. There are no facilities of irrigation. There are no ample roads.

Almost all of the Public undertakings are in big cities like Calcutta, Bombay, Madras, Cochin etc. But the Government should establish public undertakings in the backward areas. The Government are requested to establish any industry in Aurangabad.

And also due to the fact that from Manmad to Hyderabad there is meter Gauge Railway Line the development of this area could not be materialised. Unless this line is charged to broad gauge no body will like to establish a factory there. Here, the system of train service is also not satisfactory. Hence, I would request the honourable Minister to change the meter gauge Railway line into broad gauge from Manmad to Mutkhed at least.

There was a radio station in Aurangabad when Nizam was Ruling. But when regime was replaced by democratic system the minister for broadcasting, Dr. Keskar shifted it to Poona. I have no complaint against Poona. But it was proper to establish another radio station in Poona and let the former one continue in Aurangabad itself. Any way we have to go forward. Here is the place where the Caves of Ellora and Ajunta are situated. Tourists are visiting these place, from foreign countries. If a radio station is established here, is cultural development of the people of this area can be attained. Therefore, a radio station is essential here.

Aurangabad is a famous place. Not only from various parts of the country, but from foreign countries also visitors come to this place. They are surprised to see the dirty roads of this area I appeal to the Government that by giving more central aid the development measures must be accelerated.

The Peasants are the backbone of society. For the development of rural life, I request the Government to take adequate measures Electricity should be supplied on cheap rates. Yesterday honourable Member said that electricity should be supplied to the factories on three paise per unit, where as for irrigation purposes it is supplied on 17, 18 and 25 paise per unit In this situation how can the peasants be called the back bone. The Peasants are producing grains for the society, for the nation as a whole. If electricity is supplied to them on 3 paise per unit, it is not only good to them, but also to the society and to the nation as a whole. Tractors must be made available to them. In other countries fertilizers are supplied to peasants on cheaper rates, where as in India, it is supplied on double rates in other countries. At one end, this budget is called a socialist one, and at the other end more burden is imposed on the Seventy Percent of the population. In this way neither these people can progress and hence nor the country can.

There is an aerodrome in Aurangabad, the run way of which should be widened so that big planes can land there safely and a large number of people can reach there quickly. At this time, the people coming from Bombay or other places find it very difficult to get a seat in a plane. I have heard that there is a scheme regarding this before the Government, but it is beyond out knowledge when it will be materialised. I have been trying for the last two or three years, but it is proved to be of no use.

In Aurangabad there is a Gokkarad project. The amount, which is spent for the development of this project, is taken from the amount which is allotted for the development of Aurangabad division by the Maharashtra Government so that other development programmes, in Aurangabad are suffiring a lot I would like to say that the Maharashtra Government and also the Central Government should extend full help to the development of this diversion.

Tax is levied on Kerosene oil also. I know that peasants can lit their camp for fifteen or tweny minutes But by levying tax on kerosene oil the Government is trying to put out their lamps. I would like to say that the tax on kerosene and fertilizer should be decreased and electricity should be supplied to them on cheaper rates.

I wish to with these words support the budget.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, My first complaint against this budget is that, the Finance Minister has not given the details regarding the schemes of the expenses, and the progress achived in the implementation of the scheme and the reasons of any, for not completing these schemes. If it is a budget in the real sense, it must be a performed budget, so that the people can see how much money was spent during the previous year, whether it was spent properly or not and what are the drawbacks. But here no such details are given. Therefore, I would like to request the Minister to inform the House next year those what was the Performance of the Government in the previous year and also what will be the performance during the preceeding year.

The Prime Minister has told that the budget has two aims : Economic growth and welfare of the weaker sections. She has told that there is unemployment in the country and the poor peasants are not helped. She has also said that ceiling should be imposed on urban property and concentration of economic power should be prevented. I say that no body will dissent to this.

The Prime Minister has proposed certain plans to fulfill these aims. In 45 districts of the country to help the small peasants, a plan is drafted. Similarly is the case with the drinking water plan and family pension plan. I welcome there plans some people have commented that it is a bold step towards socialism, and some others have called it a revolutionary step.

But the problem is this, was it not the same aim that Shri Morarji Desai, Shri T. T.

Krishnamachary aid even Shri Jawahar Lal Nehru had put forth ? I can say by quoting the words of these people that what they were letting for the last 22 years. Even after spending 32,000 crors rupees, the people are starring. If it is not a fraud, then what is it ?

Mr. Ashok Mehta has said that some embroidery work is done in the budget. Shri Amin has said that the bottle has been changed, but wine is the old. But neither the bottle is changed nor wine, only the label is changed. It is only and old slogan.

I would like to ask the Prime Minister whether she has made any attempt to tackle the problems high lighted in the budget. Has these been given any guarrantee to the effect that weither the prescribed time drinking water food and means of living will be supplied to minimum population ? Even it is not mentioned that the rate of growth is increasing.

What I say is that the plans make by the Prime Minister are good. But these are only touching the surface of the problems, they are not going deep into it.

I would like to ask the Prime Minister whether the problems of unemployment and concentration of economic power, of which she has made mention in the budget, will come down even to a limited extent after one year.

Take the unemployment problem. The Prime Minister said that unemployment should be wiped out. But how much success we can achieve in the direction would be explained by me. The national income is Rs. 30 thousand crores. In 1969-70, the rate of saving was 9 percent. So, according to this data, it is clear that we save only 20 percent of the increased income. It means that expected increase in national income this year will be about Rs. 15 hundred crores and when we add 5 percent rate of growth, the total saving comes to Rs. 300 crores, out of which 80 percent is consumed and only that rest twenty percent is utilised for other essential matters. Some economists are of the view that Rs. 2,000 have to be spent for providing employment to one person. According to this calculation, one and a half million people would get employment by this budget. But according to the data if the government, the new faces which are coming to the forefront for employment are 40 lakhs. If only 15 lakhs can be employed, and the rest 25 lakhs are left behind unemployed how this budget deserves to be called a socialistic one. Therefore, what I want to say is that, along with the 3.5 crores people who we already unemployed another 25 lakh people are also added. Then the budget can't solve the furious unemployment problem at all.

The Prime Minister made references about the monopoly. According to the official data, the increase of the uppermost 10 percent of the total population, has increased from 33 to 44 percent during the last twenty years. During the previous year, the bulk of the licences were given to five big business houses. And they raised the slogan of socialism. Here it is said repeatedly that the foreign Collaboration must go. In the answer given to my question, it was mentioned that these 5 foreign collaboration existing in almost all industries. In some firms it is from Rs. 8 crores to Rs. 10 crores and in others it is Rs. 5 crores. If they are really milling to end monoply they should end once for all the foreign collaborations. Here the hon. Minister said that by passing the Monopoly Bill, he has done a fine job. Within these three months they have issued licence to a big business house. The bill was passed with a view to ending the monopoly but immediately after passing it they issued licence to encourage monoply. This budget is a fraud on the people. By this deed, the position of small-scale industries is at stake, because they can't compete with the big ones.

8o percent of the population of the country in India is living in villages. Until their living condition is not improved India canot make progress. The green revolution was hailed by everybody. According to the official data, only 10 percent of the profit went to the people. The concentration which is existing in industry is going to be practised in

villages also. As a result of this policy, the peasants will be suppressed. Neither fertilizers nor seed are available to peasants. If at all this is green revolution, I warn the Government that this will suddenly give way to bloody revolution. If the bloody revolution is to be prevented, government must steadily implement all measures that may speed up the rural development. The Prime Minister has made a provisions of Rs. 25 crores to achieve this end while the population is 40 crores. The share per head per year comes to ten annas. Similarly in India, there are 1 lakh 18 thousand villages and the inhabitants there are not getting drinking water throught the year.

Although 22 years have lapsed enjoying since we attained independence, the condition of the villages is pitiable. And this is the budget which is aimed to uplift the condition of crores of people.

I like to say something about the implecations of this budget. This is a mid-term-poll budget, because it aims at the mid-term-poll. All the big papers hail this budget, because no tax is levied on companies. Since they have to collect money from these companies to face the mid-term poll, they did not want to levy tax on them. You claim that personal taxation has increased, but you must know that the directors, managing directors of all the companies put all their expenses in the company's account. I want that a enquiry should be conducted in this respect.

This budget will cause untold miseries to the poor. Prices of all the essential commodities just as petrol, sugar, Kerosene oil, are already increased by 13.5 percent, and there would be further increase by 7 per cent as a result of this budget. Since it is deficit financing, the rate of growth is the same.

One thing for which everybody hails the budget is that the income tax exemption limit has been raised from 4800 to 5000 rupees. But no body looks into the fact that formerly tax was imposed on an income of a firm amounting to Rs. 25,000, but now it is leviable upto income amounting to 10 thousand rupees. In a company, where there is two parties, and which has an income of 11 thousand rupees, tax will be levied on 5.5 thousand rupees. This is the nature of relief given to the people,

Now I want to suggest some measures to overcome these difficulties. Our suggestion is that ample measures should be taken to speed up the rate of growth by 10 per cent. The 20 percent income which came out as a result of our saving, should be increased to 40 per cent. A part from this, there must be ceiling on consumption. At least 25 per cent tax should be imposed on a person who spends above Rs. 2000. All the luxury items should be taxes heavily. If we increase our rate of growth by 6 percent, we will have as additional income of Rs. 2200 crores and if we increase the rate of saving by 40 percent we will be having additional amount of Rs. 880 crores and with this amount we can provide employment for 40 lakhs people who are at present unemployed.

As regards our unutilized capacity, I would like to suggest that by 1975 85 percent capacity should be utilized. At present only 30 percent capacity is utilized The industrial production, wich is 9 percent now, should be raised to 15 percent.

I would like to say something about the alternative budget. We can make as additional benefit of 200 crores rupees in public undertakings, provided we make a target of 6 percent. One of our friends has said that public undertakings are the real temples. It is quite right. But that temple should not be the above of corruption, favouritism or any kind of mal practices It is the view of Jan Sangh that public sectors are essential, but first of all ample concentration must be given to this side and thereby make it maximum profitable, and then gradually increase the number.

Next, I wish to say something about the foreign banks, foreign tea-estates and oil companies They should be nationalised as early as possible. An amount of Rs. 104 crores is invested in tea-estates, and Rs. 200 crores in oil companies. In foreign banks the total

deposit is Rs. 100 crores. If these are nationalised we get an yearly income of Rs. 200 crores. A net income of 22 percent goes out of the country from these institutions.

The next suggestion which I would like to give is on non-development expenditure. It increases by leaps and bounds. And same is the case of civil expenditure Those directors and managing directors who put all this personal expenses in the account of company should be prosecuted. Whatever they spend they must spend it from this own pockets. Likewise the Ministers also must spend for maintenance of their Cars etc. from their own pockets. Any way the exhibition of wealth should come to are end.

The total agricultural income is Rs. 15 crores, 40 percent of which goes to 5 percent people. Those people who have an income of more than Rs. 25 thousand should be taxed by 5 percent. From all these sources Government will earn an amount of Rs. 250 crores.

As regards the system of giving licences, it should be stopped and replaced by auction. Import licence is given according to the installed capacity, where there is chance for black marketing. Hence my suggestion is that licences should be reserved for small scale industries and for all the other, it should be given on auction basis. As a result of this black marketing will come to an end. Out of this an amount of about Rs. 250 crores will be earned. In this way, a total amount of Rs. 16 crores will come in the exchequer of this Government.

First of all, you should abolish the additional duty that you have now imposed on sugar, tea, kerosene oil and coffee ; and also let Rs. 7,500 be the limit as regards income tax. Then you spend Rs. 150 crores on minor irrigation and Rs. 100 crores on rural work programme. On the development of agricultural industries, and small scale industries, you should spend Rs. 200 crores. On education, you should incurred expenditure of Rs. 100 crores and you should not take the foreign aid of Rs. 530 crore.

Finally, I would suggest that we should provide Rs. 200 crores for preparing Atom Bomb. This would create a new strength and sense of self reliance in the country. The dream of becoming a third grade power will not come true until we do something original here. An amount of Rs. 45 crores should be allocated for drinking water, and also, we should not have a deficit of more than Rs. 100 crores. The preparation of Atom Bomb would provide employment to a lot of our unemployed Engineers. The green revolution and provision of land to the landless people in the country can be brought about only when there is a political stability here. We should not work for toppling various Governments in various States. The political leadership in our country has failed miserably and we have turned into political hippies having absolutely no principles at all.

Secondly, we should take care of law and order in the country. There have been a lot of disturbances in different States. There can he no development or progress until we are able to maintain law, order and peace properly and stabily. The Government should consider this aspect seriously.

Besides that, the States should be made financially disciplined. Today, a number of States are indulging in deficit financing and over drafting. This should be stopped and we should not do anything which is detrimented to the interest of the country at large, we should develop an Indian out look—a national out look, otherwise no plan or programme or budget would come out successful here.

We should, therefore, take an initiative in maintaining a particular standard of politics which may lead the country towards upliftment.

श्री वासुदेवन नायर : (पीरमाडे) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में चल रही पंगु ग्राम्य-अर्थव्यवस्था संबंधी कुछ बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमें काफी सुनाई

पड़ रहा है कि देश में हरी क्रांति आई है या आ रही है और इसी आधार पर सरकार भविष्य में आर्थिक विकास के बारे में भी अनेक आशायें बंधा रही हैं। परन्तु हमें तो यह अनुभव हुआ है कि इस हरी कांति से तो हमारे धनिक किसानों को दी नई दिशा में तथा नये कृषि साधन और प्रक्रियाएं विकसित करने का अवसर मिला है। भूमि सुधार के बाद आज भी भूमि कुछ हाथों में केन्द्रित है।

सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कृषि क्रांति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों की ओर ध्यान देना चाहिये और उनसे लाभ उठाना चाहिए। अन्य कई कृषि विशेषज्ञों ने भी सरकार का ध्यान भूमि के कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित होने की ओर आकर्षित किया है। विश्व बैंक के एक सलाहकार श्री वुल्फ़ लाडेजिन्स्की ने, जो भारत सरकार तथा योजना आयोग को कई अवसरों पर सलाह देते रहे हैं, निष्कर्ष निकाला है कि "बड़े भू-स्वामियों के ही हितों को लाभ पहुंचाने वाली वर्तमान संस्थागत ऋण व्यवस्था, सहकारी ऋण संस्था की सामन्यतः दुर्दशा, अत्याधिक दरों पर ऋण देने वाले साहूकारों का बोलबाला तथा मुजारों की असुरक्षित तथा दयनीय दशा, ये सभी कृषि करने वाले के भारी बहुमत की दशा का प्रतिनिधित्व करते हैं।" यह निष्कर्ष स्वयं भारतीय ग्राम्य क्षेत्रों तथा कई कार्यक्रमों का अध्ययन करके निकाला है।

भूमि सुधार के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये प्रधान मंत्री ने स्वयं मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया तथा उसमें खाद्य तथा कृषि मंत्री और गृह-कार्य मंत्री भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन ने कोई नई दिशायें निकालनी थी, वहां अच्छे-अच्छे भाषण दिये गये। बताया गया है कि उस सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारा विचार भूमि को पूरी तरह पुनः वितरित करने का नहीं है। हम चाहते हैं कि भूमिपति तथा बटाई करने वालों के मध्य कोई अवरोध पैदा न हो।

यदि उनका बस इतना ही कार्यक्रम है तो फिर क्या कहा जाये। परन्तु आज प्रश्न यह है कि जमींदारी को समाप्त किया जाये। यदि हम हल चलाने वाले कृषक को भूमि देने को तैयार नहीं हैं तथा कम से कम भूमिहीनों को कोई भूमि देने की चाह नहीं रखते तो कृषि का आधुनिकीकरण तथा हरी क्रांति की बातें करना कोरी कल्पना करना है और इस प्रकार हम कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे।

हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष उत्पादन में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है परन्तु वह तो केवल अच्छे मानसून के कारण है। जब सीमाओं पर कोई आपत्ति आती है तो सरकार कह देती है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा उत्पादन कम हो गया है। यदि हम उत्पादन कार्य को एक सुदृढ़ आधार पर रखना चाहते है तो हमें कृषकों को सशक्त और समर्थ करना होगा। तभी हम स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनेंगे।

हमने अधिकतम भूमि रखने संबंधी कुछ कानून बनाये हैं। मेरे विचार से उनमें से अधिकांश कानून निरर्थक और निष्क्रिय है। विभिन्न राज्यों में भूमि रखने की विभिन्न-विभिन्न अधिकतम सीमाये हैं। इस प्रकार भूमि रखने की अधिकतम सीमा रखने से क्या लाभ हैं?

फिर इस बारे में भी अनेक त्रुटियां हैं क्या अनेक प्रकार की छूट दी जाती है। क्या आज

भारत में भूमि की अधिकतम सीमा प्रति परिवार 120 एकड़ या 200 एकड़ रखी जा सकती है? यही कारण है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 22 प्रतिशत लोगों के पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है।

हमने सोचा था कि अधिकतम सीमा निर्धारण के पश्चात् लोगों को 20 लाख एकड़ भूमि मिलेगी—परन्तु कुछ नहीं किया गया—जो व्यक्ति भूमि-सुधार में रुचि रखते हैं उन्हें भूमि-विहीन गरीब देहातियों, हरिजनों एवं अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कुछ उपाय करने चाहिये तभी कृषि उत्पादन बढ़ सकता है।

सन् 1967-68 एवं 1968-69 में लगभग 10 करोड़ टन तक कृषि उत्पादन बढ़ा हमारे मंत्री खाद्यान्न के निर्यात की बातें करते हैं जबकि मेरे राज्य केरल में लोगों को दैनिक राशन 6 औंस भी नहीं मिल पाता है। भारत सरकार ने उस राज्य में 160 ग्राम चावल देने की प्रतिज्ञा की थी। कलकत्ता तथा कुछ दूसरे स्थानों पर कानूनी राशन का प्रबन्ध है परन्तु सरकार उन स्थानों को राशन दे नहीं पाती है। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि कृषि में कुल उत्पादन बढ़ गया है एवं सन् 1974 तक हम विदेशों को 5 लाख टन खाद्यान्न निर्यात कर सकेंगे। भारत सरकार के जो आंकड़े निर्यात के बारे में है, गलत हो सकते हैं क्योंकि सरकार राज्यों को चावल नहीं दे पाती है और जो देती है वह 50 प्रतिशत कम है—भारत सरकार ने विशेषतया केरल जैसे राज्य को 160 ग्राम चावल देने का वचन दिया है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

यद्यपि मेरी दूसरी बात इससे सम्बन्धित नहीं है परन्तु ध्यान देने योग्य है। सरकार ने कुछ वस्तुओं के निर्यात तथा कुछ पर से उत्पादन शुल्क हटाने का निर्णय किया है। हम इन प्रस्तावों का स्वागत करते हैं, परन्तु सरकार ने नारियल जटा जैसी वस्तुओं जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, पर से उत्पादन शुल्क नहीं हटाया है—हमने वैदेशिक व्यापार मंत्री से प्रार्थना की परन्तु समझ में नहीं आता कि उन्होंने वित्त-मंत्री से नारियल जटा पर से उत्पादन शुल्क हटाने के लिए क्यों नहीं कहा? इस बजट में चाय तथा पटसन के बारे में कुछ किया गया है—मुझे आशा है कि वित्त मंत्री नारियल-जटा पर से उत्पादन-शुल्क हटाने पर विचार करेंगी।

प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने आसाम में पैट्रो-रसायन के विकास के लिए गत वर्ष कहा था। मेरे आसाम के मित्र उन्हें इस बारे में याद दिलाना चाहेंगे कि उस अर्द्ध विकसित राज्य का भी विकास करना है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि देश में ग्राम्य लोगों को विकसित करना है—जो कि 53 करोड़ जनसंख्या वाले देश के 75 से 80 प्रतिशत तक है। उनकी दशा सुधारने के लिए भूमि सुधार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने होंगे तथा जब तक ऐसा नहीं किया जाता है—कोई उन्नति की आशा नहीं की जा सकती है।

Shri B. D. Deshmukh (Aurangabad) : I want to congratulate Mrs. Indira Gandhi for introducing the Budget for 1970-71. It was hard to remove the slackenings which appeared in our economy during the twenty years of freedom and to approach which has been prevalent in our Budgets and to change that in one year and to bring socialism. There must be a motherlike inspiration in the heart of the head of the Government for the people and she bears such an inspiration. She has made new departure in this Budget through a

scheme of feeding school children and to have funds for the people of Tribal areas. This amount is Rs. 4 crores. Though the amount is not much enough yet she has tried to indicate the direction through which the country is likely to be led.

The other aspect of this Budget for its being socialistic is the scheme for rural devel opment. A little amount of Rs. 25 crores has been reserved but I think it would be increased in near future.

No attention has been paid to the backward and dry-farming areas so far but in this Budget certain departure have been made to improve the fundamental principles of the agriculture.

The Finance Minister may kindly, keep it in mind that the slogan raised by us for Green Revolution—needs Fertilizer. Last year ten per cent levy had been imposed on the Fertilizer. In no other country fertilizer is sold at such a high rate than in India If we have to make Green Revolution a success, let our leader kindly, withdraw the levy. It is high time and she should not loose this chance.

It is learnt that only the superior quality kerosene oil is taxed but if one commodity is taxed, the prices of other necessary commodities are increased in the market. It has been happening day by day.

Even the necessary articles to be used by Farmers and backward classes are not supplied to them at reasonable rates. At least the tax on Kerosene oil, Sugar and Tea may kindly be withdrawn because the traders have raised 20 paise per kilogram even on Dust Tea.

The farmer share-holders in Co-operative Sector are likely to be affected by the levy on Sugar. If not much difference is kept in the sugar sold in ration and free market, the sugar sold in ration—is sold in black-market. I request for the withdrawal of tax on tea sugar—Kerosene oil and fertilizer.

The Government must treat the agriculture as an industry because 80 per cent of the people depend on agriculture. There must be a Permanent Price Commission for their development. This year Agricultural Prices Commission fixed the procurement price of wheat at Rs. 66 by reducing Rs. 4. It must be given to Co-operative Sector and a proper policy for rates must be determined so that this agriculture industry can progress.

The agriculture entirely depends on nature, Though it was a good crop during the last two years on account of good rains but this year it had hailed and the crop of crores of rupees has been damaged. A Permanent policy must be adopted for the betterment of the farmers.

The Government must arrange for irrigation facilities, cheap rate—electricity, and new measures of agriculture for farmers. The distinction of the rates paid for per unit if electricity between the industry and the farmer must be removed.

Has the Government tried to make available necessary necessities at cheap and reasonable rates to farmers when they have thought to impose ceiling on land etc. ?

Ceiling is being put on the land holdings of farmer, the price of agricultural produce is going down, but the farmers do not get the commodities of day-to-day use on cheap rates. He has to pay three or four times more for the finished goods of his own agricultural produce.

So far as the credit facilities are concerned, he has to go through many difficulties for getting it. He has to pay interest at the rate of 9 or 10 per cent and as such day-by-day farmer is more and more going under debt.

Smt. Gandhi, when she was Information and Broadcasting Minister promised to restart the radio station of Aurangabad, which stopped working in the days of Nizam. I, therefore, request her to restart it. The ten year old demand of broad guage line of that area should be met with and efforts should be made to develop that backward area.

श्री अमिय नाथ बोस (आराम बाग) : भारत जैसे देश में विभागीम न्याय और उत्पादन शक्तियों का समन्व्य होना ही आवश्यक नहीं है वरन यहां विभागीय न्याय ही आर्थिक उन्नति और पूंजी निर्माण का आधार है।

इंगलैंड को औद्योगिक आन्दोलन लाने में 200 वर्ष लगे। भारत में हम बहुत तेजी से समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ इंगलैंड ने 200 वर्ष में किया उसे 50 वर्ष में करना चाहते हैं। इसके लिए एक ही तारीका है कि हम लोगों से कह दें कि यदि वे भारत का नव निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें भूखों रहना होगा दुःख झेलने होंगे तथा त्याग करना होगा। सभी को इस भूख, दुःख और त्याग में अपना भाग देना चाहिए। यह बजट निःसन्देह इस ओर एक कदम है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम चींटी की चाल से चल रहे हैं।

वर्तमान संविधान के अन्तर्गत वास्तविक समाजवादी देश करना कठिन हैं। सबसे पहली आवश्यकता संविधान से सम्पत्ति के अधिकार को छीनना ही नहीं है वरन् हमें उसमें ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जिससे कि समाजवाद की दिशा में कदम उठाने के लिए कानून बनाये जा सकें।

भारत आजकल संक्रान्ति काल में से गुजर रहा है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, वह अन्य राज्यों में भी फैलेगा और एक सामाजिक आन्दोलन होगा।

यदि हम देश को समाजवाद की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें ऊपर से ही मितव्ययता करनी होगी तथा इसके लिए हमारे नेताओं को आगे आना चाहिए।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : In the broad sense we can say that this Budget of 1970-71 is not based on any particular philosophy. The new taxes imposed also have not scientific basis. In other words we can say that it is a padestrain budget.

The Prime Minister had talked of the vital link between the needs of growth and of distributive justice. But no measures had been taken in the budget to realise this objective.

There is only slight difference between this year's budget and the previous budget ? The Co-operate sector had not been touched just like the previous budgets. The Prime Minister had also restored to deficit financing. It is said that we should stop deficit financing. Even then it was done upto Rs. 225 crores but it is surely going to be more than that.

Like the previous budgets it is also not 'full employment oriented' budget. Particularly no guarantee of employment had been given to the tribals. The only guarantee in this budget is that the richer would become richer and the poor become poorer.

Number of new taxes had been imposed but no effective steps had been taken to check tax evasion and to collect arrears. The Prime Minister should tell the house the amount of tax arrears that had to be collected and how it would be collected.

Much had been said about increasing limit from Rs. 4800 to Rs. 5000. But it is a very childish thing to boast on this. The reason in support of it given by the Government

was that it was not possible for them to collect taxes below that level. Such a Government, which was unable to collect taxes, had no right to remain in power.

As regards tax on property, no central valuation machinary had been devised to assess the value of the property. The result would be that there would be evasion of tax.

Keeping in view the the socialism we should fix the highest and lowest limit of income. In a broad way the ratio between the lowest and highest income should be fixed 1 : 10. After that was done, income-tax rates should be fixed. The limit for gift tax should be Rs. 500 and not Rs. 5000.

This is a proposal to give relief in export duty on high quality tea and jute so as to increase their export. As a matter of fact both the industries should be nationalized and that is the only may be mordenise them.

The concession in income tax to those who owned a cycle was Rs. 20. This is a very small amount, it should be made Rs. 50 and the concession given to the persons owening motor cars should be Rs. 100 instead of Rs. 250.

The rate of growth in India was very low. Even Pakistan's rate of growth was more than that of India. To improve that we should introduce compulsory investment in India.

Shri Nitiraj Singh Choudhary (Hoshangabad) : I congratulate the Prime Minister for presenting this budget keeping in view the feelings of masses. It will not be proper to say that the budget proposals have been formulated keeping in view mid-term fall. As the majority of the people live in villages, she has kept in mind the difficulties experienced by the villagers.

It has been observed that adequate irrigation facilities have not been provided in Madhya Pradesh. In view of this we cannot have desired results of production in spite of the fact that the land is fertile. In our country there are only 67 kilometer roads per hundred square kilometer. Similarly there is one dispensary for a population of about 2 lakh people. The facilities for drinking water are also inadequate. The position of transport facilities is also not upto the mark. It is the responsibility of the Government to bring underdeveloped regions at a par with developed regions. I invite the attention of the Prime Minister towards these facts and suggest that the provision of Rs. 25 crores, which has already been made in the budget, should be increased. A factory should be set-up in Belladilla where iron is available in abundance.

Government should also pay attention towards the companies and their managers who use the accommodation of companies and also debit the expenditure of their servants in companies accounts.

श्री दत्तात्रय कुन्ते (कोलाबा) : इस बजट में ऋण तथा अग्रिम राशि शीर्षक के अन्तर्गत कुछ प्रयोजनों के लिये 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं इस व्यवस्था को अग्रिमराशि तथा ऋण देने के सम्बन्ध में वर्तमान नीति में एक नया मोड़ मानता हूँ और जनता की सेवा का नया साधन समझता हूँ।

कुछ राज्यों के संसाधनों में अन्तर को दूर करने के लिए चालू वर्ष के पुनरीक्षित बजट में 275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, इस प्रयोजन के लिए आगामी बजट में 175 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। परन्तु इस राशि को 'ऋण तथा अग्रिमराशि' शीर्षक में रखना कहा तक उचित है। क्या यह अनुदान है जो ऋण तथा अग्रिम राशि' शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है। इस शीर्षक के अन्तर्गत ऋण अथवा अग्रिमराशि का उल्लेख होना चाहिए सहायता का नहीं। कुछ

माननीय सदस्यों ने उपर्युक्त राशि को विवेकाधीन अनुदान कह कर इस व्यवस्था की आलोचना की थी। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा था कि इस राशि का भरे भावपूर्ण तरीके से उपयोग किया जायेगा जिससे कुछ राज्यों को लाभ पहुँचेगा और कुछ को नहीं पहुंचेगा और इस प्रकार कठिन समस्यायें पैदा हो जायेंगी। गत वर्ष बजट के भाग 2 में 232 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु उसमें इस प्रकार की सहायता का कहीं उल्लेख नहीं था। 275 करोड़ रुपये की व्यवस्था के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि राज्यों के संसाधनों के हाल ही में किये गये पुनर्मूल्यांकन से पता चला है कि बहुत से राज्यों को गैर-योजना कार्यों के लिए अथवा अनुमोदित योजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था करने हेतु उनके संसाधनों में अन्तर को दूर करने के लिए घाटे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस प्रकार के राज्यों के लिये गैर योजना ऋणों के रूप में विशेष सहायता की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है जितसे उनकी योजनाओं की क्रियान्विति में बाधा न पड़े। इसका अर्थ यह है कि ये ऋण या अग्रिम राशि नहीं बल्कि विशेष सहायता है। इस सम्बन्ध में मेरी आपत्ति यह है कि इस व्यवस्था को 'ऋण तथा अग्रिम राशि' के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए था। मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यह व्यवस्था गैर योजना कार्यों के लिये नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था योजना संबन्धी कार्यों के लिए भी है। वास्तव में यह व्यवस्था योजना सम्बन्धी अग्रिम राशि के अन्तर्गत की जानी चाहिये थी। इसको गलत शीर्षक के अन्तर्गत रखकर सभा को गुमराह किया जा रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair***]

यदि योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा हूँ तो सरकार को उन्हें इस प्रयोजन के लिए ऋण देने चाहिये। चालू वर्ष की यह अनुपूरक मांगे हैं। सरकार ने इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया कि 275 करोड़ रुपये किस प्रकार खर्च किये जायेंगे और क्या उसमें से कुछ राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। यह राशि 31-3-1970 तक खर्च की जानी है। इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं दिया गया कि इससे किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा। ये सब बातें सभा को कब बताई जायेंगी। यदि इस का कोई स्पष्टीकरण न दिया जाये तो मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि इस अनुदान को रोक लिया जाये। यह कोई साधारण मामला नहीं है यह 400 करोड़ रुपये खर्च करने का मामला है। जिसमें से 275 करोड़ रुपये 31 मार्च तक खर्च किये जाते हैं और 175 करोड़ रुपये आगामी वर्ष में परन्तु जिसके बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सभा तथा उसके सदस्यों की रक्षा करना अध्यक्ष का कर्तव्य है। अतः मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। आप इस पर अपना विनिर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री दत्तात्रय कुन्ते : अध्यक्ष द्वारा दिये गये विदेशों के अनुसार सिद्धान्त सम्बन्धी कोई प्रश्न बजट चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। इस मामले को आज उठाने का कारण मैंने अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया था इसका कारण यह है कि सभा आज लेखानुदान पर विचार कर रही है। यह कहना उचित नहीं कि बजट पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा

सकता (व्यवधान) 275 करोड़ रुपये का अर्थ यह है कि यह राशि वसूल किये जाने वाले कुल राजस्व के पांचवें भाग से अधिक है।

Shri B. N. Kureel (Ramsnahighat) : I congratulate the Prime Minister on presentation of this budget. She has taken special care of backward classes. There will be no direct burden of taxes on the poor and on the other hand they will get some reliefs. The provision for pension has been increased. I agree that the prices should not be increased as a result of this budget. In fact prices are being raised by business community. Their attitude is highly improper. They were given crores of rupees to manufacture goods in the country so that imports could be avoided but they have misused the money and they go on increasing the prices to get maximum profits. Now the position is that there is no hault to increase the prices. In order to meet this situation we should set-up consumer industries in public sector. This is the only way to bring down the prices.

The scheme formulated for the uplift of backward classes are good but they are not implemented properly. There has been improvement in food situation but the problem has not yet been solved. We can solve this problem only if we give incentive and facilities life water, electricity. high yielding seeds, inputs to the farmers. I would suggest that tax on fertilizers should be reduced.

A quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been fixed in the services but it is not being put into practice properly. Special attention should also be paid to provide them facilities in the matter of confirmation, housing seniority and pay fixation.

I may point out that economy of villages has been disrupted. Government should pay sufficient attention towards small scale industries, Government should give incentive to the poor. They should be given all facilities for development of these industries. Taxes should not be imposed on these industries rather they should be increased.

Government should reconsider the question of increasing the duty on kerosene, sugar, tea etc, and steps should be taken to exempt them from the duty.

श्री आर० एम० अरुमुगम *(टेंकासी) : इस बजट में तमिलनाडु के लोगों को धोखा दिया गया है। आशा की जाती थी कि इस बजट में सेलम इस्पात कारखाने तथा सोमसुन्द्रम परियोजना को शामिल किया जायेगा परन्तु इस बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इस बजट में लोगों के कल्याण के लिए भी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिये गये हैं। इस बजट में 225 करोड़ रुपये की जो घाटे की अर्थव्यवस्था की गई है उससे देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति में वृद्धि होगी और मूल्यों में भी वृद्धि होगी ? साधारण लोगों पर 155 करोड़ रुपयों के करों का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है।

डी० एम० के० पार्टी ने कहा था कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ होने के पश्चात वह गरीब लोगों पर पड़े करों के बोझ को 40 प्रतिशत तक कम कर देंगे तथा नवीन सुविधाओं में 60 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसके बजाये उन्होंने 6½ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगा दिये हैं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised Translated verion based on English Translation of speech delivered in Tamil.

बजट के पेश किये जाने के तुरन्त पश्चात सामान्य उपभोक्त वस्तुओं अर्थात साबुन, मिट्टी के तेल आदि के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। इसी प्रकार चाय तथा चीनी आदि के मूल्यों में भी वृद्धि हो गई है। गरीब व्यक्ति को दिन प्रतिदिन के वस्तुओं के लिए अब अधिक मूल्य देना पड़ेगा। इसके विपरीत सट्टा बाजार में लोगों ने बजट के पेश के होने पर खुशी मनाई है मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मन्त्री इसी प्रकार का समाजवाद देश में लाना चाहते हैं।

इस बजट में मजदूरा को कोई रियायत नहीं दी गई है। श्रम अधिनियमों पर भी पूरी तरह अमल नहीं हो रहा है। बिजली मजदूरों की समस्याओं की जांच के लिए नियुक्त किये गये मजूरी बोर्ड ने लगभग तीन मास पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु खेद की बात है कि अभी तक उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। शायद सरकार यह चाहती है कि बिजली मजदूर इसके लिए कोई आन्दोलन चलायें।

बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। सरकार द्वारा रोजगार के नये अवसर उत्पन्न नहीं किये हैं। रोजगार के वर्तमान अवसरों में भी कमी होती जा रही है। तमिलनाडु में बन्द पड़ी 20 कपड़ा मिलों को अभी तक पुनः चालू नहीं किया गया है। इनके मजदूर तमिलनाडु के कस्बों में नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं।

जहाँ तक मन्त्रियों का सम्बन्ध है वे मंत्री बनने के पश्चात उचित ढंग से व्यवहार करना ही भूल जाते हैं। अधिकारियों को दक्षतापूर्वक तथा निष्पक्षता से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती। मंत्रिगण प्रतिदिन प्रशासन में हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसी प्रकार सब अध्यापक मंत्री महोदय से मिलने गये तो मंत्री महोदय ने उनके प्रति उचित शिष्टाचार का व्यवहार नहीं किया। अध्यापक तथा अधिकारीगण अपने आत्म-सम्मान का अधिक ध्यान रखते हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में भी बजट में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं। मैंने बार बार सभा में कहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को उद्योग स्थापित करने के लिए रियायतें दी जानी चाहिए। परन्तु इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। परन्तु बिड़ला बन्धुओं को 50 करोड़ रुपयों की पूंजी से उर्वरक कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है।

तमिलनाडु में हजारों लोग बेघर हैं। परन्तु इस स्थिति के बावजूद अमीर लोगों को लाखों रुपयों की भूमि पट्टे पर दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार गरीब लोगों को सहायता के लिए कोई ठोस कार्यवाही करे।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : I thank you for providing me an opportunity to speak on this general budget.

Rajasthan is in the grip of severe famine as it is being hit by drought repeatedly for the last six years. The Rajasthan Government is doing its best but it has failed to solve the problems of the drought sticken people for want of money. I would request the Central Government to give more aid to Rajasthan.

I have been requesting the Government that the construction of Rajasthan canal should be taken up at the national level. No special facilities have been provided by Government to the farmers of my constituency for irrigation. I would request the Government to take over the construction of Rajasthan canal in public interest. It should be completed as early as possible. No agricultural college has been opened in my area although it is agricultural oriented area. They have denoted five maunds and Thirty seers of gold and 36 lakhs rupees in cash to the National Defence Fund during the Indo-Pak conflict.

Land was acquired from the farmers for establishing a Sugar factory but it has not yet came into existence. Fertilizer Plant and other industries should be established in that area.

So far as the present system of reservation of seats in the offices for the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned it needs improvement. The people of various communities should be recruited against the class IV posts in proportion to their population in the country.

The Hindumal Holi-Ganganagar railway line should be extended to Bikaner and Fauladi. I would also request the Government to open some new railway stations in my constituency. Housing facilities should be provided to the railway employees. Running allowance should be given to the checking staff such as Travelling Ticket Examiners. Cold water sould be provided at the Suratgarh and Pilibanga railway stations. The municipal taxes on the railway tickets should be done away with.

There are large number of landless people in my constituency. Land may be provided to them. Licences should be given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people for selling food stuffs and toys etc. at the railway stations in the country.

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : The century Old Arms Act enacted by the Britishers should be abolished. If we want to defend our country from China and Pakistan we should introduce compulsory military training in our country.

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : हमें आशा थी कि इस बजट से गरीब लोगों तथा ग्रामीण लोगों को राहत मिलेगी, परन्तु इस बजट से हमारी इस आशा को आघात पहुँचा है । गरीब लोगों पर करों का अतिरिक्त और अधिक बोझ डाल दिया है, अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा चीनी पर लगे कर से गरीब लोगों पर अधिक बोझ पड़ेगा ।

यह बड़े खेद की बात है कि महाजन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है । तीन आयोगों ने मैसूर राज्य के पक्ष में अपना निर्णय दिया है । परन्तु इन सब के बावजूद महाराष्ट्र बेलगांव तथा अन्य क्षेत्रों की माँग कर रहा है ।

जहां तक कावेरी नदी के जल का सम्बन्ध है हम 1924 के करार का निरन्तर पालन कर रहे हैं परन्तु मद्रास राज्य इस करार का उल्लंघन कर रहा है । कांग्रेस (सत्तारूढ़) के अध्यक्ष ने अपने अहमदाबाद के वक्तव्य में यह धमकी दी है कि मैसूर राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता बन्द कर दी जायेगी । ऐसा कहना श्री जगजीवनराम जैसे नेता को शोभा नहीं देता । हमें प्रधान मन्त्री से न्याय की आशा है ।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरा सदा यह प्रयत्न रहेगा कि सभी के साथ न्याय हो । इस सभा में तथा इसके बाहर अनेक

लोगों द्वारा इस बजट को सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकासशील बजट स्वीकार किया गया है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि समाज कल्याण योजनाओं के लिए बहुत कम राशि रखी गई है। यह बहुत व्यापक समस्या है और इसके लिए वर्तमान राशि से चाहे सौ गुना राशि क्यों न रख दी जाये वह कम ही रहेगी। मेरा विश्वास है कि बजट इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि सरकार देश को किस ओर ले जाना चाहती है तथा जिसमें लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर उनसे सरकारी नीति तथा कार्यक्रमों के लिए समर्थन मांगा गया हो।

इस बजट द्वारा सरकार आय तथा सम्पति का समानरूप से बंटवारा करना चाहती है तथा सरकारी क्षेत्र अधिक पूंजी लगाकर तथा लघु उद्यमकर्ताओं को अधिक सुविधाएं प्रदान कर रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना चाहते हैं।

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक न्याय आर्थिक विकास के न केवल अनुरूप ही है बल्कि क्रमबद्ध विकास के लिए आवश्यक भी है। श्री बलराज मधोक ने इस बजट को राजनीतिक बजट बताया है परन्तु श्री अशोक मेहता ने कहा है कि इसमें कोई नई राजनीति नहीं अपनाई गई है। श्री मेहता ने कहा है कि अस्थिरता के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस बारे में डा० कोल ने कहा है कि श्री मेहता ने पहले सर्वप्रथम कांग्रेस में फूट डाली और स्वयं पी० एस० पी० पार्टी में चले गये। वहां पर फूट डालने के बाद पुनः कांग्रेस में शामिल हो गये। और अब पुनः उन्होंने कांग्रेस को विभाजित कर दिया है। श्री अशोक मेहता ने कहा है कि 1962-69 की अवधि में रोजगार के 32 लाख अवसर उत्पन्न किये गये जबकि पिछले चार वर्षों में रोजगार के केवल चार लाख अवसर ही उत्पन्न किये गये है। उन्होंने उन प्रयासों का उल्लेख नहीं किया है जो हमने प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने तथा विकास के लिए किये हैं। इकतरफा बात करना उनको शोभा नहीं देता। श्री मेहता ने कहा कि उनको इससे अधिक अच्छे बजट के पेश किये जाने की अपेक्षा थी। परन्तु उन्होंने अपने भाषण में इस बारे में कोई भी ठोस सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए अधिक राशि रखे जाने की दलील दी है। परन्तु यह नहीं बताया कि यह अतिरिक्त राशि कहां से आयेगी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रगति की गति निर्धारित अवधि से लगभग एक वर्ष तेज है। नये बजट में सरकारी क्षेत्र को उसका मूल कार्य अर्थात अर्थ व्यवस्था में तेजी लाने का कार्य पुनः सौंप दिया गया है।

1964-65 में हमें अपने विकास कार्यों को कम करना पड़ा था। परन्तु 1967-68 और 1968-69 में अच्छी फसल का लाभ उठाकर अर्थव्यवस्था में निवेश की दर बढ़ा दी गई है। परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरणों में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण निवेश में भारी कमी हो गई जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ गई। अतः इससे गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाने की प्रवृत्ति को भी धक्का लगा। सरकारी क्षेत्र में कम पूंजी लगने के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र में मन्दी की लहर दौड़ गई। वर्तमान बजट में धीमी प्रगति के इस चक्र को तोड़ने का प्रयास किया गया है। आगामी वर्ष में योजना परिव्यय में 400 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई है। हमें आशा है कि इससे तथा सरकार की अन्य नीति के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था

बेहतर होगी तथा रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। अतः इससे सरकारी खजाने पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

सट्टा बाजारों में बजट का स्वागत किये जाने का कारण यह नहीं हैं कि किसी मद विशेष पर कर लगाया गया है अथवा नहीं लगया गया है बल्कि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी।

सदा की तरह श्री मसानी ने इस वर्ष भी समूची आर्थिक नीति की आलोचना की है। आश्चर्य की बात है कि वह प्रत्येक वर्ष एक सा ही भाषण करते हैं। उनका कहना है कि योजना को समाप्त करने से अधिक विकास होगा, कर कम करने से अधिक राजस्व प्राप्त होगा और यदि सरकार विकास के लिए अधिक साधन जुटाने का प्रयास न करें तो अधिक आय होगी। यदि कर वसूल करने वाली व्यवस्था को सुधार दिया जाये तो कर की दरों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि कर प्रशासन में सुधार करने की गुंजाइश है। इस बारे में अनेक उपाय किये भी गये हैं, न केवल भारत बल्कि अमरीका ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों में भी लोग करों की चोरी करते हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। जो व्यक्ति रोज़गार पर लगे हुए हैं उनकी आय और वस्तुओं के मूल्यों में तारतम्य बनाये रखना तो आवश्यक है किन्तु साथ ही साथ हमें उन व्यक्तियों के हितों की भी रक्षा करनी है जिन्हें रोज़गार नहीं मिला है या जिन्हें पूरा रोजगार नहीं मिल पाया है। मूल्यों के स्थायी होने पर ही यह नहीं कहा जा सकता कि उन्नति हो गई है वरन सामाजिक स्थायित्व भी उसके लिये आवश्यक है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की निन्दा की है। प्रायः प्रतिदिन प्रश्नोत्तर काल में यह समस्या उठायी जाती है। स्वतंत्र पार्टी के सदस्य चाहते हैं कि सरकार केवल शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने और अन्य आधारभूत सेवाओं को बनाये रखने के कार्य को ही अपने हाथ में रखे और उद्योग और वाणिज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को गैर-सरकारी उपक्रमों के लिये छोड़ दे।

सरकार भी चाहती है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लाभ हो तथा उनकी कार्य कुशलता बढ़े। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का एक और भी उद्देश्य है इन उपक्रमों से देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का ढांचा खड़ा करना है तथा भारी इन्जीनियरिंग जैसे उद्योग इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थापित किये गये हैं। ये उद्योग पूंजी-प्रधान उद्योग हैं तथा इनके चालू किये जाने में पर्याप्त समय लगता है। वास्तव में सरकारी उपक्रमों की आलोचना करने वाले व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि सूखा और मंदी आदि के कारण इन उपक्रमों को भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को करना पड़ता है। पिछले कई वर्षों में इसी प्रकार की कठिनाइयां इन उपक्रमों को उठानी भी पड़ी है।

फिर भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सुधार हो रहा है तथा सरकार ने पिछले

दिनों इन उपक्रमों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये बहुत से कदम उठाये हैं। वर्ष 1968-69 में 73 उपक्रमों में से 42 उपक्रमों में 66.23 करोड़ रुपयों का नकद लाभ हुआ है जबकि उसके पहले वर्ष में 40 उपक्रमों द्वारा 48.95 करोड़ रुपयों का लाभ कमाया गया था। पिछले वर्ष में इन उपक्रमों में हुये घाटे को अदा करने के बाद भी इस उपक्रमों की स्थिति में सुधार हो रहा है। वर्ष 1967-68 में इन उपक्रमों में 37.89 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ था किन्तु वर्ष 1968-69 में घाटे की मात्रा 27.67 करोड़ रुपये रह गयी है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बड़े उपक्रमों में जैसे कि हिन्दुस्तान स्टील पहले पहले घाटे की सम्भावना रहती ही है। टाटा आयरन एण्ड स्टील ने जो 1907 में निगमित हुआ था 1915-16 में जाकर पहले लाभांश की घोषणा की थी उसने साधारण शेयरों नियमित लाभांश की घोषणा 1940-41 में जाकर की थी।

महोदय ! बैलेंस-शीट महत्वपूर्ण अवश्य है किन्तु देश के विकास के बारे में इस उपक्रमों के कार्य को देखते हुये हमें बैलेंस-शीट के अतिरिक्त भी कुछ देखना है क्योंकि देश की अर्थ व्यवस्था में हम इन उपक्रमों की स्थिति को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। यदि इन सार्वजनिक उपक्रमों का विस्तार किया जायेगा तो देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा। देश आत्म निर्भर बनेगा तथा देश में उत्पादनों के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं सिमट सकते। सार्वजनिक उपक्रमों पर जनता का प्रभाव रहेगा तथा उनकी उन्नति का हमेशा ध्यान रखा जायेगा।

श्री मसानी ने रूसी दबाव आदि की चर्चा की है तथा कुछ आरोप लगाये हैं किन्तु मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी किसी भी फर्म पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।

जहां तक बोकारो कारखाने के लिये मुख्य सलाहकार नियुक्त करने का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि पहली स्थिति अर्थात् 17 लाख मीट्रिक टन की स्थिति तक गिप्रोमेज को मुख्य सलाहकार के रूप में रखा गया था तथा उसके पश्चात् दस्तूर एण्ड कम्पनी को कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे गये थे। अगली स्थिति में अर्थात् 40 मीट्रिक टन के उत्पादन की स्थिति में यह आवश्यक नहीं समझा गया कि रूसी संगठन से सलाहकार का काम लिया जाये। इस सम्बन्ध में हमने यही उपयुक्त समझा कि हम अपने ही देश में सार्वजनिक संगठनों से मुख्य सलाहकार का काम लें और इसीलिये हमने हिन्दुस्तान स्टील की सैंट्रल इन्जिनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्रांच को यह कार्य सौंपा जिसके लिये मुझे कोई खेद नहीं है।

मैं हिन्दुस्तान स्टील की सैंट्रल इन्जिनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्रांच के बारे में भी यह बतला देना चाहती हूँ कि यह किसी विदेशी सलाहकार संगठन की कोई एजेंट आदि नहीं हैं वरन इसने अपनी निजी क्षमता में विस्तार करने के लिए अनेक विदेशी फर्मों से कई करार किये हैं।

बोकारो परियोजना के विस्तार के सम्बन्ध में ब्यौरे वार रिपोर्ट का सरकार ने अनुमोदन कर दिया। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र से सलाहकार संगठनों को सशक्त करने का निर्णय करती है तो इसका अर्थ नहीं है कि उसका ग़ैर-सरकारी सलाहकार संगठनों पर विश्वास नहीं है। यदि

स्पर्धा की उपेक्षा करके किन्हीं विशिष्ट ठेकों को प्राप्त करने के लिये आन्दोलन किया जायेगा तो इससे स्वदेशी सलाहकार क्षमता के विकास में बाधा उपस्थित होगी। इस समय देश में सभी संगठनों के लिये पर्याप्त अवसर है।

यह भी आरोप लगाया गया था कि सभी परामर्श संगठन को उनकी सेवा के बदले पौंड स्टर्लिंग अथवा स्वर्ण में भुगतान करना था। माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में गलत सूचना दी गई है। इन सभी सेवाओं का भुगतान रूसी ऋण के अन्तर्गत करना था जिसके सम्बन्ध में दिसम्बर 1966 में एक करार किया गया था। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहती हूं कि रूस को अभी तक पौंड स्टर्लिंग में कोई भुगतान नहीं किया गया और न ही उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई मांग की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि राजस्व के बारे में 100 करोड़ अथवा 150 करोड़ रुपयों का अनुमान लगाया गया है जो बहुत अधिक है। मेरे सह मन्त्री श्री सेठी ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य श्री मेहता ने इस विषय में विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की है। सरकार इस प्रकार के विचार विमर्श के लिये हमेशा तैयार है तथा सभी के विचारों का स्वागत करती है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमने वर्ष 1970-71 के लिये जो राजस्व सम्बन्धी जो अनुमान निर्धारित किये हैं वे अत्यन्त सावधानी पूर्वक किये गये है तथा इस सम्बन्ध में हमने किसी प्रकार की कमी बेशी नहीं रहने दी। आयात लाइसेंसों में वृद्धि के परिणामस्वरूप तथा आयात नीति में उदारता बरतने के कारण है इस बात पर की पूरी सम्भावना है कि आयात शुल्क से आय में वृद्धि होगी जिसका अनुमान 35 करोड़ रुपयों के आस पास है। संघीय उत्पादन शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि उत्पादन शुल्क की मदों की खपत और उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना पर आधारित है। फिर भी श्री साल्वे ने इस सम्बन्ध में संदेह व्यक्त किया है किन्तु उनका संदेह तथ्यपूर्ण नहीं है। मैं यह आग्रह नहीं करती कि अनुमानों में कुछ अन्तर नहीं आ सकता किन्तु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि जानबूझ कर गलत तसवीर अंकित की गई है।

कई माननीय सदस्यों ने राज्य सरकारों को दी जाने वाली 175 करोड़ रुपयों की विशेष सहायता का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में यह आरोप लगाया गया है कि विशेष सहायता की व्यवस्था कुछ राज्यों के साथ पक्षपात करने के लिये बनाई गई है तथा इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं। इस आरोप से आरोप लगाने वालों की मानसिक स्थिति का पता लगता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सदन में बहुत बार सवाल उठाया गया है कि जो राज्य ऋण आदि में दबे हुये हैं अथवा जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनकी विशेष सहायता की जाये। सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत बार आश्वासन भी दिया है कि वित्त आयोग की सिफारिशें मिलने के पश्चात् हम इस मामले की जांच करेंगे। वित्त आयोग केवल राज्यों की राजस्व सम्बन्धी स्थिति की जांच करता है, आयोग उनकी पूंजी सम्बन्धी स्थिति की जांच नहीं करता। अतः वित्त आयोग अक्षम राज्यों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता।......(**व्यवधान**)

योजना आयोग को इस बात का बहुत दिनों से पता है कि बहुत से राज्य में योजना-रहित अवधि की समस्या है तथा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वे राज्य

योजना आयोग के योजना-कार्यक्रमों को लागू नहीं कर सकते । योजना आयोग इस बात पर बल दे रहा है कि इन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विशिष्ट सहायता देनी चाहिये ।

वित्त आयोग की सिफारिशें मिलने के पश्चात् योजना आयोग ने राज्यों से कई बार विचार विमर्श किया है तथा इसी विचार विमर्श के परिणामस्वरूप कुछ निष्कर्ष निकाले गये हैं । वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण आठ या नौ राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी जायेगी । राज्यों को दी जाने वाली 175 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के असम्वैधानिक कार्य नहीं कहा जा सकता । इस वर्ष भी राज्यों को तदर्थ सहायता के रूप में 275 करोड़ रुपये दिये जाने की सम्भावना है ।

मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि सहायता सम्बन्धी इस व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता है । राज्यों की संसाधनों की स्थिति तथा स्वीकृत योजना को देखते हुए राज्यों को यह सहायता दी जायेगी । यह कसौटी सभी को मान्य होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा जायेगा कि राज्य अपने संसाधनों का उपयोग कर सकें ।

माननीय सदस्यों ने इन राज्यों के नाम जानने की इच्छा व्यक्त की है किन्तु मैं इस समय उनके नाम नहीं बताना चाहती । योजना आयोग इस सम्बन्ध में इन राज्यों से अपने अधिकतम संसाधन जुटाने के लिए कहेगा तथा उनसे इस सम्बन्ध में पक्का-पक्का वायदा करायेगा । वर्ष भर की अवधि में पूरा ब्यौरा रख दिया जायेगा तथा सभा को ज्ञात होगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कितनी निष्पक्ष रही है ।

श्री मसानी ने केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता में विस्तार करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की योग्यता पर आपत्ति की है । मेरा निवेदन है संविधान के अनुच्छेद 282 और 293 (2) के अन्तर्गत केन्द्र राज्यों का ऋण और अनुदान दे सकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है कि प्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने से कर अपवंचन के मामले बढ़ेंगे तथा काले धन की मात्रा भी बढ़ेगी । सरकार को इस बात का भलीभांति पता है कि केवल करों की दरों में वृद्धि करने से समानता नहीं लाई जा सकती । सरकार को कर वसूली के लिए व्यवस्थित कार्यवाही करनी पड़ेगी तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए कठोर उपाय करने पड़ेंगे ।

सरकार ने न्यास आदि संस्थाओं के सम्बन्ध में कर वसूली के कानूनों में सुधार किये हैं । धर्मार्थ न्यासों को कर वसूली के कानूनों से कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं किन्तु सभी की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा । फिर भी किसी को ऐसा अवसर नहीं दिया जायेगा जिससे वह कर का अपवंचन कर सके ।

अब मैं मुद्रा स्फीति के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहती हूं । 225 करोड़ रुपयों के घाटे का बजट कोई विशेष घाटे का बजट नहीं है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होने की पर्याप्त आशा है । बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर सहमति प्रकट की

थी कि लगभग 300 करोड़ रुपयों के घाटे के बजट की व्यवस्था की जा सकती है । मैं इस बात का खण्डन कर चुकी हूं कि सरकार ने राजस्व के सम्बन्ध में अधिक अनुमान लगाया है अतः बजट अधिक घाटे का होगा ।

एक गलतफहमी यह भी है कि राज्य सरकारों के घाटे के बजट के कारण घाटा और भी अधिक होगा । कर सम्बन्धी प्रस्तावित नये केंद्रीय उपायों से राज्य सरकारों को लगभग 45 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । फ़िर भी इस समय स्थिति का पूर्ण तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना कठिन है । प्रस्तुत किये गये घाटे में राज्य सरकारों को दी जाने वाली विशेष सहायता तथा कुछ मामलों में बाजार में लिए गये ऋण को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि कुछ राज्यों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रस्ताव किया है । राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता तथा अन्य उपायों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को रिजर्व बैंक से अनधिकृतस्य से अपनी निर्धारित राशि से अधिक राशि नहीं निकालनी चाहिए । यदि राज्य अपने संसाधनों को नहीं जुटायेंगे तो उनके भोजनन-कार्यक्रमों में अवश्य कठिनाई आयेगी ।

अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि के सम्बन्ध में की गई आलोचना के बारे में मेरा निवेदन है कि उच्चवर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं, जैसे आइस क्रीम, मक्खन चौकलेट आदि, पर नये कर लगाये हैं तथा उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ऐसी वस्तुओं पर अधिक कर देना ही चाहिये ।

जोन I में उत्पादित होने वाले खुली चाय पर शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं तथा 25 ग्राम या इससे कम मात्रा में पैक की गई चाय पर भी कर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है । जोन II के सम्बन्ध में भी प्रस्तावित वृद्धि केवल 10 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से है । निम्न वर्ग के व्यक्ति प्रायः खुली हुई चाय का उपयोग करते हैं तथा इन दोनों जोनों में 50 प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है अतः कर वृद्धि की मात्रा कोई महत्वपूर्ण नहीं है । दार्जिलिंग किस्म की चाय जोन III में उत्पादित होती है तथा इसी किस्म की चाय पर अधिक कर लगाने का प्रस्ताव है किन्तु यह चाय अधिकतर निर्यात के काम आती है ।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, कराधान चीनी पर उत्पादन शुल्क में दो प्रतिशत की वृद्धि की जानी है अर्थात वह 23 प्रतिशत से 25 प्रतिशत हो जायेगा । प्रस्तावित अतिरिक्त कर की आधी मात्रा राज्यों को विक्रय कर के स्थान पर मिलेगी । टैरिफ आयोग की सिफारिशों के अनुसार मूल्य निर्धारण करने के आधार में भी परिवर्तन किया गया है ।

मार्च 1969 में चीनी के मूल्यों को देखते हुए इस समय खुली चीनी के मूल्यों में 50 प्रतिशत की कमी हुई है । चीनी पर उत्पादन शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि किये जाने पर भी चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण यह पूरी आशा है कि वर्ष 1970-71 में वर्ष 1969-70 के चीनी के मूल्यों से कम मूल्य देने पड़ेंगे ।

मिट्टी के तेल पर केवल दो पैसे प्रति लीटर के हिसाब से शुल्क लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

परिवार पेंशन, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बनी योजनाओं तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम पेंसन जैसी लाभकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सैनीटरी के समान तथा सुरक्षित खाद्य की वस्तुओं पर कर लगाने के विरुद्ध आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ सामाजिक न्याय के लिए मूल्यों में स्थायित्व लाना आवश्यक है, मूल्यों की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक मास या दो मास के मूल्यों को लेना ही पर्याप्त नहीं होगा।

हमें समय पर मानसून न आने जैसी बातों से भयभीत नही होना चाहिये। अप्रैल 1969 से जनवरी 1970 तक थोक के भाव में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग तीन प्रतिशत की औसतन वृद्धि हुई है।

थोक मूल्य सूचकांक में लगभग तीन महीने तक वृद्धि होने के बाद जनवरी के मध्य से फरवरी के मध्य तक वह स्थिर रहा। रिजर्व बैंक द्वारा किये गये ऋण उपायों का कुछ प्रभाव पड़ना आरम्भ हो गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस बजट में आलोचकों को कोई नई चीज नहीं मिल पाई है क्योंकि एक साधारण सी बात उनकी समझ में नहीं आई। यदि हमने इस महान देश को सही दिशा में आगे ले जाना है, तो हमें अपने सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन को नया रूप देना आवश्यक है।

हमने बजट में देश को नया मोड़ देने का प्रयास किया है जो हमारे उद्देश्य का आरम्भ मात्र है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। मुझे आशा है कि हम और अधिक उत्साह तथा तेजी से देश को आगे ले जाने में सफल होंगे।

लेखानुदानों की माँगें 1970-71
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNTS 1970-71

श्री दत्तात्रय कुण्टे (कोलाबा) : नियम 206(2) के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। "ऋण तथा अग्रिम राशियां" मद के अन्तर्गत गैर-परियोजना ऋणों के लिए 275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यदि प्रधान मंत्री अथवा वित्त मंत्री ने ब्यौरा दिया होता, तो मैं इस प्रश्न को नहीं उठाता, प्रधान मंत्री ने कहा है कि राज्यों को यह राशि योजना प्रयोजनों के लिए सहायता के रूप में दी जायेगी जिसे ऋण नहीं कहा जायेगा किन्तु राज्यों के नाम इसलिए नहीं दिये जा सके हैं कि उनकी संसाधनों की स्थिति अभी तक मालूम नहीं की जा सकी है। इसलिये हमें यह पता नहीं है कि किस राज्य को कितनी राशि दी जायेगी।

नियम 206(2) के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में ब्यौरा उपलब्ध किया जाना चाहिए कि 31 मार्च के पहले 275 करोड़ रुपये की यह राशि कैसे खर्च की जायेगी। आगामी वर्ष के लिए वह 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रही है। जब सरकार के पास इस सम्बन्ध में अभी तक ब्यौरा ही नहीं है, तो सभा मतदान किस पर करेगी ? इसलिए इस सम्बन्ध में सभा के समक्ष ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस बारे में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा निवेदन यह है कि सरकार जो राशि मांग रही है वह उसे दी जा रही है लेकिन यह जानने का हमारा हक है कि इस राशि का वितरण किन सिद्धांतों पर किया जा रहा है और राज्यों को तदर्थ कितनी-कितनी राशि दी जा रही है। हम इस बात का सन्तोषजनक उत्तर चाहते हैं कि इस बारे में सभा के समक्ष ब्यौरा क्यों नहीं रखा गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the point of order raised by Shri Kunte is very pertinent. The Prime Minister made a mention of the Planning Commission But do not know what the Planning Commission has recommended. Similarly we notice a shift in general policies. It has been said that the Budget Estimates were framed on the basis that 70 per cent of the assistance would be in the form of loans and 30 per cent in the form of grants. It has since been decided that the development plans of Ladakh area in Jammu and Kashmir, Hill areas in Assam and Nagaland would be financed to the extent of 90 per cent by way of grant and 10 per cent as loan.

Sir, the issue in question is that how this sum of Rs. 175 crores is to be distributed among the States and what are the underlying principles and what is the definition of a "Weak State". No details have been given in this regard. We do not want this sum to be distributed on political considerations.

Unless the details of the disbursement of the sum that has been asked for are given, the House should not be asked to vote on "Vote on Account".

The Government is answerable to the House and they should not be allowed to act in an arbitrary manner.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि 8 राज्यों के बारे में अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। योजना आयोग ने भी कुछ आवश्यकताओं के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया है। इसलिए राज्यों का समर्थन प्राप्त करने तथा उन राज्यों का जो केन्द्र के पक्ष में नहीं है, गला घोटने की दृष्टि से इस राशि को मनमाने ढंग से व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 175 करोड़ रुपये को नई सेवा के अन्तर्गत माना जाय या नहीं, इसका निर्णय हमें लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए करना होगा। लोक लेखा समिति के ग्यारहवें एवं पचासवें प्रतिवेदन में राज्यों को ऋण देने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री नाथ पाई : यह ऋण कितने समय के लिए है ?

श्री दत्तात्रय कुन्ते : ऋण का कितना भाग वसूल किया जाने योग्य होता है और किन नियमों के अन्तर्गत होता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : वित्त मंत्रालय की मांग पुस्तिका के पृष्ठ 97 पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम राशि" शीर्षक दिया गया है। इसको नई सेवा के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता। साथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 175 करोड़ रुपये की धन राशि अनेक राज्यों एवं योजना आयोग से परामर्श लेने के बाद बांटी जाती है।

श्री दत्तात्रय कुन्ते : मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय का यह कहना कि विवरण तब तक

नहीं दिया जा सकता जब तक कि राज्यों के साथ परामर्श न हो जाए, क्या यह कहना नियम (206)2 के अनुसार है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चालू वर्ष में 275 करोड़ रुपये की धन-राशि व्यय करने की योजना बनाई गई है। मेरा कहना यह है कि ऐसी योजनाओं को सदन के सामने क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री प्र० चं० सेठी : सन् 1966-67 एवं सन् 1967-68 में क्रमशः 108 करोड़ रुपये तथा 118 करोड़ रुपयों की व्यवस्था थी। पिछले अनुभव के आधार पर चालू वर्ष में 275 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि में से 175 करोड़ रुपयों का निर्णय राज्यों एवं योजना आयोग से परामर्श लेने के बाद किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था में दूंगा। अब हम नियम संख्या 193 के अन्तर्गत मद-संख्या 9 पर पर चर्चा करेंगे।

संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों के पुनरीक्षण के बारे में चर्चा

DISSCUSSION RE ; REVISION OF SCALES OF PAY AND ALLOWANCES OF EMPLOYEES OF UNION TERRITORY

Shri Shri Chand Goyal (Chandhigarh) : Mr. Speaker, Sir I want to raise a discussion on the matter regarding pay-scales of employees of the union territorties. Minister of State in the Ministry of Home Affairs had made a statement few days back in this regard. It has reacted adversly and the employees of Himachal Pradesh and Chandigarh were not satisfied by that statement. Therefore I want to draw the attention of Mr. Chavan towards the Calling Attention Motion tabled by me on 28th August 1969. In response to my question Mr. Chavan had stated :

"The Government are advised that the legal position with regard to these unallocated employees, so long as they remain unallocated to any state, is that they will be deemed to be employees of the State of Punjab on deputation to Chandigarh. Therefore, these employees will be entitled to Punjab scales of pay. Government have accepted this advice and will take action accordingly". Unfortunately out of six thousands, three thousand employees of Chandigarh were allocated provisionally in this union territories. What is the reason for such discrimination ? It has been finalised by the State Government and the Government of India has also accepted that the employees, which have been allocated will be entitled to draw pay scales of Punjab and the person who have not been allocated are not eligible to draw such scales. I would like to know who was consulted while giving such a decision. It is also required that six thousand employees of union territories should be entitled to draw the Punjab pay scales when it has already been decided that Chandigarh will be given to Punjab. If it is not done then the chances of Promotion and seniority of such persons will be adversly affected when these union territory will be no more in existence and employees will have to go to different States.

It will be improper on the part of the Government not to give the raised grades to employees of the Union Territory. The Government should not go back from the rules formulated in this connection to the Government do not give the pay scales to them which are being given to employees of the Punjab Government they will not accept any way the

proposed pay scales by the Government and they will start agitation against the Government as the employees of Himachal Pradesh are doing. I would like to request the Government to consider the cause of Himachal Pradesh. I would like to appeal the Home Minister that under the rules made under Section 309 of the constitution of India in 1959. The Lt. Governor is empowered to review the pay scales of the employees of Himachal Pradesh in order to bring them at par with the pay scales of Punjab Government employees. But why did the Government scrap the policy on the basis of the note sent by an under secretary ? May I know from the Minister whether the rules made under Section 309 of the Constitution, in 1959 can be own-ridden by the instruction of an Executive ? I would request the Goverment to consider their demands.

I have gone through the details regarding the pay scales of employees of Union Territories announced by the Government. For examples, the employees of Manipur will get benefit of Rs, 150 whereas that of Himachal Pradesh will get a benefit of Rs. 1.75 only. So far as the constables are concerned, if they are given the revised pas scales of Punjab, they will get a grade of Rs. 125 to Rs. 150. But if the Pattern of Delhi as adopted they will get a grade of Rs. 75 to 95 to 110. A Patwari will get a grade of Rs. 110 to Rs. 200 according to the grades of Punjab, and if the Delhi Scale is given they will get a grade of Rs 85—2—95—3—110—3—128. Similarly we see that in Delhi the Overseers get a grade of Rs. 180—380 whereas in Punjab they get a grade of Rs. 200—450 and Rs. 450—500. A Kanungo gets a grade of Rs. 110—180 in Delhi and Rs. 140—300 in Punjab from these data it is clear that the employees of Himachal Pradesh are far behind in pay scales.

I would like to say something about Chandigarh also. The Government treat this territory and they treat other Union Territories. Till recently, these people were working together with that brotherly in Punjab Due to division of the United Punjab have a cultivated feeling of disappointment in this minds. As a result of which one lakh employees of Haryana are preparing to start an agitation. About 95 percent of the employees absented themselves from duties on 13th. Not only the employees of Himachal Pradesh, but the people of Bilaspur, Simla gave them full support. This shows that the whole population in city is with them and ready to give full support for the cause of these employees.

I would like to remind the Minister that the Chief Minister of Himachal Pradesh has agreed that their demands are proper. This agitation should be directed against the Central Government, Mr. Chavan has already sent the Central Reserve Police there in forty trucks to the place. They resorted to lathi-charge and firing in certain areas. A number of employees have been suspended illegally. When these demands were considered to be proper, this kind of policy will created difficulty in getting their demands fulfilled. It is a double game.

Shri Y. B. Chavan : It is Half-an-Hour discussion.

Mr. Chairman : Three Members have given their names and only they will be allowed to ask questions.

Shri Shri Chand Goyal : I would like to say that Government should not make it a question of prestige.

The lives of 5 employees, who are on hunger strike for the last thirteen days are in danger. I would ask the Government to make an appeal to them to call off this strike and also to tell them that Government are prepared to consider their demand with full sympathy. If anything wrong happened to them, the whole responsibility will be on the Government of India. Therefore I request Mr. Chavan not to take it a question of prestige and make an appeal to them that the doors are opened for talks.

Mr. Chairman : Mr. Speaker has given me three names. I will call them. After that the Minister will reply.

श्री विक्रमचन्द महाजन (चम्बा) : महोदय, यह उचित नहीं है। जब किसी को बुलायेंगे तो आपको सूची के आधार पर बुलाना चाहिए। हमें समय मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने तीन नाम दिये हैं। मैं उन्हीं को बुलाऊंगा।

श्री विक्रम चन्द महाजन : अध्यक्ष महोदय को सूची में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। हमारे नाम सूची में हैं। उन्हें कैसे निकाला जा सकता हैं ? यह उचित नहीं है।

Mr. Chairman : We have only half-an-hour time. Within that time everybody has to speak, and the Minister has to reply.

श्री स० मो० बैनर्जी (कानपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए और उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाइये।

श्री विक्रम चन्द महाजन : यह उचित नहीं है। हमें बोलने का अधिकार है। हमारे नाम कार्य-सूची में हैं।

Mr. Chairman : You may ask questions.

श्री विक्रम चन्द महाजन : जिन सदस्यों के नाम कार्य-सूची में हैं उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न पूछने के लिए सभी माननीय सदस्यों को मैं अवसर दूंगा, परन्तु भाषण के लिए नहीं।

श्री विक्रम चंद महाजन : नियम संख्या 193 के अन्तर्गत, चर्चा के लिये कुछ नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

श्री स० मो० बैनर्जी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य-सूची में लिखा हुआ है कि :

"नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा।"

उक्त नियम इस प्रकार है :

"अविलंबनीय लोक-महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुनिश्चतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा :

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी। परन्तु यह और की सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा।"

आपने इस को छोड़ दिया। नियम संख्या 193 के अन्तर्गत की जाने वाली चर्चा आधे घंटे की नहीं है। उक्त नियम के अन्तर्गत की गई कोई भी चर्चा इस सदन में कभी भी एक घंटे से कम समय में समाप्त नहीं हुई है।

अतः यह आधे घंटे की चर्चा कैसे हो सकती है ?

Mr. Chairman : This question was raised on 11th March. On that day Shri Prem Chand Verma had requested to hear him then speaker had said :

> "मैं इस प्रक्रिया को त्याग नहीं सकता हूं, किन्तु उनके लिए, यदि वे चाहें तो, आधा घंटे की चर्चा की व्यवस्था कर सकता है। अन्यथा इस की भी अनुमति नहीं दी जायेगी।"

मेरे पास जो नाम दिये गये हैं, वे हैं श्री श्रीचन्द गोयल, श्री श्रीचन्द वर्मा और श्री हेम राज। समय है आधे घंटे का।

श्री पी० रामामूर्ति (मदुरै) : सदन में अध्यक्ष और किसी सदस्य विशेष के बीच चाहे जो भी चर्चा हुई हो, जब एक बार अध्यक्ष ने नियम संख्या 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए अनुमति दी है, तो निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही चलना पड़ेगा। नियम संख्या 193 आधे घंटे की चर्चा के सम्बन्ध में नहीं है। अतः चर्चा को रोकने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सदन 7-30 बजे स्थगित किया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं और चर्चा को और किसी अन्य समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। परन्तु आप प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों से पीछे नहीं जा सकते हैं।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ कहा उससे मैं हट नहीं सकता हूं। यदि आपको इसमें आपत्ति है, और आप कुछ नये तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप अध्यक्ष को लिखें या जब अध्यक्ष पीठासीन हों, तब इसे सदन के सामने रखें।

श्री पी० रामामूर्ति : कार्य-सूची में लिखा गया है कि उक्त चर्चा नियम संख्या 193 के अन्तर्गत है। हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय ने सोचा होगा कि यह ऐसा विषय है जिस पर उचित रूप से चर्चा की जानी चाहिए। अतः उन्होंने इसको नियम संख्या 193 के अन्तर्गत रखा। हमें कार्य-सूची के अनुसार कार्य करना है। कार्य-सूची में यह नियम संख्या 193 के अन्तर्गत रखा गया है।

सभापति महोदय : कार्य-सूची में इसके लिए आधे घंटे का समय नियत किया गया है। समाचार, भाग 2, 1580 में कहा गया है :

> "नियम संख्या 193 के अन्तर्गत श्री श्रीचन्द गोयल, श्री विक्रम चन्द महाजन और श्री हेम राज द्वारा अल्पकालिक चर्चा। चर्चा की तिथि एवं समय—मंगलवार 17-3-70, 6-30 पी०एम०, आधा घंटा समय।"

श्री पी० रामामूर्ति : जी नहीं। वह बुलेटिन इसके पहले का है। यह कार्य-सूची अन्तिम है। हमारा अनुमान है कि अध्यक्ष महोदय ने इस विषय में पुनर्विचार किया होगा और समझा होगा कि इस पर अच्छी तरह चर्चा की आवश्यकता है। अतः उन्होंने इसको नियम संख्या 193

के अन्तर्गत रखा। यह अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम निर्णय है । यह नियम संख्या 193 के अन्तर्गत की चर्चा है।

सभापति महोदय : आपको ये दोनों एक साथ पढ़ने चाहिये।

श्री पी० राममूर्ति : यह कार्य-सूची अन्तिम निर्णय वाला है।

सभापति महोदय : आपको इसके लिए नियत समय को भी ध्यान में रखना चाहिये।

श्री पी० राममूर्ति : बुलेटिन कार्य-सूची से भिन्न होता है जो केवल सूचना देने के लिये होता है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 195 के अन्तर्गत यदि कोई सदस्य अध्यक्ष को पहले सूचित कर देता है, वह चर्चा में भाग ले सकता है।

Mr. Chairman : That is why I have to adjourn the House. The provision is :

"The Speaker may allow two sittings in a week on which such matters may be taken up for discussions and allow such time for discussion and exceeding one hour."

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : It is a pleasure that Home Minister is present in the House. We would like to request him that Himachal Pradesh with an area of 2200 miles has its borders with Tibbet and China. The strike by non-gazetted employees has created a serious situation there and the entire work of the Himachal Pradesh Government has been paralized. The public of the State is also supporting the strike. The public wants that the commitments which were made to it when they were under the Punjab Government must be honoured. After the division of Punjab the services of some employees were transfered either by Government of India or by the Himachal Pradesh Government. They have demanded that they should be given the revised pay scales of Punjab which were revised on 1.2.68. But the Government of India have given them Delhi grades which are comparatively lower. Then the pay scales of Patwaries have been reduced. The problem is as to why the Central grades are not acceptable to Himachal Pradesh Employees and why they insist on the pay scales of Punjab. Himachal Pradesh is a Hilly State where all the commodity are more costly than in Delhi and Chandigarh, I feel that the pay scales of Himachal Government Employees should by 30 percent higher than that of Punjab.

In the end, I would like to say that Home Minister must take steps to call off the strike. It will meet the end of justice if the pay scales of non-gazetted employees, teachers and lecturers are revised and brought at least far with those of Punjab.

श्री विक्रम चन्द महाजन : महोदय, इसमें सन्देह नही कि हिमाचल प्रदेश के निम्न वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान कहीं कम हैं। गृह-मन्त्री कई बार कह चुके हैं कि हमें भारत के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर ऊठाना है। आशा है वह हिमाचल के कर्मचारियों को भी इसी दृष्टि से देखेंगे।

आज हिमाचल प्रदेश में जो हड़तालें और अव्यवस्था है उसका कारण यही कि 1 सितंबर, 1948 को, भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हिमाचल के वेतनमान पंजाब के वेतनमानों के समान ही होंगे। परन्तु 1968 के बाद पंजाब के वेतनमान बढ़ा दिये गये। इसके फलस्वरूप

कुछ स्थानों पर असन्तोष होना स्वाभाविक ही था। हिमाचल प्रदेश के लोग दूर-दूर रहते हैं। लाहौल और स्पीती जैसे स्थानों पर भी स्कूल कालेज की कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा के लिए लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। तीन या चार सौ रुपया पाने वाला कोई व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकता है। सरकार ने वेतनमानों के लिए जो आश्वासन दिया था भला उसे पूरा क्यों नहीं किया ? हिमाचल सरकार ने भी नये वेतनमानों का अनुमोदन कर दिया है, केन्द्र उन्हें क्यों नहीं दे रहा ? यदि केन्द्र इन्हें नहीं दे सकता तो उसे हिमाचल को राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। वह स्वयं अपनी समस्याओं को हल करता रहेगा।

आज पांच सरकारी कर्मचारी अनिश्चित काल तक के लिये भूख-हड़ताल कर रहे हैं। उन में से दो की स्थिति तो चिंताजनक है। गृह-मन्त्री यदि यह कहें कि हम अपने निश्चय पर पुनः विचार कर रहे हैं तो इस आश्वासन से ये कर्मचारी अपनी भूख-हड़ताल समाप्त कर देंगे। मुझे आशा है कि गृह-मन्त्री इस प्रकार की अपील, देश के हित के लिए, अवश्य करेंगे।

Shri Hem Raj (Kangra) : Himachal Pradesh is the only State the country which has running a State Government all along. But my allegation is that that Central Government are responsible for the discontentment among the people of Himachal Pradesh. In 1948 it was decided to give Punjab pay scales to Himachal Pradesh employees but now the Central Government have declined to give these scales.

The question was raised that employees of snow-bound areas like Lahaul and Spiti should be given the double salary and Mr. Kairon accepted this demand. In 1960, it was decided that the pay of the employees working in these places should be reduced as they are provided with accommodation there. Consequently the employees resorted to agitation there.

Himachal pradesh is a hill State and important from the strategic paint of view with the Government want that the employees of a border area should remain dissatisfied. The Government should not reduce the pay scales which they are getting for the last twenty-two years. The Government has started to give them Compensatory Allowance according to Central Government's rule. I would request to the hon. Home Minister to consider their problem and order to release the persons who were arrested otherwise the Government's work will be paralized as about one lakh employees are prepared to go on strike again. No action should be taken against the employees as their demands are genuine and these have been accepted by Himachal pradesh.

I would appeal that the employees should be given assurance that their pay scales will be revised.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I appreciate the spirit of those persons who put forward the demands of employees in a proper way. The Himachal Pradesh employees started agitation by taking casual leave and again they are going to absent themselves from duty by taking mass casual leave. I would request the hon. Home Minister to consider the demands of Himachal Pradesh employees.

Central Government pay scales are quiet different from Punjab Government pay scales. For instance the pay scale of Assistant in Central Government and Punjab Government are 130—300 and 160—400 respectively. If the employees of Himachal Pradesh are paid according to Central pay scales, they will have to suffer the loss. They are entitled to draw Punjab pay scales. The Himachal Pradesh employees should be given statehood and if it is not possible they should be given Punjab pay scales.

On behalf of all parties, I would like to appeal to them that they must withdraw this hunger strike. And I request the hon. Minister to call on their deputation and to settle the whole matter in a tri-party or bi-party conference. If they are not forthcoming, I conclude by saying that the employment of Himachal Pradesh are not alone. The fire from Himachal Pradesh will spread all over the country. I hope such things will not be allowed to occur. Our full sympathy is with them. Once again I would like to congratulate those lakhs of employees who, by ever undergoing their lives, forced the Government to attend to the demands raised by the labourers.

Shri S. M, Joshi (Poona) : Mr. Chairman, I wou't take much time. The first thing I want to say is that these employees have certain grievances. Hitherto their demands were not attended to. There are surely something wrong in our dealing with them. On one side we have been telling them that they would be getting the pay scales which are prevalent in Punjab and on the other side we said that they would get whichever is less. This is not a proper dealing with our employees.

The second thing which I wish appeal to Mr. Chavan is that the suspension of employees must be cancelled. Regarding the scales of pay, the minimum must be maintained any way. It is the rate of the trade unions that whatever is given must be protected. Therefore to reduce the amount which they were getting is not right. If the Government are not considering these things, as the people of Himachal Pradesh demanded, they should be given full statehood. I also make an appeal to them to withdraw their strike and request the Government ask the Chief Minister to cancell this suspension orders and discuss the matter with them in detail.

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं कहता हूं कि गृह मन्त्री को बहुत अधिक कुमंत्रणायें दी गयी है, क्योंकि सरकार के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह कर्मचारियों के पहले वेतन स्तर एवं अन्य भत्ते में कमी करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस मामले की तफसील में गये होते तो वे आरम्भ में ही इसको स्वीकार न करते, क्योंकि नगर भत्ता आदि में उनको 50 से 200 सौ रुपये तक नुकसान होता है अब गृह मंत्री ऐसी विषयावस्था में पड़े हुए है कि उनके दल का एक भी सदस्य उस आदेश की पैरवी के लिए आता दिखाई नहीं पड़ता। हां, उन्होंने विपक्षी दल के सदस्यों से भी अधिक वाकपटुता से इस विषय में मन व्यक्त किये। अत: मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अविलम्ब इस मामले को तय किया जाय। मैं किसी प्रकार का सुझाव पेश करना नहीं चाहता हूँ, वे कोई भी तरीका स्वीकार करें किन्तु इसे शीघ्रता से इस विषय में फैसला किया जाय।

Shri Pratap Singh (Simla) : I think all of my colleagues who have understood the cause of the employees well and drawn the attention of the Government towards that. I would like to invite the attention of Home Minister to the fact that throughout the whole of northern zone Himachal Pradesh is the only peaceful area which did not get involve itself in any kind of agitation. The Government may be knowing that in April, 1962, the Government of India had agreed to provide the same scale of pay in Himachal Pradesh that existed in Punjab. On this basis the second pay commission made its recommendation that the scale of pay in Punjab should be given to the non-gazetted staff of Himachal Pradesh. And as a result that that Central Government had empowered the Administration under Article 240 to increase the scale of pay and allowances of the employees of Himachal Pradesh from time to time. The Chief Minister and 30 lakhs people of Himachal Pradesh refuted the recent statement of Government. One lakh employees have gone on strike. Will the Home Minister give assurance so that we can save the lives of lakhs of people who are on hunger strike ? I want to know whether the Minister will consider all issues of

non-gazetted employees with the Government of Himachal Pradesh, and give them the pay scales of pay of Punjab. Now I would like to ask three questions to the Minister.

क्या तीसरे वेतन की सिफारिशें हिमाचल प्रदेश में लागू होंगी ? यदि हां, तो दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा करने में क्या न्याय है ?

दिल्ली प्रशासन में जो श्रेणियां नहीं है, उनके वेतन निर्धारित कैसे किये जायेंगे ?

यदि सरकार यह मानती है कि उन्हें प्रशासन के वेतनमान दिये जायें तो, जब 1 नवम्बर 1969 को पंजाब के एक भाग को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, उसी तिथि से इन वेतनमानों को लागू क्यों नहीं करती ?

क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के कालेज के प्राध्यापकों को वही वेतन दिया गया जो पंजाब में था, क्योंकि यह दिल्ली प्रशासन के वेतनमान से कम है ?

I hope the Minister will consider my points.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Himachal Pradesh is a border area. The people, of the State, are industrious, patriots and gentle. This demands are legal. I appeal to the Government that they would remove the disparity and thereby save the lives of those who are on hunger strike.

One thing I want to say regarding Delhi. The Government have reinstated all the employees who took part in the strike on 19th September. But some poor policemen are still under suspension. Please extend the hands of sympathy towards them also and reinstate them.

Thirdly, I wish to say that some employees in Haryana also are on strike. These demands are also legal. I request the Minister to ask the Chief Minister to settle the matter, so that they may also be satisfied.

There should be perfect peace in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Delhi. If our employees are satisfied, they will be honest to their work. Healthy mind can only be in a healthy body. When salary is less, corruption crops up. If everybody gets good salary no corruption will be there and everyone will do his work honestly.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सभापति महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में सभा ने चर्चा करने का निर्णय लिया। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। किन्तु मैं इस खास विषय से सम्बन्धित तथ्यों को स्पष्ट करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि मुझे हिमाचल प्रदेश के प्रश्नों के प्रति, वहां की जनता के प्रति, वहां के कर्मचारियों के प्रति पूर्ण रूप से सहानुभूति है। मैं उनकी कठिनाइयों को समझता हूं क्योंकि श्री प्रेमचन्द वर्मा, श्री प्रताप सिंह, श्री हेमराम इत्यादि माननीय सदस्य को मेरे सहयोगी यहां बैठे हैं। वे सब इस मामले में बहुत अधिक चिताग्रस्त हैं। मैंने उनका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि वे वहां की जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं उनकी चिंता में शामिल हूँ। ये ऐसे विषय हैं जिनमें कुछ सिद्धांत एवं कुछ वित्तीय दायित्व अन्तर्ग्रस्त हैं। हमें इन पर सावधानी से विचार करना है। मैंने स्वयं इस विषय में कुछ समय तक अपना मन लगाया है। कई लोगों ने इस प्रश्न के संबंध में वक्तव्य दिये हैं। 1948 तक पूर्वी पंजाब के वेतन मान से यहां के वेतन मान बराबर किये गये थे। यह ठीक है कि गत बीस वर्षों में कई परिवर्तन हुए हैं। वह संपूर्ण इलाका तीन राज्यों में विभक्त हुआ हिमाचल

प्रदेश, पंजाब, और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश के पंजाब से अलग किये जाने के पश्चात् और हरियाणा के बनने के बाद, हरियाणा एवं पंजाब के वेतन मानों में भी बहुत अन्तर है। स्वाभाविकत: जब एक इलाका अलग से एक राज्य बनाया जाता है वह अपने ही संसाधनों से आगे बढ़ता है। उसमें कोई गलती नहीं है।

जब केन्द्रीय सरकार इन विषयों के सम्बन्ध में विचार करेगी तो संघ राज्यों में प्रचलित विभिन्न वेतनमानों को ध्यान में रखना होगा। एक विशेष अवसर में वेतनमान को निर्धारित करने एवं स्वविवेक, से उनमें परिवर्तन करने का अधिकार उपराज्यपाल और मुख्य प्रशासक को दिया गया था यह अधिकार 1959 में दिया गया था। किन्तु एक स्थिति में यह ज्ञात हो गया कि केवल पंजाब सरकार ही वेतनमानों में परिवर्तन में लाती रही है। दिल्ली में रहने वाले कोई वित्तमंत्री यह नहीं कर सकते कि सारा मामला किसी राज्य के वित्तमन्त्री के निर्णय के लिए सौंप दिया जाय। पंजाब सरकार अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वेतनमान के संबंध में निर्णय लेती है। केन्द्रीय सरकार के लिए किसी अन्य राज्य के वेतनमानों के साथ इन्हें मिलाने का किसी को अधिकार देना कठिन था।

उक्त अवधि में एक निर्णय लिया गया कि वेतनमान विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित किया जायगा। यह निश्चित किया गया कि यह वेतनमान या तो केन्द्र का जैसा होगा या, पंजाब के समान होगा नहीं तो किसी भी निकटवर्ती राज्य के समान होगा। इनमें से जहां सबसे कम होगा उसके आधार पर वेतनमान निश्चित किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि कर्मचारियों के मन में यह भावना पैदा करना कि जो कम हैं वही उन्हें मिलेगा, अनुचित था। अब केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस विषय को अस्थिरता में छोड़ देने के पहले एक सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेना ही उचित है। उक्त सिद्धांत यह है कि संघ राज्य के कर्मचारियों के वेतनमान को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान बनाये जायें।

कुछ सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि कुछ कर्मचारियों पर उक्त निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह एक वैध बात है। मेरी जानकारी के अनुसार 85,000 कर्मचारियों में से अधिकतम लोगों को इससे लाभ होगा।

श्री हेमराज : बहुत ही कम लोगों को मिलेगा 45 श्रेणियों में से केवल 26 श्रेणियां दिल्ली प्रशासन में हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन सारे मामलों पर बाद में विस्तारपूर्वक चर्चा की जायेगी मेरी जानकारी के अनुसार कुछ लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उनके मामले में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। मैं उनसे कह सकता हूँ कि उनके मामलों पर सहानुभूति से विचार किया जायेगा। अगर वे चाहते हैं कि वर्तमान वेतनमान जारी रहे तो हम इस ओर सहानुभूति से ध्यान देंगे। हम नहीं चाहते कि वे इस मामले में कष्ट सहें मेरा विश्वास है कि यह एक उचित निर्णय है।

भूख हड़ताल आदि के सम्बन्ध में, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी मांगें रखने का यह ढंग नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा

कि वे इस प्रकार की कार्यवाहियों को छोड़ दें, क्योंकि हम उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं।

जहां तक हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने का संबंध है, सरकार ने कई बार सूचित किया है कि हम इस प्रश्न पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। यह एक वित्तीय दायित्व का प्रश्न है, और यह भारत सरकार के विचाराधीन भी है। हम आशा करते हैं कि इस पर शीघ्र निर्णय किया जायेगा, निर्णय लेते ही उसकी सदन में घोषणा की जायेगी।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे भूख हड़ताल आदि की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करें। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि हम समझौता वार्ता क्यों नहीं करते हैं? समझौता वार्ता करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर वे मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं उनको मना नहीं करता हूं। परन्तु, पुनरीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं उनसे मिलूंगा और स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 18 मार्च, 1970/27 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 18th March 1970/ Phalguna 27, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.